राजभाषा भारती

वर्ष : 27 जनवरी-मार्च, 2005

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संयुक्त राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज वि॰ पाटील जी का स्वागत करते हुए सचिव (राजभाषा विभाग) श्री बालेश्वर राय जी

दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रों के संयुक्त राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी जी कंप्यूटर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे
—निराला

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 27

अंक : 108

जनवरी—मार्च, 2005

❑ **संपादक**
बैद्य नाथ हेम्ब्रम
संयुक्त निदेशक (अनुसंधान)
दूरभाष : 24617807

❑ **उप संपादक**
डॉ० राजेन्द्र प्रताप सिंह
दूरभाष : 24698054

❑ **संपादन सहायक**
शांति कुमार स्याल
फोन : 24698054

❑ **निःशुल्क वितरण के लिए**

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

❑ **पत्र-व्यवहार का पता :**
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (द्वितीय तल),
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

1284 HA/05-1A

विषय-सूची — **पृष्ठ**

➢ **संपादकीय** (iii)

➢ **चिंतन**

1. सु-शासन में राजभाषा की भूमिका एवं प्रासंगिकता —बालेश्वर राय 1
2. सूचना प्रौद्योगिकी और भाषा क्रांति —प्रो० सूरजभान सिंह 7
3. हिंदी-राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी —डॉ० प्रमोद कुमार अग्रवाल 14
4. राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी —राजमणि तिवारी 16
5. अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में हिंदी का प्रयोग —जोगेन्द्र सिंह 19

➢ **साहित्यिकी**

6. विदेशी विद्वानों द्वारा हिंदी वाङमीमांसापरक अध्ययन —प्रो० महावीर सरन जैन 23
7. हिंदी नाटक-साहित्य को रामकुमार वर्मा का योगदान —डॉ० एम० शेषन 34
8. जनता के कवि-संत कबीरदास —डॉ० पी०के० जयलक्ष्मी 37
9. तमिल भाषा में राष्ट्रभक्ति-साहित्य —डॉ० र० शौरिराजन 39

➢ **पुरानी यादें-नए परिप्रेक्ष्य**

10. देवनागरी को समर्पित मासिक 'देवनागर' —डॉ० रामवृक्ष सिंह 45
11. विदेशी राज्य भी था हिंदी का समर्थक —प्रो० योगेश चंद्र शर्मा 50

➢ **पत्रकारिता**

12. फिल्मों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति और संभावना —डॉ० अर्चना गौतम 52

➢ **मानवाधिकार**

13. मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन : नवीन दिशा दृष्टि की आवश्यकता —डॉ० बी०सी० उप्रेती 57

➢ **कृषि**

14. आधुनिक कृषि पद्धतियां एवं कार्बनिक खेती —एस०आर० यादव 60

➢ **संस्कृति**

15. अरुणाचल के युवा गृह —डॉ० वीरेन्द्र कुमार सिंह 64

विषय-सूची	पृष्ठ

➢ राजभाषा संबंधी गतिविधियां

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें 70

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें 76

(ग) कार्यशालाएं 82

(घ) हिंदी दिवस 86

पुरस्कार/प्रतियोगिताएं 109

सम्मेलन/संगोष्ठी 111

प्रशिक्षण 118

आदेश-अनुदेश 122

पाठकों के पत्र 125

संपादकीय

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ''राजभाषा भारती'' केंद्र सरकार के कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के बीच राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार को समर्पित त्रैमासिक पत्रिका है। इसी क्रम में वर्तमान अंक 108 (जनवरी—मार्च, 2005) आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस अंक में हिंदी तथा हिंदीतर क्षेत्रों के विद्वानों तथा विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों द्वारा भाषा, विज्ञान, तकनीक तथा टेक्नोलॉजी आदि पर लिखे गए आलेखों को स्थान दिया गया है। राजभाषा विभाग के सचिव, श्री बालेश्वर राय के आलेख ''सु-शासन में राजभाषा की भूमिका एवं प्रासंगिकता'' में शासन में पारदर्शिता लाने और शिक्षा का प्रकाश फैलाने तथा जन कल्याण के लिए राजभाषा हिंदी के प्रयोग की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला गया है। ''सूचना प्रौदयोगिकी और भाषा क्रांति'' नामक आलेख में औद्योगिकीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी भाषा के विभिन्न अनुप्रयोगों पर चिंतन किया गया है। इसी तरह ''हिंदी राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी'', ''राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी'' तथा ''अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में हिंदी का प्रयोग'' जैसे आलेख राजभाषा हिंदी की दशा और दिशा पर गंभीर चिंतन तथा शोध का परिणाम हैं।

साहित्यिकी में इस बार प्रो. महावीर सरन जैन, डॉ. एम. शेषन, डॉ. पी. के. जयलक्ष्मी तथा डॉ. र. शौरिराजन के शोधपरक आलेख शामिल किए गए हैं। इसी तरह पुरानी यादें-नए परिप्रेक्ष्य स्तंभ के अंतर्गत ''देवनागरी को समर्पित मासिक देवनागर'' तथा ''विदेशी राज्य भी था हिंदी का समर्थक'' जैसे आलेखों में हिंदी की विकास यात्रा का विहंगावलोकन है। उपर्युक्त आलेखों के अलावा फिल्मों में हिंदी के प्रयोग, मानव अधिकार, कृषि तथा अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति की झलक भी इस अंक में पाठकों को दिखाई देगी। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति राजभाषा भारती की प्रतिबद्धता के अनुरूप इस अंक में भी विभिन्न समितियों की बैठकों, हिंदी सप्ताह समारोहों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों से संबंधित रिपोर्टें शामिल की जा रही हैं। इसके साथ ही आदेश, अनुदेश तथा पाठकों के पत्र जैसे स्थायी स्तंभ भी इस अंक में मौजूद हैं।

हिंदी एवं संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान पंडित विद्यानिवास मिश्र जी फरवरी, 2005 के दौरान असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो गए। वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक श्री जयप्रकाश भारती भी अब हमारे बीच नहीं रहे। इन विभूतियों का जाना संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। राजभाषा भारती परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि।

पत्रिका को विचारोत्तेजक और रुचिकर बनाते हुए इसे सार्वदेशिक रूप देने का हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, इस संबंध में हमें अपने विचारों से अवश्य अवगत कराएं।

संपादक

सु-शासन में राजभाषा की भूमिका एवं प्रासंगिकता

—बालेश्वर राय, भा०प्र०से० *

शासन एवं भाषा

आदिकाल से शासन और भाषा का संबंध बहुत गहरा रहा है। किसी भी प्रशासनिक प्रणाली में भाषा की अहम् भूमिका होती है। वस्तुत: प्रशासन की धुरी भाषा पर आधारित होती है। समाज को शासित करने के उपाय और तरीकों के आधार पर विभिन्न प्रशासनिक प्रणालियां विकसित हुई हैं। नागरिकों के हितों और राज्य की भूमिका में तालमेल के लिए राजनैतिक और प्रशासनिक प्रणालियों के विभिन्न रूप और शासन पद्धतियां प्रतिपादित की गई हैं। पिछले दशक के दौरान विभिन्न समाजों में सरकार की भूमिका में अद्भुत परिवर्तन आए हैं। **ई-शासन** के प्रादुर्भाव ने तो शासन की संकल्पना (Concept) में ही आमूल परिवर्तन कर दिया है। फिर भी भाषा की भूमिका तो प्रशासन में पहले से भी बढ़ी है। वस्तुत: भाषा शासन व जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

शासन

1.2 सरकार का अभिप्राय उस तंत्र और संस्थागत ढांचे से है जो किसी राष्ट्र की प्रभुता के प्रयोग के लिए आवश्यक होता है। इसके विपरीत, शासन का व्यापक अर्थ और अभिप्राय—समाज के लाभ के लिए आधिकारिक निर्णयों को निष्पादित करने की प्रक्रियाओं एवं परिणाम से है। अपने परंपरागत अर्थ में शासन राजनैतिक प्रणाली के रूपों और उस नीति का उल्लेख करता है जिसमें विकास के लिए देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए सत्ता (Authority) का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यह नीतियों की रूपरेखा तैयार, प्रतिपादित और कार्यान्वित करने के लिए और सामान्य रूप में, सरकार के कार्यों के निर्वहन के लिए सरकार की प्रभावकारिता से संबंधित है।

1.3 शासन शब्द का प्रयोग अनेक संदर्भों में भी किया जाता है, जैसे कारपोरेट शासन, अंतरर्राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय शासन और स्थानीय शासन। चूंकि शासन निर्णय लेने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा निर्णयों को कार्यान्वित भी किया जाता है, इसलिए शासन का विश्लेषण ऐसे औपचारिक और अनौपचारिक घटकों पर केंद्रित होता है जो निर्णय लेने और लिए गए निर्णय को कार्यान्वित करने में शामिल हैं और ऐसी औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं पर भी केंद्रित रहता है जिनका उपयोग निर्णय लेने और उन्हें कार्यान्वित करने में किया जाता है।

1.4 सरकार भी शासन में एक महत्वपूर्ण घटक है। शासन में सम्मिलित अन्य घटकों में स्तर के आधार पर अंतर होता है। स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें पंचायती राज संस्थाएं, किसानों के संघ, सहकारी समितियां, गैर सरकारी संगठन, बैंक, राजनैतिक दल आदि शामिल होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, उक्त घटकों के अलावा मीडिया, उद्योग, वाणिज्यिक संगठन (चैंबर्स आफ कॉमर्स) वित्तीय संस्थाएं शासन-प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं।

सु-शासन

2.1 आज वैश्वीकरण के कारण विश्वभर में प्रशासन की रूपरेखा एवं व्यवस्था बदल रही है। लोगों में अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता और शासन से बेहतर सेवाओं की अपेक्षा बढ़ रही है। पहले प्रशासन नौकरशाही केंद्रित होता था लेकिन आज दुनियाभर में सामूहिक रूप में निर्णय लेने की प्रक्रिया, प्रशासनिक कार्यों में लोगों की भागीदारी बढ़ती जा रही है और इस प्रकार प्रशासन नागरिक केंद्रित हो रहा है। बेहतर जन-सेवाएं और उन्हें प्रदान करने के बेहतर तरीके आज शासन की कसौटी बन गए हैं।

2.2 सु-शासन का तात्पर्य लोकतांत्रिक ढांचे में प्रभावी और कुशल प्रशासन से है। सार्थक विकास को आगे बढ़ाना और आम लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना ही सु-शासन है। सु-शासन देने के लिए एक दक्ष, सक्षम एवं विश्वसनीय सरकारी तंत्र की आवश्यकता है, जो लोगों के

*सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ-साथ जन-सामान्य को न्याय दे सके, जो कानून-व्यवस्था बनाए रखे तथा पूरे देश में कानून के अनुरूप एक जिम्मेदार और जवाबदेह प्रशासन स्थापित कर सके, ऐसा प्रशासन जो लागों के दुख-दर्द को समझ सके। सार रूप में सु-शासन के अंतर्गत नागरिकों की परवाह करने वाला तथा जिम्मेदार और जवाबदेह प्रशासन आता है। सु-शासन समाज में समान विकास और परिवर्तन के लिए एक सकारात्मक बल के रूप में कार्य करता है। यह सहभागियों की पूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है तथा सूचना के पूर्ण प्रकटीकरण और उस तक समान रूप से पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करता है।

सु-शासन की विशेषताएं

3.1 'सु-शासन' की संकल्पना (Concept) की कुछ प्रमुख विशेषताएं जैसे—भागीदारी, विधिसम्मतता, पारदर्शिता, साम्यता तथा व्यापकता, प्रभाविकता और दक्षता, जवाबदेही आदि हैं। प्रशासन में इन कारणों की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार कम हो, अल्पसंख्यक वर्ग के विचारों को भी ध्यान में रखा जाए तथा निर्णय लेते समय समाज के कमजोर वर्ग की आवाज को भी सुना जाए। यह समाज की वर्तमान और भावी जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हो। पुरुषों और महिलाओं की समान रूप में सहभागिता हो। प्रशासन का संचालन विधि सम्मत हो, जिसमें नियमों और विधियों को निष्पक्ष रूप से लागू किया जाता हो, मानवाधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था हो। विधियां निष्पक्ष रूप से लागू करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका और निष्पक्ष तथा ईमानदार पुलिस बल की व्यवस्था हो। प्रशासन में पूर्ण पारदर्शिता हो, प्रशासन की संस्थाएं सभी स्तर पर कुशल और प्रभावी ढंग से प्रक्रियाओं का पालन करें, प्रशासन साम्य भाव से जन-कल्याण के कार्यों को जनता की भागीदारी के साथ संपादित करे और सभी वर्गों, विशेष रूप से सबसे कमजोर वर्ग के हितों का ध्यान रखे।

भारतीय संदर्भ में सु-शासन

4.1 स्वतंत्र भारत में जनता को सु-शासन की अनुभूति कराने के लिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में ही सु-शासन की झलक है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की परिकल्पना है। भारतीय संविधान का रूप प्रमुखतः संघीय है, जिसकी मुख्य विशेषताएं संविधान का सर्वोपरि होना, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा संविधान के संशोधन की कड़ी प्रक्रिया हैं। संविधान में दोहरी राज्य व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है, जिसके तहत संघ तथा राज्यों के बीच प्राधिकारों के क्षेत्र भली प्रकार से निर्धारित किए गए हैं, जो इन दोनों सरकारों को प्रयोग में लाने के लिए सौंपे गए हैं।

4.2 भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में शासन के तीन स्तर हैं—राष्ट्रीय अथवा संघीय, राज्य अथवा क्षेत्रीय तथा आधारिक स्तर जिन्हें पंचायत तथा नगर पालिका कहा जाता है। संविधान में 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को स्वायत्त शासन संस्थाओं के रूप में अधिकृत किया गया है। भारत के संविधान में केंद्र तथा प्रभावी तरीके से सशक्त किए गए राज्यों की आवश्यकता के बीच "रचनात्मक संतुलन" की परिकल्पना की गई है। देश की सामाजिक-आर्थिक विविधता ने भारतीय संघवाद के विभिन्न पहलुओं को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। ऐसी व्यवस्था में संघ एवं राज्य की राजभाषाओं का महत्व और भी अधिक हो जाता है।

4.3 भारत के संविधान की उद्देशिका में उन उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है, जिनकी प्राप्ति के लिए राष्ट्र (राज्य) को प्रयास करने चाहिएं। इनमें से प्रमुख उद्देश्य देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाना तथा विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना है। अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने पर बल है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य की नीति के निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करने की राज्य से अपेक्षा की जाती है। सभी राज्यों से 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रावधान करने की अपेक्षा की गई है। लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने को राज्यों का प्राथमिक कर्त्तव्य बताया गया है।

4.4 प्रख्यात न्यायविद् एच.एम. सीरवाई ने अपनी उल्लेखनीय कृति **''कांस्टीट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया''** में वर्ष 1951 से वर्ष 1991 के दौरान भारत के संविधान की व्यावहारिक कार्यप्रणाली पर चर्चा करते हुए यह टिप्पणी की है कि ऐसा प्रतीत होता है कि संघीय संविधान के अनुकूल ब्रिटिश सरकार का स्वरूप ही हमारे संविधान के अंतर्गत सरकार का सर्वाधिक समुचित रूप होगा। सरकार के इस स्वरूप में विधायिका, न्यायपालिका और उच्चतर सिविल सेवा सदस्यों से चरित्र एवं आचरण के उच्च मानकों की अत्यधिक अपेक्षा की जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं को विश्वास था कि चरित्र एवं आचरण के ये उच्च मानक हमारे संविधान के अंतर्गत बने रहेंगे। आज सार्वजनिक जीवन में इन मानकों में गिरावट आई है, जिसके विषय में हम सबको गंभीरता से विचार करना होगा। भारत जैसे विशाल देश में जहां अनेक राज्य हैं और बहुभाषी लोग रहते हैं— गणतंत्रात्मक व्यवस्था ही सर्वोपरि एवं अनुकूल है। 55 वर्ष के हमारे अनुभव ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि भारत में गणतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। पिछले लोक सभा चुनाव तथा राज्यों के विधान सभाओं के चुनाव ने भी यह साबित कर दिया है कि भारत में जहां जनादेश सर्वमान्य है, जनतांत्रिक व्यवस्था द्वारा सत्ता परिवर्तन कितने सहज रूप से होता है। केंद्र और राज्यों में साझा सरकारें मिलजुल कर कितना अच्छा कार्य कर रही हैं। आज भारत की गणतांत्रिक व्यवस्था में भी साझा सरकार की संस्कृति विकसित हो रही है।

सु-शासन में राजभाषा

5.1 भाषा केवल व्यक्ति की ही नहीं राष्ट्र की भी सबसे बड़ी पहचान है। जिन मूलभूत तत्वों के कारण कोई देश राष्ट्र कहलाता है, उनमें उस राष्ट्र के संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र गान के साथ राष्ट्रभाषा या राजभाषा का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। हिंदी इस देश की राजभाषा है। 14 सितंबर, 1949 को हमारे संविधान निर्माताओं ने एकजुट हो कर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और संविधान में यह भी व्यवस्था की कि हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार बढ़ाया जाए, उसका विकास किया जाए ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। महात्मा गांधी ने 1917 में ही भारुच में गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है, जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है क्योंकि वह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है, यह समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक संपर्क के माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम है तथा इसे सारे देश के लोगों को सीखना आवश्यक है।

5.2 भाषा किसी राष्ट्र की पहचान होती है और उस राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार उनकी भाषा में प्रतिबिंबित होते हैं। भाषा जिस सांस्कृतिक विरासत में जन्म लेती है उस विरासत को पीढ़ी-दर-पीढ़ी पहुंचाने का कार्य भी करती है। भाषा की इसी महत्ता को प्रतिपादित करते हुए **आचार्य दंडी** ने कहा था कि—**''यह सृष्टि अंधकार में डूब गई होती, यदि भाषा रूपी प्रकाश का अभ्युदय न हुआ होता।''** वस्तुत: भाषा तो वह प्रकाश है जो मनुष्य के अंतस के तिमिर को दूर कर उसे प्रकाशित करता है। भाषा मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करती है, उसे संस्कारित करती है।

5.3 इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस देश में संघीय शासन की सफलता सरकार के अच्छे ढंग से कार्य करने पर निर्भर करती है। संघ सरकार और राज्यों के बीच एक अच्छा संतुलन बनाकर तथा सामाजिक, आर्थिक तथा क्षेत्रीय विषमताओं को दूर कर एक प्रभावी शासन के निर्माण की आवश्यकता है। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच अच्छा तालमेल बनाकर ही शासन को प्रभावी बनाया जा सकता है और यह कार्य राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग और प्रचार-प्रसार से ही संभव है। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित कर ही हम देश की एकता और अखंडता को मजबूत कर सकते हैं। राष्ट्र को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सु-शासन ही एकमात्र प्रभावशील कारक बन सकता है। सु-शासन की व्यवस्था तभी संभव है जब हमारे सारे राज-काज जनता की भाषा 'राजभाषा' में संपादित हों। 'सरकार आपके द्वार' का नारा जो सु-शासन का मूल मंत्र है, तभी सार्थक होगा जब जनता की भाषा में उनके सभी कार्यों को किया जाए। जनता की विकास कार्यों में भागीदारी भी राजभाषा में कार्य करने से ही होगी। अत: राजभाषा हिंदी को सरल और सुबोध बनाने की आवश्यकता है। उसे देश की संपर्क भाषा का रूप देने के लिए संस्कृत व हिंदुस्तानी के अलावा आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करने की आवश्यकता है। संविधान की धारा 351 में भी अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए राजभाषा हिंदी की समृद्धि पर बल दिया गया है।

5.4 स्वतंत्रता प्राप्ति के 58 वर्ष बाद भी हम गरीबी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। जनसंख्या में वृद्धि के कारण आर्थिक लाभ कम हो रहे हैं। भारत में समर्थ मध्यम वर्ग, विकासशील सॉफ्टवेयर उद्योग और परमाणु क्षमता के बावजूद बड़ी संख्या में हमारे नागरिक बेरोजगार, गरीब और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं से वंचित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, स्वच्छ पेय जल, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं जैसी महत्वपूर्ण मूलभूत जरूरतों को पूरा करना ऐसे मामले हैं, जिन्हें समाज के सभी वर्गों से संबंध रखने वाले नागरिकों को संतुष्ट करने के लिए कारगर, सक्षम और व्यवहारिक तरीके से हल किए जाने की आवश्यकता है। यह सब करने के लिए शासन और जनता के बीच की दूरी को दूर करना होगा। यह कार्य केंद्र और राज्यों में राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग से ही संभव है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति का अवसर राजभाषा के सरल व स्वाभाविक रूप को व्यवहार में लाने से संभव हो सकता है। अत: शासन को सभी जनकल्याण की योजनाओं को, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राजभाषा के माध्यम से ही प्रचारित करना चाहिए।

5.5 सु-शासन में राजभाषा की एक अहम् भूमिका है। किसी भी राष्ट्र में प्रशासन को सक्षम और प्रभावकारी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जनभाषा में ही शासन का कार्य किया जाए। केंद्र व राज्य स्तर पर जनभाषा को राजभाषा बनाने से देश में जनतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी और राष्ट्र की भावात्मक एकता भी मजबूत होगी। सु-शासन में प्रशासन को जवाबदेह, पारदर्शी और विधि-सम्मत होने के लिए सभी कामकाज का जनभाषा में संपादन होना चाहिए। राजभाषा की सु-शासन में अहम् भूमिका को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की धारा 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया है। भारत जैसे एक विशाल और बहुभाषी देश में, जिसकी अपनी सामासिक संस्कृति रही है और संविधान में जिसकी संरचना एक संघात्मक राष्ट्र के रूप में की गई है—संघ राज्य के स्तर पर हिंदी को और राज्यों में अलग-अलग उनकी अपनी भाषा को राजभाषा का दर्जा देना सु-शासन के अनुकूल है। इसीलिए संविधान की धारा 345 के अंतर्गत राज्यों में अलग राजभाषा की व्यवस्था है। संविधान की इस धारा के अनुसार "किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा।"

5.6 संविधान की धारा 347 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति जी निदेश दे सकते हैं कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करें, शासकीय मान्यता दी जाए। संविधान की धारा 350 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभयावेदन देने की व्यवस्था है। संसद के दोनों सदनों में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में करने की व्यवस्था संविधान की धारा 120(1) के अंतर्गत की गई है। इसी प्रकार संविधान की धारा 210 (1) में राज्य के विधान मंडल का कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किए जाने की व्यवस्था है।

5.7 संघ के राजकीय कार्यों में राजभाषा के प्रयोग के लिए 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया। अधिनियम में यह व्यवस्था रखी गई है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से पत्राचार में अंगेजी के प्रयोग को 1965 के बाद भी जारी रखा जाए। अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि अंतराल की अवधि में कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाए और कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों का प्रयोग किया जाए। सन् 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए। राजभाषा अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी प्रावधान रखा गया है कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक संसदीय राजभाषा समिति गठित की जाए। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा (3) के प्रख्यापन के दस वर्ष बाद इस समिति का गठन किया जाना था। समिति का गठन अधिनियम की धारा 4 के तहत वर्ष 1976 में किया गया। इस समिति में संसद के 30 सदस्य होते हैं 20 लोकसभा से और 10 राज्य सभा से। इस समिति के अध्यक्ष माननीय गृह मंत्री होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति का गठन संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करने हेतु संसदीय राजभाषा समिति के अलावा कई अन्य समितियों का भी गठन किया

गया है, जैसे केंद्रीय हिंदी समिति, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हिंदी सलाहकार समितियां, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां और राजभाषा कार्यान्वयन समितियां।

5.8 हमारे संविधान में प्राथमिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को रखा गया है, जिससे कि बच्चों की प्रतिभा का स्वाभाविक रूप से विकास हो सके। राष्ट्र की सामासिक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा फार्मूले की भी व्यवस्था की गई है, ताकि प्रत्येक राज्य में अपनी राजभाषा के साथ-साथ हिंदी और जिन प्रदेशों में हिंदी राजभाषा है, उनमें किसी हिंदीतर भाषा को पढ़ाने की व्यवस्था हो। हिंदी संघ की राजभाषा के साथ-साथ पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा है और संपर्क भाषा के प्रगामी प्रयोग तथा प्रचार-प्रसार से ही पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में हिंदी भाषा के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। यह विडंबना ही है कि 55 साल के बाद भी हम अपनी राजभाषा का प्रयोग प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में नहीं कर पा रहे हैं। हम अभी भी विदेशी भाषा अंग्रेजी के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए हैं। कई राज्यों में आज भी राजभाषा अंग्रेजी बनी हुई है। शासन को प्रभावी और विकासोन्मुख बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में वहां की जनभाषा को भी राजभाषा होना चाहिए। अच्छे प्रशासन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि शासन की भाषा उस प्रदेश में बोली जाने वाली जनभाषा को बनाया जाए, जिससे लोगों को स्वराज्य की अनुभूति हो सके। इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर संघ की राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रचार व प्रसार होना चाहिए, ताकि देश की सामासिक संस्कृति के साथ-साथ राष्ट्र की एकता व अखंडता मजबूत हो सके। संघ की राजभाषा हिंदी और प्रदेशों में उनकी अपनी भाषा जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को कम कर सकती है। शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता लाई जा सकती है, और प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। इस प्रकार सु-शासन के लिए शासन की भाषा का जनभाषा होना अत्यंत आवश्यक है। वस्तुत: सु-शासन की आधारशिला ही राजभाषा है।

5.9 विश्व के विभिन्न देशों में उनकी अपनी राष्ट्रभाषा वहां की जनभाषा ही है। जिन देशों ने अपनी जनभाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया वे आज भी पराई भाषा की दासता की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। क्या अमेरिका, रूस, चीन, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों की राष्ट्र भाषा कोई विदेशी भाषा है। इन देशों के विकसित होने में उनकी राजभाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें भी अपनी राजभाषा को विकसित कर अपना सारा शासकीय कार्य अपनी भाषा में करके गौरव का अनुभव करना चाहिए। संघ सरकार की नीति है कि राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग सद्भाव, प्रेरणा व प्रोत्साहन के साथ करना चाहिए। राज्य स्तर पर प्रादेशिक भाषाओं को, जिन्हें राजभाषा का दर्जा मिल चुका है, विकसित करना चाहिए और सभी राजकीय कार्य इन्हीं भाषाओं में करना चाहिए। देश में सुशासन की परिकल्पना तभी साकार होगी और लोगों को इस बात की अनुभूति हो पाएगी कि यह हमारा अपना शासन है।

6.1 संविधान के निर्माताओं ने राजभाषा हिंदी के एक ऐसे अखिल भारतीय स्वरूप की कल्पना की है जो अन्य भारतीय भाषाओं की सहायता लेकर हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार हो सके। राजभाषा संकल्प, जो वर्ष 1967 में दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया, में भी यह निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी के प्रचार और प्रसार की गति बढ़ाने के लिए तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोतर प्रयोग हेतु भारत सरकार एक अधिक व्यापक और गहन कार्यक्रम तैयार करे और उसे कार्यान्वित करे। इस संकल्प के अनुसार राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार हेतु किए गए उपायों एवं प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है और सभी राज्य सरकारों को भी इस रिपोर्ट की एक प्रति भेजी जाती है। इस संकल्प में यह भी कहा गया है कि हिंदी के साथ-साथ आठवीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं (22) के समन्वित विकास के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार करे और इसे कार्यान्वित करे ताकि शीघ्र ही ये सभी भाषाएं समृद्ध हो और आधुनिक ज्ञान के मार्ग का प्रभावी माध्यम बन सकें।

6.2 संघ के राजकीय प्रयोग के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनरावलोकन करने तथा उन पर अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करने के लिए वर्ष 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। निरीक्षण कार्य के लिए संसदीय राजभाषा समिति की तीन उप-समितियां हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करती हैं। संसदीय समिति राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए

1284 HA/05-2A

नियमों की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी किए गए तत्संबंधी परिपत्रों, आदेशों, अनुदेशों का भी संसदीय राजभाषा समिति ध्यान में रखती है। समिति अब तक कुल सात खंडों में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है। समिति के प्रथम छह खंडों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश भी जारी हो गए हैं। प्रतिवेदन के सातवें खंड में समिति ने केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की वस्तुस्थिति पर अपने निरीक्षण के आधार पर प्रकाश डाला है। समिति ने अपने सातवें खंड में यह बताया कि सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में माध्यमिक स्तर की पढ़ाई हिंदी में की जा रही है। समिति ने **ख** एवं **ग** क्षेत्रों में स्थित सभी राज्यों तथा संघ शासित राज्यों में प्राथमिक स्तर पर हिंदी की शिक्षा अनिवार्य करने की सिफारिश की है। समिति की यह सिफारिश यदि राष्ट्रपति जी मान लेते हैं तो पूरे देश में हिंदी के पठन-पाठन की व्यवस्था प्राथमिक स्तर पर हो सकती है और प्रत्येक नागरिक को हिंदी का ज्ञान हो सकता है। इससे राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं प्रसार को सही मायने में बढ़ावा मिलेगा और हमारी राष्ट्रीय एकता भी मजबूत होगी। देश में राजभाषा हिंदी इस प्रकार सम्पर्क भाषा का रूप शीघ्र ग्रहण कर सकेगी।

निष्कर्ष

7.1 सुशासन के लिए सदैव ही राजभाषा की अहम् भूमिका रही है। भारत एक जनतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ जनता का शासन, जनता द्वारा, जन-कल्याण के लिए होता है। जनतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है—सार्वभौम होती है। राजभाषा जनभाषा को ही बनाया गया है। भारतीय जनभाषाओं का प्रयोग राजकाज में हो भी रहा है। किंतु केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों एवं बैंकों आदि में आज भी अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व है। संघ की राजभाषा हिंदी तो अभी केवल अनुवाद की भाषा बनी हुई है। इस स्थिति से हमें बाहर निकलकर राजभाषा हिंदी में सभी राजकीय कामकाज करने होंगे, तभी हम जनता को एक स्वच्छ जिम्मेदार एवं पारदर्शी शासन दे सकेंगे। राज्यों में राजभाषाओं की स्थिति बेहतर है। इन सभी राजभाषाओं के विकास और राजकीय कार्यों में अधिकाधिक प्रयोग से ही सुशासन की संकल्पना सार्थक हो सकती है।

7.2 भारत में सुशासन की संकल्पना "रामराज" की द्योतक है—ऐसे शासन की जहाँ सभी लोग सुखी हों, निरोग हों और प्रशासनिक तंत्र दिन-रात जन-कल्याण के कार्यों में लगा हो और जिस शासन में "सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामय: तथा सर्वहित रत:" की उक्तियां सार्थक सिद्ध होती हों। वस्तुत: शासन में राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग होने से ही जनता की प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित होती है— प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ती है और इस प्रकार प्रशासन एक जिम्मेदार और जवाबदेह शासन का रूप लेता है। शासन में इन गुणों के आने पर ही उसे सुशासन कह सकते हैं और इसकी उपलब्धि राजभाषा में सभी राजकीय कार्यों के करने से ही संभव है। शासन को अधिक प्रभावकारी एवं सक्षम बनाने के लिए भी यह आवश्यक है कि हम सभी राजकीय कार्य राजभाषा में करें। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम सभी राजकीय कार्य अपनी राजभाषा में बेतहर तरीके से कर सकते हैं। हम अपनी भाषा में चिंतन कर मूल रूप से अपनी राजभाषा में कार्य करने में सक्षम हैं। हमारे राजनेताओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों में अपार क्षमता है। सभी अपनी राजभाषा से पूर्णतया भिज्ञ हैं। आवश्यकता है— राजभाषा में कार्य करने के लिए एक सच्चे संकल्प की, "दृढ निश्चय" की। आज सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न भाषाई एप्लीकेशनों अनुप्रयोगों के क्षेत्र में अनेक नए आविष्कार हुए हैं। राजभाषा विभाग सी-डेक के साथ मिलकर इन नए आविष्कारों का लाभ उठाकर राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नए-नए सॉफ्टवेयर टूलों और एप्लीकेशनों की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। हमें आशा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम राजभाषा हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विकास एवं उनके प्रचार व प्रसार के कार्यों में गति ला सकेंगे और राजभाषा नीति को अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर सकेंगे।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि सुशासन और राजभाषा एक दूसरे से अलग नहीं हैं। वे एक दूसरे से वैसे ही मिले हुए हैं, जैसे "शब्द और अर्थ"। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश के प्रारम्भिक श्लोक में "शिव-पार्वती" की वंदना करते हुए कहा है कि शब्द-अर्थ अलग होते हुए भी नित्य मिले हुए हैं—

"वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये।
जगत: पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ॥"

❑

1284 HA/05-2B

सूचना प्रौद्योगिकी और भाषा क्रांति

—प्रो. सूरज भान सिंह*

कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आज जो नया ज्ञान विस्फोट हुआ है वह भाषा में भी एक मौन क्रांति का वाहक बनकर आया है। फलस्वरूप आज भाषा के कलेवर और उसकी आंतरिक क्षमता में भी एक विस्फोट की स्थिति पैदा हो चुकी है। भाषा के क्षेत्र में यह सारा परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहा है कि हम आज तटस्थ रूप से उसका ऐतिहासिक आकलन करने में भी असमर्थ हैं। अभी तक भाषा को मनुष्य की आवश्यकताओं को ही पूरा करना पड़ता था, लेकिन आज इसे न केवल मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ रहा है, बल्कि मशीन और कंप्यूटर की नित नई भाषाई माँगों को भी पूरा करना पड़ रहा है। अत: कंप्यूटर टैक्नॉलॉजी की नई भूमिकाओं के निर्वाह के लिए भाषा वैज्ञानिक भाषा प्रयोग की असीम संभावनाओं को एक बार फिर से टटोल रहे हैं और भाषा की प्रकृति और स्वरूप पर पुनर्चिंतन कर भाषा की नई गहराइयों का पता लगा रहे हैं।

आज की यह क्रांति औद्योगिक समाज की नहीं, सूचना समाज की देन है। सूचना समाज वस्तुत: कंप्यूटर और सूचना टैक्नॉलॉजी की मूल अवधारणाओं पर टिका है। ये अवधारणाएँ क्या हैं, इनके मूल तत्व क्या हैं, इनके विकास की दिशाएँ क्या हैं, मानव से इनका क्या रिश्ता है, इस बदलते हुए परिवेश में भाषा प्रमुख है या संप्रेषण आदि प्रश्नों पर विचार करना ज़रूरी है।

1. औद्योगिक समाज बनाम सूचना समाज

19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध औद्योगिक क्रांति और विज्ञान का युग था, जिसमें भारी मात्रा में विज्ञान और उद्योग का विकास और प्रसार हुआ और समाज में शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई । फिर भी इस प्रक्रिया में नए आविष्कारों को विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में कई वर्ष लग जाते थे। कंप्यूटर और सूचना टैक्नॉलॉजी ने आज सारा परिदृश्य बदल दिया है। बीसवीं सदी का औद्योगिक समाज आज सूचना समाज में बदल चुका है और सूचना टैक्नॉलॉजी की अद्भुत शक्ति से बड़ी तेजी से भू मंडलीकरण के दौर से गुजर रहा है। भू मंडलीकरण का केंद्रीय तत्व है—सूचना और ज्ञान का वैश्वीकरण (सर्वसुलभता), वाणिज्यीकरण और अधिक से अधिक टैक्नॉलॉजी आश्रित कार्यक्रमों का विकास।

यहाँ कंप्यूटर टैक्नॉलॉजी और सूचना टैक्नॉलॉजी के बीच अंतर समझ लेना ज़रूरी है। कंप्यूटर हमारे निजी, व्यावसायिक और वाणिज्यिक कार्य-कलापों में हमें अनंत सुविधाएं और लाभ प्रदान करता है और हमारा श्रम तथा समय बचाता है। फिर भी यह मूलत: निजी हित में कार्य करता है, भले ही यह हित व्यक्ति विशेष का हो, कार्यालय का हो या वाणिज्यक निकायों का। इसके विपरीत सूचना टैक्नॉलॉजी का कार्य-क्षेत्र मूलत: समाज या समष्टि है। यह व्यक्ति को समष्टि और विश्व से जोड़ता है। इंटरनेट इसका एक आधारभूत उपकरण है। इसके माध्यम से समाज के छोटे बड़े सभी व्यक्तियों को दूरस्थ स्थानों तक अविलंब उपयोगी और इच्छित सूचना उपलब्ध हो जाती है, जिससे वे अपने व्यावसायिक, सामाजिक और वाणिज्यिक कार्यकलापों में वृद्धि कर सकते हैं और अपना जीवन स्तर ऊँचा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, सूचना टैक्नॉलॉजी के मूल में जन कल्याण का भाव निहित है। ज़ाहिर है, जितनी बड़ी क्रांति कंप्यूटर टैक्नॉलॉजी से हमारे सामाजिक जीवन में आई है उससे कहीं बड़ी क्रांति सूचना टैक्नॉलॉजी से आई है।

स्वयं सूचना शब्द में ही दो पक्ष अंतर्निहित हैं—एक संदेश देने वाला और दूसरा संदेश प्राप्त करने वाला, जो समग्र समाज भी हो सकता है। समाज कल्याण की इसकी इसी क्षमता को ध्यान में रखते हुए देश की सरकारें स्वयं वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देकर सूचना टैक्नॉलॉजी का फ़ायदा समाज के हर स्तर और वर्ग के लोगों को सुलभ कराना चाहती हैं, जिससे वे समाज में अपने को सक्षम और

*आई-127, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028

शक्तिशाली बना सकें। कहते हैं सूचना शक्ति है। जिसके पास अद्यतन सूचना है वही शक्तिशाली है। इसीलिए सरकार भी चाहती है कि टैक्नॉलॉजी अब खुद लोगों के दरवाज़े तक पहुँचे न कि टैक्नॉलॉजी को ढूँढने लोग ऊपर की ओर जाएँ।

2. कंप्यूटर टैक्नॉलॉजी की प्रकृति

कंप्यूटर की टैक्नॉलॉजी, जो अब तक उपलब्ध सभी टैक्नॉलॉजी से बिल्कुल अलग है, इस धारणा पर टिकी है कि कंप्यूटर मानव जीवन के अधिक से अधिक प्रयोजनों को पूरा कर सकता है। यह मात्र उपकरण नहीं, सृजन की प्रक्रिया का एक भागीदार भी है। जो महत्व सितारवादक के लिए सितार का है, चित्रकार के लिए कूची का है, क्रिकेट खिलाड़ी के लिए बल्ले—क्रिकेट का है, वही महत्व कंप्यूटर पर काम करने वालों के लिए कंप्यूटर का है। ऐसा तभी संभव है जब यह मनुष्य के सामान्य कार्यकलापों का एक अभिन्न अंग बन जाए, यह हर समय उसे उपलब्ध हो और उसके बिना वह अपने को असहाय महसूस करे। दूसरे शब्दों में, कंप्यूटर मनुष्य की दूसरी प्रकृति बन जाए। तदनुसार कंप्यूटर टैक्नॉलॉजी की भावी विकास की दिशाएँ भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी रणनीति पर टिकी हैं। आज इसके विकास की तीन प्रमुख दिशाएँ हैं :

पहला, कंप्यूटर आकार में छोटा से छोटा और वज़न में हल्का से हल्का होना चाहिए। यही कारण है कि कंप्यूटर अब विशाल मेनफ्रेम से छोटा होकर टेबलटॉप, लैपटॉप, पामटॉप और जेब में सिमटता जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ खास प्रयोजनों के लिए अब कंप्यूटर मिनी और माइक्रो रूप में मोबाइल फोन और घड़ी के रूप में भी उपलब्ध हैं।

दूसरे, कंप्यूटर को बहुप्रयोजनी होना चाहिए, अर्थात् कंप्यूटर में मानव जीवन के हर संभव प्रयोजन को पूरा करने की क्षमता समाहित होनी चाहिए। फलस्वरूप आज कंप्यूटर से हम न केवल टाइपिंग और मुद्रण का काम लेते हैं, बल्कि इससे फोन भी कर सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, वीडियो चलचित्र देख सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, पत्र भेज सकते हैं, केलकुलेटर, घड़ी और डायरी का काम ले सकते हैं, ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं, डॉक्टरी सलाह पा सकते हैं और ज्ञान-विज्ञान की नई से नई जानकारी चुटकी में प्राप्त कर सकते हैं।

तीसरे, कंप्यूटर को अधिक से अधिक प्रयोक्तासहज (यूज़र फ्रेन्डली) और सरल होना चाहिए। कंप्यूटर के विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में, जब डॉस परिवेश में ही कंप्यूटर का ज्यादातर काम होता था, सामान्य व्यक्ति कंप्यूटर में काम करने से बहुत घबड़ाता था क्योंकि वह इसे तकनीकी जानकारों का काम मानता था। यह मानसिक हिचक कंप्यूटर के व्यापक प्रयोग में बहुत बड़ी बाधा थी। तभी कंप्यूटर की दुनिया में एक नई परिचालन प्रणाली विन्डोज और माउस का प्रवेश हुआ, जिसने कंप्यूटर पर काम करने की पूरी संकल्पना ही बदल डाली। इसका समस्त इंटरफेस इतना आसान और मैत्रीपूर्ण था कि बिना अधिक भाषाज्ञान के और बिना कमान टाइप किए केवल चित्रों (आइकन) और दिए गए विकल्पों की मदद से माउस के जरिए कोई भी सामान्य व्यक्ति कंप्यूटर पर कोई भी काम कर सकता था। अब कंप्यूटर का अनुप्रयोग ज्ञान से बदलकर कौशल बन गया और कंप्यूटर पर काम करना एक प्रकार का खेल-सा हो गया।

कंप्यूटर टैक्नॉलॉजी अन्य टैक्नॉलॉजी से एक और तरह से भी अलग है : यह पूरी तरह मार्केट आधारित टैक्नॉलॉजी है। इस टैक्नॉलाजी के हर उत्पाद को मार्केट में अपने को सिद्ध करना पड़ता है। फलस्वरूप जो उत्पाद मार्केट में नहीं टिक पाता, वह खुद-ब-खुद मार्केट से बाहर हो जाता है। दूसरे शब्दों में, यह एक स्व-पोषित टैक्नॉलॉजी है जो सरकार या अन्य संस्थाओं की वित्तीय सहायता पर नहीं निर्भर करती। इसे अपने उत्पाद की बिक्री से अपना पैसा अपने आप उगाहना पड़ता है। इसीलिए इसका प्रयोक्ता वर्ग जितना बड़ा होगा उतना ही इसका मार्केट भी बड़ा होगा और देश की सीमाओं को पार करता जाएगा। यही कारण है कि आज सूचना टैक्नॉलॉजी वैश्वीकरण प्रक्रिया का अंग ही नहीं बल्कि वैश्वीकरण प्रक्रिया को संभव करानेवाला एक साधक भी है।

3. कंप्यूटर और भाषा के बीच दोहरा रिश्ता : कंप्यूटेशनल भाषाविज्ञान

कोई भी टैक्नॉलाजी भाषा के संपर्क में आए बिना नहीं रह सकती। कंप्यूटर और भाषा के बीच द्विपक्षीय और द्विदिशात्मक रिश्ता है। जहाँ एक ओर भाषा अपने कुछ प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर का उपयोग उपकरण के रूप में करती है, वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर भी भाषा का प्रयोग एक उपकरण के रूप में करता है। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर हम कई भाषा-आधारित कार्यों को अधिक सक्षम ढंग से और बहुत ही कम समय में संपन्न कर सकते हैं, जैसे मुद्रण, टंकण,

कोश-निर्माण, भाषा-शिक्षण, सूचना संचयन और संपादन आदि। यहाँ भाषा का कार्यकर्त्ता कंप्यूटर का इस्तेमाल एक उपकरण या साधन के रूप में करता है। इसके विपरीत कंप्यूटर भी भाषा व्याकरण और शब्दकोश के बारीक नियमों का इस्तेमाल कर अपने कई ज्ञानात्मक और कृत्रिम बुद्धि आधारित कार्य संपन्न करता है, जैसे मशीन अनुवाद, पाठ-बोधन, पाठ प्रजनन (टेक्स्ट जेनरेशन) प्रणाली, मानव-मशीन इंटरफेस, स्पीच-टु-टैक्स्ट सिस्टम आदि। ध्यान रहे यहाँ कंप्यूटर भाषा का उपयोग एक उपकरण के रूप में करता है, जहां भाषिक नियमों और सूक्ष्म व्याकरणिक सूत्रों की विशेषज्ञ जानकारी के लिए कंप्यूटर विज्ञानी भाषा वैज्ञानिकों पर आश्रित रहता है।

भाषा विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान की इस बढ़ती घनिष्ठता और भागीदारी ने, खासकर कृत्रिम बुद्धि के आविष्कार के बाद, एक नए अनुशासन को जन्म दिया— कंप्यूटेशनल भाषाविज्ञान। कंप्यूटेशनल भाषाविज्ञान (computational linguistics) कंप्यूटर विज्ञान और भाषा विज्ञान के विशिष्ट तत्वों का समागम है। इसमें जहां एक ओर प्राकृतिक बुद्धि और कृत्रिम बुद्धि की प्रक्रियाओं के मूल तत्वों का समावेश होता है, वहीं दूसरी ओर संप्रेषण विज्ञान के भाषिक सिद्धांतों (अर्थात, व्याकरण) और सूचना विज्ञान के तर्क सिद्धांतों का भी समावेश होता है। कंप्यूटर विज्ञानियों की हमेशा यह समस्या रही है कि भाषा विज्ञान में भाषा के नियमों का वर्णन जिस रूप में होता है वह कंप्यूटर के लिए ग्राह्य या बोधगम्य नहीं होता। कंप्यूटर प्रणाली फॉर्मेलिजम या एलगोरिथम की भाषा या कोड़ को समझता है, प्राकृतिक भाषा के वाक्य को नहीं। अत: कई कंप्यूटर विज्ञानियों का यह आग्रह रहा कि भाषा वैज्ञानिकों को अपने व्याकरणिक सिद्धांतों को व्याकरणिक फार्मेलिज़म के रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए और भाषा का वर्णन व्याकरणिक सूत्रों के माध्यम से ही करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, भाषा वैज्ञानिकों को प्राकृतिक भाषा के वाक्यों की सुगठितता (well-formedness) का वर्णन सुस्पष्ट व्याकरणिक फॉर्मेलिज़म के रूप में करना चाहिए, जो कंप्यूटर के लिए अधिक बोधगम्य है। कहना न होगा, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप आज भाषा वैज्ञानिकों को अपनी कई परंपरागत भाषिक स्थापनाओं को पुन: परिभाषित करना पड़ रहा है।

भाषा को आज न केवल मानव की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ रहा है, बल्कि मशीन और कंप्यूटर की नित नई भाषाई माँगों को भी पूरा करना पड़ रहा है। अत: इन नई भूमिकाओं के निर्वाह के लिए भाषा प्रयोग की असीम संभावनाओं को एक बार फिर से टटोला जा रहा है और भाषा की प्रकृति और स्वरूप पर पुनर्चिंतन कर भाषा की नई गहराइयों का पता लगाया जा रहा है। द्रष्टव्य है कि भाषा के आधुनिकीकरण और मानकीकरण की प्रक्रियाएँ इसी यांत्रिक क्रांति का ही प्रतिफलन हैं।

4. कंप्यूटर टैक्नॉलाजी की भाषा से माँग

कंप्यूटर भाषा से कई अपेक्षाएँ करता है, जिनमें सबसे पहला है भाषा का मानकीकरण। मानकीकरण का तात्पर्य है रूपों की विविधता को कम से कम करना। दूसरे शब्दों में, तकनीकी भाषा में एक ही प्रकार्य के लिए दो या अधिक रूपों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम भाषा में कुछ वर्णों को दो तरह से लिखते हैं, तो इनमें से एक ही रूप को मानक स्वीकार कर दूसरे को प्रयोग से हटा देना चाहिए, जैसे हिंदी में अ, ण, झ, ल, छ आदि वर्णों के एक से अधिक रूप प्रचलित हैं और इसी प्रकार कुछ संयुक्ताक्षरों के भी दो-दो रूप प्रचलन में हैं, जैसे क्त, श्च, द्य/द्‌य,/न् (हिंदी/हिन्दी) आदि। यदि ऐसा नहीं होता है तो कुंजीपटल में कुंजियों की संख्या दुगुनी करनी पड़ेगी जो संभव नहीं। इसके अलावा शब्द संसाधन के स्तर पर भी कई समस्याएँ सामने आ सकती हैं, जैसे शब्दों को अकारादि क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सॉर्टिंग कुंजी का इस्तेमाल करने पर वर्णक्रम गलत हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी सूची में हिंदी शब्द दो प्रकार से लिखा गया हो (हिंदी और हिन्दी), तो हिंदी के अकारादिक्रम के नियम के अनुसार जिन शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया गया होगा (जैसे, हिंदी) वे सभी शब्द सूची में सबसे पहले आ जाएँगे और अगर इन्हीं शब्दों में संयोग से आधा न् का प्रयोग किया गया होगा (जैसे, हिन्दी) तो वे सभी शब्द स्वत: सूची के अंत में चले जाएँगे।

5. कंप्यूटर और शब्दावली

कंप्यूटर टैक्नोलॉजी का एक बहुत विचित्र लेकिन महत्वपूर्ण प्रभाव भाषा की शब्दावली और शब्द निर्माण प्रक्रिया पर पड़ा है। जिस तेज़ गति से कंप्यूटर और सूचना टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में नित नए उपकरण, नई संकल्पनाएँ और नई व्याख्याएँ सामने आ रही हैं, उसी गति से नए शब्दों और अर्थों में भी बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। ऑक्सफोर्ड, चेंबर्स, वेब्सटर आदि शब्दकोशों के प्रकाशकों की आज यह शिकायत है कि जब तक हम कंप्यूटर के नए शब्दों, अर्थों और प्रयोगों

को संकलित कर कोश को अद्यतन करने की कोशिश करते हैं तब तक उससे दुगने नए शब्द, अर्थ और प्रयोग हमारे सामने आ जाते हैं। हममें से बहुत कम लोग इस तथ्य से परिचित हैं कि कंप्यूटर और सूचना टैक्नॉलॉजी स्वयं अंग्रेजी भाषा की शब्दावली, शब्द-रचना पद्धति और अभिव्यक्ति-शैली में एक अभूतपूर्व क्रांति ला चुकी है। अन्य विज्ञान विषयों में अभी तक सामान्यत: शब्द-निर्माण के लिए परंपरागत संश्लेषणात्मक पद्धति का अनुसरण किया जाता रहा है, जिसके अनुसार धातु के आगे-पीछे उपसर्गों और प्रत्ययों का योग कर नये शब्द बनाए जाते हैं, जैसे orthopaedics, dermatology, metamorphosis, aeronautics, opthalmology, gynaecology आदि। यह शब्द-निर्माण की संशलिष्ट पद्धति कहलाती है जो परंपरा से चली आ रही है।

कंप्यूटर विज्ञानियों ने इस पद्धति का अनुसरण न कर विश्लेषणात्मक पद्धति का अनुसरण किया, जिसके अनुसार नया संश्लिष्ट शब्द बनाने के बजाय यथासंभव पृथक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फलस्वरूप जहाँ दो से अधिक संकल्पनाओं या शब्दों को एक साथ जोड़ने की जरूरत पड़ती है, वहां अकसर उन शब्दों के बीच अधिक से अधिक एक हाइफन लगा दिया जाता है(जैसे add-on card, on-line, look-up dictionary, top-to-bottom approach, one-line-at-a-time printer, drop down menu, speech-to-text, read only, true type font आदि)। इसके अलावा नए शब्द बनाने के लिए दैनिक प्रयोग के मिलते जुलते अर्थ वाले प्रचलित शब्दों को ही एक नया तकनीकी अर्थ देकर उन शब्दों को ग्रहण कर लिया जाता है, बिल्कुल नया शब्द नहीं गढ़ा जाता, जैसे save, save as, select, select all, file, folder, delete, minimize, cut and paste आदि। इस सबका उद्देश्य यह है कि टैक्नॉलाजी की भाषा को आम आदमी के नजदीक लाया जाए, उस पर कार्य करने की प्रक्रिया को अधिक से अधिक आसान और आकर्षक बनाया जाए और कंप्यूटर के अनुप्रयोगों को विश्व मार्केट में स्वीकार्य बनाया जाए। कहना न होगा हिंदी में भी कंप्यूटर शब्दावली के निर्माण में हमें मार्केट और प्रयोक्ता का इतना ही ध्यान रखना होगा, आमफहम शब्दों का प्रयोग करना होगा और, जहाँ आवशक हो, अति प्रचलित अंग्रेजी शब्दों को उसी रूप में ग्रहण करना होगा जैसा हम बोलते समय करते हैं। दरअसल आज कंप्यूटर की शब्दावली को गढ़ने के बजाय उसे मार्केट करने की अधिक जरूरत है, जिससे हिंदी में रचित कंप्यूटर साहित्य और सॉफ्टवेयर सामान्य प्रयोक्ताओं को बोधगम्य हो सके और मार्केट में स्वीकार्य हो सके।

6. कंप्यूटर और हिंदी

हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के लिए उपयुक्त कुंजीपटल का विकास हार्डवेयर संबंधी सबसे पहली चुनौती थी। प्रारंभ में यांत्रिक टाइपराइटरों के मॉडल पर ही देवनागरी के कुंजीपटल का विकास किया गया था, जो आज भी कई जगह प्रयोग में है। ये कुंजीपटल हर भाषा के लिए अलग-अलग विकसित किए जाते हैं। इस बीच सभी भारतीय भाषाओं की लिपियों के लिए एक समन्वित कोड विकसित करने की दिशा में विशेषज्ञों ने प्रयास शुरू किया, जिससे एक ही कुंजीपटल में अधिक से अधिक लिपियों का टंकण संभव हो सके। इस प्रयास में भारत सरकार के तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, आई.आई.टी., कानपुर और सी-डैक की भूमिका प्रमुख थी। भारत की सभी लिपियों (उर्दू को छोड़कर) का उद्गम ब्राह्मी लिपि है और सभी भारतीय भाषाओं की वर्णमालाओं का विन्यास लगभग समान है, जो हमें संस्कृति से विरासत में मिली है। इस वर्णमाला की विशेषता यह है कि यह ध्वनि आधारित है और वर्णमाला में वर्णों का वितरण उनके उच्चारण स्थलों के क्रम से है (जैसे कंठ्य ध्वनियाँ *क ख ग घ ङ* एक क्रम में आती हैं और इसी प्रकार तालव्य ध्वनियाँ *ट ठ ढ ढ़ ण* एक क्रम में आती हैं)। इस सूत्र को आधार मानकर ध्वनियों के आधार पर 11 भारतीय भाषाओं के लिए एक ऐसा समन्वित कोड विकसित किया गया, जिससे एक ही कुंजी से इन सभी भाषाओं के समान ध्वनि वाले अक्षर टंकित हो जाते हैं। इसके आधार पर जो कोड विकसित किया गया वह इस्की कोड (Indian Standard Code for Information Interchange) कहलाता है और कुंजीपटल को ध्वन्यात्मक कुंजीपटल (फोनेटिक की बोर्ड) कहते हैं। इस समय यह कोडिंग प्रणाली सी-डैक के जिस्ट (GIST), लीप (LEAP), इज़म (ISM) आदि अनेक सॉफ्टवेयरों में उपलब्ध है। इस कोडिंग प्रणाली का एक लाभ यह है कि इससे 11 भारतीय भाषाओं के बीच परस्पर लिप्यंतरण भी संभव है, जिसमें अंग्रेजी भी शामिल है।

आज कंप्यूटर के अधिकांश कुंजीपटलों में तीन विकल्प उपलब्ध हैं जो प्रयोक्ता रेमिंगटन आदि यांत्रिक टाइपराईटरों पर टाइप करने के अभ्यस्त हैं, वे 'रेमिंगटन' विकल्प का चयन कर सकते हैं और रेमिंगटन के कुंजीपटल की तरह टंकण कर सकते हैं। 'इन्स्क्रिप्ट' (INSCRIPT) विकल्प

का चयन करने पर यही कुंजीपटल देवनागरी वर्णमाला पर आधारित ध्वन्यात्मक कुंजीपटल में परिणत हो जाता है। इस कुंजीपटल पर टाइप करना अधिक आसान होता है क्योंकि इसकी कुंजियाँ वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित की गई हैं, जो हमारे मस्तिष्क में संस्कारवश पहले से स्पष्ट रहता है। 'इक्ज़िक्यूटिव' विकल्प का चयन करने पर हिंदी शब्दों और वाक्यों को अंग्रेजी में ही रोमन लिपि में टंकित किया जा सकता है, जो पर्दे पर अपने-आप देवनागरी में बदल जाता हैं। यह विकल्प उन लोगों के लिए खास उपयोगी है जो देवनागरी लिपि नहीं जानते या जो देवनागरी कुंजीपटल पर टाइप करने के अभ्यस्त नहीं हैं।

एक बार कुंजीपटल विकसित हो जाने के बाद उस पर कार्य करने के लिए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और उपयोगिताओं (utilities) की जरूरत पड़ती है, जैसे हिंदी सॉफ्टवेयर, स्पेलचेकर, ऑन-लाइन शब्दकोश, सॉर्टिंग सुविधा, मेलमर्ज सुविधा, डाइनेमिक फॉन्ट, पावर प्वाइन्ट आदि। आज विन्डोज़ प्लेटफार्म में काम करने वाले अनेक हिंदी सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे, सी-डैक का इज़्म (ISM) ऑफिस, लीप ऑफ़िस, अक्षर फॉर विन्डोज़, सुविन्डोज़ और आकृति आदि। अब युनिकोड फॉन्ट के प्लेटफार्म पर विकसित माइक्रोसॉफ्ट आफिस XP हिंदी में स्क्रीन का समस्त परिवेश (कमान, संदेश, फाइल नाम आदि) भी हिंदी में उपलब्ध है।

7. सूचना प्रौद्योगिकी और भाषा का बदलता रूप

सूचना टेक्नॉलॉजी के दो प्रमुख घटक हैं—सूचना और टैक्नॉलॉजी, लेकिन भारत के संदर्भ में इसका एक तीसरा घटक भी है—भाषा। जिन देशों में मातृभाषा अंग्रेजी है, उनके लिए भाषा का घटक महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन भारत जैसे देश में जहां अंग्रेजी समझने वालों की संख्या केवल 5 प्रतिशत है और जहाँ कम से कम 22 प्रमुख मान्यताप्राप्त भाषाएँ हैं, भाषा का घटक कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे विशाल समुदाय के लिए उन्हीं की भाषा में सूचना उपलब्ध कराना अपने में एक काफी बड़ा दायित्व है। अत: भारत के संदर्भ में इन तीन घटकों के आयामों को समझना जरूरी है।

(क) **टैक्नॉलॉजी :** इंटरनेट के संदर्भ में टैक्नॉलॉजी से तात्पर्य उन तकनीकी उपकरणों से है जो दृश्य-श्रव्य रूप में सूचना को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचाने के माध्यम होते हैं। इनमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोडेम, स्केनर, वीडियो कैमरा, साउन्ड कार्ड, टेलीफोन, प्रिन्टर, सर्वर, सैटेलाइट आदि शामिल हैं। आज इस टैक्नॉलॉजी में बहुत तेजी से विकास हो रहा है और दो से अधिक टैक्नॉलॉजी इकाइयों को जोड़कर एक करने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप कई नई सुविधाएँ उपलब्ध हो रही हैं। उदाहरण के लिए, अब इंटरनेट को सीधे टीवी के पर्दे पर देखना संभव हो गया है, आज मोबाइल के भीतर ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो गई है और वायरलेस टैक्नॉलॉजी से केबल के बिना भी इंटरनेट चलाना संभव हो रहा है।

(ख) **सूचना :** यहां सूचना से तात्पर्य उस तथ्य या सामग्री से है, जो हमें इंटरनेट या वैब के माध्यम से प्राप्त होती है। मोटे तौर पर इंटरनेट उपलब्ध सूचनाएँ दो प्रकार की होती हैं—सामान्य सूचना और ज्ञानात्मक सूचना। *सामान्य सूचनाएँ* प्राय: तात्कालिक महत्व की होती हैं, जैसे व्यापारिक, वाणिज्यिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सूचनाएँ। *ज्ञानात्मक सूचनाओं* का संबंध ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों या अनुशासनों से होता है। ज्ञानात्मक सूचनाएँ अधिक स्थाई प्रकृति की होती हैं और उनका उपयोग प्राय: संदर्भ ग्रंथ की तरह होता है, जैसे ज्ञान-विज्ञान संबंधी जानकारी, शब्दकोश, विश्वकोश, थिसॉरस, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, भूगोल आदि।

(ग) **भाषा :** भाषा सूचना प्रौद्योगिकी का मुखपृष्ठ है जिसकी सहायता से प्रयोक्ता पर्दे पर अंकित सूचना को ग्रहण करता है। यदि इस सूचना की भाषा को ही प्रयोक्ता न समझ सके तो इस टैक्नॉलॉजी का उसे कोई फायदा नहीं। आज इंटरनेट की 83 प्रतिशत सामग्री अंग्रेजी में उपलब्ध है, इसलिए अंग्रेजी भाषा-भाषी देशों में भाषा कोई समस्या नहीं है। यह समस्या उन देशों में है जहां का भाषा-समाज अंग्रेजी नहीं जानता और अपनी-अपनी स्थानीय भाषाओं का ही इस्तेमाल करता है। इसलिए भारत के संदर्भ में यह आवश्यक है कि इंटरनेट की कथ्य सामग्री लोगों तक भारतीय भाषाओं के माध्यम से पहुंचे।

इस संबंध में दो समाधानों का प्राय: जिक्र किया जाता है: भाषा का *स्थानीकरण* (localization) *और* टैक्नॉलॉजी *का विस्तारीकरण* (penetration)। *स्थानीकरण* से तात्पर्य है, इंटरनेट की कथ्य सामग्री को प्रयोक्ताओं की स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत करना। इसके फलस्वरूप इंटरनेट में प्रदर्शित सभी सूचना सामग्री भी हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे 95 प्रतिशत आम भारतीय

प्रयोक्ता इसे समझ सकें। इस विशाल सामग्री को भारतीय भाषाओं में लाने के लिए अनुवाद का सहारा लिया जाए, मौलिक लेखन करवाया जाए या दोनों का मिश्रण किया जाए, यह नीति और नियोजन संबंधी प्रश्न है। एक मत जो इस समय उभर कर सामने आ रहा है, वह यह है कि सामग्री के विकास में यथासंभव मौलिक रूप से लेखन किया जाए और जहाँ यह संभव न हो वहाँ अनुवाद और सृजन दोनों का मिश्रण हो, जिसे कुछ विद्वान अनुसृजन (transcreation) कहते हैं। इस लेखन कार्य में विषय विशेषज्ञों की भूमिका होगी और उन्हें अनुवादकों या भाषा विशेषज्ञों का सहयोग मिलेगा।

टैक्नॉलॉजी के *विस्तारण* से तात्पर्य है कंप्यूटर, इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी के तकनीकी उपकरणों को दूरस्थ इलाकों, गांवों, कस्बों और शहरों में सस्ते या कम दामों में मुहैया कराना, उसी तरह जैसे आज एस.टी.डी. और आई.एस.डी. की सुविधाएँ देश के कोने-कोने में उपलब्ध हैं। इसके लिए यह भी जरूरी है कि सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक आधारभूत ढाँचा (बिजली, टेलीफोन आदि) सशक्त और विश्वसनीय हो और ये सुविधाएँ लोगों को सस्ते दामों में उपलब्ध हों।

वैब की कथ्य सामग्री की *भाषा शैली* क्या हो इसकी भी अपनी अपेक्षाएँ हैं। सामान्य रूप से वैब की कथ्य सामग्री में भाषा बहुत सहज और वाक्य अत्यंत छोटे रखे जाते हैं और सरल सहज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में सामग्री का निर्माण करते समय यह विशेष ध्यान रखने की बात है कि जहाँ तक हो सके अनुवादी और क्लिष्ट भाषा शैली से बचा जाए। तकनीकी शब्दों का प्रयोग भी वहीं किया जाए जहाँ अत्यावश्यक हो। दूसरे शब्दों में, कथन इतना सुबोध और आकर्षक होना चाहिए कि वह प्रयोक्ता को बाँधे रख सके, अन्यथा वह कभी भी उस साइट को छोड़कर जा सकता है।

8. कंप्यूटर के कुछ नए भाषा अनुप्रयोग

कंप्यूटर टैक्नॉलॉजी और भाषा के गठबंधन से आज अनेक प्रकार के भाषा अनुप्रयोग विकसित हो चुके हैं या हो रहे हैं। इनमें प्रमुख हैं—मशीन अनुवाद, भाषा शिक्षण, स्पीच-टु-टेक्स्ट, टेक्स्ट-टु-स्पीच, सूचना पुन:प्राप्ति (information retrieval), भाषा-संक्षेपण (information summariser), पाठ-बोधन (text comprehension), कोश-निर्माण, प्रकाशन, संपादन आदि।

मशीन अनुवाद से तात्पर्य है, अनुवाद की ऐसी प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर प्रणाली के ज़रिए एक भाषा से दूसरी भाषा में स्वत: अनुवाद हो। चूंकि अनुवाद मूलत: एक बौद्धिक प्रक्रिया है और कोई भी मशीन या कंप्यूटर मानव बुद्धि का पूर्ण स्थानापन्न नहीं हो सकता, इसलिए मशीन अनुवाद की प्रक्रिया में भी मानव के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर भी हर प्रकार के पाठ का अनुवाद संभव नहीं, केवल सीमित व्यवहार-क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले पाठों का ही अनुवाद संभव है क्योंकि प्रणाली में पहले से ही इन पाठों में आ सकने वाले शब्दों, वाक्यों, अभिव्यक्तियों और संबंधित व्याकरणिक नियमों का समावेश करना पड़ता है।

आज़ कंप्यूटर टैक्नॉलॉजी पहले के मुकाबले बहुत विकसित हो चुकी है और मशीन अनुवाद पर भी विश्वभर में छोटे-बड़े पैमाने पर कार्य हो रहा है। अनेक सहायक उपकरण और अनुवाद मॉडल विकासकर्ताओं को इंटरनेट के जरिये भी उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अब भी कई समस्याओं का समाधान पाना बाकी है। इनमें सबसे जटिल कार्य है, टैक्नॉलॉजी में भाषा के नियमों को समाकलित (integrate) कर पाना और मशीन को इतना बुद्धियुक्त (इंटेलिजेन्ट) बनाना कि वह व्याकरण के कुछ मोटे-मोटे नियमों को समझ सके। एक बार मशीन सही या लगभग सही अनुवाद देना शुरू कर दे तो इसे अनेक आधुनिक अनुप्रयोगों से जोड़ा जा सकता है, जैसे, इंटरनेट या नेटवर्क द्वारा ऑनलाईन अनुवाद सुविधा सुलभ कराना (जैसा कि कुछ यूरोपीय भाषाओं के वेबसाइट्स में आज उपलब्ध है), मुख्य सर्वर और क्लाएन्ट सर्वर के ज़रिए एक से अधिक स्थलों पर एक साथ अनुवाद की सुविधा सुलभ कराना, बोले गए वाक्यों को स्पीच-टु-टेक्स्ट (speech-to-text) सॉफ़्टवेयर द्वारा लिखित टेक्स्ट में बदल कर उसका मशीन अनुवाद करना। इसी प्रकार दुतरफा अनुवाद (reverse translation) की सुविधा भी इसमें जोड़ी जा सकती है। इसी टैक्नॉलॉजी का इस्तेमाल कर मोबाइल के जरिए ऑन-लाइन अनुवाद की सुविधा भी प्रदान की जा सकती है।

भाषा शिक्षण के क्षेत्र में कंप्यूटर की मल्टीमीडिया टैक्नॉलॉजी और वेब टैक्नॉलॉजी का भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। कंप्यूटर पैकेज तथा वेब में ऑडियो-विडियो इन्टरफेस के ज़रिए छात्र शब्दों और वाक्यों का अनुतान सहित मानक उच्चारण सुन सकता है और वीडियो पाठों में उन्हें बोलता हुआ देख सकता है, क्योंकि हर मूलपाठ के

साथ उससे जुड़ा चलचित्र या वीडियो क्लिप उपलब्ध रहता है। वीडियो के बोले गए अंश पाठ में स्वतः अलग रंग में अंकित हो जाते हैं, जिससे छात्र बोले गए और लिखित अंशों के बीच मिलान कर सकता है। इसके अलावा इसमें 'रिकॉर्ड और कम्पेयर' की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, जिससे छात्र शब्दों और वाक्यों का स्वयं उच्चारण कर अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकता है।

स्पीच-टु-टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के जरिए प्रयोक्ता यूनिट से जुड़े माइक के सामने बोलता है या पाठ पढ़ता है। बोले गए शब्दों की ध्वनियाँ कंप्यूटर में डिजिट के रूप में स्वतः अंकित होती जाती हैं। इस प्रक्रिया में बोलने वाले व्यक्ति और प्रणाली दोनों को थोड़े-बहुत प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रक्रिया में मशीन को सीधे डिक्टेशन दिया जा सकता है। इसी प्रकार किसी डिजिटाइज़्ड पाठ को कंप्यूटर में डालकर उसका वाचन सुना जा सकता है या इंटरनेट की कथ्य सामग्री को कंप्यूटर आपको पढ़कर सुना सकता है। यह **टेक्स्ट-टु-स्पीच** कहा जाता है।

कोश-निर्माण कार्य में शब्द चयन, अर्थ-निर्धारण और अर्थ व्याख्या आदि बुद्धियुक्त कार्य तो मानव संपादक ही करता है, लेकिन विश्लेषण के लिए संकलित विपुल भाषा सामग्री (डाटा) का संचयन, भंडारण और उनका अलग-अलग तरीके से विश्लेषण कंप्यूटर की विभिन्न युक्तियों और उपकरणों (टूल्स) के ज़रिए ही संभव होता है। डाटाबेस में से इच्छित शब्दों को उनके संदर्भ वाक्यों के साथ कंप्यूटर के स्क्रीन पर लाने के लिए संपादक QWIC-KWOC सॉफ्टवेयरों का प्रयोग करता है, जिससे वह उनका परस्पर मिलान कर संबंधित शब्दों के अर्थों, अर्थ-छटाओं और वाक्यों में उनके सहप्रयोगों (आगे-पीछे आने वाले शब्दों) और नवप्रयोगों का आकलन और विश्लेषण करता है। कंप्यूटर के ज़रिए शब्दों की प्रयोग आवृत्ति की गणना कर यह निर्णय लिया जा सकता है कि किन प्रविष्टियों को रखा जाए किन्हें नहीं, शब्दों के अर्थों का क्रम क्या हो, कौन से शब्द प्रचलन से हट गए और कौन से नए शब्द प्रचलन में आ रहे हैं।

इनके अलावा शब्दों को अकारादिक्रम में संयोजित करने के लिए सोर्टिंग टूल और संपादन और मिलान कार्य के लिए फ़ाइन्ड एंड रिप्लेस आदि अनेक कंप्यूटर युक्तियां उपलब्ध हैं। वर्तनी और स्पेसिंग की गलतियों को ठीक करने के लिए स्पेलचेकर, व्याकरणचेकर आदि की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। ये सब कार्य जिन्हें करने में पहले कई माह और वर्ष लग जाते थे अब कुछ ही क्षणों में संपन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार सेंटिंग, डिलीट, कॉपी, अन्डु आदि अनेक कार्य जो कोश-निर्माण के अभिन्न अंग हैं, कंप्यूटर के माध्यम से बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं।

सूचना पुनः प्राप्ति (information retrieval) प्रणाली किसी संकलित डाटाबेस से इच्छित सूचना या सामग्री निकालकर स्क्रीन पर प्रस्तुत करती है। इसकी दो विधियां हैं—शब्द आधारित डाटाबेस और ज्ञान आधारित डाटाबेस। शब्द आधारित विधि के अनुसार, दिए गए शब्द या शब्द युग्मों की पहचान के आधार पर कंप्यूटर समस्त डाटाबेस में से उन अंशों या वाक्यों को निकालकर स्क्रीन पर ले आता है जिनमें ये शब्द या शब्द युग्म प्रयुक्त होते हैं। Google आदि खोज इंजन में इसी शब्दिक विधि का प्रयोग होता है। ज्ञान आधरित विधि के अनुसार, दिए गए शब्द या शब्द-युग्मों के अर्थ या संकल्पना को पहचानकर यह प्रणाली समस्त डाटाबेस में से उन अंशों या वाक्यों को निकालकर स्क्रीन पर ले आती है जिनमें ये संकल्पनाएं मौजूद हों, भले ही वे अन्य भिन्न पर्यायवाची शब्दों द्वारा व्यक्त हों। उदाहरण के लिए, मारना, मार देना, मार डालना, हत्या करना, जान लेना आदि शब्द मोटे रूप से एक ही प्रकार की संकल्पना या अर्थक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः अगर कंप्यूटर से यह प्रश्न पूछा जाए कि अमुक स्थान पर अमुक दिन कितने लोग मारे गए तो भले ही किसी भी शब्द द्वारा इस मृत्यु की बात की रिपोर्टिंग की गई हो उत्तर वही आएगा, क्योंकि उत्तर समान संकल्पना के आधार पर आ रहा है। इसलिए इस प्रकार की प्रणाली विकसित करने के लिए एक बहुत विशाल ज्ञानबेस और उसका संपूर्ण नेटवर्क विकसित करने की जरूरत पड़ती है। यह ज्ञानबेस एक प्रकार के थिसॉरस का ही नियमबद्ध नेटवर्क रूप होता है। चूंकि इस प्रणाली में कृत्रिम बुद्धि के अनुप्रयोग की आवश्यकता पड़ती है इसलिए यह कार्य अपेक्षाकृत अधिक जटिल होता है।

स्मरण रहे भाषा और सूचना टैक्नोलॉजी का यह गठबंधन यहीं तक सीमित नहीं है। वैश्वीकरण के इस युग में भाषा और टैक्नोलॉजी दोनों आज वायुमंडल की ऊँचाईयों में विचरण कर रहे हैं और मानव विकास के बहुत से निर्णय इंटरनेट के विमान में ही लिए जा रहे हैं। □

1284 HA/05-3A

हिंदी—राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी

—डॉ. प्रमोद कुमार अग्रवाल भा०प्र०से० *

यदि हम भाषा संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करें, तो पाएंगे कि हिंदी भारत में ही नहीं अपितु संसार की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में दूसरे स्थान पर है।

डेनिश ओ कॉनेल के बेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू आस्कमेन. कॉम (www asleman.com) के अनुसार सन् 1999 से 2002 तक, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली निम्न भाषाएं हैं :—

क्रम सं.	भाषा का नाम	बोलने वालों की संख्या (करोड़ में)
1.	मंडारिन (चीनी)	100
2.	हिंदी/उर्दू	60
3.	अंग्रेजी	50
4.	स्पेनिश	35-40
5.	रूसी	27.5
6.	अरबी	26
7.	बंगला	21
8.	पुर्तगाली	17.5
9.	मलाया-इंडोनेशियाई भाषा	17
10.	फ्रांसीसी	13

यदि हिंदी और उर्दू को एक साथ कर दिया जाये तो वह हिंदुस्तानी भाषा कहलाती है। भारत के राष्ट्रपिता स्व. पूज्य महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को ही अविभाजित भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वकालत करते थे क्योंकि उनके अनुसार हिंदुस्तानी सामान्यजन के बोलचाल की भाषा है।

वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू.सोयूवाना (www Soyouwana) कॉम के अनुसार सन् 2002 तक संसार में निम्न दस भाषाएं क्रमागत रूप से बोली जाती थी :—

क्रम सं.	भाषा का नाम	बोलने वालों की संख्या (करोड में)
1.	मंडारिन (चीनी)	100
2.	अंग्रेजी	50.8
3.	हिंदुस्तानी	49.7
4.	स्पेनिश	39.2
5.	रूसी	27.7
6.	अरबी	24.6
7.	बंगला	21.1
8.	पुर्तगाली	19.1
9.	मलाया-इंडोनेशियाई भाषा	15.9
10.	फ्रांसीसी	12.9

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि हिंदी विश्व में यदि दूसरे स्थान पर नहीं है तो कम से कम तीसरे स्थान पर अवश्य है तथा वह अंग्रेजी के बिल्कुल पास है। यदि उर्दू तथा हिंदी को एक साथ मिला दिया जाए, तो विश्व में उसके दूसरे स्थान को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। प्रथम स्थान पर स्थित चीनी भाषा मंडारिन के आस-पास हिंदी कभी पहुंच भी नहीं सकती है क्योंकि वह प्राय: 100 करोड़ चीनी भाषा भाषियों द्वारा बोली जाती है, यद्यपि कुछ वर्षों पूर्व भारतीयों की तुलना में चीनियों के विदेशी में कम सफल होने का एक कारण यह भी दिया जाता था कि वे अंग्रेजी का भली भांति उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। वर्तमान में भारतीयों की अंग्रेजी ब्रिटेन के अंग्रेजों से भी उत्तम फर्राटा अंग्रेजी है । कई अंग्रेजी शिक्षकों को इंग्लैंड में नौकरियां प्राप्त हो रही हैं। परंतु अपने निरंतर परिश्रम तथा लगन के

*44 आयरन साइड रोड, कोलकाता-700019

1284 HA/05-3B

कारण चीन आज विश्व में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आया है। जापान की वस्तुएं संपूर्ण संसार में धड़ल्ले से बिकती हैं पर उनके गारंटी कार्ड या निर्देशन प्रपत्र जापानी भाषा में छपे रहते हैं। जापान ने अपनी अद्भुत औद्योगिक क्रांति जापानी भाषा के माध्यम से ही स्थापित की है, जो संसार में चीनी भाषा को छोड़कर अन्य भाषाओं की अपेक्षा दुरूह है। हिंदी के अतिरिक्त बंगला भाषा ही भारतीय भाषाओं में अंतरराष्ट्रीय भाषाओं की श्रेणी में आती है। बंगला भाषा से बंगलादेश तथा भारत के पश्चिमी बंगाल के निवासियों का प्रेम अद्भुत है। उसके बोलने वालों की संख्या भी 21 करोड़ पर स्थिर है। जब पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर बंगला भाषा के स्थान पर अपनी भाषा थोपनी चाही तो वहां सशस्त्र विद्रोह खड़ा हो गया। इसके फलस्वरूप बंगलादेश की एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सृष्टि हुई। पश्चिमी बंगाल में भी बंगला भाषा प्रेम का अर्थ यह नहीं कि वहां देशभक्ति की कमी है। वस्तुत: सबसे अधिक देशभक्ति तथा विराट भारत राष्ट्र की अवधारणा पश्चिमी बंगाल में ही स्पष्ट होती है। निज-भाषा प्रेम का अर्थ यह नहीं कि दूसरी भाषाओं से शत्रुता हो या उनका विरोध किया जाए। कम से कम भारतीय भाषाओं में तो परस्पर गहरी आत्मीयता है, जैसा कि बहिनों में परस्पर प्रेम रहता है। यदि भारतीय भाषाओं की श्रीवृद्धि होगी, तो हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने की गति तीव्र होगी।

सांख्यिकी की दृष्टि से भी हिंदी की स्थिति उत्तम है तथा वह राष्ट्रभाषा के पद की अधिकारिणी है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार, हिंदी बोलने वाले देश में प्राय: चालीस प्रतिशत लोग थे। प्राय: जहां देश में कुल 33.7 करोड़ लोग हिंदी बोलते थे। जबकि हल्दी भाषा जैसी हिंदी के बिलकुल नजदीकी भाषा बोलने वाले छत्तीसगढ़ के लोगों की 53 लाख संख्या थी। अंग्रेजी बोलने वाले देश में केवल 1.8 करोड़ के लगभग थे।

सन् 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की मुख्य भाषाएं बोलने वालों की संख्या एवं प्रतिशत निम्नवत है :—

क्रम	भाषा	संख्या (करोड़ में)	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हिंदी (इसमें मैथिली, भोजपुरी, ब्रजभाषा, राजस्थानी तथा बुन्देलखंडी भी सम्मिलित हैं)	33.7	39.85%
2.	बंगला	6.95	8.22%
3.	तेलुगू	6.6	7.8%
4.	मराठी	6.24	7.38%
5.	तमिल	5.3	6.26%
6.	गुजराती	4.6	—
7.	उर्दू	4.34	—
8.	कन्नड़	3.27	3.87%

शायद अंतरराष्ट्रीय वेबसाइटों ने हिंदी बोलने वालों में उर्दू (4.34), मराठी (6.24) तथा गुजराती (4.6) भाषा-भाषियों को भी शामिल कर लिया है क्योंकि वे चाहे उत्तम ढंग से हिंदी न बोल पाएं, पर वे हिंदी भाषा भली-भांति समझते हैं। इसके अतिरिक्त बंगला, तेलुगू तथा कन्नड़ बोलने वालों में भी एक छोटा प्रतिशत उन लोगों का है जो हिंदी समझ सकते हैं। अत: यदि हिंदी भाषा- भाषियों की संख्या पचास प्रतिशत से ऊपर रखी जाये तो यह अन्यायपूर्ण या अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। वर्तमान सूचना-क्रांति तथा हिंदी फिल्मों ने हिंदी के प्रचार-प्रसार में अत्यधिक सहायता की है। हिंदी फिल्में देश के सभी भागों में अति लोकप्रिय हैं। देश के मुख्य-मुख्य तीर्थ तथा पयर्टक स्थल उत्तरी भारत में हैं, जिनकी यात्रा करने के लिए देश के विभिन्न भागों से यात्रीगण आते हैं। इस कारण भी संपूर्ण देश में हिंदी का प्रचार-प्रसार हुआ है। आजकल हिंदी के प्रति घृणा या विरोध कहीं परिलक्षित नहीं होता है।

हिंदी को राष्ट्रभाषा के पथ पर स्थापित करने में उपस्थित बाधाएं दूर हो गयी हैं। भारत में अधिकांश जनता हिंदी बोलती है। यदि हिंदी समझने वालों को भी सम्मिलित किया जाये तो यह संख्या 60% अर्थात् 60 करोड़ से कम नहीं होगी जैसाकि सोयूवाना वेबसाइट में दर्शाया गया है। शायद इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो हिंदी की सहोदर भाषाएं अर्थात् मैथिली, भोजपुरी आदि बोलते हैं। वैसे भारत के सभी भागों में अधिकांश व्यक्ति हिंदी समझते हैं और तदनुसार उत्तर भी देते हैं, एवं आपकी सहायता भी कर सकते हैं। पर कहीं-कहीं उन्हें हिंदी समझने या टूटी-फूटी हिंदी बोलने से परहेज है। यह देखा गया है कि भारत के कुछ प्रदेशों में कुछ निहित राजनैतिक तत्वों ने यह भ्रांत

(शेष पृष्ठ 36 पर)

किसी कार्य की सिद्धि के लिए चार नीतियां अपनाई जातीं हैं—साम, दाम, दंड और भेद। हिंदी के मामले में इनमें से केवल दो नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है—साम और दाम। साम और दाम के माध्यम से अहिंदी भाषी राज्यों में 6ठी से 10वीं कक्षा तक छात्रों को द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए। यदि वे हिंदी पढ़ लेंगे और इसे समझने लगेंगे तो निश्चय ही आगे चलकर हिंदी प्रेमी बनेंगे, जिससे हिंदी वास्तविक रूप में राष्ट्रभाषा बन पाएगी। इस प्रसंग में त्रिभाषा-सूत्र का पालन औपचारिक दृष्टिकोण से नहीं, अपितु उपयोगितावादी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। जो छात्र जिस भाषा को अपने भावी जीवन के लिए उपयोगी समझता हो, उसे उसी भाषा को द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में पढ़ने के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं। इससे दक्षिण की भाषाओं के अतिरिक्त पूर्वी और पश्चिमी भारत की भाषाओं को पढ़ने के भी अवसर प्राप्त हो सकेंगे। जहां छात्र बड़ा होने पर अपने को आसानी से स्थापित कर सकेगा। पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात एवं महाराष्ट्र के कुछ बड़े नगरों में भारत के अनेक भागों से जाकर लोग अपनी जीविका अर्जित करते हैं। यदि ऐसे लोग पहले से ही एक-दो स्थानों की भाषा सीख लेंगे जो बाद में वहां जाकर अपनी जीविका कमाने में उन्हें अधिक सुविधा होगी।

आज केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग-विस्तार में जो बाधा आ रही है, वह बहुत कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के कारण प्रतीत होती है। कनिष्ठ अधिकारी हिंदी में काम करने लगे हैं, कुछ मंत्रीगण भी हिंदी में काम करने लगे हैं किंतु उप-सचिव स्तर से सचिव स्तर के अधिकारियों के स्तर पर कार्य बाकी है। अतः इन्हें बड़े प्रेम से, उनके सम्मान और पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए, सभी अपेक्षित सुविधाओं और साधनों के साथ प्रोत्साहित किया जाए जिससे वे स्वयं हिंदी में काम करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को हिंदी में काम के लिए उत्साहित करें।

हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए वर्तमान समय में सुलभ सभी प्रकार के यांत्रिक उपकरणों और कंप्यूटरों का उपयोग भी अत्यंत आवश्यक है। जो कार्य वैज्ञानिक प्रगति के अनुसार नहीं किए जाएंगे वे पिछड़ जाएंगे। आज इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, पिन प्वाइंट टाइपराइटर, कंप्यूटर आदि की सहायता से कार्यालयों में तीव्र गति से कार्य करना सुगम हो गया है। यदि हिंदी का प्रयोग अंग्रेजी की भांति तीव्र गति से करना है तो ये सभी यंत्र हिंदी में भी सुलभ होने चाहिएं। भारत की अनेक कंपनियों ने द्विभाषिक और बहुभाषिक यांत्रिक उपकरणों का निर्माण किया है। आवश्यकता है, इनकी उपलब्धता का चतुर्दिक प्रचार-प्रसार करने और कार्यालयों को यह निदेश देने की, कि भविष्य में वे द्विभाषिक और बहुभाषिक उपकरण ही खरीदें और हिंदी के प्रयोग के लिए उनका सार्थक इस्तेमाल करें।

राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करने के लिए केंद्रीय कार्यालयों में उल्लासपूर्ण वातावरण के भी निर्माण की आवश्यकता है। इस का प्रयोग किसी विवशतावश करने की मनःस्थिति के स्थान पर इसे राष्ट्रीय गौरव के विस्तार और प्रचार की भावना से किया गया कार्य माना जाना चाहिए। संप्रति प्रत्येक कर्मचारी को (अंग्रेजी के अतिरिक्त) अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में करने की छूट है और अंग्रेजी अनुवाद की आवश्यकता पड़ने पर उस कर्मचारी को अनुवाद सुलभ कराने की बाध्यता से पूर्णतया मुक्ति है और यदि ऐसी आवश्यकता पड़ी तो संबंधित कार्यालय इसके लिए पृथक व्यवस्था करेगा। अतः संपूर्ण कार्य हिंदी में करने की व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है ताकि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के कर्मचारी निसंकोच और निर्भीक होकर अपना काम हिंदी में कर सकें और एक प्रकार की उन्मुक्तता का अनुभव कर सकें।

इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण पहलू पर भी कार्रवाई अपेक्षित है। वह यह है कि यदि सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना है तो गैर-सरकारी क्षेत्रों में भी हिंदी का व्यापक प्रयोग किए जाने का वातावरण निर्मित करना होगा। यदि हमारे देश के सामान्य नागरिक, व्यापारी, उद्योगपति, वैज्ञानिक आदि परंपरावश, स्वार्थवश या विवशतावश अपना कार्य अंग्रेजी में ही करते रहे तो हिंदी के अनुकूल वातावरण नहीं बन पाएगा। कुछ हिंदी भाषी प्रदेशों में आडंबर अथवा झूठे दिखावे के कारण अंग्रेजी का प्रयोग प्रचलित है और कहीं-कहीं तो परंपरा का निर्वाह करने के कारण अथवा परिवर्तन के कारण होने वाली मामूली कठिनाई से बचने के कारण हिंदी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इस स्थिति में भी आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अस्मिता का

(शेष पृष्ठ 59 पर)

अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में हिंदी का प्रयोग

—जोगेन्द्र सिंह*

विश्व में भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रति आकर्षण संस्कृत के अध्ययन द्वारा प्रारंभ हुआ। उससे धीरे-धीरे हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति भी विश्व समुदाय में रुचि जागृत हुई। हिंदी भाषा एवं साहित्य के अध्ययन-अध्यापन एवं प्रचार के निष्कर्ष उन्नत एवं प्रभावी रहे हैं। जहां हिंदी का प्रयोग भारतीयों की अस्मिता का प्रतीक बना है, वहीं मानवीय मूल्यों की भाषा के रूप में हिंदी ने भारतीय धर्म-संस्कृति और विभिन्न कलाओं के माध्यम से "वसुधैव कुटुंबकम" के संदेश का भी प्रचार किया।

हिंदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा कही जाती है,जबकि हाल ही में प्राप्त कुछ अनुसंधानों से प्राप्त आंकड़ों में इसे विश्व की प्रथम भाषा माना गया है। विश्व में हिंदी भाषियों की कुल संख्या 60 करोड़ से अधिक है जिनमें 19 करोड़ वे भारतीय हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी न होते हुए भी वे उसे उसी तरह व्यवहार में लाते हैं, जैसे मूल हिंदी भाषी। लगभग एक करोड़ बीस लाख भारतीय मूल के लोग विश्व के 132 देशों में बिखरे हुए हैं जिनमें आधे से अधिक हिंदी से परिचित ही नहीं हैं बल्कि उसे व्यवहार में भी लाते हैं। टोकियो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मशीन ट्रांसलेशन समिट में प्रो. होजुमि तनाका ने जो भाषाई आँकड़े प्रस्तुत किए हैं वे बताते हैं कि विश्वभर में चीनी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। हिंदी बोलने वालों की संख्या दूसरे नम्बर पर है और अंग्रेजी बोलने वाले तीसरे नम्बर पर हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा के जानकारों का प्रसार विश्व में चीनी भाषा से अधिक है।

जिस तरह हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होते हुए भी लगभग आधे भारतीय ही हिंदी जानते हैं, वही स्थिति चीन में चीनी भाषा की है और यही स्थिति कभी इंग्लैंड में अंग्रेजी की थी। अंग्रेजी संसार के मात्र पांच देशों की भाषा है। इंग्लैंड में अंग्रेजी के साथ-साथ वेल्स, स्काटिश भाषा-भाषी भी पर्याप्त हैं। कनाडा में अंग्रेजी के समानांतर फ्रेंच भाषा भी चलती है। अमरीका में सर्वत्र अंग्रेजी का ही वर्चस्व है, यह धारणा भी व्यर्थ है। यहां स्पेनिश भाषियों की संख्या भी करोड़ों में है।

भारत में हिंदी जानने वालों की संख्या, कुल जनसंख्या का लगभग पचास प्रतिशत है और अंग्रेजी जानने वाले केवल एक-दो प्रतिशत हैं। गत पचास वर्षों में हिंदी की शब्द-संपदा का जितना विस्तार हुआ है, उतना विश्व की शायद ही किसी भाषा में हुआ हो। आज शब्द संख्या की दृष्टि से हिंदी संसार की सबसे समृद्ध भाषाओं में मानी जाती है। अंग्रेजी जिसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय भाषा का गौरव प्राप्त है, उसके मूल शब्द जहां मात्र 10 हजार हैं, वहां हिंदी के दो लाख पचास हजार से भी अधिक शब्द हैं।

विदेशों में हिंदी के पठन-पाठन और प्रचार-प्रसार का कार्य दो धाराओं में है। एक वे देश जहां भारतीय श्रमिक लगभग सौ/डेढ़ सौ साल पहले गये थे और आज वहां प्रमुख नागरिकों में उनकी गणना होती है। फीजी, मारीशस, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिडाड आदि में भोजपुरी, अवधी भाषी ये लोग आज भी बड़ी संख्या में हैं। यह हिंदी की प्रवाहमान धारा है। दूसरे, ब्रिटेन, कनाडा, अमरीका, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नार्वे आदि। इसमें केन्या, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों के अप्रवासियों को भी शामिल किया जा सकता है।

दक्षिण पूर्व एशिया में यानी म्यांमार (बर्मा), थाइलैंड, सिंगापुर, मलेशिया में बसे हिंदी प्रेमी भारतीय मूल के लोगों की भी संख्या अधिक है। इसके अलावा थाइलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों में प्रवासी भारतीयों की संख्या होने के कारण हिंदी की धारा किसी न किसी रूप में विद्यमान है। केवल थाइलैंड में हिंदी जानने वालों की संख्या लगभग एक लाख है। बर्मा में भारतीय मूल के लोगों की संख्या लाखों में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार से संबंधित होने के कारण हिंदी के प्रति उनका विशेष लगाव है। जिन देशों या द्वीपों में भारत वंशीय बसे, वहां हिंदी को जीवित रखने में आर्य समाज, सनातन धर्म तथा धार्मिक संगठनों का विशेष योगदान रहा है। अपनी गृहभाषा भोजपुरी, अवधी आदि को उन्होंने अपनी

*आर ब्लाक, 38 सी, एम.आई.जी.फ्लैट्, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095

अस्मिता से जोड़े रखा, जिसका परिणाम हुआ कि हिंदी किसी न किसी रूप में वहां जीवित रही।

विदेशों में हिंदी प्रचार को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से सरकार की तरफ से भी कुछ प्रयत्न किए जा रहे हैं। हिंदी प्रचार की योजना को सफल बनाने की दृष्टि से फिजी, मारिशस, त्रिनीडाड स्थित हमारे दूतावासों में राजभाषा अधिकारी एवं अतासे नियुक्त किए जाते हैं और हिंदी के प्रचार-प्रसार में इनका योगदान उपयोगी सिद्ध हुआ है। इन अधिकारियों की सहायता से वहां हिंदी पाठ्यक्रम के निर्माण और टेलीविजन के प्रसारण में मानस चतु:शती जैसे अवसरों पर सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है। प्रसिद्ध संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं के आयोजनों में भी विदेश स्थित ये अधिकारी संस्थाओं को यथासंभव सहायता प्रदान करते हैं। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अकेले मारिशस में हजारों व्यक्ति हिंदी साहित्य सम्मेलन की विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेते हैं। परीक्षाओं के संचालन में विदेश मंत्रालय और विदेश स्थित हमारे दूतावास सार्थक सूत्र का कार्य करते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की हिंदी और भारतीय भाषाओं के पठन-पाठन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बुखारेस्ट, त्रिनीडाड, सूरीनाम, गयाना में भी हिंदी अध्यापन की भी व्यवस्था है। विदेश मंत्रालय भारतीय दूतावासों में हिंदी की श्रेष्ठ पुस्तकों को भेजता है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् हिंदी की त्रैमासिक पत्रिका गगनांचल को भी संपूर्ण विश्व में भारतीय दूतावासों में भेजती है।

आस्ट्रेलिया के निकट, एक छोटा सा द्वीप फिजी है जहां हिंदी को हमेशा प्रतिष्ठा मिली है और अनेक पत्र-पत्रिकाएं वहां से प्रकाशित होती हैं। वहां के बाजारों में, दुकानों पर नामपट्ट अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी लिखे रहते हैं। सड़कों के नाम भी दो भाषाओं में हैं। वहां की सरकार द्वारा भी हिंदी को मान्यता मिली है। सन् 1916 में भारतीयों ने वहां अपनी पहली पाठशाला स्थापित की थी जिसे आज तक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। वहां हिंदी शिक्षण का कार्य एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह चलता आ रहा है। फ्रेंच, गुयाना और ब्रिटिश गुयाना में भी आर्य समाज द्वारा स्थापित पाठशालाएं तथा अन्य धार्मिक/सांस्कृतिक संस्थान हिंदी जानने वालों की एक नई पौध तैयार कर रहे हैं।

भारत से बाहर 165 विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है और विदेशों का युवा वर्ग भारतीय संस्कृति एवं हिंदी को पढ़ने में रुचि लेता है। अमरीका के अनेक विश्वविद्यालयों, जैसे केलिफोर्निया, शिकागो, टेक्सास, कोलबिया आदि में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है। अमरीका के अनेक विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति, संगीत, भाषा विज्ञान और हिंदी साहित्य में रुचि दिखाई देती है और उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। लंदन विश्वविद्यालय का 'स्कूल ऑफ आरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज' ऐसी अत्यंत प्राचीन संस्था है जहां हिंदी के अध्यापन की व्यवस्था है। त्रिनीडाड जहां पांचवां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ है, वहां लोगों में हिंदी के प्रति गहरा लगाव है। वहां की कुल आबादी के आधे से अधिक लोग भारतवंशीय हैं। भारतीयों के संपर्क में आने के कारण वहां रह रहे अफ्रीकी मूल के लोगों ने अनेक हिंदी शब्दों को आत्मसात कर लिया है और यहां हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।

जापान में 8 विश्वविद्यालय एवं संस्थान हिंदी की पढ़ाई में जुटे हुए हैं। जापान में हिंदी का शिक्षण सर्वप्रथम लगभग साठ साल पूर्व टोक्यो विश्वविद्यालय में प्रो. वायाओ दोई ने आरंभ किया था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एम. ए. ही नहीं पी. एच. डी. की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का मूल हिंदी से जापानी में अनुवाद किया था। जापान में आकाशवाणी से नियमित रूप से हिंदी में समाचार ही नहीं अन्य साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। लगभग 20 वर्षों से जापान में 'सर्वोदय' नामक एक पत्रिका प्रकाशित हो रही है। कुछ वर्षों पहले "जापान भारती" का प्रकाशन भी आरंभ किया गया है। कोरिया स्थित विदेशी भाषाओं के विश्वविद्यालय हाकुक में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन का कार्य भी होता है। इस विश्वविद्यालय में इस समय 150 छात्र हिंदी सीख रहे हैं। यहां स्नातकोत्तर तक हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। हिंदी की अनेक कृतियों का कोरियाई भाषा में अनुवाद का कार्य भी चल रहा है।

लगभग सत्तर साल पहले बीजिंग विश्वविद्यालय में भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए एक नया विभाग खुला था। प्रो. ची-श्येन पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने आधुनिक चीन में भारतविद्या का श्रीगणेश किया था। प्रो. ची-श्येन विश्व में संस्कृत के अग्रणी विद्वान हैं। जर्मनी के गौटिगन विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था। चीन लौटकर उन्होंने संस्कृत विभाग ही नहीं खोला, बल्कि वाल्मीकी रामायण का चीनी में पद्यबद्ध अनुवाद भी किया

था। भारतीय भाषा विभाग में हिंदी के पाठयक्रम को विधिवत आरंभ करने का श्रेय प्रो. चिन्टिन-हान, प्रो. ल्यू को नान आदि को दिया जाता है। प्रो. चिन्टिन-हान द्वारा चीनी में अनूदित पहली पुस्तक थी, मुंशी प्रेमचन्द की कृति निर्मला। लगभग सात वर्षों के अथक परिश्रम के बाद उन्होंने रामचरित मानस का पद्यबद्ध अनुवाद चीनी में प्रकाशित किया था। अपने कर्मठ जीवन के 32 वर्षों में प्रो. चिन्टिन-हान ने लगभग 620 छात्रों को हिंदी का ज्ञान कराया था।

विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर की सत्तर पुस्तकों के अनुवाद चीनी भाषा में प्रकाशित हुए। चित्रलेखा, मैला आंचल जैसी अनेक कालजयी कृतियों के अनुवाद चीनी पाठकों तक पहुंच चुके हैं। पेइचिंग रेडियो प्रतिदिन हिंदी के अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। वहां गत तीन वर्षों से "सचित्र चीन" का हिंदी संस्करण निरंतर प्रकाशित हो रहा है। भारतीय वाङ्मय के प्रति चीन में बड़ा आदरभाव है। चीनी लोग इस सत्य को आज भी स्वीकार करते हैं कि चीनी भाषा के निर्माण में पाणिनी के व्याकरण का विशेष योगदान है। अनेक अन्तर्विरोधों के बावजूद चीन आज भी भारतमय लगता है। चीन की ऐतिहासिक दीवार की स्वागत शिला पर "ओम नमो भगवते" आज भी दर्शकों को आकृष्ट करता है।

बर्मा में भारतवासियों का हिंदी के प्रति लगाव कम नहीं है। मांडले चोगला में हिंदी साहित्य सम्मेलन की शाखाएं हैं। अनेक स्थानों पर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। रंगून विश्वविद्यालय में विश्व की अनेक प्रमुख भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं, जैसे थाई, इण्डोनेशिया आदि। परंतु यहां हिंदी अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था नहीं है। श्रीलंका के तीनों विश्वविद्यालयों में उच्च स्तर पर हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था है। पाकिस्तान में पंजाब विश्वविद्यालय के साथ-साथ कराची विश्वविद्यालय में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी-उर्दू में बहुत अंतर न होने के कारण, अनेक अवरोधों के पश्चात् भी हिंदी-उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी वहां खूब बोली जा रही है। पाकिस्तान के "लोक सेवा आयोग" की परीक्षाओं में हिंदी वैकल्पिक विषय है। यहां के कई शायर अपनी नज्मों में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग करते हैं। पश्चिमी दुनिया में हिंदी के प्रचार-प्रसार में विश्वविद्यालयों का उल्लेखनीय योगदान है। यूरोप, अमरीका, आस्ट्रेलिया का शायद ही कोई स्तरीय विश्वविद्यालय हो जहां आज हिंदी के पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था न हो।

स्वीडन के स्टाकहोम विश्वविद्यालय में भारतीय विद्या का एक अलग समृद्ध विभाग है, जिसमें संस्कृत, तमिल, बांगला तथा हिंदी साथ-साथ पढ़ाई जा रही है। यूगोस्लाविया के जाग्रेब तथा बेल्ग्रेड विश्वविद्यालयों में गत 25 वर्षों से हिंदी अध्यापन का कार्य चल रहा है। बुल्गारिया-हंगरी में हिंदी का कार्य और भी व्यापक स्तर पर है। चेक गणराज्य का भारतीय साहित्य के प्रति विशेष मोह रहा है। प्राग स्थित चार्ल्स विश्वविद्यालय में गत सौ वर्ष से भी अधिक समय से संस्कृत के अध्ययन की व्यवस्था है। रोमानिया के बुखारेस्ट विश्वविद्यालय में भी हिंदी का एक स्वतंत्र विभाग है, जहां स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम हैं। फ्रांस के सौवन विश्वविद्यालय में पिछले अनेक वर्षों से हिंदी पढ़ाई जा रही है। गोदान, मैला आंचल, त्यागपत्र आदि कृतियों के फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद भी छपे हैं। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से बेल्जियम छोटा सा देश है परंतु गत 35 वर्षों से वहां के वेंट, ल्यूवेन और ल्येम विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था है। इटली का भारतीय साहित्य एवं दर्शन के प्रति विशेष आकर्षण रहा है। वहां के नेपल्स तथा वेनिस विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों में अनेक इटालियन छात्र हिंदी के अध्ययन में रत हैं। इंग्लैंड में अंग्रेजी के पश्चात् जो भाषा सबसे अधिक बोली जा रही है वह हिंदी ही है।

आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में जर्मन सबसे अधिक विज्ञान सम्मत भाषा है। जर्मन भाषा के व्याकरण पर संस्कृत का गहरा प्रभाव है। जर्मनी में संस्कृत तथा भारतीय भाषाओं के प्रति सदा ही आदर का भाव रहा है। संस्कृत वहां अब से नहीं डेढ़ सौ सालों से विधिवत् पढ़ाई जा रही है। जर्मनी के 17 विश्वविद्यालयों में आज हिंदी के स्वतंत्र विभाग हैं। जर्मनी का रेडियो-कोलोन संसार का एक मात्र केंद्र है, जहां से संस्कृत समाचार ही नहीं, प्रति सप्ताह नियमित रूप से संस्कृत में शोध-पूर्ण आलेख भी प्रसारित किए जाते हैं। डेनमार्क, स्विटजरलैंड, आस्ट्रिया, यूरोप के प्राय: सभी देशों में अनेक माध्यमों से हिंदी पढ़ाई जा रही है। सोवियत संघ सहित सभी गणराज्यों में 34 से अधिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में हिंदी के पाठ्यक्रम चलते हैं। सोवियत संघ के अतिरिक्त मंगोलिया, रोमानिया, आस्ट्रिया, पोलैण्ड आदि पूर्वी यूरोपीय देशों के छात्र उच्च हिंदी शिक्षा के लिए लेनिनग्राद अथवा मास्को विश्वविद्यालय में आते थे। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् यद्यपि हिंदी पढ़ाने वाले संस्थान अभी उतने ही हैं परंतु राजनीतिक उथल-पुथल के कारण फिलहाल उनकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। हिंदी का रूसी में जितना अनुवाद प्रकाशित हुआ, उतना शायद ही संसार की किसी भाषा में

1284 HA/05-4A

हुआ है, परंतु आजकल यह कार्य पूर्णरूपेण स्थगित सा ही है। हां, मध्य एशियाई देशों से भारत का व्यापार बढ़ रहा है। इससे आशा बंधती है कि हिंदी शिक्षण का कार्य भी अब उन देशों में कुछ तीव्र गति से होगा। कनाड़ा में भारतीय अप्रवासी कुछ कम संख्या में नहीं हैं। पंजाब से गए लोग पंजाबी के साथ-साथ हिंदी का भी प्रयोग करते हैं। वहां से हिंदी में दो स्थानीय समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। वेंकूवर टोरेंटो विंडसर विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग हैं। टोरेंटो में आधुनिक ही नहीं मध्यकालीन हिंदी साहित्य वर्षों से पढ़ाया जाता है।

आस्ट्रेलिया के भी दो विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। संयुक्त राज्य अमरीका के 28 विश्वविद्यालय तथा अनेक स्वंयसेवी संस्थाएं हिंदी के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से कार्य कर रही हैं। संस्कृत का अध्यापन वहां सन् 1815 से आरंभ हो गया था, परंतु उसका क्षेत्र पुरानी भाषा होने के कारण इतना व्यापक एवं विस्तृत नहीं था। 1875 में अमरीका में हिंदी व्याकरण तैयार किया गया जो आज भी अपनी उपयोगिता बनाए हुए है। पिछले वर्षों में मैक्सिको तथा अनेक लातिनी अमरीकी देशों में हिंदी का विस्तार हुआ है। क्यूबा, वेनेजुएला कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना, चिली आदि इसके जीवंत उदाहरण हैं। फिजी, मारीशस, केनिया, युगांडा या मध्यपूर्व यानि मिडिल ईस्ट के देशों में तो हिंदी चलचित्र खूब देखे जाते हैं क्योंकि यहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं।

इंडोनेशिया, थाइलैंड, हाँगकाँग, मलेशिया में हिंदी फिल्मों का अच्छा बाजार है। सुप्रसिद्ध रूसी विद्वान डॉ० प० अ० वारानिकोव आजकल रूसी भाषा में हिंदी फिल्मों पर समाचार पत्र निकाल रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् बहुत कुछ बदल गया है। परंतु हिंदी फिल्मों के लिए लगाव अभी तक बना हुआ है।

इंग्लैंड के बी०बी०सी० दूरदर्शन पर महाभारत इतना लोकप्रिय हुआ कि भारतीय ही नहीं स्वयं ब्रिटेन के तरुण-वृद्ध भी अतीत के भारत की इस शौर्य गाथा पर मुग्ध हो गए। सूरीनाम के दूरदर्शन पर दो बार इसका प्रदर्शन हुआ। जापानी दर्शकों ने इस धारावाहिक के संवादों को जोड़-जोड़ कर जापानी में महाभारत की अलग पुस्तक तैयार कर दी, जो बहुत लोकप्रिय हुई। तुर्की, इराक, सउदी अरब, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया आदि इस्लामी देशों का भी हिंदी फिल्मों के प्रति विशेष लगाव रहा। इंग्लैंड, कनाडा, अमरीका, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, मारीशस, फीजी, त्रिनीडाड, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, जहां-जहां भारतीय, पाकिस्तानी, बंगलादेशी या नेपाली मूल के लोग रहते हैं, वहां के बाजार हिंदी फिल्मों के कैसेटों से भरे पड़े होते हैं।

नार्वे, स्वीडन, जापान, रूस, अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा आदि अनेक देशों में आज अनेक हिंदी पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। दूर संचार माध्यमों, फिल्मों, गीतों आदि ने भी हिंदी के प्रचार-प्रसार में अपनी अहम् भूमिका अदा की है। विदेशों से प्रकाशित हिंदी पत्र-पत्रिकाओं ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभा रही है।

विश्व में अब उसी भाषा को प्रधानता मिलेगी जिसका व्याकरण संगत होगा। जिसकी लिपि कंप्यूटर की लिपि होगी। संस्कृत की पुत्री होने के कारण हिंदी को यह आधार मिला है। इसीलिए इसमें अंग्रेजी-फ्रेंच आदि की अपेक्षा अधिक संभावनाएं हैं, सही अर्थों में विश्व भाषा बनने की। विदेशियों के बीच हिंदी के प्रति रुचि इसलिए भी है कि हिंदी के माध्यम से भारतीय मूल के व्यापारियों के साथ व्यापार करने के लिए वे हिंदी सीखना चाहते हैं। डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन और फिनलैंड आदि में भी हिंदी बोलने वाले लोग काफी संख्या में मिलते हैं। इंग्लैंड में जहां एशियाई मूल के लोग पर्याप्त मात्रा में रहते हैं और विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उन लोगों के बीच काम करने वालों को संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की आवश्यकता होती है।

हिंदी स्वयं में विश्वसमाज को समाहित किए हुए है। हिंदी में आर्य, द्रविड़, आदिवासी, स्पेनी, पुर्तगाली, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी आदि शब्द हिंदी के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप को, अंतरराष्ट्रीय शैली को अभिव्यक्ति देने वाले आयाम हैं। हिंदी को भारत ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के लिए अथक प्रयास करना है और संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश दिलाने के लिए भारत के साथ विश्व के अन्य देशों को भी निष्ठापूर्वक उसका समर्थन करना होगा। उसके लिए हमारे देश के राजनेताओं को भी को प्रयत्न करना होगा और चेतना जाग्रत करनी होगी। विशेष रूप से भारत सरकार को, तभी हम अंतरराष्ट्रीय फलक पर हिंदी को और अधिक सार्थक रूप दे सकेंगे। ❐

1284 HA/05-4B

विदेशी विद्वानों द्वारा हिंदी वाङ्मीमांसापरक अध्ययन

—प्रोफेसर महावीर सरन जैन*

अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में केवल ब्रिटिश नागरिक ही नहीं आए, हालैंड, जर्मनी, फ्रांस, रूस एवं अमरीका आदि देशों के नागरिक भी आए। आगत विदेशी पादरियों, कर्मचारियों, प्रशासकों में से बहुत से विदेशियों ने श्रम एवं निष्ठापूर्वक हिंदी सीखी तथा हिंदी सीखकर हिंदी की पाठ्य पुस्तकों, हिंदी के व्याकरणों एवं कोशों का निर्माण किया। उनके अध्ययन आज के भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण एवं पद्धति के अनुरूप भले ही न हों किन्तु हिंदी भाषा के वाङ्मीमांसापरक अध्ययन की दृष्टि से उनका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। इन विदेशी विद्वानों में डॉ० हार्नले, डॉ० ग्रियर्सन तथा डॉ० टर्नर जैसे प्रख्यात एवं मेधावी भाषाविद् भी हैं। इनके कार्यों से न केवल हिंदी भाषा का विकास हुआ, अपितु भारतीय आर्यभाषाओं की अध्ययन-परंपरा का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। भारत विद्या के क्षेत्र में कार्य करने वाले विदेशी विद्वानों की संख्या शताधिक है। आगे हिंदी वाङ्मीमांसा के प्रमुख विदेशी विद्वानों एवं उनकी कृतियों का काल-क्रमानुसार परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है :—

1. जान जेशुआ केटलेर (1659—1718)

डच भाषी केटलेर व्यापार के लिए सूरत शहर में आए। व्यापार के लिए इन्हें सूरत से दिल्ली, आगरा और लाहौर आना पड़ता था। भारत आने के बाद इन्होंने हिंदी सीखी तथा अपने देश के लोगों के लिए डच भाषा में हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण लिखा। इस डच मूल की नकल इसाक फान दर हूफ (Isaac Van der Hoeve) नामक हॉलैंडवासी ने सन् 1698 ईस्वी में की। इसका अनुवाद दावीद मिल ने लैटिन भाषा में किया। हॉलैंड के लाइडन नगर से लैटिन भाषा में सन् 1743 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इस प्रकाशित पुस्तक की एक प्रति कोलकाता की नेशनल लाईब्रेरी में उपलब्ध है।

इस व्याकरण का विवरण सर्वप्रथम डॉ० ग्रियर्सन ने प्रस्तुत किया :—

> "अब हम पहले हिंदुस्तानी व्याकरण पर आते हैं। जान जेशुआ केटलेर (यह कोटलर, केसलर तथा केटलर भी लिखा जाता है) धर्म से लूथरन थे। इन्होंने शाह आलम, बहादुर शाह तथा जहाँदरशाह से डच प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्राप्त की थी।"(1)

डॉ० ग्रियर्सन ने अनुमान के आधार पर इसका रचनाकाल सन् 1715 माना है, किंतु वास्तव में इसका रचनाकाल सन् 1698 के पूर्व का है।

डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या ने अपने निबंध संग्रह 'ऋतम्भरा' में इस कृति के संबंध में परिचय एवं विवरण प्रस्तुत किया। डॉ० चाटुर्ज्या के लेख का शीर्षक है— "हिंदुस्तानी का सबसे प्राचीन व्याकरण"। डॉ० चाटुर्ज्या का इसके रचनाकाल के संबंध में अभिमत है—

> "हालैंड के लाइडन नगर में कर्न इंस्टीट्यूट नामक एक नवीन सभा है। यह भारत तथा बृहत्तर भारत की संस्कृति की आलोचना के लिए स्थापित की गई है। उसके मुख्य अधिष्ठाता स्वनामधन्य पंडित डॉक्टर फॉगल ने स्वयं एक पत्र लिख कर केटलेर के व्याकरण के विषय में बहुत कुछ तथ्य बताए हैं। उनसे पता चलता है कि केटलेर ने हिंदुस्तानी और फारसी दोनों भाषाओं के व्याकरण डच भाषा में लिखे थे। डच मूल की एक नकल इसाक फान दर हूफ (Isaac Van der Hoeve) नामक हॉलैंडवासी ने सन् 1698 ई० में लखनऊ में की थी। यह पुस्तक हालैंड के हाग (Hague) नगर के पुराने राजकीय पत्रों के संग्रहालय में सुरक्षित है।"(2)

*सुशीला कुंज, 123, हरि एन्क्लेव, चांदपुर रोड, बुलंदशहर-203001

प्रस्तुत लेखक ने जुलाई 1985 में नीदरलैंड्स की यात्रा के दौरान पुस्तक की प्रति का अवलोकन किया। प्रति का मुख पृष्ठ निम्नवत् है :—

"INSTRUCTE OFF ONDERWIJ SINGEDER HINDOSTANE EN PERSIANSE TALEN NEVENS HARE DECLINATIE EN CONJUGATIVE etc. DOOR JOAN JOSUA KATELAAR, Ellingensem en Gekopiert door Isaacq Van Der Hoeve Van Utreght tot Gechenawe A. 1698.

हिंदी के कुछ विद्वानों में यह भ्रांत धारणा है कि केटलेर ने इस व्याकरण की रचना सूरत के आसपास व्यापारी वर्ग में प्रचलित हिंदी के आधार पर की थी। इस भ्रांत धारणा का निराकरण हिंदी में सर्वप्रथम डॉ० उदयनारायण तिवारी एवं श्री मैथ्यु वेच्चुर ने किया। इस कृति के संबंध में डॉ० उदयनारायण तिवारी के विचार प्रस्तुत करना समीचीन होगा :—

"...केटलेर कृत 'हिंदुस्तानी भाषा' की रचना आगरे में हुई थी। अतएव इस पर ब्रजभाषा एवं पश्चिमी हिंदी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।...केटलेर का व्याकरण अति संक्षिप्त है। यह लगभग 30 पृष्ठों का है किंतु इसमें हिंदी सीखने वालों के लिए प्रायः सभी आवश्यक बातों का समावेश है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसमें अति-प्रयुक्त क्रियाओं की रूपरेखा 'कालरचना-सारिनी' सहित दी गई है। पुस्तक के अंत में प्रार्थनाओं का हिंदुस्तानी अनुवाद भी दिया गया है। इनमें 'दस नियम', 'प्रेरितों का विश्वास' और 'हे पिता' के अनुवाद उपलब्ध हैं। जैसा मैंने ऊपर कहा है, इन गद्यांशों में आगरे की हिंदी या खड़ी बोली का आरंभिक रूप देखा जा सकता है और उस पर ब्रज-भाषा का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है।"(3)

श्री मैथ्यु वेच्चूर ने कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में इस कृति के लैटिन अनुवाद को आधार बना कर इसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया है।(4)

इसकी भाषा में कहीं-कहीं अशुद्ध रूप मिलते हैं, जैसे "मैं" के स्थान पर "मे", "तुम्हारा" के स्थान पर "तोम्मारा" तथा "तुम" के स्थान पर "तोम"। "ने" परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। "इसने" के स्थान पर "इन्ने", "मुझको" के स्थान पर "मुकों (मोकों)", "नहीं" के स्थान पर "नई" का प्रयोग हुआ है, जो आगरे में बोली जाने वाली स्थानीय हिंदी के प्रभाव का द्योतक है। अनूदित प्रार्थनाओं में से एक उदाहरण प्रस्तुत है, "मे है साहेब तोम्मारा अल्ला, वह जो तोम एजिप्ति गुलामी से निकाल ले गया, तोम और अल्लाहे मेरा बराबर मत लीजियो।" (मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश की दासता से निकालकर ले आया, मेरे सिवाय तुम और किसी ईश्वर को न मानना)।

2. बेंजामिन शूल्ज़ : ग्रामाटिका हिंदोस्तानिका

डेनिश भाषी डॉ० शूल्ज़ प्रोटेस्टेन्ट मिशनरी थे। ये पहले तमिलनाडु में कार्यरत थे, बाद में हैदराबाद आ गए। आपकी मृत्यु सन् 1760 ई० में जर्मनी के हाले नगर में हुई। कार्य करते हुए इनको दायित्व-बोध हुआ कि भारत में आने वाले मिशनरियों को हिंदुस्तानी भाषा से अवगत कराना चाहिए। हिंदुस्तानी भाषा के संबंध में लेखक ने अपनी भूमिका में लिखा, "यह भाषा अपने आप में बहुत सरल है। मैं जब यह भाषा सीखने लगा तो मुझे अत्यधिक कठिनाई का अनुभव हुआ...लेकिन इस भाषा को सीखने की तीव्र इच्छा के कारण लगातार दो महीने के परिश्रम के फलस्वरूप सारी कठिनाई जाती रही। आरंभ में ही मैंने इस भाषा के ज्ञान की आवश्यक बातों, विशेष रूप से शब्द-क्रम को लिख लिया था। धीरे-धीरे एक व्याकरण की सामग्री एकत्र हो गयी। बाद में इसे क्रमानुसार सजाकर पुस्तक का रूप दिया गया।"(5)

शूल्ज़ ने अपना व्याकरण लैटिन भाषा में लिखा। भूमिका की तिथि 30 जून, सन् 1741 ई० है। प्रकाशन तिथि 30 जनवरी 1745 ई० है।

इस व्याकरण में कुल छह अध्याय हैं। अध्याय एक में वर्णमाला से संबंधित विचार हैं। इसी अध्याय में लेखक ने हिंदुस्तानी भाषा के संबंध में तमिल भाषियों की इस मान्यता का प्रतिपादन किया है कि हिंदुस्तानी भाषा या देवनागरम सारी भाषाओं की माता है। अध्याय दो में संज्ञा एवं विशेषण, अध्याय तीन में सर्वनाम, अध्याय चार में क्रिया, अध्याय पांच में अव्यय (परसर्ग, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक) तथा अध्याय छह में वाक्य रचना का विवेचन है। परिशिष्ट में प्रेरितों के विश्वास की प्रार्थना, खावंद की बंदगी, बपतिसमा, खावंद की रात की हाजिरी, दस नियम, हे पिता प्रार्थना का विश्लेषण आदि हिंदुस्तानी भाषा में दिए गए हैं, जिस पर हैदराबाद में उस समय बोली जाने वाली दक्खिनी हिंदी का प्रभाव परिलक्षित है। शब्दों को रोमन लिपि एवं फारसी लिपि में दिया गया है।

डॉ० ग्रियर्सन ने इस रचना के संबंध में लिखा है :—

"...इसका पूरा शीर्षक है Benjamini Schulzii, Grammatica, Hindostanica, ...व्याकरण लैटिन में है। हिंदुस्तानी शब्द फारसी-अरबी लिपि में अनुवाद सहित दिये गए हैं। ...उन्होंने मूर्धन्य वर्णों की ध्वनियों को और अपने अनुवाद में महाप्राणों को छोड़ दिया है। वे पुरुषवाचक सर्वनामों के एकवचन एवं बहुवचन रूपों से परिचित हैं, किंतु सकर्मक क्रियाओं के भूतकालों के साथ प्रयुक्त होने वाले "ने" के प्रयोग से अनभिज्ञ हैं।"(6)

लेखक ने कर्मकारक एवं संप्रदान कारक का रूप "कुँ" माना है जो दक्खिनी हिंदी के प्रभाव के कारण है।

हुमाकुं (हमको, हमारे लिए), मिझकुं (मुझे, मेरे लिए)। इसी प्रकार "तुझकुं", "कौन कुं", "उनकुं", "इनकुं", "इसकुं", "किनकुं", "कोई कुं" आदि रूप दिए गए हैं।

इस पुस्तक से एक उदाहरण प्रस्तुत है :—

"छोटा भाई भाग गया ककी हमारा बाप मिझकुं मालूम किये।"

(हमारे पिता ने मुझे समझाया (मालूम कराया) कि छोटा भाई भाग गया।)

3. कैसियानो बेलिगत्ती : अल्फाबेतुम ब्रम्हानिकुम

आप कैथलिक कैपूचिन मिशनरी इटली के मचेराता नगर के रहने वाले थे। आरंभ में इन्होंने तिब्बत में कार्य किया था। बाद में नेपाल होकर बिहार के बेतिया नगर में आ बसे। इन्होंने पटना में भी धर्म-प्रचार का कार्य किया। पटना में रहकर इन्होंने "अल्फाबेतुम ब्रम्हानिकुम" का लैटिन भाषा में प्रणयन किया। इसका प्रकाशन सन् 1771 ई० में हुआ। इसकी विशेषता यह है कि इसमें नागरी के अक्षर एवं शब्द सुंदर टाइपों में मुद्रित हैं। ग्रियर्सन के अनुसार यह हिंदी वर्णमाला संबंधी श्रेष्ठ रचना है:—

"taking it together, the Alphabetum Brammhanicum is, for its time, a wonderfully good piece of work."(7)

अध्याय एक में स्वर, अध्याय दो में मूल व्यंजन, अध्याय तीन में व्यंजनों के उच्चारण के विशेष विवरण, अध्याय चार में व्यंजनों के साथ स्वरों का संयोग, अध्याय पाँच में स्वर-संयुक्त व्यंजन, अध्याय छह में संयुक्ताक्षर और उनके नाम, अध्याय सात में संयुक्ताक्षर की तालिका, अध्याय आठ में किस प्रकार हिंदुस्तानी कुछ अक्षरों की कमी पूरी करते हैं, अध्याय नौ में नागरी या जनता की वर्णमाला, अध्याय दस में हिंदुस्तानी वर्णमाला की लैटिन वर्णमाला के क्रम और उच्चारण के साथ तुलना, अध्याय ग्यारह में अरबी अंकों के साथ हिंदुस्तानी अंकों और अक्षरों में संख्याएं तथा अध्याय बारह में अध्येताओं के अभ्यास के लिए कुछ प्रार्थनाएं भी "हिंदुस्तानी लिपि" में दी गई हैं। इसमें लैटिन प्रार्थनाओं का "हिंदुस्तानी लिपि" में केवल लिप्यंतरण मिलता है। अंत में हिंदुस्तानी भाषा में "हे पिता" आदि प्रार्थनाएं अनूदित हैं।

अध्याय नौ के अंतर्गत जनता की वर्णमाला पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने लिखा है :—

"यहां जनता के 'नागरी' वर्णों के संबंध में कुछ कहना शेष रह गया है। यह वर्णमाला साधारणतः घरेलू पत्रों, साधारण पुस्तकों, राजनीतिक या धार्मिक बातों को लिखने के लिए प्रयुक्त होती है। इसे यहाँ की बोली में "भाखा बोली" कहते हैं। इसमें केवल चौंतालीस वर्ण हैं।"(8)

इस रचना की भूमिका इटली की राजधानी रोम में क्रिश्चियन धर्म के प्रचारार्थ संस्था "प्रोपगन्दा फीदे" के अध्यक्ष योहन खिस्तोफर अमादुसी ने लिखी। डॉ० जार्ज ग्रियर्सन ने इस भूमिका को बहुत महत्व दिया।(9)

भूमिका में हिंदुस्तानी भाषा की सार्वदेशिक व्यवहार की भूमिका स्पष्ट रूप में प्रतिपादित है :—

"हिंदुस्तानी भाषा जो नागरी लिपियों में लिखी जाती है, पटना के आसपास ही नहीं बोली जाती अपितु विदेशी यात्रियों द्वारा भी, जो या तो व्यापार या तीर्थाटन के लिए भारत आते हैं, प्रयुक्त होती है। हम इसके लिए यह कह सकते हैं कि यह भारत की माध्यम-भाषा (lingua media) है।"(10)

इस भूमिका से यह स्पष्ट है कि सन् 1771 ई० में भी नागरी लिपि में लिखी गई जनभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी का राष्ट्रव्यापी प्रचार-प्रसार था। जो विदेशी उस समय भारत में व्यापार करने के लिए अथवा घूमने-फिरने के लिए आते थे, वे भारत आने के पूर्व इसको सीखते थे तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसके माध्यम से अपना कार्य संपन्न करते थे।

किया। रसायनशास्त्र के एक संदर्भग्रंथ का हिंदी में अनुवाद करने के लिए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली की समानार्थी हिंदी शब्दावली का निर्माण किया। शब्दावली निर्माण करते समय आपने संस्कृत को आधार बनाया।

(ii) ब्रजभाषा व्याकरण, लंदन एंड एडिनरा (1839)

(iii) हिंदुस्तानी व्याकरण, एडिनबरा (1839)
व्याकरणिक अभ्यासों की दृष्टि से पुस्तक का महत्व अधिक है।

20. डंकन फोर्ब्स : (1798—1868)

(i) हिंदुस्तानी मैनुअल : संक्षिप्त व्याकरण और संक्षिप्त शब्दावली, लंदन (1845) इसका नवीन संस्करण सन् 1850 ई० में प्रकाशित हुआ। जॉन टामसन प्लाट्स ने इस पुस्तक को संशोधित किया। संशोधित पुस्तक का प्रकाशन सन् 1874 में हुआ। बाद में, लंदन से ही इसके अनेक संस्करण प्रकाशित हुए।

(ii) ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज इन द ओरियंटल एंड रोमन कैरेक्टर, लंदन (1846)

(iii) ए डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी एंड इंगलिश, लंदन (1847)

21. जोसेफ टी० थांपसन :

(i) डिक्शनरी इन हिंदी एंड इंगलिश, कलकत्ता (1846)

22. एडवर्ड बैंकहाक ईस्टविक : (1814—1883)

(i) हिंदुस्तानी व्याकरण, लंदन (1847)

23. एडविन टी० एटकिन्सन : (मृत्यु तिथि 1890)

(i) स्टैटिकल डिस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टॉरिकल अकाउंट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविन्सेस ऑफ इंडिया, इलाहाबाद (1847)
(प्रथम खंड में पृष्ठ 104-105 में बुंदेलखंडी का संक्षिप्त शब्दकोश)

24. हेनरी एन० ग्रान्ट :

(i) एन ऐंग्लो-हिंदुस्तानी वोकेबुलरी, कलकत्ता (1850)

25. विलियम नास्सू लीस : (1825—1889)

थाम्पसन (देखें० क्रम संख्या-21) के कोश के तृतीय संस्करण का संपादन किया।

26. गार्सा द तासी : (1794—1878)

फ्रांसीसी लेखक गार्सा द तासी की प्रतिभा बहुआयामी थी। हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी रखने वाले हिंदी साहित्य के विद्वान इस तथ्य से परिचित हैं कि आधुनिक दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का सूत्रपात आपके द्वारा फ्रेंच भाषा में लिखित 'इस्तवार द ला लित्रेत्यूर ऐंदुई-ए-ऐंदूस्तानी' (हिंदुई तथा हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास) के प्रकाशन से होता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन पेरिस से सन् 1839 ई० में हुआ। इसका परिवर्धित एवं संशोधित संस्करण सन् 1870 ई० में प्रकाशित हुआ।

आपने हिंदी भाषा संबंधी अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना की।

(i) ले ओत्यूर ऐंदुस्तानी ए ल्यूर उबरत, पैरिस (1868)

(ii) ल लांग ऐ ल लित्रेत्यूर ऐंदुस्तानी (1850)

(iii) हिंदी-हिंदोई मुंतखबात, पैरिस (1849)

(iv) रुदीमां द ल लांग ऐंदुई

(v) रुदीमा द ल लांग ऐंदुस्तानी

27. चार्ल्स फिलिप ब्राउन :

(i) द जिल्लाह डिक्शनरी इन द रोमन कैरेक्टर, मद्रास (1852)

28. रेवरेंड के० विलियम : (1820—1886)

(i) द डेटिव एंड अक्यूजेटिव केसिस इन बेंगाली एंड हिंदुस्तानी, जरनल ऑफ एशियाटिक सोसायटी, बंगाल Vol. XXI (1852)

29. एस० डब्ल्यू फैलन : (1817—1880)

(i) ए इंगलिश-हिंदुस्तानी लॉ एंड कामर्शियल डिक्शनरी, कलकत्ता (1858)

(ii) न्यू इंगलिश एंड हिंदुस्तानी डिक्शनरी, बनारस (1876)

(iii) ए न्यू हिंदुस्तानी-इंगलिश डिक्शनरी, बनारस (1879)

डॉ० ग्रियर्सन ने इस रचना के संबंध में लिखा है :—

"...इसका पूरा शीर्षक है Benjamini Schulzii, Grammatica, Hindostanica, ...व्याकरण लैटिन में है। हिंदुस्तानी शब्द फारसी-अरबी लिपि में अनुवाद सहित दिये गए हैं। ...उन्होंने मूर्धन्य वर्णों की ध्वनियों को और अपने अनुवाद में महाप्राणों को छोड़ दिया है। वे पुरुषवाचक सर्वनामों के एकवचन एवं बहुवचन रूपों से परिचित हैं, किंतु सकर्मक क्रियाओं के भूतकालों के साथ प्रयुक्त होने वाले "ने" के प्रयोग से अनभिज्ञ हैं।"(6)

लेखक ने कर्मकारक एवं संप्रदान कारक का रूप "कुँ" माना है जो दक्खिनी हिंदी के प्रभाव के कारण है।

हुमाकुं (हमको, हमारे लिए), मिझकुं (मुझे, मेरे लिए)। इसी प्रकार "तुझकुं", "कौन कुं", "उनकुं", "इनकुं", "इसकुं", "किनकुं", "कोई कुं" आदि रूप दिए गए हैं।

इस पुस्तक से एक उदाहरण प्रस्तुत है :—

"छोटा भाई भाग गया ककी हमारा बाप मिझकुं मालूम किये।"

(हमारे पिता ने मुझे समझाया (मालूम कराया) कि छोटा भाई भाग गया।)

3. कैसियानो बेलिगत्ती : अल्फाबेतुम ब्रम्हानिकुम

आप कैथलिक कैपूचिन मिशनरी इटली के मचेराता नगर के रहने वाले थे। आरंभ में इन्होंने तिब्बत में कार्य किया था। बाद में नेपाल होकर बिहार के बेतिया नगर में आ बसे। इन्होंने पटना में भी धर्म-प्रचार का कार्य किया। पटना में रहकर इन्होंने "अल्फाबेतुम ब्रम्हानिकुम" का लैटिन भाषा में प्रणयन किया। इसका प्रकाशन सन् 1771 ई० में हुआ। इसकी विशेषता यह है कि इसमें नागरी के अक्षर एवं शब्द सुंदर टाइपों में मुद्रित हैं। ग्रियर्सन के अनुसार यह हिंदी वर्णमाला संबंधी श्रेष्ठ रचना है:—

"taking it together, the Alphabetum Brammhanicum is, for its time, a wonderfully good piece of work."(7)

अध्याय एक में स्वर, अध्याय दो में मूल व्यंजन, अध्याय तीन में व्यंजनों के उच्चारण के विशेष विवरण, अध्याय चार में व्यंजनों के साथ स्वरों का संयोग, अध्याय पाँच में स्वर-संयुक्त व्यंजन, अध्याय छह में संयुक्ताक्षर और उनके नाम, अध्याय सात में संयुक्ताक्षर की तालिका, अध्याय आठ में किस प्रकार हिंदुस्तानी कुछ अक्षरों की कमी पूरी करते हैं, अध्याय नौ में नागरी या जनता की वर्णमाला, अध्याय दस में हिंदुस्तानी वर्णमाला की लैटिन वर्णमाला के क्रम और उच्चारण के साथ तुलना, अध्याय ग्यारह में अरबी अंकों के साथ हिंदुस्तानी अंकों और अक्षरों में संख्याएं तथा अध्याय बारह में अध्येताओं के अभ्यास के लिए कुछ प्रार्थनाएं भी "हिंदुस्तानी लिपि" में दी गई हैं। इसमें लैटिन प्रार्थनाओं का "हिंदुस्तानी लिपि" में केवल लिप्यंतरण मिलता है। अंत में हिंदुस्तानी भाषा में "हे पिता" आदि प्रार्थनाएं अनूदित हैं।

अध्याय नौ के अंतर्गत जनता की वर्णमाला पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने लिखा है :—

"यहां जनता के 'नागरी' वर्णों के संबंध में कुछ कहना शेष रह गया है। यह वर्णमाला साधारणत: घरेलू पत्रों, साधारण पुस्तकों, राजनीतिक या धार्मिक बातों को लिखने के लिए प्रयुक्त होती है। इसे यहाँ की बोली में "भाखा बोली" कहते हैं। इसमें केवल चौंतालीस वर्ण हैं।"(8)

इस रचना की भूमिका इटली की राजधानी रोम में क्रिश्चियन धर्म के प्रचारार्थ संस्था "प्रोपगन्दा फीदे" के अध्यक्ष योहन खिस्तोफर अमादुसी ने लिखी। डॉ० जार्ज ग्रियर्सन ने इस भूमिका को बहुत महत्व दिया।(9)

भूमिका में हिंदुस्तानी भाषा की सार्वदेशिक व्यवहार की भूमिका स्पष्ट रूप में प्रतिपादित है :—

"हिंदुस्तानी भाषा जो नागरी लिपियों में लिखी जाती है, पटना के आसपास ही नहीं बोली जाती अपितु विदेशी यात्रियों द्वारा भी, जो या तो व्यापार या तीर्थाटन के लिए भारत आते हैं, प्रयुक्त होती है। हम इसके लिए यह कह सकते हैं कि यह भारत की माध्यम-भाषा (lingua media) है।"(10)

इस भूमिका से यह स्पष्ट है कि सन् 1771 ई० में भी नागरी लिपि में लिखी गई जनभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी का राष्ट्रव्यापी प्रचार-प्रसार था। जो विदेशी उस समय भारत में व्यापार करने के लिए अथवा घूमने-फिरने के लिए आते थे, वे भारत आने के पूर्व इसको सीखते थे तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसके माध्यम से अपना कार्य संपन्न करते थे।

इन तीन रचनाकृतियों का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। इनके समेकित महत्व की डॉ० उदय नारायण तिवारी ने सारगर्भित विवेचना की है :—

> "यह तीनों कृतियाँ, दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक और सन् 1650 से लेकर 1800 तक, प्रचलित हिंदी के रूप को हमारे समक्ष प्रकट करती हैं। हम इन तीनों विदेशी लेखकों के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ हैं। इन्होंने इन व्याकरणों को लिखने में जो प्रयास किया है वह वास्तव में स्तुत्य है। चूँकि ये कृतियाँ आरंभिक हैं, अतएव इनमें त्रुटियां स्वाभाविक हैं। किंतु इन्हें तैयार तथा प्रस्तुत करने में इन विदेशी विद्वानों को कितना कठिन परिश्रम करना पड़ा होगा, इसका अनुमान भी आज सहज नहीं है।"[11]

इन तीनों रचनाओं को श्री मैथ्यु वेच्चुर ने लैटिन से हिंदी में अनूदित किया है। उनकी सेवाएं भी प्रशंसनीय हैं।[12]

आगे शेष विदेशी विद्वानों एवं उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम दिए जा रहे हैं। जहाँ बहुत आवश्यक होगा, वहीं संक्षिप्त टिप्पणियाँ प्रस्तुत की जाएंगी :—

4. जॉर्ज हेडले : (भारत में निवास सन् 1763—1771) (मृत्यु सन् 1798 ई०) "ग्रैमेटिकल रिमार्क्स ऑन द प्रैक्टिकल एंड वल्गर डाइलेक्ट ऑफ द हिंदोस्तान लैंग्वेज

यह रचना लंदन से सन् 1773 में प्रकाशित हुई। डॉ० ग्रियर्सन ने जार्ज हेडले के इस व्याकरण से हिंदी व्याकरण परंपरा में एक नवीन युग का आरंभ माना है।[13] इसके अनेक संस्करण प्रकाशित हुए। लखनऊ के मिर्जा मुहम्मद फितरत ने इसमें परिवर्धन एवं संशोधन किया। सन् 1801 ई० में लंदन से इसका परिवर्धित एवं संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ। इस संस्करण के भी कई अन्य संस्करण बाद के वर्षों में प्रकाशित हुए।

5. जॉन फर्गुसन : ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तान लैंग्वेज

यह कोश 'हिंदुस्तानी-अंग्रेजी' एवं 'अंग्रेजी- हिंदुस्तानी' क्रम से है। इसका प्रकाशन भी लंदन से सन् 1773 ई० में हुआ।

6. जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट : (1759—1841)

(i) इंग्लिश-हिंदुस्तानी डिक्शनरी, कलकत्ता (1787)

(ii) हिंदुस्तानी ग्रामर (1796)

गिलक्राइस्ट का महत्व इस दृष्टि से बहुत अधिक है कि शिक्षा माध्यम के रूप में इन्होंने हिंदी का महत्व पहचाना। माक्विस बेलेज़ली ने अपने गवर्नर जनरल के कार्यकाल (1798—1805) में अंग्रेज प्रशासकों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने तथा उन्हें भारतीय भाषाओं से परिचित कराने के लिए कलकत्ता में 4 मई सन् 1800 ई० को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। सन् 1800 में कालेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया। वे ईस्ट इंडिया कम्पनी में सहायक सर्जन नियुक्त होकर आए थे। उत्तरी भारत के कई स्थानों में रहकर इन्होंने भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। सन् 1800 ई में ही गिलक्राइस्ट के सहायक के रूप में लल्लू लाल की नियुक्ति सर्टिफिकेट मुंशी के पद पर हुई। गिलक्राइस्ट ने हिंदी में पाठ्य पुस्तकें तैयार कराने की दिशा में प्रयास किया। गिलक्राइस्ट ने भारत में बहुप्रयुक्त भाषा रूप को 'खड़ी बोली' की संज्ञा से अभिहित किया। 'खड़ी बोली' को अपने भारत की खालिस या खरी बोली माना है। गिलक्राइस्ट ने इसको 'प्योर स्टर्लिंग' माना तथा अपने कोश में Sterling का अर्थ किया है—Standard, Genuine. इसी भाषा रूप में गिलक्राइस्ट ने लल्लू लाल को लिखने का निर्देश प्रदान किया। लल्लू लाल ने अपने ग्रंथ 'प्रेमसागर' की भूमिका में लिखा है :—

"श्रीयुत गुनगाहक गुनियन—सुखदायक जान गिलकिरिस्त महाशय की आज्ञा से सम्वत् 1860 (अर्थात् सन् 1803 ई.) में श्री लल्लू जी लाल कवि ब्राह्मन गुजराती सहस्र अवदीच आगरे वाले ने जिसका सार ले, यामिनी भाषा छोड़, दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कह, नाम 'प्रेमसागर' धरा"।[14]

7. हेनरी हैरिस : डिक्शनरी : इंगलिश एण्ड हिंदूस्तानी, मद्रास (1790)

8. हेरासिम स्तेपनोविच लेबिदोव (1749—1820)

जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, ये रूसी भाषी थे। आप सन् 1785 से सन् 1800 ई. की अवधि में भारत में रहे। भारत में रहकर इन्होंने हिंदी सीखी तथा हिंदी का व्याकरण तैयार किया। इनका व्याकरण अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणिक है। सन् 1801 ई. में इन्होंने यह व्याकरण अपने व्यय से लंदन में प्रकाशित कराया। व्याकरण ग्रंथ का नाम

है — 'ग्रामर ऑफ द प्योर एण्ड मिक्स्ड ईस्ट इंडियन डाइलेक्ट्स'।

9. कैप्टन जोसेफ टेलर (1793—1835)

इन्होंने 'हिंदुस्तानी—अंग्रेजी' कोश अपने स्वाध्याय के लिए निर्मित किया था। कोश अत्यंत उपयोगी था। फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापकों ने इसका संशोधन किया । इसका प्रकाशन सन् 1808 में डब्ल्यू हंटर द्वारा कराया गया।

10. विलियम हंटर (1755—1812)

(i) हिंदुस्तानी—अंग्रेजी डिक्शनरी, कलकत्ता (1808) (जोसेफ टेलर द्वारा स्वाध्याय के लिए निर्मित शब्दकोश का संपादन)।

(ii) ए कलेक्शन ऑफप्रोवर्ब्स : परशियन एंड हिंदुस्तानी (अपूर्ण कृति)

11. जॉन शेक्सपियर : (1774—1858)

(i) आपने विलियम हंटर के कोश का सन् 1808 में संशोधन किया। इसका चतुर्थ संस्करण सन् 1849 ई. में प्रकाशित हुआ, जिसमें हिंदुस्तानी—अंग्रेजी के बाद 'अंग्रेजी—हिंदुस्तानी कोश' भी जोड़ दिया गया।

(ii) ए ग्रामर आफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज (1813) — इसके अनेक संस्करण प्रकाशित हुए। द्वितीय संस्करण—1818, तृतीय संस्करण —1826, चतुर्थ संस्करण—1843, पंचम संस्करण — 1846 आदि।

(iii) इन्ट्रोडक्शन टु द हिंदुस्तानी लैंग्वेज (1845)

12. फ्रांसिस ग्लैडविन—इनकी मृत्यु सन् 1813 ई. में हुई। इसके पूर्व इनका फारसी-हिंदुस्तानी—अंग्रेजी कोश सन् 1805 ई. में प्रकाशित हुआ। इस लेखक को यह कृति प्राप्त नहीं हो सकी

13. विलियम प्राइस : (1780—1830)

(i) ए वोकेबुलरी : खुरी बोली एण्ड इंगलिश ऑफ द प्रिंसिपल वर्ड्स ऑकरिंग इन द प्रेम सागर ऑफ लल्लू जी लाल कवि, कलकत्ता (1814)—शब्द नागरी तथा रोमन दोनों लिपियों में दिए गए हैं।

(ii) हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण (1828)

(iii) हिंदी—हिंदुस्तानी सलेक्शंस (1828)

14. टामस रोएबक : (1781—1819)

(i) एन इंगलिश एंड हिंदुस्तानी नेवल डिक्शनरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स एंड सी फरेजिज़, कलकत्ता (1811) यह छोटी-सी रचना है। इसका महत्व ऐतिहासिक है। इससे हिंदी के आधुनिक पारिभाषिक कोशों की परंपरा का आरंभ माना जा सकता है।

(iii) आपने होरिस हेमैन विलसन के साथ मिलकर विलियम हंटर (देखें. क्रम सं. 9) की अपूर्ण कृति को पूर्ण किया। आपकी मृत्यु सन् 1819 ई. में हो गई थी। आपकी मृत्यु के बाद सी. स्मिथ ने इसे कोलकाता से सन् 1824 ई. में प्रकाशित कराया।

15. होरिस हेमैन विलसन (1786—1860)

इनके योगदान की चर्चा की जा चुकी है। (देखें० क्रम सं० 14)

16. पादरी मैथ्यू थामसन एडम (भारत में निवास 1819—1830)

(i) ए ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज (हिंदी भाषा का व्याकरण) (1827)
श्री कामता प्रसाद गुरू ने हिंदी की सर्वमान्य पुस्तकों में इसे प्रथम स्थान दिया है।[15]

(ii) हिंदी कोश संग्रह किया हुआ पादरी एडम साहब का, कलकत्ता (1829)
डॉ० श्याम सुन्दर दास ने इसे देवनागरी अक्षरों में आधुनिक पद्धति का वर्णक्रमानुसार संयोजित पहला एक भाषीय हिंदी कोश माना है।[16]

17. रेवरेंड विलियम येट्स (1792—1845)

(i) हिंदुस्तानी भाषा का परिचय (व्याकरण एवं संक्षिप्त शब्दकोश सहित) (1827)

(ii) हिंदुस्तानी-अंग्रेजी कोश, कलकत्ता (1847)

18. चार्ल्स विल्किन्स

आपकी मृत्यु तिथि सन् 1836 ई० है। इसके पूर्व आपने भारत में रहकर देवनागरी के वर्णों के टाइप ढलवाने का कार्य कर देश में देवनागरी के टाइप-मुद्रण की नींव रखी।

19. जेम्स राबर्ट बैलनटाइन

(i) आपकी मृत्यु तिथि सन् 1864 है। इसके पूर्व आपने हिंदी में वैज्ञानिक शब्दावली की समस्या पर विचार

किया। रसायनशास्त्र के एक संदर्भग्रंथ का हिंदी में अनुवाद करने के लिए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली की समानार्थी हिंदी शब्दावली का निर्माण किया। शब्दावली निर्माण करते समय आपने संस्कृत को आधार बनाया।

(ii) ब्रजभाषा व्याकरण, लंदन एंड एडिनरा (1839)

(iii) हिंदुस्तानी व्याकरण, एडिनबरा (1839)
व्याकरणिक अभ्यासों की दृष्टि से पुस्तक का महत्व अधिक है।

20. डंकन फोर्ब्स : (1798—1868)

(i) हिंदुस्तानी मैनुअल : संक्षिप्त व्याकरण और संक्षिप्त शब्दावली, लंदन (1845) इसका नवीन संस्करण सन् 1850 ई० में प्रकाशित हुआ। जॉन टामसन प्लाट्स ने इस पुस्तक को संशोधित किया। संशोधित पुस्तक का प्रकाशन सन् 1874 में हुआ। बाद में, लंदन से ही इसके अनेक संस्करण प्रकाशित हुए।

(ii) ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज इन द ओरियंटल एंड रोमन कैरेक्टर, लंदन (1846)

(iii) ए डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी एंड इंगलिश, लंदन (1847)

21. जोसेफ टी० थांपसन :

(i) डिक्शनरी इन हिंदी एंड इंगलिश, कलकत्ता (1846)

22. एडवर्ड बैंकहाक ईस्टविक : (1814—1883)

(i) हिंदुस्तानी व्याकरण, लंदन (1847)

23. एडविन टी० एटकिन्सन : (मृत्यु तिथि 1890)

(i) स्टैटिकल डिस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टॉरिकल अकाउंट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविन्सेस ऑफ इंडिया, इलाहाबाद (1847)
(प्रथम खंड में पृष्ठ 104-105 में बुंदेलखंडी का संक्षिप्त शब्दकोश)

24. हेनरी एन० ग्रान्ट :

(i) एन ऐंग्लो-हिंदुस्तानी वोकेबुलरी, कलकत्ता (1850)

25. विलियम नास्सू लीस : (1825—1889)

थाम्पसन (देखें० क्रम संख्या-21) के कोश के तृतीय संस्करण का संपादन किया।

26. गार्सा द तासी : (1794—1878)

फ्रांसीसी लेखक गार्सा द तासी की प्रतिभा बहुआयामी थी। हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी रखने वाले हिंदी साहित्य के विद्वान इस तथ्य से परिचित हैं कि आधुनिक दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का सूत्रपात आपके द्वारा फ्रेंच भाषा में लिखित 'इस्तवार द ला लित्रेत्यूर ऐंदुई-ए-ऐंदूस्तानी' (हिंदुई तथा हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास) के प्रकाशन से होता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन पेरिस से सन् 1839 ई० में हुआ। इसका परिवर्धित एवं संशोधित संस्करण सन् 1870 ई० में प्रकाशित हुआ।

आपने हिंदी भाषा संबंधी अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना की।

(i) ले ओत्यूर ऐंदुस्तानी ए ल्यूर उबरत, पैरिस (1868)

(ii) ल लांग ऐ ल लित्रेत्यूर ऐंदुस्तानी (1850)

(iii) हिंदी-हिंदोई मुंतखबात, पैरिस (1849)

(iv) रुदीमां द ल लांग ऐंदुई

(v) रुदीमा द ल लांग ऐंदुस्तानी

27. चार्ल्स फिलिप ब्राउन :

(i) द जिल्लाह डिक्शनरी इन द रोमन कैरेक्टर, मद्रास (1852)

28. रेवरेंड के० विलियम : (1820—1886)

(i) द डेटिव एंड अक्यूजेटिव केसिस इन बेंगाली एंड हिंदुस्तानी, जरनल ऑफ एशियाटिक सोसायटी, बंगाल Vol. XXI (1852)

29. एस० डब्ल्यू फैलन : (1817—1880)

(i) ए इंगलिश-हिंदुस्तानी लॉ एंड कामर्शियल डिक्शनरी, कलकत्ता (1858)

(ii) न्यू इंगलिश एंड हिंदुस्तानी डिक्शनरी, बनारस (1876)

(iii) ए न्यू हिंदुस्तानी-इंगलिश डिक्शनरी, बनारस (1879)

(iv) डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी प्रोवर्ब्स (आर०सी० टेम्पल द्वारा संशोधित) बनारस (1886)

30. राबर्ट काटन मैथर : (1808—1877)

(i) हिंदुस्तानी अंग्रेजी संक्षिप्त शब्द कोश (1861)

(ii) हिंदुस्तानी व्याकरण (1862)

(iii) मोनियर विलियम्स के 'ए प्रैक्टिकल हिंदुस्तानी ग्रामर (1862)' में हिंदुस्तानी पाठावली का संकलन किया।

31. सर मोनियर विलियम्स :

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोडन-चेयर के प्रोफेसर, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत-अंग्रेजी कोश, अंग्रेजी-संस्कृत कोश आदि विश्वविख्यात रचनाओं के प्रणेता सर मोनियर विलियम्स ने हिंदी व्याकरण पर भी कार्य किया है।

(i) रुडीमेंट्स ऑफ हिंदुस्तानी ग्रामर (1858)

(ii) हिंदुस्तानी : प्राइमर एंड ग्रामर (1860)

(iii) प्रैक्टिकल हिंदुस्तानी ग्रामर (1862)

32. हेनरी जॉर्ज रैवेर्टी : (जन्म—सन् 1825 ई०)

संदर्भ मिलता है कि इन्होंने अंग्रेजी-हिंदुस्तानी के पारिभाषिक एवं प्राविधिक शब्दों का कोश बनाया, जिसका प्रकाशन सन् 1859 ई० में हुआ। प्रस्तुत लेखक को यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो सका।

33. पादरी एथरिंगटन साहिब :

(i) भाषा-भास्कर अर्थात् हिंदी भाषा का व्याकरण, लाहौर (1871)

पादरी एथरिंगटन का सन् 1870 ई० में अंग्रेजी में 'स्टूडेंट्स ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज' बनारस से प्रकाशित हुआ था। नार्थ-वेस्टर्न प्रोविन्सिस के डी०पी०आई० ने इस कृति पर पुरस्कार देने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को संस्तुति की। लेफ्टिनेंट गर्वनर ने सुझाव दिया कि इसका हिंदी अनुवाद किया जाए। इस कारण एक वर्ष बाद हिंदी में हिंदी-भास्कर का प्रकाशन हुआ। यह हिंदी का एकमात्र व्याकरण-ग्रंथ है जिस पर ब्रिटिश शासन ने पुरस्कार प्रदान किया। यह विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। स्कूलों में हिंदी शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक के रूप में यह लोकप्रिय हुआ।

34. जान डाउसन : (1820-1881)

(i) ए ग्रामर ऑफ उर्दू एंड हिंदुस्तानी लैंग्वेजिज, लंदन (1872)

(ii) हिंदुस्तानी एक्सरसाइजिज बुक (1872)

35. जॉन बीम्स : (1837—1902)

जॉन बीम्स सिविल सर्विस में थे। सन् 1857 ई० में भारत आने के बाद इन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन आरंभ किया। इनके अनेक लेख एशियाटिक सोसायटी बंगाल, रायल एशियाटिक सोसायटी लंदन, इंडियन एन्टीक्वेरी आदि शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए।

इनका तीन खंडों में प्रकाशित 'कम्पैरेटिव ग्रामर ऑफ द माडर्न एरियन लैंग्वेजिज़ ऑफ इंडिया' अति प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें सिंधी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया आदि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के व्याकरणों का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम खंड सन् 1872 ई० में, द्वितीय खंड सन् 1875 ई० में तथा तृतीय खंड सन् 1879 ई० में प्रकाशित हुए।

36. जॉन टामसन प्लाट्स : (1830—1904)

(i) ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी एंड उर्दू लैंग्वेजिज, लंदन (1874) अन्य संस्करण 1926, 1941

(ii) ए डिक्शनरी ऑफ उर्दू, क्लासिकल हिंदी एंड इंगलिश, लंदन (1911)

37. रेवरेंड सेमुअल एच० केलाग : (1839—1899)

आपसे हिंदी व्याकरण के इतिहास में एक नए युग का आरंभ होता है। आप अमरीकी पादरी थे। आपके समय तक जिन विदेशी विद्वानों ने व्याकरण ग्रंथ लिखे थे, केलाग महोदय ने उन सबका पारायण किया। चिंतन एवं मनन के पश्चात् अपना व्याकरण ग्रंथ तैयार किया। आपने हिंदी भाषा के अंतर्गत गढ़वाली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बैसवाड़ी, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी और रीवांई आदि को स्वीकार किया है। केलाग ने तत्सम और तद्भव के साथ विदेशी शब्दों पर भी विचार किया है। आपके व्याकरण में ध्वनि, रूप-रचना, वाक्य-विन्यास, शब्द-स्रोत, व्युत्पत्ति आदि सभी पर विचार किया गया है। एक अमरीकी पादरी हिंदी

1284 HA/05-5A

भाषा की ऐसी सूक्ष्म विवेचना कर सकता है—यह विस्मयपूर्ण आह्लाद का विषय है। आपके ग्रंथ का नाम है—

(i) ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज (1875-76)

इसका संशोधित संस्करण लंदन से सन् 1893 में प्रकाशित हुआ। श्री कामता प्रसाद गुरू ने केलाग के व्याकरण को अंग्रेजी में लिखी हिंदी व्याकरण की पुस्तकों में प्रथम स्थान दिया है।[17]

38. सर चार्ल्स जेम्स ल्याल (जन्म—सन् 1845 ई०)

(i) ए हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज (1880)

39. आगस्तस रुडोल्फ हार्नले : (1841—1918)

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन करने वाले भाषाविदों में जर्मन भाषी हार्नले का महत्वपूर्ण स्थान है। सन् 1880 ई० में डॉ० हार्नले ने अपना यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि आर्यों के भारत पर कम से कम दो बार आक्रमण हुए। पहला आक्रमण करने वाले आर्य पंजाब में बस गए थे। दूसरी बार जिन आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया वे मध्य एशिया से चलकर काबुल नदी के मार्ग से गिलगित एवं चित्राल होते हुए भारत के मध्य देश में आए। मध्य देश की सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पश्चिम में सरहिंद तथा पूरब में गंगा-जमुना के संगम तक थी। इस दूसरे आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि पूर्व आक्रमण में आगत आर्यों को तीन दिशाओं (पूरब, दक्षिण, तथा पश्चिम) में फैलने के लिए बाध्य होना पड़ा।

मध्य देश अथवा केंद्र में होने के कारण दूसरे आक्रमण में आगत आर्यों को केंद्रीय अथवा भीतरी आर्य के नाम से अभिहित किया गया। पूर्वागत आर्य बाहरी आर्य कहलाए।

इसी सिद्धांत को आधार बनाकर परवर्ती भाषा वैज्ञानिकों ने आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का बाहरी उपशाखा तथा केंद्रीय अथवा भीतरी उपशाखा में विभाजन किया।[18]

डॉ० हार्नले ने आधुनिक भारतीय भाषाओं की क्रियाओं पर गंभीर अन्वेषण कार्य किया है।

हिन्दी भाषा की दृष्टि से डॉ० हार्नले के निम्नलिखित कार्य उल्लेखनीय हैं :—

(i) ए कलेक्शन ऑफ हिंदी रूट्स विद रिमार्क्स ऑन देयर डेरिवेशन एंड क्लासिफिकेशन (हिंदी की 582 मूल एवं यौगिक धातुओं का संग्रह एवं विवेचन) जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसायटी, बंगाल (1880)

(ii) ग्रामर ऑफ द ईस्टर्न हिंदी (1880)

(iii) कम्पेरेटिव डिक्शनरी ऑफ द बिहारी लैंग्वेज (सहलेखक—डॉ० ग्रियर्सन), कलकत्ता (1885)

(iv) ए कम्परेटिव ग्रामर ऑफ द गौडियन लैंग्वेजिज, लंदन (1880)
इसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण है। इन्होंने चार प्रकार की गौडियन भाषाएं मानी हैं।

(क) पूर्वी गौडियन—पूर्वी हिंदी, बंगाली, उड़िया

(ख) पश्चिमी गौडियन—पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी

(ग) उत्तरी गौडियन—गढ़वाली, कुमायूँनी, नेपाली

(घ) दक्षिणी गौडियन—मराठी

यह आधुनिक आर्य भाषाओं की विवेचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण कृति है।

40. रेवरेंड थामस क्रावेन : (जन्म—सन् 1846 ई०)

(i) द रायल स्कूल डिक्शनरी इन इंगलिश एंड रोमन उर्दू, बनारस (1881)

(ii) इंगलिश-हिंदुस्तानी एंड हिंदुस्तानी-इंगलिश डिक्शनरी, लखनऊ (1888)

(iii) द इंगलिश एंड हिंदी डिक्शनरी, लखनऊ (1889)

41. एडवर्ड हेनरी पामर : (1840—1882)

(i) सिम्पलिफाइड ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी, पर्शियन एंड अरेबिक, लंदन (1882)

42. फेड्रिक पिंकॉट : (1836—1896)

(i) हिंदी मैनुअल, लंदन (1882) अन्य संस्करण 1883, 1890, कामता प्रसाद गुरू ने अंग्रेजी में

1284 HA/05-5B

लिखी हुई हिंदी व्याकरण की उत्तम पुस्तकों के लेखकों के अंतर्गत पिंकॉट का उल्लेख किया है।[19]

(ii) आपने बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री कृत 'खड़ी बोली का पथ' शीर्षक पुस्तक की सन् 1888 ई० में भूमिका लिखी तथा उसका संपादन किया।

आपने पंडित श्रीधर पाठक तथा स्वामी दयानंद को जो पत्र लिखे उनमें हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का अधिकारी माना। डॉ० कैलाश चन्द्र भाटिया ने सन् 1888 में पंडित श्रीधर पाठक को लिखे पत्र का एक अंश उद्धृत किया है जिसमें आपके ब्रिटिश शासन पर डाले जाने वाले उस प्रभाव का उल्लेख है जिसके कारण ब्रिटेन से भारत जाने वाले अंग्रेज प्रशासकों के लिए हिंदी की परीक्षा पास करना अनिवार्य माना गया।

"बीस साल पहले मैं एकमात्र यूरोपियन था, जिसने सरकार पर हिंदी के बारे में दबाव डाला और दस साल बाद इस नियम को बनवाने में सफल रहा कि भारत जाने वाले अंग्रेजों को हिंदी की परीक्षा पास करना अनिवार्य किया जाए।"[20]

43. जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन : (1851—1941)

भारतीय भाषाओं एवं साहित्य के अध्ययन की दृष्टि से विदेशी विद्वानों में डॉ० ग्रियर्सन का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से यह तथ्य उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी संस्थान की शासी परिषद् ने सन् 1993 ई० में अपनी बैठक में जब हिंदी सेवी सम्मान योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक विदेशी हिंदी सेवी विद्वान को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया तो सर्वसम्मति से पुरस्कार का नाम "डॉ० जॉर्ज ग्रियर्सन पुरस्कार" रखा गया। भारत के राष्ट्रपति ने 14 सितंबर, 1994 को आयोजित समारोह में अपने भाषण में प्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन सम्मान प्राप्त करने वाले विदेशी विद्वान को विशेष रूप से अपनी हार्दिक बधाई दी।[21]

साहित्येतिहास की दृष्टि से इनकी 'मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान' ग्रंथ का विशेष महत्व है। इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, कोलकाता में सन् 1889 ई० में हुआ। आपने ग्रामीण शब्दावली एवं लोक साहित्य पर भी कार्य संपन्न किए। आपने कश्मीरी भाषा पर व्याकरण एवं कोश संबंधी स्वतंत्र ग्रंथों की भी रचना की। आपके बिहारी भाषाओं तथा भारत की भाषाओं से संबंधित निम्न ग्रंथों का उल्लेख करना प्रासंगिक है, जिनमें हिंदी भाषा क्षेत्र की उपभाषाओं का भी विस्तृत विवेचन समाहित है :—

(i) सेविन ग्रैमर्स ऑफ द डाइलेक्ट्स एंड सब-डाइलेक्ट्स ऑफ बिहारी लैंग्वेजिज, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसायटी, बंगाल (1883-1887)

(ii) मार्डन आर्यन लैंग्वेजिज, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसायटी, बंगाल, Vol. 64, No.-1

(iii) लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया

सन् 1894 ई० में इन्होंने भारत के भाषा सर्वेक्षण का कार्य आरंभ किया। 33 वर्षों के अनवरत परिश्रम के फलस्वरूप यह कार्य सन् 1927 ई० में समाप्त हुआ। मूलत: यह ग्यारह खंडों में विभक्त है। अनेक खंडों (खंड एक, तीन, पांच, आठ एवं नौ)के एकाधिक भाग हैं। ग्यारह हजार पृष्ठों का यह सर्वेक्षण-कार्य विश्व में अपने ढंग का अकेला कार्य है। विश्व के किसी भी देश में भाषा-सर्वेक्षण का ऐसा विशद् कार्य नहीं हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी होते हुए आपने भारतीय भाषाओं और बोलियों का विशाल सर्वेक्षण कार्य संपन्न किया। चूँकि आपका सर्वेक्षण अप्रत्यक्ष-विधि पर आधारित था, इस कारण इसमें त्रुटियों का होना स्वाभाविक है। सर्वेक्षण कार्य में जिन प्राध्यापकों, पटवारियों एवं अधिकारियों ने सहयोग दिया, अपने-अपने क्षेत्रों में बोले जाने वाले भाषा रूपों का परिचय, उदाहरण, कथा-कहानियां आदि लिखकर भेजीं, वे स्वन-विज्ञान एवं भाषा विज्ञान के विद्वान नहीं थे। अपनी समस्त त्रुटियों एवं कमियों के बावजूद डॉ० ग्रियर्सन का यह सर्वेक्षण कार्य अभूतपूर्व है तथा भारत की किसी भी भाषा एवं बोली पर कार्य करने वाला शोधकर्ता सर्वप्रथम डॉ० ग्रियर्सन की मान्यता एवं उनके द्वारा प्रस्तुत व्याकरणिक ढांचे से अपना शोधकार्य आरंभ करता है। यह कहा जा सकता है कि आपके कार्य का ऐतिहासिक महत्व अप्रतिम है।

44. टामस हेनरी थार्नटन : (जन्म सन् 1832 ई.)

(i) स्पेसिमेन सोंग्स फ्राम पंजाब लिटरेचर एंड फॉक लोर, रायल एशियाटिक जर्नल, लंदन, Vol. XVIII (1885)

इस लेख में पंजाब प्रांत के हिंदी एवं उर्दू साहित्य की चर्चा एवं उनके नमूने दिए गए हैं।

45. ब्रेन्टल हेमलिन बडले (जन्म सन् 1849 ई.)

आप अमरीकी पादरी थे। आपने क्रावेन (देखें. क्रम संख्या 40) के द्वारा सन् 1888 में प्रकाशित डिक्शनरी का सन् 1889 ई. में संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण निकाला।

46. जान क्रिश्चियन :

(i) बिहार प्रोवर्ब्स, लंदन (1891)।

47. एडविन ग्रीव्ज: (जन्म सन् 1854 ई.)

(i) ग्रामर ऑफ माडर्न हिंदी (1896)।

श्री कामता प्रसाद गुरु ने अपने हिंदी व्याकरण में अंग्रेजी में लिखी हुई हिंदी व्याकरण की पुस्तकों के लेखकों के अंतर्गत इनका उल्लेख किया है। इन्होंने तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा के व्याकरण पर भी निबंध लिखा ।

48. विलियम एफ. जॉनसन (जन्म सन् 1838 ई.)

(i) हिंदी कहावत संग्रह, इलाहाबाद (1898)।

49. सर रिचर्ड कारनेक बोरोनेट टेंपल (जन्म 1850 ई.)

(i) ए ग्लासरी ऑफ इंडियन टर्म्स, लंदन (1897)

(ii) सत्रहवीं शताब्दी में हिंदुस्तानी, इंडियन ऐन्टीक्वेरी, Vol. XXXII (1903) ।

50. डगलस क्रावेन फिलाट (1860—1930)

(i) हिंदुस्तानी मेनुअल, कलकत्ता (1910)।

(ii) अंग्रेजी-हिंदुस्तानी शब्द-संग्रह (1911)।

51. डब्ल्यू सैंट क्लेयर तिस्दाल

(i) ए कन्वर्सेशन ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, लंदन-हाइडेलबर्ग (1911)।

52. डॉ. एल.पी. टेसीटॅरी (1888—1919)

इतालवी भाषी डॉ. टेसीटॅरी हिंदी के प्रथम शोधकर्ता हैं, जिन्हें शोधकार्य के लिए किसी विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त हुई। आप तुलसीदास एवं उनकी प्रमुख रचना 'रामचरितमानस' के अनुसंधानकर्ता हैं। आपने अपने शोध में रामचरितमानस की कथावस्तु की तुलना बाल्मीकि कृत 'रामायण' की कथावस्तु से की है। 'इल रामचरितमानस ए इल रामायण' शीर्षक आपका शोध लेख इतालवी पत्रिका 'ज्योर्नेल डेला सोसाइटा एशियाटिका इटालियाना' में सन् 1911 ई. में प्रकाशित हुआ। इसका अंग्रेजी अनुवाद 'इंडियन ऐन्टिक्वेरी' में सन् 1912 से सन् 1913 ई. में प्रकाशित हुआ।

भाषा सम्बन्धी आपके प्रमुख कार्य निम्नवत् हैं :—

(i) तुलसीदास की प्राचीन बैसवाड़ी के व्याकरण के कुछ नमूने, जरनल ऑफ रायल एशियाटिक सोसायटी, लंदन (1914)।

(ii) पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण, इंडियन ऐन्टीक्वेरी Vol. XXXXIII & XXXXIV (1914-1916)।

53. टी. ग्राहम बैली

(i) हिंदुस्तानी, लंदन (1934)।

(ii) स्टडीज इन नार्थ इंडियन लैंग्वेजिज, लंदन (1938)।

54. एच. सी. शोलवर्ग

(i) कन्साइज ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, लंदन (1940) द्वितीय संस्करण (1950)

कामता प्रसाद गुरु ने अंग्रेजी में लिखी हुई हिंदी व्याकरण की पुस्तकों की सूची के अंतर्गत रेवरेंड शोलवर्ग के हिंदी व्याकरण का उल्लेख किया है।

55. सर राल्फ लिलि टर्नर

(i) नेपाली डिक्शनरी (1931)

यह कोश केवल नेपाली भाषा का ही नहीं अपितु आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का प्रथम वैज्ञानिक कोश है, जिसमें नेपाली भाषा के शब्दों की व्युत्पत्ति दी गई है तथा अन्य प्रधान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के शब्दों से तुलना भी की गई है। 'भारतीय आर्यभाषाओं से संबंध रखने वाला वास्तव में यह प्रथम वैज्ञानिक नैरुक्तिक कोश है।'(22)

(ii) ए कम्परेटिव डिक्शनरी ऑफ द इंडो—आर्यन लैंग्वेजिज, लंदन (1969) भारतीय आर्यभाषाओं के ऐतिहासिक अध्ययन तथा भारतीय आर्य भाषाओं

के पुनर्निर्माण के अध्ययन की दृष्टि से इस ग्रंथ का अप्रतिम महत्व है। डॉ. सुमित्र मंगेश कत्रे ने इसके प्रकाशन को भारतीय आर्यभाषाओं के लिए युगांतरकारी योगदान की संज्ञा से अभिहित किया है। (23) प्रस्तुत ग्रंथ वाङ्मीमांसा परक अध्ययन की सीमा रेखा से परे तुलनात्मक भाषा विज्ञान एवं कालक्रमिक भाषा विज्ञान की सीमा के अंतर्गत आता है। इस कारण बीसवीं शताब्दी में द्वितीय महायुद्ध के बाद विभिन्न देशों में हिंदी भाषा से संबंधित भाषा वैज्ञानिक अध्ययनों के विवरण के अंतर्गत इसका उल्लेख किया जाएगा।

संदर्भ

1. डॉ० जार्ज ग्रियर्सन : लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, Vol. IX, हिंदी अनुवाद—'भारत का भाषा सर्वेक्षण' (पश्चिमी हिंदी)—पृष्ठ 9

   अनुवादक—डॉ० निर्मला सक्सेना एवं सुरेन्द्र वर्मा, लखनऊ (1967)

2. डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या : ऋतम्भरा, पृष्ठ 194—203, इलाहाबाद (1958)

3. डॉ० उदय नारायण तिवारी : हिंदी के तीन प्रारंभिक व्याकरण (भूमिका) पृष्ठ 9—10, इलाहाबाद (1976)

4. मैथ्यू वेच्चुर : हिंदी के तीन प्रारंभिक व्याकरण, पृष्ठ 41—68, इलाहाबाद (1976)

5. वही, पृष्ठ—73

6. डॉ० जार्ज ग्रियर्सन : लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, Vo. IX हिंदी अनुवाद—'भारत का भाषा सर्वेक्षण' (पश्चिमी हिंदी) पृष्ठ—16

7. वही, पृष्ठ 14

8. कैसियानो बेलिगत्ती : अल्फाबेतुम ब्रम्हानिकुम, अध्याय—9, हिंदी के तीन प्रारंभिक व्याकरण, पृष्ठ—149

9. डॉ० जार्ज ग्रियर्सन : लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, Vol. I हिंदी अनुवाद 'भारत का भाषा सर्वेक्षण' (भाग-1) पृष्ठ-17, अनुवादक—डॉ० उदय नारायण तिवारी, लखनऊ (1959)

10. हिंदी के तीन प्रारंभिक व्याकरण, पृष्ठ 122

11. हिंदी के तीन प्रारंभिक व्याकरण (भूमिका) पृष्ठ—10

12. हिंदी के तीन प्रारंभिक व्याकरण, संत पौलुस प्रकाशन, इलाहाबाद (1976)

13. भारत का भाषा सर्वेक्षण (पश्चिमी हिंदी) पृष्ठ—16

14. लल्लू जी लाल कवि : प्रेमसागर, पृ० 1, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी (सम्वत् 1979)

15. कामता प्रसाद गुरु : हिंदी व्याकरण

16. डॉ० श्याम सुंदर दास : मेरी आत्म कहानी, प्रयाग (1957)

17. कामता प्रसाद गुरु : हिंदी व्याकरण

18. (क) डॉ० ग्रियर्सन : लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भाग-1, खण्ड-1, पृष्ठ 116

    (ख) डॉ० ग्रियर्सन : बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरियंटल स्टडीज, भाग-1, खण्ड-1, पृष्ठ- 32 (1930)

    (ग) डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या : ओरिजन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज, पृ. 150-159

19. कामता प्रसादा गुरु : हिंदी व्याकरण (भूमिका) पृ-7

20. डॉ० कैलाश चन्द्र भाटिया : हिंदी भाषा, पृ.-106

21. केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के हिंदी सेवी सम्मान-समारोह में भारत के राष्ट्रपति डॉ० शंकर दयाल शर्मा का भाषण, पृ.-1, नई दिल्ली (14 सितंबर, 1994)।

22. धीरेन्द्र वर्मा : हिंदी भाषा का इतिहास, पृष्ठ-11, प्रयाग (नवम संस्करण 1973)

23. एस०एम० कत्रे : प्रोबलम्स ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन इन इंडो—आर्यन, पृष्ठ 98, शिमला (1968) ❐

हिंदी नाटक-साहित्य को रामकुमार वर्मा का योगदान

—डॉ० एम० शेषन *

डा० रामकुमार वर्मा बहुमुखी प्रतिभासंपन्न लेखक और साहित्यकार थे, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं को समृद्ध करने में किया था। उनकी सृजन प्रतिभा का स्वरूप उनके काव्यों और नाटकों में हमें मिलता है और उनकी विश्लेषणात्मक प्रतिभा का उत्कर्ष हमें उनकी आलोचनात्मक कृतियों में मिलता है। इसी प्रकार साहित्य इतिहास के क्षेत्र में भी उनकी प्रतिभा का हमें दर्शन होता है। लेकिन हिंदी एकांकी साहित्य के क्षेत्र में वर्मा जी का शीर्षस्थ स्थान है। आपने एकांकी के साथ बड़े नाटकों का भी प्रणयन करके अपनी विशिष्टता सिद्ध की है।

जीवन दर्शन :

वर्मा जी की कृतियों में उनके जीवन की सूक्ष्म अनुभूतियां सजीव रूप में व्यक्त हुई हैं। साहित्य एवं जीवन के प्रति उनका स्वस्थ दृष्टिकोण रहा है। आप साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते थे। विशेषकर नाटक को वे जीवन की प्रतिकृति मानते हैं (भगवान बुद्ध, भूमिका पृ० 7) आंसू और मुस्कान जीवन के शाश्वत सत्य हैं। नाटककार, जो जीवन का अभिन्न सखा है, उसे अपनी कृति में उक्त सत्य की अभिव्यक्ति करता है तभी वह कृति सफल होगी।

वर्मा जी मानव जीवन को ही नाटकीय अभिनय मानते हैं। उनके शब्दों में "मानव जीवन अपने प्रत्येक रूप में नाटक है, और वह नाटक इतना स्वाभाविक है कि हम बिना अभिनय की कला सीखे सर्वोत्तम अभिनय कर रहे हैं। ('दीपदान'-भूमिका पृ० 5) नाटककार वर्मा जी अपनी कृतियों में इसी स्वाभाविक जीवन की अभिव्यक्ति की मांग करते हैं।"

स्पष्ट है कि वर्मा जी जीवन को साहित्य से अधिक महत्त्वपूर्ण समझते हैं। वे कलापक्ष के विरोधी नहीं थे, पर उनके विचार में कला का एकमात्र ध्येय है जीवन को सरस बनाना और साहित्य को वे जीवन की वास्तविक घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति मानते है। आपने स्वयं कहा है— "मैं कलात्मकता के पक्ष में वहीं तक हूँ जहाँ तक वह जीवन की वस्तुस्थितियों को कुरुचिपूर्ण और नीरस होने से बचाती है। सुंदर-सुंदर और अलंकारमय वाक्य यदि नाटक में प्रगति उत्पन्न नहीं करते तो वे व्यर्थ हैं"] उपर्युक्त कथन से यह बात प्रमुख रूप से प्रमाणित हो जाती है कि वर्मा जी नग्न यथार्थवाद एवं कलापक्ष के समर्थक नहीं हैं। आप यथार्थ और आदर्श के मंजुल समन्वय के पक्षपाती हैं। इसलिए लेखक वर्मा का यह दृष्टिकोण रहा है कि अपनी नाट्यकृतियों में समाज का चित्रण तो यथार्थवादी हो, पर अंत में आदर्शवादी हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के समर्थक हैं। यही कारण है कि आपकी हर नाट्य कृति के पीछे कोई न कोई महान् उद्देश्य रहता है। आपने माना है कि नाटक मनोरंजन की वस्तु मात्र नहीं है वह संदेशवाहक एवं मार्गदर्शक भी है। (भगवान बुद्ध की भूमिका पृ० सं. 12)

वर्मा जी का नाटकीय दृष्टिकोण :

वर्मा जी ने अपने नाटकों में प्राचीन भारतीय एवं आधुनिक पाश्चात्य नाट्य तत्त्वों का सानुपातिक प्रयोग किया है। 'शिवाजी' नाटक की भूमिका में प्राचीन भारतीय नाट्यकला और आधुनिक पाश्चात्य नाट्यकला के अंतर को सविस्तार स्पष्ट करके लेखक ने उनके पारस्परिक विभेद की तालिका प्रस्तुत की है। इस तालिका के साथ-साथ आपने दोनों नाट्य शिल्पों का अंतर स्पष्ट करने के लिए रेखाचित्र का भी सहारा लिया है। स्पष्ट है कि वे भारतीय नाट्यशास्त्र की सीमाओं में पूर्ण रूप से अपने को बांधना नहीं चाहते थे। पाश्चात्य नाट्यकला के कुछ तत्त्वों को ग्रहण करते हुए भी आपने भारतीय मर्यादा का ध्यान अवश्य रखा है। वर्मा जी को अपनी भारतीय संस्कृति पर अपार गर्व है। भारतीय आदर्शवाद के आप भारी समर्थक हैं। अतएव आपकी सभी नाट्य रचनाएं चाहे एकांकी हो या बड़े नाटक, मूलतः भारतीयता से

*गुरू कृपा, प्लाट नं० 790, रामास्वामी सलाई, के. के. नगर, (पश्चिम) चेन्नै-600078

अनुप्राणित हैं, यद्यपि उनका शिल्प पाश्चात्य नाट्य साहित्य का है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके नाटकों की आत्मा भारतीय है, पर कलेवर पाश्चात्य है। आप भारतीय रस परंपरा और पाश्चात्य मनोविज्ञान के पक्षपाती हैं।

नाट्यशिल्प संबंधी आपकी मान्यताएं :

वर्मा जी के नाटकों के कथानक नैतिक धरातल पर भी आदर्शोन्मुख यथार्थ भूमि पर खड़े हैं। अपने वस्तु संगठन में कल्पना को यथार्थ भूमि पर प्रकट करते हैं, जिससे वह सत्य प्रतीत होकर पाठकों या दर्शकों के हृदय को प्रभावित करती हैं। वे प्रमुख घटनाओं द्वारा पात्र के जीवन की समस्त संवेदनाओं को उभारने के पक्ष में हैं। संगठित वस्तु विधान ही वर्मा जी के नाटकों का प्राण है। घटना वक्रता द्वारा कौतूहल वृद्धि करते हुए नाटक को चरमसीमा पर लाकर खड़ा करते हैं और वे वहीं पर नाटक की समाप्ति चाहते हैं। उनके अनुसार कथावस्तु में चरमसीमा का अत्यधिक महत्त्व है। वर्मा जी चरित्र प्रधान नाट्य कृतियों को अधिक महत्त्व देते हैं। आपकी दृष्टि में पात्र केंद्र हैं तो वस्तुविधान परिधि; पात्र महारथी हैं तो घटनायें रथ बनकर समस्या संग्राम में उस रथी को गति प्रदान करते हैं। वे पात्रों के चरित्र-चित्रण में मनोविज्ञान को आवश्यक समझते हैं। उनकी दृष्टि में चरित्र-चित्रण में संस्कारों के साथ परिस्थितियों के प्रभाव पर भी पर्याप्त ध्यान रखा जाना आवश्यक है। पात्र के संस्कारों के अनुकूल यदि परिस्थिति का प्रभाव हो तो पात्र उचित या अनुचित दिशा में सरलता से विकास करने लगता है। यदि यह प्रभाव संस्कार के प्रतिकूल पड़े तो पात्र में अंतर्द्वंद्व या मानसिक संघर्ष आरंभ हो जाता है (विजय पर्व' भूमिका पृ० 15) उनकी दृष्टि में संस्कार और प्रभाव की उचित युक्ति में ही चरित्र चित्रण का सौंदर्य है। (वही, पृ० 15)

धर्म और भक्ति संबंधी उनके विचार :

वर्मा जी पर हिंदू और बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रभाव दिखाई देता है। सम्राट उदयन, सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क आदि महान चरित नायक बौद्ध धर्म से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। 'भगवान बुद्ध' में बौद्ध कालीन संस्कृति पर विस्तार से वर्णन हुआ है। 'जय वर्धमान' में जैन दर्शन की संस्कृति की महत्ता का चित्रण है। सम्राट समुद्रगुप्त बौद्ध धर्म के समर्थक थे। शिवाजी 'भवानी' के, पेशवा बालाजी बाजीराव भगवान गजानन के हर्षवर्धन आदित्य के, राणा प्रतापसिंह एकलिंग के उपासक थे।

वर्मा जी की संगीत के प्रति अभिरुचि उनके नाटकों में स्पष्ट व्यक्त हुई है। 'जय आदित्य' नाटक का आरंभ राज्यश्री की सहचरी मेनका के राग टोड़ी के मधुर गीत से होता है। संगीत के संबंध में अपने विचारों को समुद्रगुप्त पराक्रमांक द्वारा वर्माजी व्यक्त करते हैं: "संगीत ईश्वरीय विभूति की वह किरण है जिससे मनुष्य देवता बन जाता है। हृदय का समस्त कलुष वीणा की एक झंकार से ही दूर हो जाता है। संगीत तो विश्वमैत्री का सबसे बड़ा मंत्र है।" ('स्वयंवरा' - पृ० 44)

यह संतोष का विषय है कि भारतीय संस्कृति पर, प्रसाद जी के उपरांत डा० वर्मा ने सशक्त नाटकों की सृष्टि कर उस परंपरा को आगे बढ़ाने की चेष्टा की है। प्रसाद जी की भांति ही डा० वर्मा ने भारतीय विचार, वैभव, प्राचीन एवं अर्वाचीन इतिवृतों से आकलित किया है। प्रसादजी के नाटकों में घटनाओं की एक समष्टिगत और चारित्रिक व्यंजना मिलती है। वर्माजी ने अपनी नाट्यरचनाओं में घटनाओं की समष्टि को गौण स्थान देते हुए चारित्रिक व्यंजना के स्थान पर अभिनयात्मक विश्लेषण का विनियोजन कर उसे मनोविज्ञान सम्मत बनाया है। यह उनकी अपनी विशिष्टता है। उनकी कृतियों में रस और मनोविज्ञान का समन्वय प्राप्त है। यह उनकी कला की दूसरी विशिष्टता है। संक्षेप में, आपके संपूर्ण नाट्य साहित्य का प्रमुख दृष्टिकोण यही है कि 'वह हमारे विद्यार्थियों के हृदय में अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आदर्शों के प्रति गौरव और अभिमान का भाव जागृत करे।' (शिवाजी-भूमिका)

उपसंहार :

वर्माजी हिंदी एकांकी साहित्य के सम्राट हैं और भारतीय संस्कृति के उद्गाता हैं, राष्ट्रीय जागरण एवं पुनरुत्थान के प्रतिनिधि लेखक हैं। आपकी नाट्य कृतियाँ, चाहे एकांकी हो, चाहे बड़े नाटक, भारतीयता से अनुप्राणित हैं, यद्यपि शिल्प पाश्चात्य साहित्य का है। पाश्चात्य तकनीक को भारतीय संस्कृति के साँचे में ढालकर आपने मौलिकता दर्शायी है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, आपने ऐतिहासिक नाटकों द्वारा ऐतिहासिक महापुरुषों का, वास्तविक परिप्रेक्ष्य में पुनर्मूल्यांकन करने एवं अपने देशवासियों-विशेष रूप से विद्यार्थियों को अपने देश के प्राचीन गौरव की स्मृति से अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक बनाने का सफल प्रयास किया है। प्रत्येक नाटक में आपने मुख्य पात्र या नाटक को उस युग की सांस्कृतिक समस्याओं का प्रतीक माना है और

उसके माध्यम से नवीन सांस्कृतिक निर्माण की सूचना दी है। इस कारण आपके नाटक मात्र इतिहास चित्रण करने वाले नाटक नहीं है, उनका सांस्कृतिक पक्ष भी है। आपके इन ऐतिहासिक नाटकों को अखिल भारतीय मान्यता प्राप्त हुई है। अन्य भारतीय भाषाओं में इनका अनुवाद भी हुआ है।

वर्माजी के सामाजिक एवं साहित्यिक नाटक अपेक्षाकृत बहुत ही कम हैं। वे केवल एक-एक हैं। सामाजिक नाटकों में व्यंग्य और परिहास के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों के प्रतिकार का प्रयास है। साहित्यिक नाटक में महाकवि तुलसीदास के जीवनवृत्त को अनुकरणीय एवं आदर्शरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। आपने भारतीय इतिहास के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संघर्षपूर्ण अध्यायों से कथावस्तु की सामग्री का चयन किया है। ये संघर्षपूर्ण अध्याय भारत के सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय जीवन में युगान्तर लाए हैं, भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता सिद्ध की है।

आपके नाटकों में स्त्री पात्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम है और दो नाटक तो स्त्री पात्र रहित हैं (भगवान बुद्ध और सम्राट कनिष्क)। एक नाटक 'देवी अहिल्याबाई' स्त्री पात्र को ही प्रधान रखकर लिखा गया है। संवादों की मार्मिकता, स्वाभाविकता एवं संक्षिप्तता तो वर्माजी के नाटकों का प्राण ही है।

नाटक की सफलता उसकी अभिव्यंजना में निहित है। वर्माजी के सभी नाटक अभिनेय हैं। विस्तृत रंग निर्देश, पात्रों की वेशभूषा, प्रकाश एवं ध्वनि व्यवस्था संबंधी अनेक निर्देश अनिवार्य रूप से सभी नाटकों में दिये गए हैं।

अधिकांश नाटकों की भूमिका में स्वयं रचयिता उक्त नाटक का ऐतिहासिक आधार, उसकी रचना की प्रेरणा, उद्देश्य एवं शिल्प को सविस्तार स्पष्ट करते हैं। आपके अधिकांश नाटक तीन अंकों में रचित हैं। तीन अंकों के रूपक को नाटक नाम दे देना भी अंग्रेजी नाटकों का प्रभाव है। संस्कृत में पाँच से कम अंकों का नाटक नहीं कहा जा सकता।

सामान्यत: नाटकों में भारतीय जीवन दर्शन को प्रमुखता दी गयी है। आपने काव्य-न्याय poetic justice को दृष्टि पथ पर रखा है। अत: अधर्म की धर्म पर अथवा असत्य की सत्य पर विजय नहीं होने दी है। नाटकों के अंत में भरतवाक्य के सदृश शुभकामना अभिव्यक्त है। स्पष्ट है कि पाश्चात्य नाट्य प्रणाली से प्रभावित होते हुए भी आपके नाटकों में संस्कृत परिपाटी की छाया दिखाई देती है।

सारांश यह है कि वर्माजी हिंदी एकांकी क्षेत्र मात्र के सम्राट नहीं हैं, नाटक के क्षेत्र में भी आप सम्राट हैं। आपके नाटक, एकांकी की तुलना में अपेक्षाकृत कम होने पर भी कलाकौशल, भावप्रवणता एवं अभिनेयता की दृष्टि से अद्वितीय हैं। वर्माजी ने एकांकी को एक विद्या के रूप में स्थापित कर उसे हिंदी नाट्य संसार में अमर कर दिया। ❐

(पृष्ठ 15 का शेष)

धारणा सुदृढ़ कर दी हैं कि हिंदी भाषा उन प्रांत के निवासियों पर थोपी जा रही है तथा हिंदी के राष्ट्रभाषा घोषित होने से उनकी नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे। ये ही तत्व अपने प्रदेशों में विभिन्न आरक्षणों के कारण सामान्य जनता को कम से कम नौकरियों का अवसर दे रहे हैं। हिंदी का विरोध कुछ नौकरशाह तथा अंग्रेजी पढ़े-लिखे अल्प लोग करते हैं, जिन्होंने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इस देश को यथा स्थिति में रखना ही श्रेयस्कर समझा है।

भारत की सचेत जनता राजनीतिक दाव-पेचों को अब भंली-भांति समझने लगी है। वह जानती है कि भाषा परस्पर संचार का माध्यम है न कि नौकरियों का। दूसरे यदि स्वतंत्रता के पचपन वर्ष बाद भी हम अपनी राष्ट्रभाषा न बना पाएं तो कब बनाएंगे। हमने अपने राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय झंडे के विषय में संप्रति अपने परम्परागत चिंतन में मूलभूत परिवर्तन किया है और राष्ट्रीय झंडे को जन-सुलभ बनाया है। आशा है कि हम अपने महापुरुषों जैसे— महात्मा गांधी, सुब्रह्मण्य भारती, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सलाह को ध्यान में रखेंगे तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करके ही रहेंगे।

सरकारी प्रत्यनों से हिंदी केवल "राजभाषा" बन सकती है। वह सच्चे अर्थों में राष्ट्रभाषा तब बनेगी जबकि भारत की जनता उसे अपने गले का हार बनाएगी। ❐

जनता के कवि—संत कबीरदास

—डॉ. पी. के. जयलक्ष्मी *

निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कवि कबीर मध्य युग के युगप्रवर्तक संत और महाकवि हैं। वह समय देश के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सामाजिक—इन सभी दृष्टियों से काफी उथल-पुथल का था। जिन परिस्थितियों में कबीर का आगमन हुआ था, वे आडंबर, मायाजाल, असत्य और मिथ्यावाद की पोषक थीं, इसलिए स्वतंत्र विचारधारा के बुद्धिवादी कवि उनके विरुद्ध विद्रोह की आवाज़ उठाने लगे। क्रांतिकारी चिंतक के रूप में अव्यवस्थित व पतनोन्मुखी जीवन को सार्थकता के आयाम प्रदान करना ही उनका लक्ष्य था। उन्होंने हिंदू-मुसलमान के बीच समभाव पैदा करके परमात्मा की एकता को स्थापित करके ईश्वर-अल्लाह या राम-रहीम का अंतर भी निरस्त कर दिया। कबीर ने साधना के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए। जीवात्मा और परमात्मा के बीच मुल्लाओं और पंडितों को हटाकर सद्गुरु की कल्पना की। सद्गुरु ऐसे अनुभवी मार्गदर्शक होते हैं, जो जीवात्मा का परमात्मा से साक्षात्कार करा सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मूर्तिपूजा और अवतारवाद का विरोध किया है। उनकी यह उक्ति द्रष्टव्य है—

"पाहन पूजै हरि मिलै तो मैं पूजूँ पहार"

उनके अनुसार नैतिकता अध्यात्म साधना का महत्वपूर्ण पहलू है। पहले अपने आचरण को पवित्र करो, दुष्कर्मों का त्याग करो, भ्रष्ट जीवन को छोड़ो, ईश्वर के साथ उनके बनाए जीवों से भी प्यार करना सीखो। पर-धन-हरण, पर-पत्नी-गमन, पर-अपकार, हिंसा, दुष्कर्म, निंदारोपण आदि अनैतिक हैं, जिनको त्यागने से ही साधना सफल हो जाती है।

कबीर का जन्म हिंदू परिवार में हुआ और परवरिश हुई मुसलमान परिवार में। इसलिए उन पर दोनों धर्मों का प्रभाव अवश्य रहा। लेकिन वे सदैव निष्पक्ष एवं समरस रहे। हिंदू हों या मुसलमान, जहाँ अच्छे गुण होते, कबीर उनकी प्रशंसा करते। जहाँ भी अवगुण होते, कबीर निर्भीक होकर उन्हें फटकारते।

निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कवि कबीर निर्गुण, निराकार ब्रह्म के उपासक रहे। निर्गुण ब्रह्म का अर्थ है जो सर्व-व्यापक होते हुए भी हमारे चर्म-चक्षुओं द्वारा दृष्टिगोचर नहीं होते। उनका कोई गुण या आकार नहीं। कबीर ने ठीक ही कहा-

जाका मुख माथा नहीं, नहिं रूप कुरूप।
पुहुपु पास से पतरा, ऐसा तत्व अनूप ॥

वह ऐसा अदुभुत तत्व है, जो पुष्प-गंध की तरह सूक्ष्म है, उसका रूप-कुरूप, मुख-माथा कुछ भी नहीं, किन्तु जैसे पुष्प की महक सर्वत्र फैलती जाती है, दीख नहीं पड़ती, वैसे की परम-सत्ता का आभास समूचे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और दिखाई नहीं पड़ता, कबीर के भगवान निर्गुण (यानि त्रिगुणातीत— सद्, रजो, तमो गुण से परे हैं)। कबीर ने अपने निर्गुण ब्रह्म को "राम" कहा है। जो "रमण करने वाला" अर्थात् सर्व व्याप्त और सर्वव्यापी तथा घट-घट वासी इस राम की खोज बाहर संसार में करना मूर्खता ही होती है। बाहरी पूजा-नमाज आदि से भगवान संतुष्ट नहीं होते। वे सलाह देते हैं—मन में विराजे परमतत्व को नमन करो, यही उचित साधना है। साथ ही उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को पहचानने के लिए गुरु की अनिवार्यता पर बल दिया है, जिसका परिचय निम्नोक्त दोहों में द्रष्टव्य है—

(1) गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाय।
बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविन्द दियो बताय॥

(2) सद्गुरु हम से रीझि क़रि, कह्या एक प्रसंग।
बरसा बादल प्रेम का, भीजि गया सब अंग॥

कबीर की मान्यता है कि गुरु प्रत्यक्ष परमेश्वर हैं। गुरु की महानता असीम है। गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं, केवल नाम का अंतर है। ऐसे गुरु के मार्गदर्शन एवं सत्संग में हृदय का अंधकार नष्ट हो जाता है।

कबीर निरक्षर होते हुए भी बहुश्रुत अवश्य थे। साहित्य की परंपरागत भाव-संपत्ति का ज्ञान उनको प्रचुर मात्रा में

*रीडर एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, संत जोसफ महिला महाविद्यालय विशाखापट्टणम (आं.प्र.)-530004

1284 HA/05-6A

प्राप्त हुआ था। कबीर का समस्त साहित्य एक जीवनमुक्त संत के गूढ़ एवं गंभीर अनुभवों का भंडार है। उनके बारे में यह प्रसिद्ध है कि-मसि कागद छुयो नहीं, कलम गही नहिं हाथ-फिर भी पर्याप्त मात्रा में उनका साहित्य मिलता है। उनकी रचनाओं का संग्रह "बीजक" कहलाता है, जो साखी, सबद और रमैनी में विभक्त है। कबीर के सभी संग्रहों में सिद्धांतों एवं उपदेशों की प्रधानता है। कबीर वाणी निरंतर लोकप्रिय रही है।

कबीर ने अपने पूर्ववर्ती संत कवियों से बिलकुल भिन्न प्रकार की विचारधारा को अपनी वाणी में प्रमुख स्थान दिया है, वह है—"सहज साधना" जो जनता में अधिक लोकप्रिय हुई है। कबीर वाणी में संत रूप की प्रमुख विशेषताएँ देखी जा सकती है:—

1. निर्गुण भवगान पर विश्वास

संत काव्य परंपरा के सभी रचनाकार निर्गुणोपासना में विश्वास रखते थे। कबीर भी निर्गुण व निराकर ब्रह्म का गुणगान करते हैं।

जाके मुँह मांथा नहीं, नाहीं रूप-कुरूप।
पुहुप वास ते पातरा, ऐसा तत्व अनूप॥

2. अवतारवाद का विरोध

कबीर ने बहुदेववाद और अवतारवाद का खुलकर विरोध किया है। उनके अनुसार अवतार तो जन्म-मरण के बंधनों में बंधे होते हैं, जबकि "राम" सर्वव्यापक अजन्मा है।

3. गुरु का महत्व

संत कबीर के अनुसार गुरु ही परमात्मा का प्रतिरूप है। प्रत्येक मनुष्य के लिए सद्गुरु का होना अनिवार्य है, अन्यथा वह मार्ग से भटक सकता है। कबीर आजीवन जाति-पाँति का विरोध करते रहे। जाति की अपेक्षा ज्ञान को उन्होंने महत्त्व दिया है—

जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान॥

कबीर वर्ग-वर्ण भेद के विरोधी थे। वे मानव धर्म को ही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान मानते थे। हिंदू-मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने की कबीर ने भरसक चेष्टा की है। उन्होंने बाह्याडंबरों का खुलकर विरोध किया। जैसे छापा, तिलक, माला फेरना, तीर्थाटन आदि का विरोध—

माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख माहिं।
मनुवाँ तो दस दिसि फिरै, यह तो सुमिरन नाहिं॥

झूठी भक्ति का प्रदर्शन करनेवाले कपट सन्यासियों की वे निंदा करते थे। बिना आस्था व विश्वास के पूजा-पाठ करनेवालों से वे बेहद नाराज़ थे—

पाहन पूजे हरि मिलै तो मैं पूजूँ पहार।

अव्यक्त सत्ता से आत्मा के रागात्मक संबंध स्थापित करने को रहस्यवाद कहते हैं। कबीर के अनुसार जगत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसका मूल अधिष्ठान पर ब्रह्म ही है। जिस तरह स्वर्ण से अनेक आभूषण बनते हैं, उसी तरह जगत के समस्त जड़-चेतन पदार्थों की उत्पत्ति उसी ब्रह्म से होती है और अंत में ये सभी पदार्थ उसी ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं—

जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहरि भीतरि पानि।
फूटा कुंभ जल जलहि समाना, यहु तत कथो गियानी॥

यह संपूर्ण जगत घड़े के समान नश्वर है, जो ब्रह्म रूपी जल में रखा है और अंदर तथा बाहर एक ब्रह्म रूपी जल भरा हुआ है, जैसे ही घड़ा फूटता है और इसका जल बाहरी जल में समा जाता है, वैसे ही यह संसार और इसके प्राणी भी अंत में परमात्मा में विलीन हो जाते हैं।

इसी प्रकार कबीर ने और एक प्रसंग में आत्मा और परमात्मा के अद्वैत भाव को प्रस्तुत किया है—

हेरत हेरत हे सखी, रहर्या कबीर हेराय।
बूँद समानी समुंद में, सो कत हेरी जाय॥

पानी का बुदबुदा समुद्र में विलीन होने पर जिस प्रकार उसका अलग अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का एकाकार होने पर दोनों में कोई अलग अस्तित्व नहीं रह जाता।

इस प्रकार कबीर ने दर्शन के गूढ़ सिद्धांतों को सरल बनाकर जन साधारण तक पहुँचाने की चेष्टा की है।

कबीरदास जी अपनी स्पष्टवादिता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अंध विश्वासों, सामाजिक अनाचारों तथा पारस्परिक विरोधों को दूर करके वे विश्वप्रेम को जागृत करने की क्षमता रखते हैं। वे निर्गुण भक्ति के उपासक ही नहीं, वरन् प्रबल प्रचारक भी रहे। जनता के बीच भेद-भाव मिटाकर, प्रेम का संचार करनेवाले सर्वश्रेष्ठ संत कवि महात्मा कबीरदास चिरस्मरणीय हैं। ❐

1284 HA/05-6B

तमिल भाषा में राष्ट्रभक्ति-साहित्य

*—डॉ० र० शौरिराजन **

राष्ट्र बहुआयामी संज्ञा है, विविध अर्थवत्ता उसका गुण है, व्यापक भावबोध उसका व्यक्तित्व है। 'राष्ट्र' शब्द क्षेत्र, प्रदेश, देश, महादेश और जन्मभूमि का पर्याय है, साथ ही, वंश, वर्ण, कुटुंब और नृजाति का द्योतक भी है। अर्थांतरों के साथ समन्वित यह वागर्थ (राष्ट्र) शाश्वत सत्यार्थ है जो वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक सार्थक तथ्य रहा है।

उदाहरण—

"सा नो भूमिः त्विषं बलं राष्ट्रे दधातु उत्तमे।"

—(वह हमारी मातृभूमि उत्तम राष्ट्र के हेतु कांति एवं शक्ति धारण करे।)

—अथर्व वेद

"ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु।"

—(राष्ट्र को बलशाली, ओजस्वी और प्रभुत्वपूर्ण बनाने वाले ऋषियों को नमन करने में देवगण गौरव का अनुभव करते हैं।)

—अथर्व वेद

"राष्ट्रं प्रवर्धतु विभो, शान्तिः भवतु नित्यशः।

(—हे सर्वेश्वर, हमारे राष्ट्र की संवृद्धि हो और सुख-शांति सर्वदा बनी रहे।)

—वराह पुराण

"कर्णाटकाश्चैव तैलंगा गुर्जरा राष्ट्रवासिनः।
आन्ध्राश्च द्राविडाः पंच विन्ध्य दक्षिणवासिनः॥"

स्कन्द पुराण

"पुरो अधिकं उपरि अग्राण्यगारे नगरे पुरम्।
मंदिर चाथ राष्ट्रो अस्ती विषये स्यादुपद्रवे॥
"आर्यावर्तः पुण्यभूमिः मध्यं विन्ध्य-हिमालयोः।
नीवृज् जनपदो देश-विषयौ तु अणवर्तनम्॥

—अमर कोश

तमिल भाषा में 'राष्ट्र' के लिए प्राचीन काल से अब तक प्रचलित शब्द है 'नाडु', अर्वाचीन आयातित शब्द है 'देशम्'। ये 'राष्ट्र' के समान व्यापक भावबोधक हैं।

तमिल तीन हजार वर्षों से व्यवहृत, विकसित, संपन्न, जीवंत भाषा है। इसका प्रथम उपलभ्य लक्षणग्रन्थ है तोलकाप्पियम्, जो ई.पू. पांचवीं शती का माना जाता है। ग्रंथकार का नाम तोलकाप्पियर जो ग्रंथ सापेक्ष नाम है,। इसमें तमिल देश का गुणगान, ग्रंथ का परिचय, ग्रंथकार की बड़ाई आमुख में प्रशस्ति-पद्य द्वारा प्रस्तुत किये गए हैं। प्रस्तोता थे तोलकाप्पियर के सहपाठी, कविवर पनंपारनारा उन्होंने लिखा है—

"उत्तर दिशा में वेंकटगिरि (तिरुप्पति) से लेकर दक्षिण में कुमरि नदी तक (कन्याकुमारी से सुदूर दक्षिण में जो नदी बहती थी, अब हिन्द महासागर में विलीन हो गई) हमारा प्यारा तमिल भाषी महादेश है। इसकी गरिमा के अनुसार, यहां प्रचलित साहित्यिक प्रौढ़ भाषा और सामान्य व्यावहारिक भाषा मधुर तमिल की संवृद्धि के लिए उसके वर्ण, शब्द और अर्थ विषयक लक्ष्य-लक्षण स्वरूपों का प्रतिपादन करते हैं प्रशस्त महापंडित तोलकाप्पियर।"

तोलकाप्पियर ने प्राचीन तमिलनाडु को पांच प्रदेशों में विभाजित किया है। ये हैं—विष्णु देवता को पूजने वाला वन प्रदेश (मुललै निलम्), स्कंददेव को पूजने वाले पहाड़ी प्रदेश (कुरिंचि निलम्), इंद्र देव द्वारा संपोषित कृषि प्रदेश (मरूत निलम्), वरूण देव को पूजने वाला सागर तटीय प्रदेश (नेय्तल् निलम्) और दुर्गा देवी की आराधना करने वाला बंजर प्रदेश (पालै निलम्)। यहां के निवासी क्रमशः व्याध (शिकारी), वनचर (जंगली जन), कृषक (खेतिहर), मछुए (नाविक) और डाकू-लडाकू लोग। तोलकाप्पियर ने इन प्रदेश वासियों के प्रति स्नेह-सौहार्द, सहयोग-सौजन्य रखने और अपने राष्ट्र (नाडु) के प्रति भक्ति, आस्था, आशा बनाये रखने का संदेश दिया। यह प्रदेश विभाजन उनके

293, 41-स्ट्रीट, सेक्टर-8, के. के. नगर, चेन्नै-600078

पूर्ववर्ती कालखंड में था। सामाजिक विकास-विस्तार होते रहे। उनके जमाने में बारह प्रान्तरों में बंटा था तमिल देश जिसे, 'चेंतमिल नाडु' (श्रेष्ठ तमिल राष्ट्र) कहा गया था। यह राष्ट्रनाम अब भी प्रचलित है देशवाची के रूप में।

तोलकाप्पियर के समय से लेकर परवर्ती शतियों तक चेंतमिल नाडु में ये बारह स्वायत्तशासी प्रान्तर (राज्य) थे— 1, पोंकर नाडु, 2. ओलि नाडु, 3. तेन् पाण्डिनाडु, 4. कुट्ट-नाडु, 5. कुट नाडु, 6. पन्रि नाडु, 7. कर्कानाडु, 8. शीत नाडु, 9. पुठिनाडु, 10. मलै् नाडु, 11. अरुवा नाडु, 12. अरूवा बडुतलै नाडु परवर्ती तमिल ग्रन्थों में इन प्रान्तरों का विशद् वर्णन पाया जाता है।

पूर्वोक्त चेंतमिल नाडु के सीमावर्ती, संबद्ध प्रदेश बारह थे, जिनमें से कोंकण, कर्नाटक, आंध्र, कलिंग आज भी अलग अस्तित्व रखते हैं, इन सबको मिलाकर संस्कृत भाषी विद्वानों ने 'द्राविड देश' की परिकल्पना की। भाषा परिवार, आचार-विचार, सांस्कृतिक संबंध और क्षेत्रीय संपर्क की दृष्टि से वह समन्वयी भूखंड था जो 'दक्षिणापथ' कहलाता था।

तोलकाप्पियर के समय से लेकर शतियों तक तमिल नाडु में संस्कृतभाषी मनीषियों द्वारा संकपित-प्रसारित भारतीय राष्ट्रीयता की चेतना जो राष्ट्रभक्ति से अनुप्राणित है, फैली नहीं। विशेषकर यह भावना जो संस्कृतज्ञ अभिजात बुधजनों में पायी जाती थी—

"माता भूमिः पुत्राऽहं पृथिव्याः।"

—अथर्ववेद

"न भारतात् वर्णम् पृथिव्यामस्ति भो द्विजाः।"

—ब्रह्म पुराण

"उत्तरं यत्-समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्।
वर्षम् तत् भारतं नाम भारती यत्र संततिः॥"

कारण, ई.पू. प्रारंभिक शातियों से लेकर ई. सातवीं शती तक 'राष्ट्रभक्ति' मात्र देश-प्रदेशगत भक्ति के रूप में पायी जाती है। फिर भी भारत के इतर प्रदेशों का वर्णन-स्तवन भक्ति-प्रधान तमिल ग्रंथों में पाया जाता है। रामायण, महाभारत, भागवत ग्रंथों का प्रचार-प्रसार मूल तथा अनुवाद के सहारे फैले, लोकप्रिय हुए। "भक्ति द्राविड उपजी. . ." का गौरव तमिलनाडु को प्राप्त हुआ। संस्कृत भाषा दसवीं शती तक पूरे भारत के सत्ता, धर्म, संस्कृति और कला के क्षेत्रों में सम्मान्य संपर्क-भाषा रही। बाल्मीकि रामायण के श्रीराम का यह उद्गार—"जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" तमिलनाडु के शिक्षित जनसमुदाय का भी अभिमत बन गया। इसलिए दसवीं शती से भारत राष्ट्र की अवधारणा, सम्मान्यता सार्वजनीन हुई जा रही थी। इसके पूर्व संघकालीन तमिल साहित्य में (ई. पू. तीसरी शती से ई. तीसरी शती तक) भारत के इतर प्रदेशों की बड़ाई, सुचर्चा पायी जाती है।

सात-आठ शतियों के कालखंड में, अनेक कवियों-कवयित्रियों से विरचित प्रशस्तिगीत, फुटकर पद्ध, प्रबंधकाव्य, इतिहास-गीत, वीरगाथा गीत, प्रेमी जीवन के संवेदन-गीत, सामान्य जनजीवन के वर्णन गीत आदि वाङ्मयी रचनाओं के संकलित अट्ठारह ग्रंथों को 'संघकालीन तमिल साहित्य' कहते हैं। ये ई. तीसरी शती में संकलित किए गए। इनमें प्रमुख ग्रंथ हैं, चार सौ इतिहास गाथा गीतों का संकलन पुरनानूरु। इसमें 136 कवियों, 15 कवयितत्रयों, 14 अज्ञातनामों के गीत संकलित हुए हैं। अधिकांश गीत 'देशभक्ति' प्रधान हैं। यहां 'देश' शब्द प्रदेश, प्रांतर, क्षेत्र का प्रतीक है।

प्रशस्त संत कवयित्री औवैयार ने एक गीत में कहा— "भूप्रदेश हो, वनप्रदेश हो या बंजर प्रदेश। वहां के निवासी पुरुष अपनी जन्म भूमि के प्रति भक्ति, श्रद्धा, आशा के साथ सुशील जीवन बितावें, तभी वह उत्तम प्रदेश कहलाएगा। प्रदेश (जन्म भूमि) की गरिमा वहां के देशभक्त, सुशील, वरी प्रजाजनों के कारण ही होती है, बढ़ती है।"

उस जमाने की दो गृहिणी माताओं की देशभक्ति-भावना के उदाहरण हैं—

"वीर सपूत को जन्म देना मेरा कर्त्तव्य है। पिता का कर्त्तव्य है उसे स्वस्थ्य, सुयोग्य और सुशिक्षित बनाना। राजा का कर्त्तव्य है, उसे कुशल सेनानी बनाना। मेरे बेटे का कर्त्तव्य है, मातृभूमि का मान रखे, देशभक्ति से प्रेरित हो, रणक्षेत्र में शत्रुदल का विनाश करे और उसी अभियान में वीरगति पा जावे। तभी मेरा, मातृत्व सफल माना जाएगा।"

"एक वीर योद्धा रणक्षेत्र में शत्रुपक्ष के हाथी से भिड़ गया। उसके आक्रमण को रोका। तब उस वीर को गहरी चोट लग गई—जानलेवा हमला। धराशायी होने के पहले उसने हाथी पर प्राणघाती वार कर दिया।

हाथी गिर पड़ा और मर गया। वीर ने मातृभूमि का जय-जयकार करते हुए प्राण निछावर किये, यह समाचार सुनकर उसकी माता हर्ष विभोर हुई कि मेरे लाल ने मातृभूमि का मान रखा और आखिरी बेटे को हथियार के साथ रणक्षेत्र में भेज दिया।''

ऐसे अनेक प्रसंग संघ कालीन ग्रंथों में पाये जाते हैं, जो देवतास्तवन, जीवन मूल्यांकन और देश-भक्ति से अनुप्राणित हैं।

तमिल के संघोत्तर काल में (ई. दूसरी शती से छठी शती तक) वैदिक धर्म की अपेक्षा, बौद्ध-जैन धर्मों के प्रभाव बढ़े। परिणामत: अठारह नीतिग्रंथ, धर्म-नीति बोधक महाकाव्य, कई लघु काव्य, धार्मिक ग्रन्थ रचे गए। नीतिग्रंथों में विश्वविख्यात है महामुनि तिरूवल्लुवर प्रणीत तिरुक्कुरल, जो तमिल वेद माना जाता है, यह सर्वधर्म-समभाव का उदात्त उदाहरण है। यह ई. चौथी शती का नीतिग्रंथ है। दोहा-छंद जैसे ''मुरळ'' छंद में (दो पंक्तियों वाला लघु छंद) रचे गये 1330 पद्ध इसमें हैं, और धर्म, अर्थ, काम के जीवनोपयोगी निर्देश हैं। इसके अर्थपरक अध्याय में 'नाडु' (देश-प्रदेश) पर दस पद्य रचे गये हैं। इनमें कहा गया है—

''उर्वर कृषि भूमि, कर्तव्यनिष्ठ सेवक, धर्मशील कुलीन सज्जन, प्रबुद्ध गुरुजन, नीतिपरायण वणिक धनिक जन, देशभक्ति पूर्ण सुशील प्रजाजन, सदाबहार प्राकृतिक संपदाएँ, सुखी जीवन की आवश्यक साधन संपन्नता, शक्तिशाली सुरक्षा, सुशासन-अत्याचार-दुराचार विहीन समाज—यह सब श्रेष्ठ देश के लिए आवश्यक हैं।''

इसी प्रकार अन्य नीतिग्रंथों में भी स्वदेश की गरिमा पर निर्देश-उपदेश पाये जाते हैं।

इस कालखंड के प्रमुख, प्रसिद्ध धर्म नीति प्रधान काव्य हैं (ई. दूसरी शती के) 'शिलप्यधिकारम', (ई. तीसरी शती के) 'मणिमेखलै' में तमिलदेश का गुणगान है, प्रजाजनों को नीति-नियम, धर्म-संस्कार के उपदेश दिए गए हैं। बौद्ध-जैन धर्मों से प्रभावित इन काव्यों में भारत के इतर प्रदेशों की भी बड़ाई की गई है—जैसे कि, ब्रज भूमि, मगध देश, अवंती-उज्जैनी नगरी, कलिंग देश, हिमालय पर्वत, श्रीलंका आदि।

इसके बाद का काव्यकाल ई. सातवीं शती से बारहवीं शती तक का माना जाता है। इस कालखंड में, पेरूंकतै (बृहद्कथा), जीवक-चिन्तामणि, चूलामणि, वलैयापति, कुण्डलकेशी, यशोधर कावियम् उदयणकुमार कावियम्, नीलकेशी, नागकुमार कावियम् आदि काव्य रचे गए। इनमें अधिकांश जैन-पुराण कथाओं पर आधारित हैं। काव्यपात्र, घटना-स्थल, धर्मसंस्कार, सामाजिक तत्व उत्तर भारत के हैं। रचनाकार ठेठ तमिलभाषी, तमिलनाडु निवासी थे। उन ग्रंथों में ''भारत राष्ट्र' का नामोल्लेख न होने पर भी, उत्तर भारतीय महानगरों, राज्यों, राजाओं, शासकीय प्रधानों का वर्णन है, जिसका मूल स्वर भक्ति, आस्था के हैं।

इस काव्य काल के अंतिम चरण में, रामकथा महाकाव्य (कम्ब रामायण), महाभारत कथा (पेरूंतेवनार भारतम्, विचंडीपुत्तूरार भारतम्), नैषध कावियम्। नलचरिम्, कंद पुराणाम्, पेरिय पुराणम् आदि अनुवाद-प्रधान स्वतंत्र काव्य रचे गए। इनमें भारतीयता की परिकल्पना उभर आई है। भले ही राष्ट्रभक्ति से प्रेरित न हों, फिर भी पात्रों, घटनाओं, धार्मिक आस्थाओं के समान, ये उत्तर भारतीय प्रदेश भी भक्ति-श्रद्धा के अवलंबन बने हुए थे।

इनके बाद आते हैं शैव, वैष्णव संत कवियों द्वारा विरचित भक्तिपुंज मधुर गीतिकाव्य। ये 'तिरुपुरै' (शैव), दिव्य प्रबंधम् (वैष्णव) के नाम से विख्यात हैं। ये संस्कृत के शैव और वैष्णव पुराणों के आधार पर विरचित स्वतंत्र रचनाएँ हैं। इन भक्ति-प्रधान प्रबंधों में पवित्र तीर्थधामों के रूप में भारत के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, विशेषकर वैष्णव संत साहित्य 'दिव्यप्रबंधम्' में, जो ई. सातवीं से नौवीं शती के बारह आठबारों (संत कवि) द्वारा प्रणीत चार हजार भक्तिपुंज गीतों का समाहार है, एक सौ आठ 'दिव्य देश' (तीर्थधाम) श्रद्धापूर्वक वर्णित किये हैं इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत के हैं। उत्तर भारत के दिव्यदेशों के रूप में—अयोध्या, नैमिशारण्य, नंदप्रयाग (जोशीमठ), देवप्रयाग, बद्रीनाथ, सालग्राम, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, द्वारका—इन क्षेत्रधामों का विशद वैभवगान किया गया है—163 गीतों में। वैष्णवभक्त नौवीं शती से 'दिव्यदेश यात्रा' के रूप में उन क्षेत्रधामों की तीर्थयात्रा भक्ति-श्रद्धापूर्वक करते आ रहे हैं। भारत राष्ट्र के प्रति आस्था इनमें भरपूर थी।

आदिकवि बाल्मीकि के रामायण के श्रीराम का यह उद्गार—''जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी'' कम्ब रामायण में भी व्यक्त किया गया है।

काव्यकाल के उपरांत (12वीं शती से 17वीं शती तक) प्रशस्ति ग्रंथकाल में—लक्षणग्रंथ, व्याकरणग्रंथ, निघंटु (कोश), प्रबंधकाव्य, प्रशस्ति काव्य, क्षेत्र पुराण, भक्ति-धर्म प्रधान पद्यमालाएं, आदि अधिक संख्या में रचित हुए। चौदहवीं शती के प्रारंभिक चरण में विदेशी, विधर्मी मुसलमानों का आक्रमण शरू हुआ, सुलतानों की सल्तनत कुछ साल तक दक्षिण में—तमिलनाडु में भी—कायम हुई। इनके विरोध में देशी राजाओं, सामंतों, आंध्र के पल्लव-नायक शासकों, मराठा अधिनायकों ने निरंतर युद्ध किये और मुसलमानों की हुकूमत तोड़ दी। आखिरकार सत्रहवीं-अठारहवीं शती में यूरोपीय वणिक और मिशिनरी दलों ने मुस्लिम हुकूमत हटाई, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधियों ने पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया और अंग्रेजी राज में 'भारत राष्ट्र' रूपायित हुआ। परतंत्र भारत में स्वतंत्रता और स्वराज की चेतना जाग उठी। इस कालखंड में स्वदेश-भक्ति, राष्ट्रबोध, स्वतंत्रता, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वकीय संस्कृति-परंपरा के प्रति आस्था-आतुरता जाग्रत हुई। यह पूरे भारत में फैले-बढ़े नवोन्मेष का जबर्दस्त दौर था। इस नवोन्मेष ने भारतीय जनमानस को, जनवाणी को, साहित्य चेतना को प्रभावित किया।

ई. 1600 में ब्रिटिश राजधानी लंदन में संस्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो वाणिज्य-व्यापार की प्रबल संस्था थी, ई. 1612 में भारत आई। गुजरात के सूरत नगर में पहला पड़ाव-वाणिज्य केंद्र जमाया। ई. 1647 तक भारत विभिन्न नगरों (राज्यों) में 23 केंद्र खोल दिये गए। ताकतवर फौजी छावनी हर वाणिज्य केंद्र में शुरू से ही थी। माल-असबाब के साथ फौजी ताकत का भी विनियोग चलता था। प्रतिफल में भारत के क्षेत्र, नगर, राज्य हथिया लिए गए। ई. 1775 तक पूरा भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन पराधीन उपनिवेश बन गया।

ब्रिटिश कंपनी के पहले भारत आई यूरोपीय वाणिज्य-कंपनियां थीं—पोर्चुगीज कंपनी (ई. 1498), डच कंपनी (ई. 1602), फ्रान्सीसी कंपनी (ई. 1664), डेनीश कंपनी (ई. 1755)। इन सबको पछाड़कर ब्रिटिश कंपनी सरकार ने भारत में जड़ जमा दी, बहुत मजबूत हुई। इसमें ईसाई मिशनरियों की भूमिका प्रमुख प्रभावशाली थी।

अंग्रेज सरकार द्वारा भारत के प्रमुख महानगरों में अपनी सुविधा के लिए छापाखाने (प्रेस) खोले गए—ई. 1674 में मुंबई में, ई. 1772 में मद्रास में, ई. 1779 में कोलकाता में। छपाई का प्रचार-प्रसार फैला। भारतीयों के द्वारा भी प्रेस खोले गये। पत्र-पत्रिकाएं, पुस्तकें, रपटें, परिपत्र आदि छपने लगे।

शिक्षा-विधि विशेषज्ञ मैकाले कंपनी सरकार के सलाहकार, प्रशासन-समिति के सदस्य थे (1834-1838)। आपने ई. 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा-संबंधी अनुशंसा पेश की। तदनुसार भारत के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बन गई और पूर्ववर्ती संस्कृत, अरबी की पढ़ाई बंद कर दी गई। राजाराम मोहन राय ने अंग्रेजी के माध्यम से ज्ञान-विज्ञान की नवीनतम जानकारी भारतीयों को देने की अपील गवर्नर जनरल लार्ड आमहर्स्ट से पत्र द्वारा की थी। 11-11-1823 में, इस प्रार्थना को कार्यान्वित किया मैकाले की सिफारिश ने। अंग्रेजी शिक्षा के बढ़ने से भारतीय बुद्धिजीवियों में, शिक्षित वर्ग में भारतीय राष्ट्रीय चेतना, स्वराज कामना, देशभक्ति भावना जाग्रत हुई। उनके द्वारा सामान्य जनसमुदाय में भी वे चेतना-कामना-भावनाएं फैलने लगीं।

विदेशी विधर्मी अँग्रेज़ी राजसत्ता के विरुद्ध अठारहवीं शती में पराधीन भारत के छोटे-बड़े राजा-रजवाड़े, सांमत, क्षेत्रपाल, रईस लोगों ने लगातार युद्ध किये, बुरी तरह हार गए। इनके मन मे राष्ट्रभक्ति नहीं थी, अपने देश-प्रदेश-क्षेत्र की सत्ता लिप्सा थी। यहां के प्रजाजनों में भी यह प्रवृत्ति रही। अपवाद-स्वरूप, महाराणा प्रताप, झांसी रानी, छत्रपति शिवाजी, तिप्पू सुल्तान, वीर पांडिय कट्ट वोम्मन आदि स्वातंत्र्य-समर के स्वाभिमानी वीर पुरुषों की संघर्षगाथाएँ आगे चलकर भारतीय राष्ट्र-चेतना जगाने में प्रबल, प्रेरक रही हैं।

सन् 1885 में शुरू की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव से भारतीय राष्ट्रीयता की चेतना जो पहले प्रतिबद्ध बुद्धि जीवियों की भावना थी, आम जनता में भी फैलने लगी।

कांग्रेस महासभा की स्थापना (1885) के पहले कुछ सहयोगी संस्थाएँ शुरू की गईं, जो सत्ता और जनता के बीच में राजनीतिक सौजन्य बढ़ाने, स्वदेशी भावना को बल देने में लगी थी; इनमें प्रमुख हैं—कोलकाता की ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन (1851), कोलकाता इंडियन एसोसिएशन (1876), मुंबई की बांबे एसोसिएशन (1852), पूना की सार्वजनिक सभा (1870), चेन्नई की मद्रास नेटिव एसोसिएशन(1852), चेन्नई महाजन सभा (1884)। इनके कार्यक्रमों में राष्ट्रीय एकता और स्वेदशी चेतना को सार्वजनिक बनाने के प्रयास प्रमुख थे।

इस जमाने में राष्ट्रभक्त भारतीयों द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी और राष्ट्रीय विचारधारा के पत्र-पत्रिकाओं की प्रभावशाली भूमिका महत्वपूर्ण रही। इनमें प्रमुख हैं—कोलकाता की 'ब्राह्मनिकल मेगज़ीन' (1821-1823—राजा राममोहन राय का), 'अमृतबाजार पत्रिका' (1868), मद्रास (चेन्नई) का 'हिन्दू' (भारतीय के अर्थ में—1878), इंडियन एक्सप्रेस (1932) अँग्रेजी के थे।

तमिल पत्र-पत्रिकाओं में उल्लेखनीय हैं—'सुदेशाभिमानी' (1877), 'सर्वजन मित्रन्' (1899), सुदेश मित्रन् (1882), 'तमिल नेशनल पत्रिका' (1907), 'वन्दे मातरम्' (1907), 'इंडिया' (1906), 'देशभक्तन' (1918), 'तमिलनाडु' (1919), 'नवशक्ति' (1920), 'लोकोपकारी' (1895), 'दिनमणि' (1934), 'स्वतंत्र शंखु' (1930), 'विमोचनम्' (संपादक-प्रकाशक राजाजी-1929) आदि पत्र-पत्रिकाएँ नैतिक मूल्यों, जीवन-लक्ष्यों, समाज-सुधार के साथ, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रमुक्ति और राष्ट्रशक्ति के कर्णधार थे।

आर्यसमाज, ब्रह्मसमाज, विवेकानंद की दक्षिण यात्रा और थियोसोफ़िकल आंदोलन ने भी धर्म-प्रवण, प्रबुद्ध भारतीयों में—विशेषकर दक्षिण-भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और स्वराज भावना बढ़ाने में सहयोगी भूमिका निभाई, इस दिशा में लोकमान्य बालगंगाधर तिलक द्वारा प्रवर्तित गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, स्वदेशी अभियान (स्वभाषा, स्वधर्म और स्वराज्य—ई. 1894-1897) दक्षिण भारतीयों को भी प्रेरित-प्रभावित करता रहा।

ई. 1772 में बंगाल के जिगरेसंप्रदाय के सन्यासियों ने ब्रिटिश तानाशाही के खिलाफ बगावत की, पुरज़ोर हमले किये, उस शौर्यपूर्ण विद्रोह को आधार बनाकर साहित्यशिल्पी बंकिम चन्द्र चटर्जी ने 1881 में 'आनन्दमठ' उपन्यास लिखा। उसमें जीव नाद की तरह 'वंदेमातरम्' गीत का समावेश किया, जो मातृभूमि की गरिमा-महिमा का गुणगान है। आगे चलकर भारतीय कांग्रेस महासभा के सन् 1896 के अधिवेशन में 'वंदे मातरम्' गीत को राष्ट्रगान के रूप में गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने गाया। तब से पूरे भारत में 'वंदे मातरम्' संजीवक महामंत्र के समान गूँज उठा, गूँजता ही रहा। इसे मूल, आधार स्वर बनाकर अनेकानेक राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय साहित्य, राष्ट्रीय उद्गार निकल आये, फैल गये, ये ही राष्ट्रभक्ति-साहित्य के उद्गम थे, उत्प्रेरक संबल थे।

इसी कालखण्ड में, तमिल के ठेठ राष्ट्रभक्ति-साहित्य के पुरोधा और कर्णधार थे स्वनामधन्य राष्ट्रकवि सुब्रह्मण्य भारती (1882-1921) इनके समान राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रमुक्ति और राष्ट्रोन्नति पर मनसा-वाचा-कर्मणा सेवानिरत साहित्यकार भारत-भर में शायद ही कोई पाया जा सके। सन् 1908-09 में भारती के 50 से अधिक 'स्वदेश' (राष्ट्रीय) गीतों के संग्रह निकले, जिन्हें वे हर राष्ट्रीय आंदोलन की सभा में गाकर सुनाया करते थे। ये गीत भारतीय राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रगरिमा और राष्ट्रीय चैतन्य के प्रेरणापुंज हैं। इनकी अन्य पद्यरचनाओं में भी—स्रोत गीत, ज्ञानबोधक गीत, नारी जागरण गीत, फुटकर गीत, आत्मकथागीत, कृष्णगीत, पंचालीशपथम, कोकिलगीत, प्रकृतिगीत आदि में—राष्ट्रभक्ति गूँज उठती है। दर्जनों गद्ध रचनाएं भी (कहानी, निबंध, विमर्श, अनुवाद, भाषण आदि उसी राष्ट्रीय चैतन्य के स्वरसंधान हैं।)

भारती 'इंडिया', 'विजया', 'सूर्योदय', कर्मयोगी (तमिल), 'बालभारत' (अंग्रेजी) पत्रिकाओं के सक्षम संपादक रहे। कई साल तक राष्ट्रीय तमिल दैनिक स्वदेश मिलन में सह-संपादक भी रहे। स्वतंत्रता-संग्राम में आजीवन सक्रिय भागीदार रहे।

भारती के स्वेदश (राष्ट्रीय) गीतों की कुछ बानगी—

भारत देशम्

भारत देश नाम दयहारी
जन-जन इसको गाएँगे,
सब शत्रुभाव मिट जाएँगे!...

वंदे मातरम्

एक साथ सब मिलकर बोलें—
जय, जय वंदे मातरम्!...

ब्राह्मण हों, या अब्राह्मण हों,
भारत माँ के लाल सभी,

ऊँच-नीच का भेद भूलकर
रहें सदा खुशहाल सभी,...

भारत माता की ध्वजा

देश-दिवानो! दर्शन कर लो
सविनय अभिनंदन कर लो,

मेरी माँ की दिव्य ध्वजा का
बार-बार वन्दन कर लो! ...

भारती के पहले, समकाल में और परवर्ती समय में राष्ट्रभक्ति साहित्य के रचनाकार हुए हैं। पर वे भारती की

तरह लोकप्रियता, लोकसमादर के पात्र नहीं बन सके और भारती के समान राष्ट्रोन्मुख साहित्य और समाज के समर्पित रचनाकार नहीं रहे। फ़िर भी भारती के समकालीन और परवर्ती साहित्यकारों की राष्ट्रीय चेतना भरी सेवाएँ भी महत्वपूर्ण हैं।

महेशकुमार शर्मा ने 1908 में बंकिम बाबू के आनंदमठ उपन्यास को तमिल में अनूदित किया। ये भारती के सहयोगी मित्र थे। व.वे.सु. ऐयर ने कुछ राष्ट्र चेतना भरी कविताएँ, समाज सुधारक कहानियाँ, स्वतंत्रता संग्राम को बल देने वाले निबंध, प्रमुख तमिल साहित्य-ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद के साथ, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अच्छी सेवा की है। (1910-1920), संत रामलिंग स्वामी (1823-1876) ने धर्म-भक्ति परक गीत प्रबंध लिखे हैं। समाजसुधारक, राष्ट्रसेवा पर भी आपकी कविताएँ, लेख आदि प्रकाशित हुए हैं।

भारती के समकालीन माधवैया का प्रसिद्ध गीतसंकलन है 'इंदिम कुम्भि'। भारत माता पर गाए 51 गीतों का समाहार। भारती के परवर्ती कवियों में नामक्कल रामलिंगम पिल्लै, (1888-1972), कविमणि देशिक विनायकम पिल्ले (1876-1952), शुद्धानंद भारती (1897-1964) कवयित्री अचलाम्बिका, 'तिलक गांधी प्रशास्ति गीत' राय चोक्क लिंगम, (गांधीपुराणम), कोत्तमंगलम सुब्बु (गांधी महान की गाथा), भारती दासन (1891-1964) की राष्ट्रोत्थान की ओजस्वी कविताएँ, स.दु.सु. योगी की राष्ट्रवादी कविताएं, कण्णदासन की राष्ट्रवंदना, राष्ट्रीय नेताओं की वंदना की कविताएँ, विशेष उल्लेखनीय हैं।

राष्ट्रीय उद्बोधक उपन्यास साहित्य का अच्छा विकास हुआ है। इस क्षेत्र में प्रशस्त उपन्यासकार का. शी. बेंकटरमणि का देशभक्तन, कल्कि कृष्णमूर्ति के 'मकुटपति', त्यागभूमि 'अलै ओसे', वा. रामस्वामी का 'सुंदरी', टी. एस. चोक्कलिंगम का भाई परधायन, योगी शुद्धानंद भारती का 'अन्बु निलैयम्', वै. मु. कौदे नायकी अम्माल 'के सारमती', 'त्याग-कोडि', एस. सीता रामैया का 'काट्टूर रामु', शाण्डिलयन का 'बलात्कारम', कु. राजलु का 'सन् 1942', रा.सु. नलल पेरुमाल का कललुक्कुल ईरवे, न. चिदंबर सुब्रह्मण्यम का 'मणणिल, तेरियुदु वानम', ना. पार्थसारथी का 'आत्मा विनेरागंगल्'। एम.एम. कल्याणसुंदरम का 'इसपदु वरुडंगल', कि. राजनारायण का 'गोपललपुरत्रु', मक्कल'। ज्योतिर्लता गिरिजा का तामिन् 'मणिक्कोडि', आदि, ये सब सन् 1880 से 1990 तक के काल में प्रकाशित हुए हैं।

इसी प्रकार राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रमुक्ति परक कहानियाँ भी इसी दर्मियान खूब निकली हैं। ई. 1920 से 1935 तक कई राष्ट्रोन्मुखी, राष्ट्रभक्ति वर्धक नाटक मंचित हुए हैं। इनमें 'खद्दर भक्ति', 'देशीय कोडि', 'यति भक्ति', 'खद्दर की विजय', 'पंजाब केसरी', 'कमल शेखरन', उल्लेखनीय हैं, टि. के. षण्मुखम, एम.एस. मुत्तुकृष्णन, नटराज पिल्लै, के सारंगपाणी आदि नाटक-कलाकारों ने अनेक राष्ट्रीय महत्व के नाटकों को मंचित किया है, ये स्वतंत्रता-संग्राम में भागीदार भी रहे।

कोवै अय्यामुत्तु का 'इन्बसागरन्'। (1939) लोकप्रिय, प्रभावशाली राष्ट्रीयता-प्रेरक नाटक था। इसी प्रकार एस. डी. सुंदरम का 'कवियिन कनवु' (1945), प. नीलकंठन का 'नाम् इरुवर' (1946) विशेष महत्व के थे, लोकप्रिय थे।

साहित्य की अन्य विधाओं में भी इस कालखंड में राष्ट्रभक्ति प्रेरक छोटी-बड़ी रचनाएँ निकली हैं-जैसे कि फिल्में लोकगीत, नौटंकी, आदि। ❐

लेखक कृपया ध्यान दें

'राजभाषा भारती' में प्रकाशनार्थ ज्ञान-विज्ञान की सभी विधाओं पर स्तरीय लेख आमंत्रित किए जाते हैं। लेख पर उचित मानदेय देने की भी व्यवस्था है। लेख ए-4 आकार के कागज़ पर टाइप किया हुआ होना चाहिए जो सामान्यतः तीन हज़ार शब्दों से अधिक न हो। कृपया नोट करें कि हस्तलिखित लेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेख के साथ इस आशय का घोषणा पत्र भी होना चाहिए कि यह लेख/रचना लेखक की मौलिक कृति है और यह इससे पहले प्रकाशित नहीं हुई है।

यदि किसी कारणवश किसी लेख को पत्रिका में शामिल करना संभव न हुआ तो उसे लौटाया नहीं जाएगा। कृपया इस संबंध में पत्राचार न करें। कृपया लेख निम्नलिखित पते पर भेजें :—

संपादक/उप संपादक
राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
1, द्वितीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

देवनागरी को समर्पित मासिक 'देवनागर'

—डॉ. रामवृक्ष सिंह *

आधुनिक शिक्षा और पाश्चात्य विचारों के आलोक में अपने गौरवमय अतीत से अवगत हो चले भारतीय मध्यवर्ग ने जब बीसवीं सदी में नयनोन्मेष किया तो उसके सामने सदियों से पददलित रहे और विदेशी आक्रांताओं के भय से त्राण पा चुके भारत की बिलकुल नयी तसवीर थी, जिसमें राष्ट्रीय एकता का एक-एक नक्शा साफ नज़र आता था। भारतीय समाज के तत्कालीन उन्नायकों को यह समझ आ गया था कि यदि पूरे देश को एक सूत्र में निबद्ध होना है तो अन्यान्य तत्वों के साथ-साथ उसकी भाषा भी एक होनी चाहिए—यदि भाषा एक न हो सके तो विभिन्न भारतीय भाषाओं की लिपि तो एक होनी ही चाहिए। भारत के इतिहास का वह अद्भुत दौर था। प्राय: सभी भारतीय नेता हिंदी के पक्षधर थे। हिंदी ने प्रांत और समुदाय के दुर्जेय परकोटों को लाँघने का पराक्रम कर दिखाया था और भाषिक दुर्बोधता की खाइयों को पाटना आरंभ कर दिया था। इस यज्ञ की शुरुआत भी ऐसे क्षेत्र से हुई, जिसे कालांतर में राजभाषा नियम के अंतर्गत क्षेत्र 'ग' में समाहित किया गया। आशय कोलकाता से है। यहीं पर सन् 1905 में जस्टिस शारदाचरण मित्र ने 'एक लिपि-विस्तार परिषद्' की स्थापना की। डॉ० कृष्णबिहारी मिश्र प्रभृति विद्वानों ने इसे भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना कहकर अभिहित किया है, जिसकी ओर पंडितों और विचारकों का ध्यान नहीं जाता।

देवनागरी लिपि की सुसंबद्धता, वैज्ञानिकता और सभी भारतीय भाषाओं की वर्णमालाओं से अनुरूपता को देखते हुए जस्टिस शारदाचरण मित्र ने उसे ही भारतीय भाषाओं की सामान्य लिपि बनाने का व्रत लिया था। इस व्रत को अमली जामा पहनाने के लिए जहां एक ओर 'एक लिपि-विस्तार परिषद्' की स्थापना की गयी, वहीं दूसरी ओर 1907 में 'देवनागर' नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। बकौल पं. अंबिकाप्रसाद बाजपेयी—"देवनागर" विचित्र था। भारत भर में एक लिपि हो जाए, इसका आंदोलन करने के अभिप्राय से हाईकोर्ट के जज बाबू शारदाचरण मित्र की प्रेरणा से 'एक लिपि विस्तार परिषद्' की स्थापना हुई थी, जिसने नागरी वा देवनागरी को भारत की लिपि बनाने का संकल्प किया था। कारण यह है कि यह समग्र भारत में प्रचलित और परिचित लिपि है। इसका उद्देश्य भारत की सभी भाषाओं को तमिल, तेलुगु आदि द्रविड भाषाओं को भी हिंदी अक्षरों में प्रकाशित करना था। शारदा बाबू परिषद् के मंत्री और प्रथम संपादक बनाये गए। शारदा बाबू के बाद उमापति दत्त शर्मा और उनके बाद बाबू यशोदानंदन अखौरी ही वास्तविक संपादक रहे। इस उद्धरण से प्रतीत होता है कि जस्टिस शारदाचरण मित्र इसके प्रथम संपादक थे, जबकि डॉ. कृष्णबिहारी मिश्र के मतानुसार इसके प्रथम संपादक श्री यशोदानंदन अखौरी थे। इस संबंध में 'देवनागर' के नियमित लेखक पं. अक्षयवट मिश्र को उद्धृत करते हुए कृष्णबिहारी मिश्र का मंतव्य है कि संचालक होने के नाते जस्टिस मित्र अपने महत् उपक्रम की सफलता के लिए 'देवनागर' के उन्नयन और दीर्घ जीवन के संबंध में सदैव चिंतित रहते थे। संपादकीय व्यवस्था की भी उन्हें चिंता रहती थी। देशी-विदेशी अनेक विख्यात पंडितों से उनकी मैत्री थी, जिनसे वे पत्र-व्यवहार किया करते थे और 'देवनागर' के लिए सहयोग माँगा करते थे। इस प्रकार वास्तविक संपादक न होते हुए भी उन्होंने संपादकीय दायित्व अपने कंधों पर ले लिया था।

पत्रिका के मुख पृष्ठ पर सबसे ऊपर ॥ श्री: ॥ अंकित रहता था और उसके नीचे 'देवनागर' का मास्ट। तत्पश्चात् पत्र की विशेषता को प्रकाशित करने वाला यह वाक्य अंकित रहता था—"भारतीय चित्र-विचित्र भाषाओं के लेखों से विभूषित एक अद्वितीय सचित्र मासिक

*सहायक महाप्रबंधक (हिंदी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, नवजीवन अमृत जयंती भवन, नवजीवन पो., अहमदाबाद-380014.

पत्रिका''। उसके नीचे संस्कृत में यह सामग्री प्रकाशित की जाती थी—

श्रीमद्भारतवर्ष भीमद्भारतवर्षभूति भरितैर्नाना विधैर्भावणैः।
पूर्ण भारत भव्य मानव मनो बन्ध्याय सूत्रं दृढ़म्॥
श्री देवाक्षर दक्षमेक लिपि विस्तारैकवीरं नवं।
पत्रं राजति 'देवनागर' मही! गृ न्तु तत्कोविदः॥

'देवनागर' के पहले अंक में 'आविर्भाव' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय के अवलोकन से उसके उद्देश्य का पता चल जाता है—

''मनुष्य स्वभाव से ही एकता प्रेमी है। अद्वितीय परमात्मा का अंश होने के कारण चित्र-विचित्र पटावलंबित संसार को एकता के सूत्र में गूँथने की इच्छा उसे सदा बनी रहती है। वह यही चाहता है कि अपना मंडल दूर तक फैले; इसी में विविध वस्तुओं का समागम हो; उच्च, नीच, सम तथा बाल, युवा, वृद्ध, आदि अपने स्थान पर इसी मंडल में सुशोभित हों और सब भेदभावों को भूल कर परस्पर के प्रेम से प्रेमानंद स्वरूप अद्वैत ईश्वर में एक हो जाएँ। मनुष्य की यही स्वभावजात अभिलाषा भाषाओं को एक करने के विषय में भी चरितार्थ होती है। जगत्विख्यात भारतवर्ष ऐसे महाप्रदेश में जहां जाति, पाँति, रीति, नीति, मत आदि के अनेक भेद दृष्टिगोचर हो रहे हैं, भाव की एकता रहते भी भिन्न-भिन्न भाषाओं के कारण एक प्रान्तवासियों के विचारों से दूसरे प्रांतवालों का उपकार नहीं होता। इस समय भारतवर्ष में अनेक भाषाओं के प्रचार होने के कारण प्रांतिक भाषाओं से सर्वसाधारण का लाभ नहीं हो सकता। भाषाओं को शीघ्र एक कर देना तो परमावश्यक होने पर भी दुस्साध्य-सा प्रतीत होता है। परन्तु इस अवस्था में भी जब यह देखा जाता है कि अधिकांश लोग काश्मीर से कुमारिका अंतरीप और ब्रह्मदेश से गांधार पर्यंत हिंदी या इसके रूपांतर का व्यवहार करते हैं, तब आशा है कि सबकी चेष्टा अभिरुचि होने से कालांतर में प्रांतिक भाषाओं के सम्मिलन से एक सार्वजनिक नूतन भाषा का आविर्भाव हो जाएगा। कारण यह कि भारत की सभी प्रांतिक भाषाएं एक ही जननी संस्कृत से उत्पन्न हैं।''

प्रवेशांक में ही देवनागर का उद्देश्य उल्लिखित है—''इस पत्र का मुख्य उद्देश्य है भारत में एक लिपि का प्रचार बढ़ाना और वह एक लिपि देवनागराक्षर है। इससे किसी प्रांतिक पाठक के चित्त में यह भ्रम न उत्पन्न हो कि प्रांतिक लिपि विलुप्त हो जाएगी या उनकी साहित्योन्नति में प्रतिबंध होगा क्योंकि सब प्रांतों में प्रांतिक लिपि के अतिरिक्त सुशिक्षित लोगों को रोमन तथा देवनागरी लिपियों का सीखना भी बहुधा आवश्यक है और भारतीय अन्य लिपियों की अपेक्षा देवनागराक्षर का प्रचार विदेश में भी अधिकतर है। भारतीय लिपियों की जननी देवनागरी लिपि ही है जैसे भाषाओं की जननी संस्कृत। 'देवनागर' का व्यवहार चलाने में किसी प्रांत के निवासी का अपनी लिपि वा भाषा के साथ स्नेह कम नहीं पड़ सकता। हाँ, यह अवश्य है कि अपने परिमित मंडल को बढ़ाना होगा।''

पत्र की सामग्री का इंगित भी प्रथम अंक में ही मिल जाता है—''इस पत्र में साहित्य विषयक रोचक लेख तथा विज्ञान आदि विषय के भी उत्तम लेख प्रकाशित किये जाएँगे। कालांतर में उनका भाषांतर भी कर दिया जाएगा। प्रत्येक अंक में किसी न किसी प्रांतिक भाषा के व्याकरण संबंधी लेख अवश्य रहेंगे और कुछ शब्दकोश भी। जिनसे अन्य भाषाओं के समझने में सरलता हो और इस पत्र के पढ़ने में पाठकों का चित्त लगे। पहले इस पत्र को पढ़ने में पाठकों को बड़ी नीरसता जान पड़ेगी किंतु इनकी दूरदर्शिता, उपयोगिता तथा आवश्यकता का विचार कर सहृदय पाठकगण अनंत भविष्यत के गर्भ में पड़े हुए पचास वर्ष के अनंतर उत्पन्न होने वाले शुभ फल की आशा से इस क्षुद्र भेंट को अंगीकार करेंगे।''

अन्य भारतीय भाषाओं की सामग्री को देवनागरी में प्रकाशित करने के लिए प्रतिबद्ध होने के बावजूद 'देवनागर' में अधिकांश लेख हिंदी के ही प्रकाशित होते थे। यह दूसरी बात है कि हिंदी की प्रादेशिक बोलियों की रचनाएँ भी इसमें समाहित होती थीं। उदाहरण के लिए वत्सर 1, अंक 4 में प्रकाशित यह रचना देखी जा सकती है—

देखि देखि आजु कालि हाकिम के हालि चालि
हमनी का खूस हो के मन में मनाइले।
राम करै ऐसने नियाई बदसाह रहे,
जेकरा भरोसे सभे सुख से बिताइले॥

'देवनागर' सभी प्रकार के पूर्वग्रहों से मुक्त पत्र था। इसलिए परस्पर विरोधी होने वाली विचार-धाराओं के प्रकटन में भी इसे कोई गुरेज न था। इसके शुरुआती अंकों में आर्यसमाज के प्रवर्त्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती, आदि शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु सहित अनेक महापुरुषों के जीवन चरित और उनके चिंतन-जगत से संबंधित लेख प्रकाशित किए गए।

1284 HA/05 7B

'देवनागर' का साहित्यिक स्तर सामान्य कोटि का था। इसमें कुछ समीक्षात्मक निबंध और कविताएं भी प्रकाशित की जाती थीं, जो बहुत औसत दर्जे की होती थीं। निबंधों में वैचारिकता और लालित्य की दुर्बलता तो रहती ही थी, विवेचन का स्तर भी कुछ विशेष नहीं रहता था। कविताएं भी साधारण कोटि की ही होती थीं।

'देवनागर' की स्थापना का उद्देश्य देवनागरी लिपि का प्रचार-प्रसार करना था, ताकि कालांतर में वह पूरे भारतवर्ष की सभी भाषाओं की सामान्य लिपि के रूप में अपनायी जा सके। इसी आवश्यकता के मद्देनजर वत्सर 1, अंक 1 की संपादकीय टिप्पणी में पत्र ने लिप्यंतरण के कतिपय नियमों का उल्लेख किया है, जो आज भी प्रासंगिक है—

"देवनागरी में अक्षरांतर तीन रीतियों से हो सकता है—एक तो उन भाषाओं के शब्दों के उच्चारण के अनुसार देवनागरी के युक्ताक्षरों से काम लेना, दूसरी देवनागरी में उन के लिए कुछ नये अक्षर निर्माण करना और तीसरी प्रचलित अक्षरों में ही प्रसंगानुसार कुछ संकेत जोड़ना।"

'देवनागर' के विभिन्न अंकों में बांगला, मराठी, मंजाबी, कन्नड़ (जिसे कनाड़ी कहा गया है), तमिल, गुजराती, नेपाली, उड़िया, मलयालम आदि प्रायः सभी भारतीय भाषाओं की साहित्यिक सामग्री देवनागरी में लिप्यंतरित करके छापी जाती थी। साथ ही, इन भाषाओं की शब्दावली से पाठकों को अवगत कराने के लिए हिंदी मराठी शब्दबोध, हिंदी कनाड़ी शब्दबोध जैसे लेख भी समाहित किए जाते थे। देवनागरी वर्णमाला, हिंदी व्याकरण के साथ-साथ, प्राकृत और पालि व्याकरण पर भी काफी सामग्री इन अंकों में प्रकाशित की गयी। इस प्रकार यह पत्र विभिन्न भारतीय भाषाओं में चल रही समसामयिक साहित्य-चर्या, शब्द संचयन और भाषा चिंतन का बड़ा सजीव परिदृश्य प्रस्तुत करता है।

हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के प्रयोग व प्रचार-प्रसार के बारे में उस समय देश-विदेश से जो भी नयी जानकारी मिलती थी, उसका समावेश इस पत्र में किया जाता था। उदाहरण के लिए निम्नलिखित उद्धरण द्रष्टव्य हैं—

"फीजी में हिंदी पत्र-हिंदी : फीजी द्वीप भारतवर्ष के अग्निकोण पर है। यहाँ हिन्दुस्तानियों की संख्या 30000 (तीस सहस्त्र) हो गयी है। बड़े हर्ष का विषय है कि यहाँ से एक हिंदी पत्र निकालने का निश्चय हुआ है। यह देवनागरी में रहेगा।....." (वत्सर 1, अंक 3)

"कोटा में हिंदी-कोटा के श्रीमान् महारावजी ने भी आज्ञा दी है कि हमारे राज्य में राजकीय सब प्रकार की लिखा-पढ़ी का काम हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में हुआ करे। कोटिशः धन्यवाद।"

"गुजरात में देवनागरी हाल में अहमदाबाद की गुजराती साहित्य परिषद् का एक वार्षिक अधिवेशन बम्बई में हुआ है। आनन्द और सौभाग्य की बात है कि इसमें कई वक्ताओं ने हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि के श्रेष्ठत्व पर अपनी-अपनी सम्मति प्रकट करके सप्रमाण सिद्ध किया है कि यदि भारतीय भाषाओं में कोई राष्ट्रभाषा होने योग्य है तो वह हिन्दी और लिपियों में कोई राष्ट्रीय लिपि होने योग्य है तो वह देवनागरी है।....." (वत्सर 1, अंक 5)

ऐसे बहुत से समाचार 'देवनागर' में प्रकाशित हुए, जिनसे यह सिद्ध होता है कि बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में पूरे भारत में हिंदी और देवनागरी के लिए बहुत अनुकूल वातावरण निर्मित हो रहा था और पूरे देश में उसे राज्याश्रय के साथ-साथ, व्यापक जनसमर्थन मिल रहा था। यही नहीं, 'देवनागर' में प्रकाशित अन्य भाषाओं के लेखों में भी यह बात बार-बार उभरकर सामने आती है। उदाहरण के लिए वत्सर 1, अंक 4 में प्रकाशित "राष्ट्रीय भाषा" शीर्षक मराठी लेख की यह पंक्तियाँ देखें—

"भारतीय साम्राज्याची एक सामान्य लिपिजर पाहिजे असेलतर ती 'देवनागरी' का तसेंच स्वराष्ट्रा करिता' एक सामान्य भाषे ची आवश्यकता असैल वर ती 'हिन्दी' च होय यान्त शङका नहीं। 'देवनागरी लिपि' लिहिण्याला जशी सोपी आहे, तशीच 'हिन्दी' भाषा बोलण्याला सोपी आहे, अणि विशेष गुण या भाषेंत हा चाहे कीं, ही स्वभावतः मोठी, गम्भीर, प्रौढ़ व जोरदार अशी आहे।"

वत्सर 3, अंक 1 में 'हिन्दुस्थान माटे सामान्य भाषा अने लिपि' शीर्षक गुजराती लेख प्रकाशित हुआ, जिसकी कुछ उद्धरणीय पंक्तियाँ यहां दी जा रही हैं—"हिन्दी भाषाज एकमात्र आ हिन्दुस्तान नी सामान्य भाषा थवा सर्व रीते योग्य छे। वली आ वेशना नाम व हिन्दुस्थान नी साथे पण आ भाषा 'हिन्दी' घणोज वजीकनो सम्बन्ध धरावे छे ए पण स्पष्टज छे।....

आ देशनी एक सामान्य भाषा थवाने माटे जेटली अनुकूलता, योग्यता अने साधनो हिन्दी भाषा धरावे छे ते-मांना एक आना जेटली पण अंग्रेजी भाषा धरावती न थी।

हिंदी भाषा सामान्य भाषा थवाथी देशनी अन्दर विचारोनी एक सामान्य एकलता बंधाशे अने एकतानां बीज रोपाशे।''

'देवनागर' के चौथे वर्ष के पहले अंक में श्री वी. कृष्णस्वामी अय्यर का अंगरेजी लेख ''ए कॉमन स्क्रिप्ट फॉर इण्डिया'' प्रकाशित हुआ। इसी वर्ष के अंक 2 में अंगरेजी के दो और लेख भी छपे—''व्हाट इज मोस्ट सुटेबल स्क्रिप्ट फॉर इण्डिया'' और ''हिन्दी ऐज लिंगुआ इण्डिका''। इससे स्पष्ट है कि अंग्रेजी पढ़ने-लिखने वाले लोग भी इस बात को मान रहे थे कि देवनागरी ही सभी भारतीय भाषाओं की सर्वसामान्य लिपि होने की योग्यता रखती है और मज़े की बात यह कि अंग्रेजी भाषा में लिखे उनके लेख 'देवनागर' में नागरी में प्रकाशित हुए।

'देवनागर' ने हिंदी-उर्दू मसले को भी छुआ। बाद में यह सियासी मुद्दा बन गया, यह दीगर बात है। लेकिन तत्कालीन विद्वत् समाज क्या सोचता था, यह देखना हो तो बड़ौदा साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में डॉ. भंडारकर की अध्यक्षता में हुई कांफ्रेस में श्री रमेशचंद्र दत्त के वक्तव्य का यह अंश देखें जो 'देवनागर' के वत्सर 3, अंक 5 से 8 की संपादकीय टिप्पणी में समाहित है—

''उत्तर भारत की भाषाओं का एक ही लिपि में लिखा जाना साधारणत: जितना मालूम होता है, उससे कहीं अधिक महत्त्व का है। उत्तर भारत में प्रधानत: हिन्दी और उर्दू बोली जाती हैं, इन दो भाषाओं का उच्चारण एक ही है पर वर्णमाला अलग-अलग है। जैसे अँगरेजी के दो प्रकार हैं, एक ग्रीक और लैटिन बहुल अँगरेजी और दूसरी ट्यूटोनिक भाषा बहुल अँगरेजी, वैसे ही यह भी दो भेद हैं : एक संस्कृत बहुल हिन्दी और दूसरी अरबी-फारसी बहुल हिन्दी अथवा उर्दू। वास्तव में इन दो भाषाओं में भेद कुछ भी नहीं है।''

डॉ० भंडारकर ने सभापति की हैसियत से बोलते हुए देवनागरी के समर्थन में जो बातें कहीं वे भी उक्त टिप्पणी में दर्ज हैं, और पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ उद्धृत की जा रही हैं—

''भिन्न-भिन्न प्रदेशों की एक सामान्य भाषा बनने का सम्मान हिन्दी को ही मिलना चाहिए। मैं भाषा शुद्ध रखने का पक्षपाती हूँ। सो, मेरे मत से, अलवर के मुंशी जगमोहन लाल जिस हिन्दी में बोलते हैं वही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हम लोग भी हिन्दी से अपरिचित नहीं हैं। कारण हमारे यहाँ के हरिदास गण अपने कीर्तन में बहुत से हिंदी दोहरों का प्रयोग किया करते हैं। सो हिन्दी का भारतवर्ष भर में प्रचार करना कठिन नहीं होगा। यदि हम स्कूलों में द्वितीय भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाया करें तो यह काम हो सकता है…।''

'देवनागर' जैसे शुद्ध भाषिक-सांस्कृतिक पत्र का प्रकाशन बहुत टेढ़ी खीर था। आर्थिक समस्याएँ तो थीं ही, पत्र को कंपोज करना भी कुछ कम कठिन नहीं था। इन समस्याओं की एक झलक वत्सर 6, अंक 1 के सिंहावलोकन शीर्षक संपादकीय में देखी जा सकती है—''परिषद् की आर्थिक अवस्था अब तक ऐसी नहीं हुई है की देवनागर के संपादन के लिए भिन्न-भिन्न भाषा के भिज्ञ अनेक संपादक नियत किए जाएँ। ऐसी दशा में भिन्न-भिन्न भाषाओं के लेखकों की सहायता के बिना 'देवनागर' का कलेवर पूर्ण करना अत्यंत कठिन वरन् असंभव है।…''

तीन वर्ष तक लगातार छपने के बाद 'देवनागर' का प्रकाशन लगभग डेढ़ वर्ष तक स्थगित रहा। इसके पश्चात् 1833 शकाब्द, कार्तिक माह में यह पुन: प्रकाशित हुआ, जिसके बारे में 'नवीन व्यवस्था' शीर्षक टिप्पणी के अंतर्गत संपादक ने यह सूचना दी—''कई अनिवार्य कारणों से देवनागर के प्रकाशित होने में आज तक इतना अधिक विलंब होता रहा कि प्राय: डेढ़ वर्ष पीछे पड़ गया था… इस अंक में पाठक कई नयी बातें पाएँगे। प्रथमत: इसका आकार पहले से घटा दिया गया है, पर साथ ही पृष्ठ संख्या बढ़ा दी गयी है। पहले प्रति अंक में डेमाई चार पेजी पाँच फर्मा रहा करते थे पर भविष्य में क्राउन चार पेजी छ: फर्मा रहेंगे। पहला आकार बड़ा होने के कारण अनेक पाठक उनसे असंतुष्ट थे। इसी से अब तक का आकार घटाकर हिन्दी के अन्यान्य मासिक पुस्तकों की बराबरी का कर दिया गया है। द्वितीय और बड़े महत्त्व का परिवर्तन यह किया गया है कि अब से इसके प्रत्येक अंक में चार फर्मा भारतीय भाषाओं के दो अँग्रेजी के रहेंगे।''

जिस युग में 'देवनागर' का प्रकाशन हुआ वह भारतीय इतिहास में प्रचंड राष्ट्रीयता का युग था, जिसमें पूर्ण स्वराज्य के पारावार की भावोर्मियां जन-जन के हृदय में वितंडावाद मचाए हुए थीं। तत्कालीन शब्द कर्म पर राष्ट्रीय आंदोलन के निशान नक्श हो रहे थे। मसिजीवी लोक तोप के मुकाबिल होने पर अखबार निकालने की बातें कर रहे थे। उग्र राष्ट्रवादिता के उस दौर में 'देवनागर' ने अपने तईं जो

काम किया वह राष्ट्रीयता की भावना को पुख्ता करने के नजरिए से किसी भी रूप में कमतर नहीं है। प्रकटतया उग्र राष्ट्रवाद को वाणी देने से गुरेज करने और विशुद्ध साहित्य के प्रकाशन के बारे में उदासीन रहकर भी इस पत्र ने अखिल भारतीय स्तर पर एक भाषा और एक लिपि को अपनाए जाने की वकालत की, जो अधिक स्थायी महत्व का विषय था। 'देवनागर' का परिवेश भारतव्यापी था। इसके पाठक और लेखक दोनों ही बहुत प्रबुद्ध थे, और इसी कारण उनकी संख्या सीमित थी। इसके लेखकों में महामहोपाध्याय पं. रामअवतार शर्मा, गणितज्ञ डॉ. गणेश प्रसाद, पं. शिरोमणि अनन्त वापु शास्त्री, संस्कृतज्ञ पं. अक्षयवट मिश्र, श्री कोकिलेश्वर भट्टाचार्य, कवि पाण्डेय लोचन प्रसाद शर्मा आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

एक लिपि विस्तार परिषद् और 'देवनागर' के संस्थापक जस्टिस मित्र का देहांत 4 सितंबर, 1917 को हुआ। यह एक विडंबना ही है कि प्रश्रयदाता को परलोकवासी होते ही ऐसे महान राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए गठित परिषद् और उसकी नीतियों का आख्यान करने वाले 'देवनागर' की इहलीला भी समाप्त हो गयी, नहीं मरा ता वह सपना जो जस्टिस मिश्र ने देखा था।

'देवनागर' के वत्सर 2, अंक 1 में प्रकाशित एक बंगला लेख में जस्टिस शारदाचरण मित्र ने उम्मीद जताई भी कि "पांच वर्ष में न हो, दस वर्ष में न हो, किन्तु किसी न किसी समय संपूर्ण भारतवर्ष में एक लिपि प्रचलित होगी ही। धीरे-धीरे प्रादेशिक लिपि के भक्त क्षुद्र हृदय लोगों की संख्या घटती जाएगी, भारतमाता के देश-प्रिय सपूत लोगों की संख्या क्रमशः बढ़ती जाएगी एवं थोड़ी ही देर में भिन्न-भिन्न प्रदेशों में एक लिपि व्यवहृत होकर भाषा और साहित्य को एक कर देगी।" आज यदि हिंदी संघ की राजभाषा है तो उसकर श्रेय कुछ अंशों में 'देवनागर' को भी दिया जाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि 'देवनागर' का सपना अभी अधूरा है। पराधीन और पदाक्रान्त भारत में देखे गए इस राष्ट्रीय सपने को स्वाधीन और सक्षम भारत के सपूत किसी न किसी दिन अवश्य पूरा करेंगे। सार्वभौमिकरण के पश्चात् जिस तेज गति से पूरा संसार एक विशाल वैश्विक ग्राम में परिवर्तित हुआ और कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रचार-प्रसार हुआ, उससे कुछ देर के लिए देवनागरी की प्रगति बाधित होती दिखी, किंतु बहुत जल्द ही सॉफ्टवेयर निर्माताओं को इस महत् सत्य का पता चल गया कि देवनागरी के बिना भारतीय उप महाद्वीप के एक बहुत बड़े बाजार पर उनकी पकड़ नहीं बन सकती। यही कारण है कि अब कंप्यूटर प्रणालियों में भी देवनागरी और इतर भारतीय लिपियों को भरपूर स्थान मिल रहा है। देवनागरी ने समय के साथ खुद को बदला है। उसमें नये ध्वनि-प्रतीकों का समावेश हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जानेवाली भाषाओं व उनमें समाहित हो रहे आगत शब्दों को यथावत् लिपिबद्ध करने के लिए जो भी परिवर्तन-परिवर्धन अपेक्षित थे, वे सब इस लिपि में किए गये हैं। समय-समय पर इसका मानकीकरण भी होता रहा है। उर्दू और सिंधी जैसी भाषाओं के लिए भी अब व्यापक स्तर पर देवनागरी का ही प्रयोग हो रहा है। इससे उक्त भाषाओं के पैरोकारों को थोड़ी निराशा भी होती होगी, किन्तु जैसाकि 'देवनागर' के ही समाकालीन 'नृसिंह' में पं. अंबिकाप्रसाद बाजपेयी ने लिखा था—'राष्ट्रभाषा' गद्दी सब को नहीं दी जा सकती, वह एक को मिलेगी। समस्त भारत के 30 करोड़ मनुष्यों में 6 करोड़ मनुष्यों की मातृभाषा हिंदी है। यदि इस में मुसलमानी हिंदी बोलने वालों की संख्या भी जोड़ दी जाए, तो आठ करोड़ मनुष्यों की मातृभाषा हिंदी हो जाती है। शेष 22 करोड़ मनुष्य मिल कर 10 भाषाएं बोलते हैं। पंजाबी और गुजराती भाषाएं हिन्दी से बहुत मिलती जुलती हैं, दोनों प्रांतों के निवासी हिंदी भली-भांति समझते हैं।"

आज भारत के लगभग 80 प्रतिशत लोग हिंदी समझते हैं। मीडिया ने भारतीय समाज में हिंदी जानने वालों की संख्या और अनुपात में काफी वृद्धि की है। कंप्यूटर ने इस विकास के लिए नये रास्ते खोले हैं। किंतु देवनागरी की अंतर्निहित क्षमता का पूर्ण परिपाक अभी नहीं हो पाया है। इसके लिए जरूरी है कि इस लिपि के प्रचार-प्रसार के लिए और व्यापक अभियान चलाया जाए। निश्चय ही इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए और अधिक अनुसंधान व विकास की आवश्यकता होगी, जिसमें भाषा-शास्त्रियों के साथ-साथ प्रविधि के महारथियों का सहयोग भी अपेक्षित होगा। तभी जस्टिस शारदाचरण मित्र प्रभृति मनीषियों का सपना साकार हो सकेगा। ❑

विदेशी राज्य भी था हिंदी का समर्थक

*—प्रो. योगेश चन्द्र शर्मा **

जब मुगल हमारे यहां आए तो उस समय वे यहां की भाषा से सर्वथा अपरिचित थे। शनै:शनै उन्होंने यहां की भाषा सीखी। यद्यपि वे यहां आक्रमणकारी के रूप में आये थे, मगर उनका इरादा यहां से लौट कर जाने का नहीं था। यहीं बसने का था और इसी देश को अपनी मातृभूमि बनाने का था, इसलिए भी यहां की भाषा सीखना जरूरी था। इसके अतिरिक्त वे यह भी जानते थे कि अगर यहां शासन करना है तो जनता से संपर्क उसकी अपनी भाषा में ही करना होगा। इसलिए जनता से संपर्क रखने वाले जितने भी विभाग थे, उनमें देवनागरी में लिखी हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता था। उदाहरणार्थ, मुगल सम्राट अपनी सभी मित्र-रियासतों में अपने प्रतिनिधि रखते थे, जिन्हें वकील कहते थे। इसी प्रकार देशी रियासतों के प्रतिनिधि दिल्ली में रहते थे। इन वकील कार्यालयों में सभी कार्य हिंदी में अथवा स्थानीय भाषा में होता था। अन्य अनेक कार्यालयों की भी यही स्थिति थी। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के कार्यालयों में तो हिंदी का प्रयोग होता ही था। केवल सम्राट से संबंधित या उसके निकट के विभागों में अवश्य ही अरबी और फारसी का बोलबाला था।

मुगल काल की हिंदी निश्चित ही आज जैसी नहीं थी। खड़ी बोली का तो उन दिनों भली-भांति विकास भी नहीं हुआ था। उन दिनों हिंदी का अर्थ था ब्रज, अवधी, राजस्थानी तथा खड़ी बोली आदि का मिश्रण। मुगलों के प्रभाव से इसमें ऐसे फारसी शब्दों को भी जोड़ दिया गया था, जो अब धीरे-धीरे लोकप्रिय होने लगे थे। लिपि देवनागरी ही होती थी, परंतु आधुनिक दृष्टि से उसमें अनेक कमियां थी। वर्तनी संबंधी दोष भी कम नहीं थे।

अकबर बादशाह ने 14 पृष्ठों का एक आदेश पत्र जारी किया था, जिसे कभी-कभी अकबर का संविधान भी कहा जाता है। यह आदेश पत्र हिंदी में ही तैयार किया गया था। इसमें कानून की समानता के बारे में लिखा गया था—"जैसा आदमी होई तिसकी तैसी सजा करे।" अकबर बादशाह की तरफ से अधिकारियों को यह आदेश भी दिया गया कि वे व्यापारियों पर इस बात के लिए निगरानी रखें कि अनाज को जनता से खरीद कर वे कहीं अपने गोदामों में जमा न कर लें। इस आदेश की भाषा थी—

> "और नाज रैत्य पास ले के व्यापारी बहुत षरीदि करि भंडसाल न करणें पावे।"

इसी प्रकार अधिकारियों को खुशामदियों से बचकर अपना काम करने की सलाह दी गयी, क्योंकि खुशामदियों के प्रभाव से काम बिगड़ता है। आदेश पत्र की भाषा इस प्रकार थी—

> "और कुसामदी होई तिसस्ये प्यार न करिए।
> किस वास्ते ज कसामदी में कुसी होई
> तिसका काम पूरा न होई।"

औरंगजेब का शासन काल आने तक इस भाषा में खड़ी बोली की प्रधानता होने लगी, जिसमें संस्कृत के तद्भव और कहीं-कहीं तत्सम शब्द भी होते। अदालतों में फारसी का ही प्रयोग यथावत् होता रहा। उच्च श्रेणी के अन्य कार्यालयों में भी फारसी की ही प्रधानता रही। दूसरी तरफ जनसम्पर्क में केवल हिंदी का ही प्रयोग हो, इसके लिए निरंतर प्रयत्न किये जाते रहे और प्रशासनिक आदेश जारी होते रहे। फारसी के साथ ही अब उर्दू भाषा का भी विकास होने लगा था, जो अब धीरे-धीरे कार्यालयों में घुसपैठ करने लगी थी। जनता में इसके प्रचार-प्रसार के लिए मकतब (स्कूल) खोले गये और उनके माध्यम से लागों को उर्दू की शिक्षा दी जाने लगी। फिर भी विदेशी लिपि के कारण उर्दू भाषा, हिन्दी का स्थान नहीं ले पायी और अधिकांशत: वह वर्ग विशेष तक सीमित रही।

जब अंग्रेजों ने यहां अपना शासन जमाना शुरू किया तो उन्होंने भी यह महसूस कर लिया कि जनता से संपर्क स्थापित करने के लिए उन्हें हिंदी तथा स्थानीय भाषाओं का ही सहारा लेना पड़ेगा। यद्यपि प्रशासनिक कार्य अंग्रेजी में ही किया गया और लार्ड मैकाले की सिफारिश के अनुरूप भारत से ही सस्ते क्लर्क प्राप्त करने के उद्देश्य से यहां अंग्रेजी

**10/611, मानसरोवर, जयपुर-302020 (राजस्थान)*

शिक्षण संस्थाएं खोली गयीं, परंतु जनसंपर्क के लिए मुख्यत: हिंदी को ही अपनाया गया। देश की अदालतों तथा अन्य कार्यालयों में उस समय जो फारसी तथा उर्दू का प्रभाव था, उसे समाप्त करने के लिए भी भरपूर प्रयत्न किए गए।

सन् 1839 में सदर कोर्ट इलाहाबाद के रजिस्ट्रार ने अपने क्षेत्र के सभी जिलाधीशों को पत्र लिखते हुए कहा था—"सरकार की इच्छानुसार अदालत निर्देश देती है कि आगामी एक जुलाई से फौजदारी कार्यवाहियों, दरख्वास्तों तथा अन्य लिखा-पढ़ी में फारसी का उपयोग पूरी तरह बंद करके हिंदुस्तानी का उपयोग किया जाए।" जैसा कि शब्दों से स्पष्ट है, यह निर्णय केवल सदर कोर्ट इलाहाबाद का नहीं बल्कि अंग्रेजी सरकार का था, इसलिए इस प्रकार के आदेश देश के अन्य भागों में भी जारी किए गए। गवर्नर जनरल लार्ड आकलैंड ने सितम्बर 1836 में कहा था—"यह स्वीकार करना पड़ेगा कि फारसी एक विदेशी भाषा है, जो स्थानीय प्रयोग में सामान्यत: नहीं आती। उसे न्यायालय की भाषा बनाने का अर्थ होगा अधिकांश जनता को कानूनी कार्यवाही से अपरिचित रखना।"

अंग्रेजी सरकार के इन आदेशों का सर्वाधिक विरोध उन सिविल अधिकारियों द्वारा किया गया, जिन्हें फारसी भाषा के उपयोग की आदत पड़ी हुई थी और जो अपनी इस आदत को बदलने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए अंग्रेजी सरकार को बार-बार देवनागरी में लिखी हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए आदेश देने पड़े। 1861 में सीधे गवर्नर जनरल ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया—"सब आदेशों, सूचनाओं, घोषणाओं, परवानों आदि में देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाए। आवेदन, जमानत तथा अन्य दस्तावेज भी हिंदी में ही लिखे जाएं और उन जिलों में जिनमें अदालत की भाषा इस समय उर्दू है, वहां भी हिंदी को ही काम में लिया जाए। पुलिस दफ्तरों की भी भाषा हिंदी में होगी।

1881 में सैंट्रल प्रोविंसेज के चीफ कमिश्नर की तरफ से ये आदेश पुन: जारी किए गए—"सब आवेदन नागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा में प्रस्तुत किए जाएं और जब तक आवेदक विशेष रूप से मांग न करें तब तक डिग्रियों, आदेशों, फैसलों तथा अन्य कार्यवाहियों की प्रतिलिपियां हिंदी में ही दी जाएं।"

अंग्रेजी सरकार के द्वारा फारसी के विरोध का एक कारण राजनीतिक भी था। उसने शासन सत्ता फारसी समर्थकों से छीनी थी और इसलिए उसे आशंका थी कि संभवत: यही वर्ग उससे शासन सत्ता वापिस लेने का प्रयत्न करेगा। परंतु 1885 में कांग्रेस के माध्यम से देश में उभरे नए जन-आंदोलन में देश के सभी वर्गों की हिस्सेदारी थी। इसलिए अब अंग्रेजी सरकार हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का समर्थन करने लगी। अंग्रेजी स्कूलों से पढ़कर निकलने वाले छात्र उनका सरकारी कार्य करने के लिए भी तैयार थे। इसलिए अब सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी का दबदबा बढ़ने लगा। फिर भी जन संपर्क के लिए हिंदी तथा अन्य स्थानीय भाषाओं का प्रयोग चलता रहा।

देश में फारसी भाषा का प्रचार मुख्यत: उन सिविल कर्मचारियों के माध्यम से हुआ जो फारसी की शिक्षण संस्थाओं में शिक्षित हुए थे। बाद में जब अंग्रेजी सरकार ने फारसी और उर्दू से मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश की तो उनके मार्ग में दिक्कतें भी इन सिविल कर्मचारियों ने ही पेश की। इसके उपरांत सरकारी कार्यालयों में उर्दू के स्थान पर अंग्रेजी का प्रवेश भी उन सिविल कर्मचारियों के माध्यम से ही संभव हो पाया, जो अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं की उपज थे। आज जब जनता की तरफ से बार-बार अंग्रेजी से मुक्ति की छटपटाहट व्यक्त की जा रही है, तब भी उस छटपटाहट का विरोध अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं से निकले सिविल कर्मचारी ही कर रहे हैं। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि जब विदेशी सरकारों में हिंदी के प्रति लगाव की भावना थी, तब हमारी अपनी देशी सरकार और देशी अधिकारियों में वैसा न हो।

हालात को देखते हुए हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि हम सचमुच ही अपने देश में राष्ट्र भाषा हिंदी तथा अन्य स्थानीय भाषाओं का विकास चाहते हैं तो हमें अपनी शिक्षण संस्थाओं की तरफ ध्यान देना होगा और शनै:शनै यह कदम उठाने होंगे (1) किसी भी सरकारी या गैर सरकारी सेवा के लिए अंग्रेजी जानने या अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने की अनिवार्यता न हो (2) सभी साक्षात्कार हिंदी अथवा स्थानीय भाषा में हों, (3) सरकार की तरफ से देश के अंदर कोई भी पत्र व्यवहार अंग्रेजी में न हो, (4) अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाली शिक्षण संस्थाओं पर कानूनी नियंत्रण हो (5) कोई भी परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से न हो, (6) अन्य विदेशी भाषाओं के समान अंग्रेजी के लिए भी पृथक पाठ्यक्रम हो। उसे किसी भी कक्षा में सामान्य पाठ्यक्रम में शामिल न किया जाए। ❐

पत्रकारिता

फिल्मों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति और संभावना

—डॉ. अर्चना गौतम *

पिछले कई दशकों से सिनेमा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों, समुदायों के रूप अलग-अलग दृश्य बंधों में हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं। सिनेमा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसका एक-एक दृश्य जनसमुदायों की सुखद एवं दुखद भावनाओं को साकार करता है। सिनेमा का निर्देशक अपनी रचनाशीलता तथा कल्पना की सहायता से समाज के उस परिवेश को बड़ी सूक्ष्मता से दृश्य रूप में हमारे सामने प्रकट करता है, जहां शायद एक साहित्यकार का संवेदनशील मन भी पहुंच नहीं पाता। कहने का अभिप्राय: यह है कि सिनेमा सूक्ष्म से सूक्ष्म मानवीय संवेदनाओं, मानवीय व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को चित्रात्मक शैली में अभिव्यक्त करने में सफल हुआ है। चाहे वह मानव मन के भीतर उठा हुआ अंतर्दवंदव हो या फिर युद्ध की विभीषिका हो अथवा शांति की खोज में भटकता मानव हो या फिर सुंदर समाज की कल्पना हो। इन सबको सिनेमा ने ही सहज एवं सजीव रुप में अभिव्यक्त किया है और इस सहज अभिव्यक्ति का माध्यम बनी है हिंदी भाषा।

वस्तुत: जनसंचार माध्यमों ने हिंदी को घर-घर पहुंचाया है और विदेशों में भी। आज हिंदी, मीडिया की सशक्त भाषा बन गई है। जब भारत में श्री दादा साहेब फालके ने मराठी फिल्मों का निर्माण किया था, तब उन्होंने फिल्मों के अंग्रेजी टाइटल्स (शीर्षकों) के साथ-साथ हिंदी शीर्षक भी रखे। अर्देशिर ईरानी ने अपनी पहली सवाक् फिल्म 'आलम आरा' के लिए हिंदी के मिले-जुले रूप को अपनाया अर्थात् हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया था। जो उस समय जन सामान्य की भाषा थी। आर्देशिर ईरानी के अनुसार 'आलम आरा' की भाषा न खास उर्दू है और न खास हिंदी। अर्थात् दोनों की मिली-जुली हिंदुस्तानी भाषा। यह हिंदुस्तानी हिंदी भाषा का ही एक रूप है। इसी से हिंदी गीतों की शुरूआत हुई। यहां उल्लेखनीय है कि सन् 1931 में कुल 27 फिल्मों का निर्माण किया गया और उनमें से 22 फिल्में हिंदी में थीं, जो हिंदी की लोकप्रियता और उसके विकसित रूप की ओर संकेत करती हैं। आज हिंदी फिल्में हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गयी हैं। एक फिल्म निर्माता सिनेमा के विषय में कहते हैं—"सिनेमा साधन है, चरित्र या स्थिति के विकास की सच्ची अभिव्यक्ति का—छायांकन की बारीकियों और गहराई में, भावना, भावना की प्रखरता में, साधनों की सीधे-सीधे, सही और सशक्त उपयोग में सिनेमा की समानता कोई कला नहीं कर सकती।" फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो आम जनता तक पहुंचा है। फिल्में किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बनायी जाती बल्कि हर वर्ग का, हर श्रेणी का व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो अथवा गरीब, शिक्षित हो अथवा अशिक्षित—फिल्मों को देखता है। यही कारण है कि मीडिया को मास स्केल कहा जाता है। मीडिया ने ही, विशेष रूप से फिल्मों ने हिंदी के विकास एवं प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम हिंदी बनी है।

ऐसा नहीं है कि भारत में केवल हिंदी फिल्मों का ही निर्माण किया जाता है। वरन् आंचलिक फिल्में भी बनायी जाती हैं। किंतु उन फिल्मों के संवादों को भी हिंदी में डब (रूपातंरित) कर लिया जाता है। फिल्म निर्माता इस सच्चाई से भली-भांति परिचित हैं कि यदि वे केवल आंचलिक भाषा में फिल्में बनाएंगे तो उन्हें वे फिल्में उसी क्षेत्र विशेष में दिखानी होंगी, जिससे वे संबंधित हैं। संम्पूर्ण भारत में वे चल नहीं पायेंगी। इससे उन्हें व्यवसायिक स्तर पर लाभ होने की अपेक्षा हानि ही उठानी पड़ेगी। यातायात के साधनों की सुविधा के कारण एक क्षेत्र के फिल्म निर्माता, निर्देशक,

*हिंदी अधिकारी, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, लॉ कालेज रोड, पुणे-4।

संगीतकार एवं कलाकार दूसरे क्षेत्रों में आने-जाने लगे। इससे हिंदी भाषा का मिश्रित रूप उभर कर आया।

हम सब इस सत्य से परिचित हैं कि हिंदी फिल्मों में भारत की सामाजिक, धार्मिक, संस्कृतिक एवं राजनैतिक स्थितियों का कमोबेश यथार्थ चित्रांकन होता है। फिल्म निर्माता-निर्देशक की कल्पना का समावेश होते हुए भी वे जन सामान्य के जीवन से अधिक जुड़ी होती हैं। जैसाकि फिल्म निर्माता ऋत्विक घटक कहते हैं अपनी फिल्मों में मैंने अपने देश के तथा लोगों के दु:खों और पीड़ाओं को अपनी समस्त क्षमता से चित्रित किया है तथा जो कुछ भी मैंने उपलब्ध किया है, उसमें ईमानदारी की कहीं कोई कमी नहीं है। निस्संदेह कहा जा सकता है कि हिंदी फिल्में मानवीय संवेदनाओं, गहन अनुभूतियों, जीवन के मधुर व कटु अनुभवों को, जीवन की उपलब्धियों को बड़ी मार्मिकता एवं स्पष्टता से दृश्यात्मक रूप में अभिव्यक्त करती हैं, जो प्रत्येक दर्शक के मन को छू जाती हैं। परन्तु जैसे-जैसे समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आते हैं वैसे-वैसे फिल्मों के कथानक, विषय भी बदलते रहते हैं। यही कारण है कि पहले पौराणिक घटनाओं के कथानकों पर आधारित फिल्में बनाई गई, जैसे महाभारत, राजा हरिश्चंद्र, रामराज्य, सम्पूर्ण रामायण, कृष्णाअवतार, सीता स्वयंवर, गोपालकृष्ण, अयोध्या का राजा आदि। इन फिल्मों ने लोक समाज की मानसिकता को धार्मिक प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त किया।

आज़ादी से पूर्व हमारा समाज अनेक सामाजिक एवं धार्मिक रुढ़ियों, अंधविश्वासों, रुढ़ परम्पराओं तथा अनमेल विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, जैसी समस्याओं से ग्रस्त था। इसीलिए स्वतंत्रता से पूर्व जो फिल्में बनी, उनके विषय थे-देश को आजाद करवाना, समाज में प्रचलित बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाना तथा अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना। इस काल की फिल्में राजनैतिक संघर्ष को अधिक स्पष्ट नहीं कर सकीं, किंतु सांस्कृतिक क्रांति के क्षेत्र में इन्होंने अहम् भूमिका निभायी। फिल्म निर्माता-निर्देशकों ने इस कार्य को अधिक सक्रिय करने के लिए हिंदी को अपनाया। हिंदी को अपनाने का मुख्य कारण था, इसकी व्यापकता और लोकप्रियता। हिंदी ही एक ऐसी भाषा थी जो देश के कोने-कोने में बोली और समझी जाती थी। सामाजिक समस्याओं पर बनी तथा आम आदमी के दुख: दर्द को समेटनेवाली फिल्मों में पड़ौसी, पूरन भगत (1933) अछूत कन्या (1936), घर जवाई (1936), दुनिया न माने (1937), पुकार (1939), आदमी (1939), किस्मत (1940), खानदान (1942) आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात् जैसे-जैसे व्यवस्था और जीवन के रूप एवं जीवन मूल्य बदले, वैसे-वैसे फिल्मों के विषय भी बदले। पहले कोमल संवेदनाओं से परिपूर्ण फिल्में बनती थीं, बाद में स्त्री-पुरुषों के संबंधों में आया खुलापन और उससे उत्पन्न तनाव और कटुता, वर्ग संघर्ष, सांप्रदायिकता, आर्थिक विपन्नता, शोषण, दलितों की समस्याएं और सामाजिक एवं राजनैतिक स्तर का भ्रष्टाचार आदि फिल्मों की पटकथाओं के विषय बने। इतने सारे विषयों को व्यक्त करने के लिए हिंदी भाषा की शक्ति का उतना ही विकास हुआ और इन सबको अभिव्यक्त करने में हिंदी भाषा समर्थ रही।

छठे दशक (1960) और सातवें दशक (1970) के बाद फिल्मों में कलात्मकता का ह्रास होने लगा और उसमें रोमांस का समावेश होने लगा। परिणामत: फिल्मों के विषय यद्यपि सामाजिक समस्याओं पर आधारित होते थे, किन्तु नायक और नायिकाओं का रोमांस पूरी कथा पर हावी हो जाता था। उस काल की आवारा (1951), अनारकली (1953), देवदास (1956), प्यासा (1957), मदर इंडिया (1957), दो आंखें बारह हाथ (1956), मुगले आज़म (1960), साहब बीबी और गुलाम (1962), संगम (1964), गाइड (1965), बॉबी (1972), कोशिश (1972), आदि फिल्मों के माध्यम से समाज के यथार्थ रूप को व्यंजित किया है। इन सब फिल्मों के विभिन्न आयाम मानवीय चेतना को उजागर करते हैं। उन दिनों फिल्म बनाने वाले और पटकथाएं लिखने वाले अधिक मुसलमान थे, फलत: फिल्मों में अन्य भाषाओं की अपेक्षा हिंदी पर उर्दू का प्रभाव अधिक पड़ा और उर्दू सहज भाषा बन गयी। जिससे हिंदी के नये क्षितिजों का विकास हुआ। जिसका श्रेय फिल्मों में आए मुसलमान लेखकों, निर्माताओं, गीतकारों और संगीतकारों आदि को दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए "मुगले आज़म" फिल्म के कुछ संवादों को देखा जा सकता हैं :—

अकबर और सलीम के संवाद.—

अकबर : तुम्हारी आरजू एक कनीज है, एक बांदी है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।

सलीम : तो क्या परवर दिगार आलम से आपने मुझे इसलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके वालिद आप, सांसें मेरी हों और उसकी धड़कनों पर कब्ज़ा आपका रहे। जिल्ले इलाही क्या ये मेरी जिंदगी आप की दुआओं का कर्ज है जो मुझे अपने आंसुओ से अदा करना पड़ेगा?

अकबर : (आवेश में) सलीम—हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते।

स्वंतत्रता प्राप्ति के पश्चात् जिस स्वस्थ समाज की लोगों ने कल्पना की थी, जो उनके सपने थे, वे पूरे नहीं पाए। अपितु समाज व राजनीति में हिंसा, भ्रष्टाचार और अर्थ के प्रति आकर्षण की भावना लोगों में और अधिक प्रबल रूप में पनपा। जिसके परिणामस्वरुप फिल्मों में ये भावनाएं उभरती दिखाई दीं। इन भावनाओं से उद्वेलित होकर इसकी प्रतिक्रिया लोगों में जागी और एंग्री मैन पर्दे पर उतरे। एंग्री मैन के आगमन से पूर्व फिल्मों में समाज के विकृत रूप को अधिक उग्रता से नहीं उभारा गया था। फूल और पत्थर, दो आंखें और बारह हाथ, मेरे अपने, जंजीर, दीवार, डॉन, मुकद्दर का सिकदंर, शोले, आदि ऐसी ही फिल्में हैं जिसमें लड़ाई, झगड़े, मारपीट, लूट-खसोट है। इसी प्रकार सत्या, वास्तव, दिल जले, शूल, दिल पे मत ले यार, बिच्छु, दुश्मन, सोल्जर जैसी फिल्मों में भी मारपीट, लड़ाई-झगड़े, खून-खराबा को ही दर्शाया गया है। इस प्रकार की फिल्मों ने एक रुटीन भाषा को जन्म दिया, क्योंकि कहानी एक्शन दृश्यों के इर्द-गिर्द अधिक घूमने लगी और भाषा में कमी आयी।

समाज में बढ़ती हुई भौतिकता का फिल्म उद्योग पर भी प्रभाव पड़ा। आज अधिकांश फिल्में व्यवसायिक और स्टंट फिल्में बनायी जाती हैं। इस सत्य को स्वीकार करते हुए कलात्मक फिल्मों के निर्माता श्याम बेनेगल कहते हैं "फिल्म उद्योग कलात्मक उद्योग की तरह अब वाणिज्यिक उदयोग बन गया है। इसलिए फिल्म अब आत्माभिव्यक्ति के साधन से अधिक उत्पाद हो गयी है। ऐसा उत्पाद जिसे बेचा जा सकता है, जिसका उपयोग किया जा सकता है··· फिल्में जो भी बन रहीं है, वे पूरी तरह बाजार के लिए बन रही है। ज़ो जल्दी पैसा कमा सकें।" तेजाब, रामलखन, बाजीगर, सौदागर, मैने प्यार किया, बीबी नंबर वन, माचिस, मृत्युदंड, हम दिल दे चुके सनम, सिर्फ तुम, हम आपके हैं कौन, दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे, रिश्ते, घर वाली बाहर वाली, ताल, कभी खुशी कभी गम, ये दिल है तुम्हारा आदि व्यवसायिक फिल्मों ने खूब पैसा कमाया और इन फिल्मों में भाषा (हिंदी) का प्रयोग भी दर्शक वर्ग की पसंद के अनुसार हुआ है। व्यावसायिक फिल्मों के आगमन से हिंदी का एक ऐसा रूप उभर कर आया जो सब लोगों में बोली जाने लगी है, समझी जाने लगी है। व्यावसायिक फिल्मों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी भाषा जन सामन्य से इस कदर जुड़ गई है कि वह भाषा हर दर्शक को अपनी सी लगने लगी है।

यातायात की सुविधाओं के कारण भाषाओं तथा संस्कृतियों का आदान-प्रदान होने से हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्दों का समावेश होने लगा और अलग-अलग उच्चारण रूप भी समाने आए। इससे हिंदी भाषा की शब्द संपदा में वृद्धि हुई तथा फिल्मों के माध्यम से अन्य भाषाओं के शब्द एव टोन का प्रभाव हिंदी प्रदेशों पर भी पड़ा। इससे हिंदी का नेशनल रूप बनने की संभावना बनी। सच्चाई यह है कि फिल्में भाषा का लेन-देन करती हैं। फिल्में पहले (समाज) हमसे भाषा लेती हैं और बाद में हमें वापस दे देती हैं। क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के पात्रों के साथ-साथ फिल्म निर्माता उनकी भाषा भी लेते हैं। फिल्मों में हर तरह के पात्र आते हैं और अपनी-अपनी भाषाएं बोलकर चले जाते हैं। मुंबईवासी होगा तो वह मुंबईया हिंदी बोलेगा, गुजराती है तो वह गुजराती ढंग से, मराठी होगा तो वह मराठी शैली और बंगाली भाषी होगा तो वह बंगाली ढंग से हिंदी बोलेगा।

यहां उल्लेखनीय है कि आठवें और नवें दशक में एक ओर घोर व्यावसायिक एवं एक्शन फिल्में बनायी जा रही थी वहीं दूसरी ओर श्याम बेनेगल, कुमार शाहनी, केतन मेहता, मणिकौल, गोविंद निहलानी, सईद मिरजा आदि फिल्म निर्माताओं ने कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। श्याम बेनेगल की अंकुर, मंथन, भूमिका, मंडी, सूरज का सातवां घोड़ा, कुमार शाहनी की तरंग, गोविंद निहलानी की आक्रोश, हजार चौरासी की मां, तक्षक, सईद मिरजा की मोहन जोशी हाजिर हो, सलीम लंगड़े पर मत रो, अलबर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मणि कौल की उसकी रोटी, केतन मेहता की मिर्च मसाला, आदि कलात्मक फिल्में हैं। इन्हें प्रायोगिक फिल्में भी कहा जा सकता है। ये फिल्में बाजार में तो अधिक नहीं चली, हां इन प्रायोगिक फिल्मों में से बहुत सी

1284 HA/05-8B

फिल्में पुरस्कृत हुई हैं। मनुष्य और उसके जीवन यथार्थ से पहचान करवाना इन फिल्मों का उद्देश्य है। कलात्मक फिल्मों के निर्माताओं ने समाज के यथार्थ रूप को बिना किसी ग्लैमर के प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इन फिल्मों में नारी उत्पीडन, आर्थिक विपन्नता, सामंती अत्याचार शोषण, पुलिस और स्थानीय नेताओं की सांठ-गाँठ और उनकी निष्ठुरता के विरुद्ध खुल कर आवाज़ उठाई गयी है। कलात्मक फिल्मों से हिंदी भाषा को भी लाभ हुआ। उसका शुद्ध रूप बुद्धिजीवी वर्ग ने स्वीकार किया अर्थात् हिंदी का यथार्थवादी रूप सामने आया। इन फिल्मों को देखने से वैसा ही आनंद आता है जैसा कि साहित्यक कृतियों को पढ़ने में आता है।

फिल्मों में मनोरंजन एवं एक्शन का जो गुण होता है, वह जन-जीवन से सीधा जुड़ता है और हर वर्ग के व्यक्ति इससे जुड़ जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने अथवा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और न ही कोई तैयारी करनी पड़ती है। सच्चे अर्थो में फिल्म ही एक ऐसी कलात्मक विधा है, जिसमें जन सामान्य के जीवन की विविध झांकियां सचित्र प्रस्तुत होती हैं। जब हम फिल्मों में करुणापूर्ण दृश्यों को देखते हैं तो हमारी आंखें भी सजल हो उठती हैं। फिल्मी संवाद केवल सवांद नहीं रह जाते बल्कि इनका दर्शकों के मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे 'मदर इंडिया' (महबूब खान) की नायिका अपने बेटे को मारते हुए कहती है— "रूपा हमारे गांव की बेटी है, वह मेरी लाज है। बेटा दे सकती हूं, लाज नहीं"। यहां लक्ष्मी (नायिका) की संवेदनाएं पूरी समाज की संवेदनाओं से जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार दो बीघा जमीन (1953) में फिल्म का नायक बलराज साहनी जमींदार को कहता है "जमीन तो किसान की मां होती है हुजूर। उसे कैसे बेच दूं। ये संवाद सुनकर मन पसीजने लगता है। यहां फिल्म का नायक फिल्म का किसान नहीं है, बल्कि भारतीय समाज के किसान वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत हुआ है। हिंदी फिल्मों के संवादों की विशेषता यह है कि ये आकर्षक और मनोहारी होते हैं, जो बिना किसी प्रयास के याद हो जाते हैं। उदाहरणार्थ (शोले 1975) फिल्म के संवाद बच्चों से लेकर बढ़े-बूढ़े तक को याद हो गए थे।

अखिल भारतीय स्तर पर फिल्मों के माध्यम से अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी का अविराम विकास हुआ और लोक-प्रियता भी बढ़ी। जब कोई अहिंदी भाषी व्यक्ति बनारस इलाहाबाद, अथवा हरिद्वार आदि हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाता है तो वह अपनी टूटी-फूटी हिंदी बोलकर अपने खाने-पीने और रहने की सुविधाएं जुटा लेता है तो इसे हिंदी फिल्मों की देन ही कहा जा सकता है। फिल्में देखते-देखते, और संवाद सुनते-सुनते वह हिंदी समझने लगता है और थोड़ा बहुत बोलने लगता है। देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हिंदी के अखबार नहीं आते और न ही वहां महाविद्यालयों एवं कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जाती है। पर देश के नक्शे पर ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ हिंदी फिल्में न पहुंचती हो। हिंदी फिल्में जहाँ भी जाएंगी वहाँ हिंदी अवश्य जाएंगी। जिसे परोक्षरूप में फिल्मों के माध्यम से हिंदी का प्रचार-प्रसार ही कहा जा सकता है।

फिल्मों ने हिंदी भाषा को अपना कर एक और महत्वपूर्ण कार्य किया है, वह है साहित्यिक कृतियों को जन-सामान्य तक पहुँचाने का। आज के भौतिकतावादी युग में किस के पास समय है, पुस्तकें पढ़ने का। (अध्ययन-अध्यापन क्षेत्र से संबद्ध व्यक्तियों को छोड़कर) यदि साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनायी जाती हैं तो वे जन सामान्य तक पहुँचती हैं। अनेक साहित्यकारों की रचनाओं पर फिल्में बनायी गयी, जैसे—प्रेमचंद की रचनाओं पर, दो बैलों की कथा, सद्गति, शतरंज के खिलाड़ी, रंग भूमि, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी 'मारे गये गुल फाम' पर 'तीसरी कसम' 'चंद्रधर गुलेरी की 'कहानी' उसने कहा था पर इसी नाम से तथा भगवती चरण वर्मा के उपन्यास 'चित्र लेखा' पर भी इसी नाम से फिल्म बनायी गयी। आर के नारायण के उपन्यास पर 'गाइड', राजेंद्र यादव के उपन्यास पर 'सारा आकाश' तथा कुसुम अंसल के उपन्यास 'उसकी पंचवटी' पर 'पंचवटी' नाम से और धर्मवीर भारती के 'सूरज का सातवाँ घोड़ा' उपन्यास पर इसी नाम से हिंदी फिल्म बनी हैं। हिंदी भाषा के साहित्य के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की कृतियों पर भी हिंदी फिल्में बनी। बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरतचंद्र की साहित्यिक कृतियों पर देवदास, बड़ी दीदी, महाश्वेता देवी की रचना पर 'रुदाली,' 'हजार चौरासी की माँ' आदि हिंदी फिल्में बनी। यहाँ ध्यातव्य है कि फिल्म निर्माता साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाते समय मूल कृतियों के संवादों में परिवर्तन कर देते हैं। अपने हिसाब से भाषा को तोड़-मरोड़ देते हैं, शायद यह फिल्म कला की मांग है। साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाते समय फिल्म निर्माता साहित्यिक कृतियों के

संवादों और भाषा को चाहे कितना भी बदलें, किंतु उसे आम जनता तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंदी को सर्वग्राही बनाने में फिल्मों का योगदान अधिक है, जो साहित्य में नहीं हो पाया।

दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का विरोध होता है किंतु वहाँ हिंदी फिल्में खूब देखी जाती हैं। अनेक अहिंदी भाषी फिल्म निर्माता एवं निदेशकों ने हिंदी फिल्में बनाई और बना भी रहे हैं। एल. बी. नागी रेड्डी ने 'नन्हा फरिस्ता', 'राम और श्याम', एल. वी. प्रसाद (मद्रास) ने 'मिलन', 'विदाई', 'बेटी-बेटे', खिलौना', 'एक दूजे के लिए' तथा मणिरत्नम ने 'रोजा', 'बॉम्बे', 'दिल से' जैसी महान फिल्में बनायीं। अहिंदी भाषी फिल्म निर्माताओं ने भी हिंदी भाषा की उपयोगिता को बड़ी सूक्ष्मता से जान लिया है। वे इस तथ्य से परिचित हैं कि यदि वे अपनी भाषाओं से ही चिपके रहेंगे तो उनके रचनात्मक कार्यों एवं सृजनात्मक प्रतिभा को कौन जानेगा। इसीलिए उन्होंने हिंदी का सहारा लिया। दक्षिण के निर्माताओं की तरह अनेक हीरो-हीरोइनों ने हिंदी को बिना किसी हिचक के अपनाया। यहाँ तक कि जो इस भाषा को जानते नहीं थे, उन्होंने परिश्रम पूर्वक इसका अध्ययन कर इसको आत्मसात किया। हेमा मालिनी, वैजयंतीमाला, जया प्रदा, रेखा, मधु, की फिल्म जगत में जो पहचान बनी, वह केवल हिंदी फिल्मों के कारण इसी प्रकार विश्वजीत, चिरंजीवी, प्रभु देवा आदि अभिनेताओं को हिंदी फिल्मों में किए गए अभिनय के कारण ही जाना जाता है।

फिल्मों में भाषा की शुद्धता पर बल नहीं दिया जाता। लेकिन फिल्मों की पटकथा एवं संवाद लिखने वाले बड़े-बड़े विद्वान होते हैं। ये फिल्मों की पटकथा और संवाद इतनी सजगता से लिखते हैं, जो केवल उपन्यास लिखने वाले नहीं लिख सकते थे। कमलेश्वर, राही मासूम रजा, मनोहर श्याम जोशी, गुलजार, सलीम खान, जावेद अख्तर आदि प्रसिद्ध लेखकों ने हिंदी में छिपी हुई ताकत और संभावनाओं को फिल्मों के माध्यम से बाहर निकाला है। इन सब पटकथा एवं संवाद लेखकों ने हिंदी भाषा में रोचकता, आकर्षण और सौंदर्य पैदा किया।

फिल्मी गीतों ने भी हिंदी भाषा को संस्कारित किया और ग्रामीण बोलियों के लोकगीतों को भी ग्रहण किया, जिसके कारण फिल्मी गीत हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत पसंद किये जाते हैं। पुरानी फिल्मों के गीत अधिक अर्थपूर्ण और मर्मस्पर्शी होते थे। जैसे—मन डोले, मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे ये अब कौन बजाए बांसुरिया।

फिल्मों में लोक शैली में गाए गए गीत दर्शकों को अधिक प्रभावित करते हैं जैसे—

—झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो (बॉबी)

—रंग बरसे भीगे चुनरवाली रंग बरसे (सिलसिला)

—दीदी तेरा देवर दीवाना हाय राम कुड़ियों को डाले दाना—(हम आपके हैं कौन)

लोक गीतों को सुनकर दर्शक स्वयं को ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ पाते हैं। हिंदी फिल्मों में एक्शन के साथ-साथ भारतीय परिवेश भी है। आजकल के निर्माता उन अप्रवासी भारतीयों के लिए फिल्में बना रहे हैं जो पूर्ण रूप से विदेशों में बस गये हैं, उन्हें ऐसी फिल्मों से अपने अतीत का एहसास होता है। जैसे 'मानसून वेडिंग' में पंजाबी शादी का चित्रण किया गया है। इस फिल्म को विदेशों में अप्रवासी भारतीयों ने बहुत पंसद किया। हिंदी फिल्में विदेशों में बसे भारतीयों को भारत की भूमि, यहाँ के तीज-त्यौहारों, खान-पान, तथा अन्य परम्पराओं की याद दिलाकर भारत से जुड़े रहने का आभास दिलाती है तथा फिल्मों के माध्यम से वे अपनी भाषा हिंदी को भी जीवित रखने का प्रयास करते हैं।

कुछ शुद्धतावा का मानना है कि मीडिया ने हिंदी को बिगाड़ा है। वे फिल्मों की भाषा को भाषा नहीं मानते, क्योंकि फिल्मों की भाषा उस तरह से परिष्कृत नहीं होती जिस तरह से साहित्य की होती है। फिल्म निर्माता अपने ढंग से भाषा को बदलते रहते हैं, जो सत्य है। लेकिन फिल्मों का उद्देश्य हिंदी का प्रचार-प्रसार करना नहीं है। फ़िल्म निर्माता की यही कोशिश रहती है कि वह कम से कम समय में दर्शकों का मनोरंजन कर सके। फिल्म निर्माता फिल्म बनाते हैं और दिखाते हैं, यही उनका उद्देश्य है।

आज के वैज्ञानिक और कंप्यूटर के युग में लिखित भाषा के अस्तित्व पर प्रश्न उठाये जा रहे हैं। आज फिल्म निर्माता पैसा कमाने पर जोर दे रहे हैं। आज का फिल्म निर्माता-निर्देशक पैसा कमाने के लिए कलाकारों की वेशभूषा, मेकअप, सैट डिजाइनिंग आदि पर बल देता है। इससे फिल्मों में संस्कृति और भाषा का ह्रास दिखाई देता है 'लगान' फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया और उसे ऑस्कर अवार्ड के लिए प्रस्तावित भी किया गया। इस फिल्म में क्रिकेट के खेल को दर्शाया गया है। इस फिल्म में क्रिकेट

(शेष पृष्ठ 63 पर)

मानव अधिकारों का संरक्षण एवम् संवर्धन : नवीन दिशा दृष्टि की आवश्यकता

—डॉ. बी.सी. उप्रेती *

मानव अधिकार आज विश्व के चर्चित विषयों में से एक है। एक अवधारणा के रूप में, एक आंदोलन के रूप में अथवा एक राजनीतिक यंत्र के रूप में, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सर्वत्र मानव अधिकारों की बात की जा रही है। मानव अधिकारों का प्रश्न जितना लोकप्रिय हुआ है उतना ही यह जटिल भी है। लोकप्रिय इसलिये कि अधिकारों की व्यवस्था आज मानव-मात्र के लिये एक प्राथमिक आवश्यकता बन गयी है। लेकिन जटिल इसलिए कि कई बार यह तय करना कठिन हो जाता है कि व्यक्ति के अधिकारों का सामंजस्य समाज व राष्ट्र की एकता व अखंडता के साथ किस प्रकार बिठाया जा सकता है ? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और इस पर विचार किया जाना आवश्यक है।

मानव अधिकार नामकरण भले ही आज की बात हो लेकिन व्यक्ति के अधिकारों का विचार उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक दर्शन का इतिहास। विगत में यदि देखें तो यूनानी चिंतकों ने प्राकृतिक कानून की अवधारणा को विकसित किया। सुकरात का कहना था कि निर्णय का आधार यह होना चाहिए कि क्या अच्छा है तथा क्या बुरा। रोमन कानून में व्यक्ति की समानता की बात कही गयी थी। भारतीय दर्शन में भी व्यक्ति की समानता का उल्लेख मिलता है। थॉमस एक्वीनास का कहना था कि प्राकृतिक कानून का स्थान सबसे ऊपर है। थॉमस हॉब्स, ह्यूगो ग्रेशियस, रेन डेसफार्टिस, लेब्नीज, स्वीनोजा, फ्रांसिस बेकन, जॉन लॉक, मांटस्क्यू, बाल्टेयर, रुसो, आदि दार्शनिकों ने अपने-अपने तरीके से व्यक्ति के अधिकारों की चर्चा की। यद्यपि राजनीतिक चिंतन की इस धारा में वर्क, डेविड, ह्यूम, जर्मी बेन्थम, जे.एस. मिल, फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविग्ने, सर हेनरीमेन, जॉन ऑस्टिन जैसे विद्वान भी आये, जिन्होंने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का विरोध किया। इसके बावजूद मानव अधिकारों की अवधारणा का विकास हुआ। मेग्ना कार्टा (1215) , पेटिसन ऑफ राइट (1628), पीस ऑफ वेस्टफेलिया (1648), बिल ऑफ राइट (1689), डिक्लेरेसन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस (1776), डिक्लेरेसन ऑफ राइट्स (1791), आदि उद्घोषणाओं ने मानव अधिकार की अवधारणा को बल प्रदान किया।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद मानव अधिकारों के संरक्षण के लिये संस्थागत उपायों पर बल दिया जाने लगा। राष्ट्र संघ व संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रकार की व्यवस्था की गई। 1948 में मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा ने मानव अधिकारों की व्यवस्था को एक आंदोलन का रूप दे दिया। समय-समय पर कई अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों की घोषणा की गयी तथा मानव अधिकार आयोग व उसके अभिकरणों की अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था की जाने लगी। कालांतर में मानव अधिकारों का प्रश्न लोकतंत्र, संविधानवाद, विकास व आधुनिकीकरण के साथ जुड़ गया। मैं यहाँ पर मानव अधिकारों को परिभाषित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह कहूंगा कि मानव अधिकारों का विचार चार बातों पर आधारित है :—

1. सभी व्यक्ति जन्मजात रूप से समान हैं।

2. सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं।

3. सभी को स्वतंत्रता मिले।

4. जब तक किसी व्यक्ति का दोष स्पष्ट न हो जाय वह निर्दोष है।

यह बात तो सत्य है कि मानव अधिकारों की व्यवस्था सभी के लिए है। लेकिन चूंकि सभी समाज परंपरागत रूप से समानता पर आधारित नहीं होते अतः कुछ वर्ग ऐसे होते हैं

* सी-12, इन्द्रप्रस्थ, जगतपुरा रोड, जयपुर-302017

जो कि पिछड़े हुए हों। तृतीय विश्व के देशों में प्रजाति, लिंग, वर्ग के आधार पर भेद किया जाता रहा है। भारत जैसे देश में पिछड़ी जातियों, महिलाओं, बालकों के अधिकारों की बात उठाई जाती है। यह बात निश्चित है कि ऐसा भेदभाव पूर्ण नीतियों के परिणामस्वरूप हुआ है, चाहे वह सामाजिक मूल्यों के कारण हुआ है अथवा विकास की दौड़ में पिछड़ने के कारण। इन वर्गों के अधिकारों के संवर्धन के लिये विशेष प्रयास करके इस अंतर को कम किया जा सकता है। अत: इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अधिकारों की व्यवस्था में समाज के पिछड़े प्रताड़ित व कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। इस संदर्भ में इस बात को भी दृष्टिगत रखना चाहिए कि अधिकारों का हनन परंपरागत सामंतवादी व अविकसित समाजों की समस्या अधिक है। इससे यह बात भी स्पष्ट होनी चाहिए कि क्यों मानव अधिकारों के प्रश्न को लेकर विकसित देश चैम्पियन बनने की स्थिति में हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानव अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन के लिये लोकतंत्रीय व्यवस्था ही उपयुक्त हो सकती है। यह कहा जा सकता है कि मानव अधिकार व लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन मैं इस बात की ओर सभी प्रबुद्धजनों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यदि लोकतंत्रीय व्यवस्था कुल मिलाकार एक मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी बन जाए तथा संवैधानिक उपबंध केवल कागजी व्यवस्था बनकर रह जाय तो मानव अधिकारों का क्रियान्वयन भी लचर रहेगा, अत: आवश्यकता इस बात की है कि मेजोरिटेयन डेमोक्रेसी के स्थान पर कम्यूनिटेरियन डेमोक्रेसी तथा राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की अभिकल्पना को भी साकार किया जाए।

मानव अधिकार को एक स्थिर विचार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बल्कि यह एक गतिशील अवधारणा है। बदलती परिस्थितियों व आवश्यकताओं के अनुसार मानव अधिकारों का स्वरूप भी बदल सकता है। मानव अधिकारों की व्यवस्था किसी समाज की स्थिति के अनुरूप होती है तथा ज्यों-ज्यों समाज आगे बढ़ता है तो मानव अधिकारों के आयाम भी बदल जाते हैं। इसी संदर्भ में विकसित व विकासशील देशों के मध्य अंतर को समझा जा सकता है। विकसित देशों में मानव अधिकारों की स्थिति इसलिये अच्छी है क्योंकि वहां की सामाजिक-आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ हैं। परंतु इसका यह अर्थ भी नहीं लगाया जाना चाहिए कि वहां मानव अधिकारों के हनन की समस्या नहीं है। समस्या वहां भी है लेकिन अंतर यह है कि वहां मानव अधिकारों के हनन के आयाम सीमित हैं तथा अधिकारों के संरक्षण का संस्थागत ढांचा अधिक सुदृढ़ है। विकसित व विकासशील देशों के मध्य विवाद का मुद्दा यह नहीं है कि कहां मानव अधिकारों का संवर्धन अधिक हो रहा है तथा कहां कम, बल्कि समस्या यह है कि विकसित दशों ने मानव अधिकारों के प्रश्न का तृतीय विश्व के देशों पर दबाव के लिये एक राजनीतिक यंत्र के रूप में प्रयोग में लाने का प्रयास किया है। वास्तव में यदि देखा जाए तो विकसित देशों ने मानव अधिकार का प्रश्न उठाकर तृतीय विश्व के देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने का प्रयास किया है। अत: यह उम्मीद करना व्यर्थ है कि मानव अधिकारों का संवर्धन विकसित देशों की किसी मुहिम से सम्भव हैं। इसके लिये प्रत्येक देश को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा।

मानव अधिकारों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि मानव अधिकारों की वैश्विक उद्घोषणा की कितनी उपादेयता है? यह बात सही है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने एक दिशा-निर्देश का कार्य किया है, एक रास्ता सुझाया है तथा एक विश्व व्यापी जागृति पैदा की है। लेकिन बहुत से मुल्कों में इस पर आपत्ति भी व्यक्त की गयी है। यह कहा जाता है कि इस घोषणा में पश्चिमी प्रतिमानों को आधार बनाया गया है। इस संदर्भ में यह बात महत्वपूर्ण है कि किसी भी देश में मानव अधिकारों की व्यवस्था वहां की सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिये। पश्चिमी देश सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर चुके हैं। अत: वहां राजनीतिक अधिकारों की बात अधिक की जाती है। लेकिन तृतीय विश्व के देशों की समस्या सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां हैं। अत: उनकी प्राथमिकता सामाजिक-आर्थिक अधिकार है। इसका यह मतलब नहीं है कि इन देशों में राजनीतिक अधिकारों का महत्व नहीं है। आवश्यकता एक समग्र दृष्टिकोण की है। आवश्यकता है मानव अधिकारों के वैश्विक मापदंडों व स्थानीय आवश्यकताओं के मध्य एक संतुलन स्थापित करने की। स्थानीय आवश्यकताओं को मानव अधिकारों की व्यवस्था में प्राथमिकता देनी होगी।

मानव अधिकारों के हनन का प्रश्न महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वार्थ, प्रजातीय, सांप्रदायिक झगड़े, आतंकवादी हिंसा, सर्वसत्तावाद, राज्य की दमनकारी नीतियां उत्तरदायित्व

विहीन शासन, आदि मानव अधिकारों के हनन के लिये जिम्मेदार हो सकते हैं। मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिये लोकतंत्रीय व्यवस्था, संवैधानिक उपबंध व न्यायिक सक्रियता की बात तो आमतौर पर की जाती है। लेकिन एक दूरगामी परिप्रेक्ष में आवश्यकता इस बात की भी है कि उन परिस्थितियों को बदला जाए। जिनके कारण मानव अधिकारों का हनन हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि मात्र कानूनी-संवैधानिक दृष्टिकोण से समस्या का हल नहीं निकल सकेगा बल्कि उस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करनी होंगी जिसमें सभी के अधिकारों का संवर्धन हो सके।

मानव अधिकारों की व्यवस्था को बनाये रखने में आज गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका की काफी चर्चा होती है। अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर अन्याय गैर-सरकारी संगठन हैं जो कि मानव अधिकारों की पैरवी कर रहे हैं। मानव अधिकारों के लिये जन चेतना को विकसित करने में इनकी भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन इनकी भूमिका के संदर्भ में इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी संगठन एकाकी दृष्टिकोण न अपनाए तथा एक नकारात्मक सोच को आगे न बढ़ने दे। यह समस्या तब अधिक उठी है जबकि किसी संगठन द्वारा जाति विशेष, लिंग आदि को आधार बनाकर मानव अधिकारों के संवर्धन का प्रश्न उठाया हो। इससे कई बार मानव अधिकारों की सुरक्षा के स्थान पर नयी प्रकार की पेचीदगियां उत्पन्न हुई हैं। अत: जहां मानव अधिकार संगठनों की भूमिका की महत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता तो वहीं यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उनकी भूमिका व्यापक सोच व संदर्भ पर आधारित हो।

अंत में मैं उस प्रश्न की ओर पुन: लौटना चाहूंगा जो कि मैंने प्रारंभ में उठाया था कि क्या मानव अधिकार निर्बाध होने चाहिएं? क्या मानव अधिकार का तात्पर्य आचरण की स्वच्छंदता है? आज के जटिल सामाजिक-राजनीतिक परिवेश में यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया है। व्यक्ति के अधिकारों के साथ समाज व राष्ट्र की अस्मिता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अत: एक सीमा रेखा होनी चाहिए। लेकिन यह सीमा रेखा कौन तय करे : पुलिस, प्रशासन या न्यायालय? मैं यह समझता हूँ कि व्यक्ति यदि स्वयं के आचरण से इस प्रकार की सीमा रेखा तय करे तो मानव अधिकारों के हनन का संकट नहीं रहेगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। यह तभी संभव है जबकि समुचित विकास हो, सुशासन की स्थापना हो तथा नागरिक समाज का निर्माण हो। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मानव अधिकारों का संवर्धन एकाकी प्रवृत्ति नहीं है। यह तभी संभव है जबकि सुशासन व नागरिक समाज की स्थापना हो। अत: मानव अधिकारों की व्यवस्था, विकास, सुशासन व नागरिक समाज के व्यापक परिप्रेक्ष में अधिक सफल हो सकती है। ❐

(पृष्ठ 18 का शेष)

ध्यान दिलाकर, कठिनाइयों को दूर करने के साधन सुलभ करवाकर और हिचकिचाहट को दूर करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में हिंदी के बहुआयामी प्रयोग से अनुकूल परिवेश का निर्माण होगा और कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी। अत: सरकारी क्षेत्रों के साथ-साथ गैर-सरकारी क्षेत्रों में भी सशक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। संस्कृतनिष्ठ, व्याकरणनिष्ठ एवं अरबी-फारसी मिश्रित हिंदी के बजाय स्थानीय भाषाओं से संपृक्त हिंदी अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक ग्राह्य होगी। अत: राजभाषा-राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में प्रचारित करने के लिए स्वाभाविक, बोधगम्य एवं सरल हिंदी को सर्वाधिक प्रश्रय देना होगा।

इस प्रकार हिंदी तथा हिंदीतर राज्यों, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों और वाणिज्यिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसे सहज और सार्थक वातावरण का निर्माण किया जाए कि सभी लोग हिंदी को आत्म-गौरव और आत्म-सम्मान की भाषा बना लें, इसे आत्मीय समझकर हृदय की भाषा बना लें। यही नहीं सभी के मुख से यह वाणी भी स्वत: मुखरित होने लगे कि भारतीय संविधान में "राजभाषा" के स्थान पर "राष्ट्रभाषा" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए, ताकि संघ सरकार की राजभाषा के साथ-साथ इसे देश की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित-प्रसारित और प्रतिष्ठापित किया जा सके। भाषाई क्षेत्र में 21वीं शदी का शुभारंभ राष्ट्रभाषा हिंदी की गरिमा-वृद्धि और नई पदस्थापना के साथ होना चाहिए तभी हमारा देश संपन्न, सशक्त, संगठित और गौरवशाली बन सकेगा। ❐

कृषि

आधुनिक कृषि पद्धतियाँ एवं कार्बनिक खेती

—एस.आर. यादव*

भारत के साथ-साथ विश्व की जनसंख्या का ग्राफ भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। आने वाले दशकों में खाद्यान्नों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है। इसलिए समय की यह मांग है कि इस ओर अभी से ध्यान देना आरंभ कर दिया जाए अन्यथा भूखमरी के कगार पर पहुंचने में हमें देर नहीं लगेगी। अफ्रीकी देशों में तो इसका परिणाम अभी से सामने आने लगा है। भारत में इस ओर ध्यान देना बहुत पहले ही आरंभ हो चुका था। फिर भी इसमें और प्रगति की नितांत आवश्यकता है। इसलिए हमें प्राचीन तौर-तरीकों के साथ-साथ आधुनिक पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा।

प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, रासायनिक खेती, बिना मशीन की खेती या कार्बनिक खेती इत्यादि कुछ भी नाम रख लीजिए, चर्चा करने के लिए ये सभी शब्द बहुत ही लुभावने लगते हैं। वैसे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त खेतियों में सभी का अपना विशेष महत्व है तथा रासायनिक खाद उसका पूरा-पूरा विकल्प नहीं बन सकती है। आधुनिक कृषि की उन्नत तकनीकों के कारण ही फसलों के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। फिर भी आजकल कृषि उत्पादन में स्थिरता आ गई है। रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक दवाओं के अत्याधिक प्रयोग से पर्यावरण के प्रदूषित होने का खतरा भी बढ़ रहा है। जमीन की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि हम कृषि के दूसरे स्वरूपों, जैसे—कार्बनिक खेती अथवा प्राकृतिक खेती को अपनाने के बारे मे सोचें। यद्यपि परंपरागत कृषि में ऊर्जा की खपत अधिक होती है एवं फसलोत्पादन तथा श्रम की उपयोग दक्षता में भी वृद्धि होती है, लेकिन मृदा उर्वरता पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।

भारत में कृषि पुरातन व्यवसाय है और कई सदियों से इसका प्रयोग करते रहने से यहां के किसान काफी अनुभवी हैं। इन्हें खेत की तैयारी, बीजों की बोआई, फसल की रक्षा, अनाज का भंडारण, पशु-पोषण और पशु-चिकित्सा संबंधी अनेक प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान है। उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में किसान अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त ज्ञान में अपना अनुभव जोड़ कर कम खर्च में, अपने आस-पास सस्ते में उपलब्ध चीजों के द्वारा खाद्यान्न का उत्पादन करता आ रहा है। इनमें कई उपाय ऐसे हैं जिनके काफी कुछ वैज्ञानिक आधार हैं। मगर भारतीय किसान गांवों में रहने और अशिक्षित होने के कारण अपने द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलापों के वैज्ञानिक आधार की जानकारी से अपरिचित हैं। आज अनेक वैज्ञानिक अविष्कार हो रहे हैं। उनके कारण कृषि क्षेत्र में भी काफी विकास हो रहा है। आज विज्ञान के विकास के कारण मौसमी सूचना का अनुमान, अधिक उत्पादक बीज, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयां, कृषि उपकरण, कृषि पद्धतियां, सिंचाई पद्धतियां आदि अनेक क्षेत्रों में बहुत सुधार हुआ है जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से कृषि उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि से है। आज इन सभी नये अविष्कारों को पुरानी विधियों, पद्धतियों और प्रक्रियाओं से इस प्रकार जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे कि किसान इष्टतम उत्पादकता प्राप्त कर सकें। हमारे देश के कृषकों को पारिस्थितिकी के संतुलन को बनाये रखते हुए जैव संबंधी खाद तथा स्थानीय किस्म की फसलों द्वारा खाद्यान्न उत्पन्न करने में काफी अनुभव है। इसके साथ-साथ कृषकों को कृषि में सहायक और जीवन के लिए खाद्य पदार्थ देने वाले पशुओं के पोषण और चिकित्सा संबंधी जानकारी भी है।

अधिकांशतया कृषकों को वर्षा, हवा, अकाल और असामयिक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कृषक की प्राथमिकता प्रकृति से मिलने वाली वर्षा के प्रति अधिक रहती है। कृषक की प्राथमिकता की दृष्टि से

*केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, संतोष नगर, सैदाबाद डाकघर, हैदराबाद-500059

खेती संबंधी तकनीकें दूसरे स्तर पर रहती हैं। खेती संबंधी तकनीकों में पेड़ों के बीच की दूरी, खाद, खेती के महीनों में किए जाने वाले कृषि संबंधी काम-काज, सिंचाई की अवधि और विविध फसलों के लिए सस्य रक्षण की विधि, उद्यान कृषि संबंधी विषय, जुताई संबंधी काम-काज, गोबर, रसायनिक खाद का महत्व इत्यादि आते हैं। सर्वोत्तम खेती तभी होती है जब वह कृषक की स्वयं देख-रेख में होती हो अर्थात् जब कभी भी खेत जुताई के लिए किसी अन्य को दिया जाए तो खेती के मूलस्वामी का भी उपस्थित रहना आवश्यक है।

भूमि में अधिक नत्रजन खाद के प्रयोग से भूमि क्षार आने वाली अन्य फसलों को हानि पहुंचाती है। इससे बचने के लिए उन फसलों की बोआई करनी चाहिए जिनकी जड़ें अधिक गहराई तक जाती हों। मूंगफली की खेती, भूमि के अधिक नत्रजन के शोषण करने से, भूमि को अन्य फसलों के लिए तैयार करती है। प्राय: यह भी देखा गया है कि चने के लिए मिट्टी के ढेले और गेहूं हेतु बारीक मिट्टी उत्तम रहती है। रासायनिक खाद के उपयोग से अत्यधिक रसायनिक पदार्थों की मात्रा फसलों में रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि अधिकांशत: गोबर की खाद का प्रयोग ही अधिक उपयुक्त है। कृषकों को अक्सर सिंचाई के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है इसलिए यदि समय को ध्यान में रखकर खेती की जाए तो असामायिक सूखे से कृषक को राहत मिलती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं जीवनाशकों का प्रयोग कम तथा मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए उत्तरदायी सूक्ष्मजीवों की खुराक को विभिन्न कार्बनिक पदार्थों द्वारा पूरा करते हैं, ये पदार्थ हैं—कम्पोस्ट एवं वाहित मल, गोबर की खाद, कार्बनिक अपशिष्ट, आदि। खेती की यह प्रणाली अधिक उपज प्राप्त करने के लिए मूलत: जैविक प्रक्रियाओं पर आधारित रहती है। अधिकाशत: इस पद्धति से भी उपज उतनी ही अच्छी होती है जितनी कि परंपरागत तरीके से।

नि:संदेह आधुनिक कृषि में सुधरी हुई तकनीक एवं नये-नये तरीके अपनाने से कृषि उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है। लेकिन कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के अनियंत्रित प्रयोग का प्रतिकूल प्रभाव मिट्टी की संरचना, मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं, पीने के पानी, पशुओं के चारे एवं खाद्य पदार्थों पर भी पड़ा है। पीने के पानी में नाईट्रेट की अधिकता मानव स्वास्थ्य, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य पर, तथा पशुओं पर कुप्रभाव डालती है। यहां तक की कुछ दशाओं मे तो यह खतरनाक भी साबित हो सकती है।

प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक, डॉ० एम० एस० स्वामीनाथन ने आगाह किया है कि कीटनाशी, शाकनाशी एवं फफूंद नाशकों के अनियंत्रित प्रयोग से जमीन का जैविक संतुलन बिगड़ जाएगा तथा अनाज एवं खाद्य पदार्थों में इन जहरीले पदार्थों के अवशेष विद्यमान होने की वजह से कैंसर एवं अन्य बीमारियों के पैदा होने की आशंका बढ़ेगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार संपूर्ण विश्व में लगभग 30 लाख लोग कीटनाशकों के जहर से प्रभावित होते हैं जिसमें लगभग 20,000 लोग मृत्यु के शिकार होते हैं। सबसे अधिक मृत्यु विकासशील देशों में होती है जो कि केवल 25 प्रतिशत कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। इन सबको देखते हुए कार्बनिक खेती निश्चित रूप से सुरक्षित खाद्यान्न प्रदान करने एवं पर्यावरण को स्वच्छ रखने का एक अच्छा विकल्प है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में विविधता और सांस्कृतिक भिन्नता का एकमात्र सेतु देश में मनाए जाने वाले त्यौहार और पर्व दिन ही हैं। इन अवसरों पर हर्ष उल्लास, नृत्य तथा संगीत का प्रदर्शन तो होता ही है, इन्हीं दिनों की सूचना कृषक के लिए अपने उचित क्रिया कलापों की आरंभिक सूचना भी होती है।

कार्बनिक खेती के लाभ भी हैं और हानि भी, अर्थात अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों ही देखने में आते हैं। परंतु कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अत: आज के युग में इस प्रकार की खेती की नितांत आवश्यकता है।

कार्बनिक खेती के कुछ सुप्रभाव

* इससे खाद्यान्नों की पैदावार में कई गुणा वृद्धि होती है।
* कार्बनिक खेती में, पारंपरिक खेती की तुलना में कम ऊर्जा लगाने की आवश्यकता होती है।
* उत्पादों की कीमत अधिक मिलती है।
* इस खेती में मशीनों के कम प्रयोग की आवश्यकता होती है तथा फसल के खराब होने का खतरा भी कम रहता है।
* इससे कृषि उत्पादन में लागत कम आती है तथा मृदा स्वास्थ्य में भी सुधार होता है।
* खेती की सुधरी हुई प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जहां खाद्यान्नों की पैदावर में कई गुणा वृद्धि

हुई है, वहीं भुखमरी में कमी भी साफतौर पर देखने में आई है।

* बेरोजगारी में कमी हुई है तथा प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग होने लगा है।

* नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरसधारी उर्वरकों तथा जीवनाशी, कीटनाशी, शाकनाशी, आदि का प्रयोग न होने की वजह से प्रदूषण का खतरा कम रहता है।

* यह खेती करने वाले किसान रासायनिक जीवनाशकों हार्मोन आदि का प्रयोग नहीं करते हैं, अतः इन सबके अवशोषित प्रभाव का खतरा भी कम रहता है।

कार्बनिक खेती के दुष्प्रभाव

* पारंपरिक खेती से कार्बनिक खेती में बदलाव यदि शीघ्रता से किया जाए तो प्रारंभ में फसल की हानि की संभावना रहती है।

* सरकारी सहयोग के बिना किसान कार्बनिक खेती को अपनाने से डरते हैं।

* भू-संसाधनों का प्रयोग कार्बनिक खेती से पारंपरिक खेती की ओर तो तुरंत हो सकता है लेकिन इसका उल्टा होना कठिन है।

कार्बनिक खाद

कार्बनिक पदार्थों, जैसे—गोबर की खाद, स्लरी, कंपोस्ट, भूसा, फसल अवशेष तथा हरी खादों का इस पद्धति में प्रयोग करके पर्यावरण की दशा को बेहतर बनाए रखा जा सकता है। इसके अलावा समुद्री खरपतवार, मछली की खाद और कुछ प्रयोग किए जा सकने वाले उर्वरक, जैसे—बेसिक श्लैग तथा रॉक फॉस्फेट का प्रयोग कर सकते हैं।

वास्तव में कृषि का आधार कार्बनिक पदार्थ ही है, अतः इनको जलाकर व खुला छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। इनको भली भांति सड़ाकर खेतों में प्रयोग करना चाहिए। कार्बनिक खादों के प्रयोग से मृदा में जीवांश पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती है। जिससे मृदा की पोषक तत्व व जल धारण क्षमता बढ़ती है। भू-क्षरण एवं वाष्पोत्सर्जन दर को भी कार्बनिक खादों के प्रयोग को कम किया जा सकता हे। फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश भी मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। इसे मृदा पोषक चक्र कहा गया है। हरी खाद जैसे ढैंचा आदि के प्रयोग को भी बढावा देना चाहिए।

नील हरित शैवाल

नील हरित शैवाल (काई) को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तथा यह वायुमंडल से 20-25 कि.ग्रा. नाईट्रोजन प्रति हैक्टेयर प्रत्येक वर्ष स्थिरीकरण करती है। इसका प्रयोग धान की फसल में रोपाई के सात दिन बाद 10 कि.ग्रा./है. की दर से आसानी से किया जा सकता है। इसकी मुख्य प्रजातियां नास्टॉक, अनाबीना, क्लोथ्रीक्स, टोलीपोथ्रिक्स, इत्यादि हैं।

फॉस्फेट (घुलनशील)

मृदा में उपस्थित अघुलनशील फॉस्फोरस को कुछ कवक तथा बैक्टीरिया घुलनशील बनाकर फसलों को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। इन्हें फॉस्फेट विलेयकारी जैव उर्वरक कहते हैं। स्यूडोमोनास स्ट्रेटा, बैसीलस, पोलीमिक्सा, बैसीलक मैगाटेरियम और एस्परजीलस अवामोरी आदि कुछ फॉस्फेट घुनशील जीवाणु हैं। विभिन्न फसलों पर किए गए अनुसंधान परिणामों से पता चला है कि फॉस्फेटविलयकारी जैव उर्वरकों के प्रयोग से धान, गेहूँ, मक्का, चना, उड़द, मटर आदि फसलों में फॉस्फोरस की उपलब्धता 10-30% तक बढ़ जाती है।

खरपतवार का विनाश

परंपरागत खेती की अपेक्षा कार्बनिक खेती करने वाले किसान कतार वाली फसलों में खरपतवार विनाश के लिए यांत्रिक क्रियायें अधिक करते हैं। इस पद्धति में किसी भी खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है जिससे पर्यावरण के प्रदूषित होने का खतरा भी नहीं रहता है। नीम, तुलसी, ज्वार, मक्का, गैंदा तथा बोगेनवीलिया से उत्पादित कीटनाशकों का प्रयोग अधिकतर कीट-व्याधियों से छुटकारा दिला सकता है। बहुत से नीम-आधारित कीटनाशी, जैसे नीमार्क, नीमगार्ड, एग्रीसेप, लाइमानोल, बैलग्रो तथा न्यूकोनीम आदि बाजार में उपलब्ध हैं तथा इनकी बहुत ही मांग है। कुछ जीव जैसे कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, कवक आदि प्राकृतिक रूप से खरपतवारों को नष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए बीविल नामक कीट जलकुंभी के लिए एवं बीटल, कांग्रेस घास (पारथीनियम) के प्राकृतिक खरपतवार नाशक हैं। इसके अलावा बहुत से कवक एवं बैक्टीरिया खर पतवारों

पर परजीवता के रूप में जीवनयापन करके उनको नष्ट करने में सहायक होते हैं।

फसल चक्र

कार्बनिक खेती का प्रयोग सब्जियों तथा फूलों को उगाने के लिए ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा क्योंकि सामान्यत: यह छोटे रूप में की जाती है तथा उनकी उत्पादकता भी काफी कम होती है। कार्बनिक खेती को सुनियोजित तरीके एवं वैज्ञानिक विधियों द्वारा अपनाना चाहिए। हमारे देश के कुछ महानगरों, जैसे-मुंबई, दिल्ली, बंगलौर आदि में कार्बनिक खेती द्वारा उत्पादित सब्जियाँ एवं फल बाजार में उपलब्ध हैं तथा किसानों को इनकी काफी अच्छी कीमत भी मिल रही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि हम आधुनिक कृषि तरीकों के प्रयोगों की ओर ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि जहां इनसे एक ओर लाभ हुआ है वहीं दूसरी ओर हानि भी हुई है। अप्राकृतिक खेती से उत्पन्न कुप्रभावों पर गहनता से जाँचने-परखने पर स्पष्ट पता चलता है कि आधुनिक खेती ही सर्वोत्तम पद्धित है जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति सदैव बनी रहती है। हालांकि आधुनिक के खेती के मशीनी उपयोग के तरीकों को बिना रासायनिक खादों के उपयोग में लाया जाए तो यह वरदान ही सिद्ध होगा इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि रासायनिक उर्वरकों, रसायनिक कीटनाशकों, फफूंदनाशकों और खरपतवार नाशकों का प्रयोग न करने से उपज की मात्रा में कमी की संभावना होती है लेकिन कई देशों में यह बात पूर्ण रूप से मान ली गई है कि आधुनिक या कार्बनिक खेती द्वारा उपजाए गए फल, शाक व सब्जियों और अन्य खाद्यान्न गुणवत्ता की दृष्टि से उचित होते हैं। ❐

(संदर्भ सहायता: खेती व कृषि चयनिका, भा. कृ. अनु. प., नई दिल्ली।)

पृष्ठ 56 का शेष

खेल के बड़े-बड़े दृश्यों को दिखाया है और इससे भाषा का प्रयोग कम हो गया। इसी प्रकार (नयी) देवदास फिल्म में कलाकारों की वेशभूषा, मेकअप, सैट डिजाइनिंग पर अधिक बल दिया गया है। इस फिल्म में बड़े-बड़े दृश्यों को दिखाया है और लंबा-लंबा मौन होने के कारण इसमें संवाद कम हैं। अशोका और कांटे फिल्में भी इसी प्रकार की फिल्में हैं, जिनमें लंबे-लंबे दृश्य होने के कारण संवाद कम है।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिल्मों में हिंदी के विकास की संभावनाएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। इतना अवश्य है कि उसका सही उपयोग जितना हो सकता है, उतना नहीं हो रहा है। सही उपयोग की संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। सिनेमा का इतिहास 107 साल पुराना है। आज तक फिल्म उद्योग में भाषा को लेकर किसी प्रकार का मतभेद नहीं हुआ। हिंदी भाषा इतनी लचीली भाषा है कि उसे जहाँ से जो कुछ मिलता है वह उसे अपने में समाहित कर लेती है। उसे किसी भाषा से बैर नहीं है। आज फिल्मों के शीर्षक भी अंग्रेजी में रखे जाने लगे हैं जैसे द बर्निंग ट्रेन, वाटर, फायर, द स्टाइल, मानसून बेडिंग, हैदराबाद ब्लूज, हैलो ब्रदर, गॉडमदर आदि। फिल्मों ने रामायण काल की संस्कृति को सन् 2003 में भी जीवित रखा है। यदि हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी फिल्मों को उपयोग में लाया जाता तो शायद हिंदी का इतना अधिक विकास न होता। यह माध्यम भी अन्य माध्यमों की तरह राजनैतिक चक्रब्यूह में फंस कर रह जाता। अत: यदि कहा जाए कि अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी समाज तैयार हुआ है तो केवल फिल्मों के माध्यम से ही, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। ❐

संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं

(अनुच्छेद 344(1) और 351)

1. असमिया	2. उड़िया	3. उर्दू	4. कन्नड़	5. कश्मीरी	6. गुजराती
7. तमिल	8. तेलुगू	9. पंजाबी	10. बंगला	11. मराठी	12. मलयालम
13. संस्कृत	14. सिंधी	15. हिंदी	16. नेपाली	17. कोंकणी	18. मणिपुरी
19. बोडो	20. संथाली	21. मैथिली	22. डोगरी		

संस्कृति

अरुणाचल के युवागृह

—डॉ. वीरेंद्र कुमार सिंह*

जनजातीय समाजों में युवागृहों का विशेष महत्व है। देश की अधिकांश जनजातियों में किसी न किसी रूप में युवागृह का अस्तित्व है। ये युवागृह जनजातियों के सामाजिक-धार्मिक जीवन और गतिविधियों के केंद्रीय स्थल होते हैं। वहां पर नई पीढ़ी की रचनात्मक प्रतिभा को विकास का पर्याप्त अवसर मिलता है, साथ ही परंपराओं और संस्कृति से भी वे परिचित होते हैं।

अरुणाचल प्रदेश में लगभग 25 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। अधिकांश जनजातियों में युवागृह अथवा युवा शयनागार पाए जाते हैं। इन युवागृहों में युवा वर्ग को लोकजीवन, मिथक, पौराणिक आख्यान और समृद्ध परंपराओं की जानकारी दी जाती है। यह युवाओं में सामाजिकता का विकास करता है, सहकारी भावना को जन्म देता है और गृहस्थाश्रम में प्रवेश से पूर्व उन्हें व्यवहारिक जीवन का प्रशिक्षण देता है। जनजातीय संस्कृति को सुरक्षित रखने में इन युवागृहों का अवदान अमूल्य है। यहां की जनजातियों के जीवन में युवागृह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल-खेल में ही लड़के-लड़कियां विभिन्न ललित कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, साथ ही वे हस्तशिल्प में भी कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। आधुनिकता का प्रभाव इन युवागृहों पर भी पड़ा है। कुछ जनजातियों में तो युवागृहों का नाममात्र का अस्तित्व रह गया है लेकिन कुछ जनजातियों में आज भी युवागृह सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं। कुछ जनजातियों ने तो युवागृहों को विकास का केंद्र बिंदु बनाकर उसे नया अर्थ दे दिया है।

मोसुप

आदी जनजाति के युवागृह को मोसुप कहा जाता है। इस समाज में मोसुप का बहुत महत्व है। आदी नवयुवक यहां पर भिन्न-भिन्न प्रकार की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। वे यहां अनुशासन, सद्भाव, सहकारिता, प्रेम इत्यादि का पाठ पढ़ते हैं। नवयुवकों की रचनात्मक प्रतिभा को जाग्रत करने एवं उसे विस्तार देने में मोसुप बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। गांव के सभी अविवाहित नवयुवक इसके सदस्य होते हैं। विवाहोपरांत आप से आप उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। किशोरावस्था के सभी युवक अपने घर में रात्रि भोजन करने के उपरांत मोसुप में विश्राम के लिए चले जाते हैं। दस वर्ष की उम्र के बाद से ही आदी लड़के मोसुप में सोना आरंभ कर देते हैं। मोसूप के वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य छोटे लड़कों को विभिन्न क्रिया-कलापों का प्रशिक्षण देते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करने की सीख देते हैं तथा प्राचीन संस्कृति और उन्नत परंपराओं से परिचित कराते हैं। युवक यहां पर शिकार करने की कला का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जातीय आचार-व्यवहार और मिथकों से परिचित होते हैं। सामूहिक कल्याण, परस्पर प्रेम और सदाशयता का भाव विकसित कर नवयुवकों को सुयोग्य नागरिक बनाने में मोसुप का योगदान बहुमूल्य है। मोसुप के कनिष्ठ सदस्यों को वरिष्ठ सदस्यों की आज्ञा का पालन करना होता है। सर्वप्रथम मोसुप में कनिष्ठ सदस्य आते हैं।

युवागृह का निर्माण गांव के केंद्रीय स्थल पर होता है। प्राचीनकाल में इसका निर्माण ऐसी जगहों पर किया जाता था जहां से दुश्मनों पर नजर रखी जा सके और आक्रमण होने पर शीघ्रातिशीघ्र ग्रामवासियों को सचेत किया जा सके। एक मोसुप में एक ही उपजाति (वंश) के लोग सोते हैं। इस प्रकार हर वंश के लोगों के लिए अलग-अलग मोसुप बने होते हैं। प्राचीन काल में एक गाँव में एक ही वंश के लोग निवास करते थे और उनका एक ही मोसुप होता था। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण एक गांव में कई कुल के लोग निवास करने लगे। ऐसे गाँवों में अलग-अलग कुल के लोगों के लिए अलग-अलग मोसुप बने होते हैं। लेकिन कुछ गांव

*हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि., सुनाबेड़ा- 763002 (उड़ीसा)

ऐसे भी हैं जहां पर कई वंश के लोगों के लिए एक ही सामान्य मोसुप होता है।

सोलूंग एत्तेर मोपीन इत्यादि सामाजिक-धार्मिक उत्सवों एवं पर्व-त्यौहारों का भी मोसुप में आयोजन किया जाता है। इन उत्सवों के अवसर पर मोसुप के वरिष्ठ सदस्यों के ऊपर शांति-व्यवस्था और प्रबंधन का दायित्व होता है। वरिष्ठ सदस्यों को स्थानीय भाषा में "मोसुप योमेंग" कहा जाता है। सदस्यों को गलत कार्य करने से रोकना, दोषी व्यक्तियों को सजा देना, केबांग के निर्णयों से ग्रामवासियों को परिचित कराना इत्यादि कार्य भी मोसुप के वरीय सदस्यों का होता है। वे पोनुंग नृत्य भी करते हैं।

यहां पर सभी सदस्य मुक्त वातावरण में बातचीत और अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करते हैं। वे राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर अपनी राय भी देते हैं। यहां पर आदी नवयुवक विभिन्न हस्तकलाओं का प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं। मोसुप में खाना नहीं बनाया जाता है। सभी सदस्य अपने-अपने घर से खाना खाकर रात्रि विश्राम हेतु यहां पर आते हैं और सुबह अपने-अपने घर लौट जाते हैं। शयनागार में एक सलाहकार समिति होती है जिसमें गांव के बुजुर्ग और अनुभवी लोग रहते हैं। वे लोग युवागृह के सदस्यों को उचित सलाह एवं अभिमत देते हैं तथा मार्ग-दर्शन करते हैं। वे यूद्ध, शिकार और हस्तकलाओं के संबंध में सुझाव एवं जानकारी देते हैं। दिन के समय गांव के वृद्ध जन ही मोसुप आते हैं। अतिथियों के स्वागत की भी व्यवस्था मोसुप में होती है। इस प्रकार मोसुप आदी समुदाय की सामाजिक-सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हैं।

रासेंग

आदी लड़कियों के शयनागार को रासेंग अथवा रिसेंग कहा जाता है। रासेंग का शाब्दिक अर्थ है सभास्थल अथवा विश्रामाल्य। अविवाहित बालिकाएं रासेंग की सदस्या होती हैं। यहां पर वे नृत्य-गीत और हस्तकलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। आदी लड़कियों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करने में रासेंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटे गांवों में एक ही रासेंग होता है परंतु बड़े गांव में कई रासेंग हो सकते हैं। मोसुप की भांति रासेंग का भी निर्माण वंश के आधार पर किया जाता है। इसका निर्माण गांव के बुजुर्ग लोगों के निर्देशन में किया जाता है तथा निर्माण-सामग्री रासेंग के सदस्यों से एकत्रित की जाती हैं। रात्रि भोजन के बाद ग्रामबालाएं रात्रि विश्राम हेतु रासेंग में जाती हैं और प्रात:काल में अपने घर वापस आ जाती हैं।

प्रत्येक रासेंग एक अनुभवी लड़की के निर्देशन और पर्यवेक्षण में कार्य करता है। श्री सचिन राय ने लिखा है-"रासेंग लड़कियों को अनुशासन, सहकारिता, उत्तरदायित्व और नेंतृत्व का प्रशिक्षण देनेवाली संस्था है। यहां पर वे स्वतंत्र और मैत्रीपूर्ण वातावरण में रहती हैं तथा वरिष्ठ लोगों को सम्मान देना और उनकी आज्ञा का पालन करना सीखती हैं। आज्ञा का उल्लंघन करने पर उन्हें दंडित किया जाता है।" दिन के समय में रासेंग में कोई नहीं सोता है। बालिकाएं स्वतंत्रतापूर्वक यहां पर सभी कलाओं का प्रशिक्षंण प्राप्त करती हैं। वे नृत्य-गीत, हस्तकला, प्रेम-कला का ज्ञान प्राप्त करती हैं। यह गृहस्थाश्रम में प्रवेश के पूर्व लड़कियों को प्रशिक्षण देनेवाली संस्था है। यहां पर वे मिथकों, आख्यानों, लोकगीतों तथा लोककथाओं से भी परिचित होती हैं। बालिकाओं की प्रतिभा को उभारने और उसे विस्तार देने में रासेंग का बहुमूल्य योगदान है। रात्रि के समय मोसुप के लड़के भी रासेंग में आते हैं और रासेंग की विविध गतिविधियों में भाग लेते हैं। इन लड़कियों को अपनी इच्छा के अनुसार मोसुप के किसी लड़के को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार प्राप्त है लेकिन समवंशी लड़के-लड़कियों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित करना प्रतिबंधित है। मोसुप और रासेंग के सदस्यों के बीच प्रेम-संबंध होने पर आदी समाज उन्हें विवाह की अनुमति देता है यदि वे समान वंश के सदस्य नहीं हों।

डॉ. धर्मराज सिंह ने रासेंग के संबंध में लिखा है-"रासेंग नवयुवतियां के सामाजिक जीवन का प्रशिक्षण केंद्र है। अनुभवी युवतियों गार्हस्थ्य जीवन की सूक्ष्मताएं-कपड़ा बुनना, खाना पकाना, पारंपरिक नृत्य एवं गीत की शिक्षा देना अपना कर्तव्य समझती हैं जिससे भावी पीढ़ी में अतिरिक्त क्षमता एवं रासेंग के प्रति एकनिष्ठ भावना का विकास होता है।"

पंग

नोक्ते अरुणाचल की एक प्रमुख जनजाति है। इनके सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में युवागृह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग अपने युवागृहों को "पंग" के नाम से जानते हैं। यह संस्था नोक्ते जनजाति की सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। प्राचीनकाल से ही वे लोग पंग के माध्यम से अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते रहे हैं। यह नोक्ते नवयुवकों का शयनागार है।

यह युवकों के मनोरंजन और प्रशिक्षण का भी प्रमुख स्थल है। प्रत्येक लोक्ते गांव में पंग की स्थापना होती है। इस विशाल शयनागार में अनेक बिछावन लगे होते हैं। अविवाहित युवकों को ही इसमें प्रवेश देने की परंपरा है। जिस घर में महिलाएं निवास करती हों, उस घर में युवकों का सोना निसिद्ध होता है। इसलिए गांव के युवागृह में ही सभी अविवाहित युवक रात्रि विश्राम करते हैं। यहां पर ये लोग स्वयं को स्वच्छंद अनुभव करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं।

नोक्ते लोगों के गांव पहाड़ों पर स्थित होते हैं। गांव के चारों ओर गहरी खाई खुदी होती है और अवरोधक बाड़ लगी होती हैं। यह शत्रुओं से बचाव के लिए किया जाता है। प्राचीनकाल में हमेशा कबीला युद्ध होता रहता था और लोगों को हमेशा यह भय बना रहता था कि रात में दूसरा कबीला उनके गांव पर धावा न बोल दे। वे लोग कुशल शिकारी होते थे। जब वे शिकार करने जाते थे तो कुछ नवयुवकों को गांव की सुरक्षा का उत्तरदायितत्व देकर पंग में छोड़ जाते थे। वे नवयुवक रात भर गांव की पहरेदारी करते थे। वे गांव के लोगों को सावधान करने के लिए बीच-बीच में हल्ला भी करते थे। वे लोग किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर प्रत्येक आहट और पदचाप का निरीक्षण करते रहते थे। उस समय सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से नोक्ते जनजीवन, में पंग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था।

प्रत्येक पंग में एक "थाम" होता है जो वृक्ष के खोखले धड़ से बना होता है। शत्रुओं का आक्रमण होने पर अथवा गांव में आग लंगने पर इसे जोर-जोर से पीटा जाता है। इसकी आवाज को सुनकर गांववासी सचेत हो जाते हैं। शत्रुओं के आक्रमण की स्थिति में ये लोग अस्त्र-शस्त्रों से लैस होकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पंग में मृत शत्रुओं की खोपड़ी बांस में लटकाकर विजय चिह्न के रूप में रखी जाती है। भालू हाथी, शेर, बंदर, मिथुन आदि जंगली जानवरों की खोपड़ियां भी यहां लटकाकर रखी जाती हैं। किसी प्रकार का विवाद होने पर गांव के बुजुर्ग लोग पंग में एकत्रित होते हैं। यहां पर विवादों का निपटारा किया जाता है और समाज से संबंधित अन्य फैसले किए जाते हैं। यहां पर गांव और समुदाय के विकास तथा कल्याण के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जाती है। पंग में ही झूम खेती के लिए खेतों का चुनाव किया जाता है। सार्वजनिक उपयोग की वस्तुएं भी पंग में ही रखी जाती है।

यह कला और हस्तशिल्प का भी केंद्र है। नवयुवक यहां पर विभिन्न हस्तकलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। कुशल और अनुभवी पुरूष उन्हें टोकरी, चटाई, लकड़ी के सामान तथा अन्य वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण देते हैं। ये लोग यहां पर विविध विषयों के संबंध में विचार-विमर्श करते हैं। सभी को अपना मत प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। चर्चा का विषय सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कुछ भी हो सकता है। नई पीढ़ी इसके माध्यम से सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करती है। इससे उनमें सामुदायिक भावना का विकास होता है तथा विचारों के आदान-प्रदान से उनकी प्रतिभा में निखार आता है। पंग एक ऐसी संस्था है जहां पर जीवन का व्यवहारिक पाठ पढ़ाया जाता है। नवयुवक एकता, अखंडता, सद्भाव और अन्य मानवीय तथा नैतिक मूल्यों से परिचित होते है। पंग के माध्यम से सामुहिक कल्याण के कार्य तो किए ही जाते हैं, साथ-साथ गांव की कानून-व्यवस्था पर भी नजर रखी जाती है तथा कानून को भंग करनेवाले लोगों को दंडित किया जाता है। नवयुवक यहां पर अनुशासन की शिक्षा प्राप्त करते हैं।

कुछ नोक्ते गांवों में लड़कियों के लिए भी युवागृह बने होते हैं। यहां लड़के-लड़कियां सभी प्रवेश पा सकते हैं। युवागृहों में प्रवेश का नियम कठोर नहीं है। इसमें कोई विवाहित महिला प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकती है। सामान्यत: पंग की स्थापना केवल पुरुषों के लिए ही होती है। महिलाएं गावं के प्रशासन में भाग नहीं लेती हैं। लड़कियों के शयनागार को "जनपांग" कहा जाता है। "जनपांग" में बैठकों का आयोजन नहीं होता है।

पंग में एक अतिथिगृह भी होता है जिसमें अतिथियों को ठहराया जाता हैं। पंग के निर्माण रखरखाव और मरम्मत के लिए कुछ सदस्यों की एक प्रबंधन समिति होती है। इसका एक प्रधान होता है। निर्माण और अनुरक्षण का संपूर्ण दायित्व प्रधान का ही होता है। लेकिन अन्य सदस्य और ग्रामवासी भी उसकी सहायता करते हैं। पंग की देखभाल के लिए गांववासी आर्थिक सहयोग और निर्माण सामग्री देते हैं।

पंग पद्धति नोक्ते समुदाय की एक विशिष्ट संस्था है। इसके द्वारा गांव में अनुशासन रखा जाता है। सभी गांववासियों में एकता बनी रहती है। युवकों में मैत्री, भाईचारा तथा सहकारिता की भावना को विकसित करने में भी इसका प्रमुख योगदान है। यहां ग्रामीण विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं और विचारों का अदान-प्रदान किया जाता है। नोक्ते

समाज की परंपरागत कला तथा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी इस संस्था के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। इसके द्वारा नोक्ते जनजाति एकताबद्ध रहती है और बाहरी आक्रमणों से मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। यह चिंता का विषय है कि आधुनिकता के कारण नोक्ते युवकों का पंग पद्धति के प्रति उत्साह कम होता जा रहा है। इस प्रकार की संस्थाओं का संरक्षण एवं विकास आवश्यक है। इसमें नवयुवकों को रुचि लेनी चाहिए। वर्तमान जरूरतों के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि इसकी मूल संरचना में कोई हस्तक्षेप नहीं हो। पंग पद्धति के संरक्षण से नोक्ते कला और संस्कृति अक्षुण्ण रहेगी।

खाम्ती युवागृह

खाम्ती समाज में भी युवागृह का बहुत महत्व है। ये युवागृह गांव के एक कोने में बने होते हैं। गांव के अविवाहित युवक-युवतियां रात्रि भोजन के उपरांत विश्राम के लिए यहां पर आते हैं। ये युवागृह खम्ती नवयुवकों के विवाहपूर्व जीवन में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। तरुणावस्था प्राप्त, करने के बाद गांव के सभी युवक-युवतियां इसमें अपनी रातें बितातें हैं। युवागृह को बहुत पवित्र माना जाता है। यहां पर खाना बनाना या खाना खाना वर्जित है। खम्ती कला और परंपरा को जीवित रखने में इन युवागृहों का महत्वपूर्ण योगदान है लेकिन इस समाज में भी धीरे-धीरे युवागृह की भूमिका गौण होती जा रही है। यह संस्था भी आधुनिकता की आंधी में अपना वर्चस्व खोती जा रही है।

पाह या पोह

अरुणाचल की एक प्रमुख जनजाति है वांचू। इसके युवागृह को पाह अथवा पोह कहा जाता है। सदियों से पाह इस जनजाति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। "पाह" वांचू नवयुवकों का एक ऐसा शयनागार है जहां वे विचार-विमर्श और अपने भावोद्गारों का आदान-प्रदान करते है। रात्रि भोजन के उपरांत सभी वांचू नवयुवक पाह में विश्राम के लिए एकत्रित होते हैं। शयनागार में अनेक बिछावन लगे होते हैं जिसपर वे विश्राम करते हैं। लेकिन पाह केवल विश्राम-स्थली ही नहीं है बल्कि यहां पर अनेक प्रकार के रचनात्मक कार्य भी संपादित किए जाते हैं। यह वांचू जनजीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहां राजनैतिक और सामाजिक चर्चा के अतिरिक्त पर्वो और उत्सवों का आयोजन भी किया जाता है।

अधिकांश गांवों में केवल अविवाहित नवयुवकों के लिए ही पाह की व्यवस्था होती है। कुछ गांवों में लड़कियों के लिए भी ऐसे शयनागार निर्मित होते हैं। तरूणवस्था में वे पाह में सोना आरंभ करते हैं और विवाहोपरांत पाह में सोना बंद कर देते हैं। रात्रि भेजनोपरांत वे पाह में आते हैं और सूर्योदय से पूर्व वे लोग अपने घरों को लौट जाते हैं। यहां पर नवयुवकों का मनोरंजन तो होता ही है, साथ-साथ उनकी रचनात्मक प्रतिभा को विस्तार मिलता है। सोने से पूर्व वे लोग विविध विषयों पर वार्तालाप करते हैं, हंसी-मजाक करते हैं और अपना पारंपरिक गीत गाते हैं।

एक गांव में जनसंख्या के अनुसार दो या दो से अधिक पाह भी हो सकते हैं। वांचू गांवों में तीस-चालीस घरों का समूह होता है जिसे "तिगजांग" कहा जाता है। प्रत्येक इकाई में एक पाह होता है और प्रत्येक पाह का एक प्रधान होता है। प्रधान का पद वंशानुगत है। प्राय:समाज के सम्मानित व्यक्ति को ही यह पद दिया जाता है। पाह प्रधान ही उसके निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत और देखभाल के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। सड़कों की सफाई, ग्रामीण पथ का निर्माण, रस्सी पुल का निर्माण तथा अन्य कल्याणकारी कार्य पाह द्वारा ही संपन्न कराए जाते हैं। पाह में सामाजिक और धार्मिक उत्सवों का आयोजन भी किया जाता है जिसमें गांव के सभी लोग भाग लेते हैं और यथाशक्ति धन एवं अन्य सामग्री देते हैं। इन उत्सवों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है।

प्रत्येक गांव में एक सामान्य प्रकार का पाह होता है जिसे "पहनु" कहा जाता है। नवयुवक पहनु में नहीं सोते हैं, इसमें ग्रामप्रधान का कोई आदमी सोता है। पहनु में मनुष्य तथा जानवरों की खोपड़ी, शत्रुओं से छीने गए हथियार तथा अस्त्र:शस्त्र रखे जाते हैं। कुछ उत्सव भी पहनु में आयोजित किए जाते हैं। प्राचीनकाल में पहनु में गुप्त बैठकों को आयोजन किया जाता था और भावी रणनीति बनाई जाती थी। पहनु का निर्माण ग्राम प्रधान के घर के आस-पास करने की परंपरा है और इसकी देखभाल भी वे ही करते हैं।

प्राचीनकाल में पाह का उद्भव मनुष्य की महती जरूरत के कारण हुआ। प्राचीनकाल में लोग शिकारी होते थे और शिकार करने के लिए दूर-दूर के जंगलों में जाया करते थे और हर मुकाबले के लिए तैयार रहते थे। गांव के मुख्य प्रवेश द्वारा पर सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी रहती थी। उन्हें प्रवेश-द्वार पर ऐसे घर की आवश्यकता महसूस हुई जिसमें वे

धूप-शीत से बचते हुए गांव की सुरक्षा कर सकें। कालांतर में झोपड़ीनुमा घर बड़े आवास में विकसित हो गए जिसे पाह कहा जाने लगा।

कुछ लोगों का अभिमत है कि पाह की उत्पत्ति "अपाह" से हुई जिसका अर्थ होता है सुनना। सुरक्षा पर तैनात युवक हमेशा सावधान एवं चौकन्ने रहते थे और प्रत्येक आहट को सुनते रहते थे। दूसरी मान्यता के अनुसार सुरक्षाकर्मियों की आवाज को गांव के वृद्ध एवं महिलाएं सुनती रहती थी और उनकी चेतावनी को सुनकर सचेत हो जाती थी। कुछ लोगों का मानना है कि युवागृह के युवक किसी भी व्यक्ति से किसी विषय पर बातचीत कर सकते हैं। इसीलिए इसे पाह कहा गया।

प्रत्येक पाह में लकड़ी का बना हुआ एक नगाडा होता है। प्राचीनकाल में पाह में रखे इस नगाड़े से ग्रामवासियों को सचेत किया जाता था। इससे कई प्रकार की संकेत-ध्वनि निकलती थी जो भिन्न-भिन्न घटनाओं का संकेतक होती थी। खतरे की ध्वनि, विजय-ध्वनि, अग्निकांड की सूचना, उद्घोषणा, लोगों को एकत्रित होने की सूचना आदि के लिए अलग-अलग संकेत ध्वनि होती है। पाह में महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध है। महिलाएं पाह का सदस्य नहीं बन सकती है।

तांगसा, सिंगफो, खाम्ती, आपातानी, आका, मीजी, निशिंग, मीरी, मिस्मी इत्यादि अरुणाचली जनजातियों के युवागृह विकसित अवस्था में नहीं हैं। कुछ जनजातियों के युवागृह काल-प्रवाह में नष्ट हो गए हैं अथवा उचित संरक्षण और प्रोत्साहन के अभाव में नष्ट होने की स्थिति में हैं। तांगसा युवागृह के संबंध में डॉ. पी. सी. दत्ता ने लिखा है-"अतीत में तांगसा लोगों के राजनैतिक जीवन में युवागृह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। उसे "लुपौंग" कहा जाता था। वह बहुत सुगठित होता था और सुरक्षागृह के रूप में कार्य करता था। वे युवागृह युवकों के लिए मनोरंजन का प्रमुख केंद्र होते थे। प्रत्येक गांव में एक लुपोंग होता था जिसका निर्माण गांव के प्रवेश द्वारा के निकट किया जाता था। गांव के सभी नवयुवक इसमें रात्रि विश्राम करते थे। इसमें सभी प्रकार के युद्धक अस्त्र-शस्त्र रखे जाते थे एवं एक बड़ा-सा नागाड़ा भी रखा जाता था जो नोक्ते लोगों के "मोरंग" में पाए जाने वाले नगाड़े जैसा होता था। लुपौंग बहुत दिनों तक अस्तित्व में नहीं रह सका।

तांगसा जनजाति में लड़कियों के लिए भी शयनागार होता है जिसे "लूप" कहा जाता है। डॉ. दत्ता ने इसके संबंध में लिखा है "गांव की अविवाहित लड़कियों के लिए यह मनोरंजन का केंद्र और शयनागार है। गांव के नवयुवक इसमें लड़कियों के साथ गप्प करके अपनी शामें व्यतीत करते हैं।"

अरूणाचली जनजातियों की युवागृह प्रणाली अत्यंत प्राचीन है। ये युवागृह जनजातीय समाज के लिए केंद्रीय स्थल होते थे, जहां पर सामाजिक-धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियों की कार्य-योजना बनती थी और उन्हें कार्यान्वित किया जाता था। यह पद्धति समय की मांग थी। एक कबीले को दूसरे कबीले से हमेशा भय बना रहता था। न जाने कब किस ओर से गांव पर आक्रमण हो जाए। इसलिए इन युवागृहों के नवयुवक हमेशा सावधान और चौकन्ने रहते थे। यह सुरक्षागृह का कार्य करता था। सभी प्रकार के हथियारों और युद्ध सामग्रियों से लैस नवयुवकों पर ही ग्रामरक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व होता था क्योंकि वयस्क लोग तो वर्ष के अधिकांश दिनों में शिकार के लिए गांव से बाहर रहते थे। नवयुवक ही आक्रमणकारियों से गांव की रक्षा करते थे। गांववासियों को सचेत करने के लिए उसमें नगाड़े रखे रहते थे जो कूटध्वनि में गांववासियों को अपेक्षित सूचना देते थे। युवागृहों का निर्माण अपेक्षाकृत ऊँची जगहों पर और गांव के प्रवेशद्वारा के निकट किया जाता था ताकि संपूर्ण गांव और आक्रमणकारियों पर नजर रखी जा सके और शीघ्रता के साथ मोर्चाबंदी की जा सके।

केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही ये युवागृह महत्वपूर्ण नहीं हैं, इनका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह नवयुवकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र है। यहां पर ये हस्तशिल्प, आखेट कला, कृषि कर्म इत्यादि का प्रशिक्षण प्राप्त कर गृहस्थ जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। नवयुवकों में सामाजिकता, सहकारिता, सद्भाव, आज्ञाकारिता, सामुदायिकता आदि गुणों का विकास कर उन्हें सुयोग्य नागरिक बनाने में इन युवागृहों की महती भूमिका होती है। संक्षेप में युवागृह के अधोलिखित उद्देश्य हैं-

1. युवक-युवतियों में सामाजिकता, सहकारिता, आज्ञाकारिता, अनुशासन के गुणों का विकास करना।
2. नवयुवकों की कलात्मक और रचनात्मक प्रतिभा का विकास करना और विस्तार देना।

3. पारंपरिक कला और लोकसाहित्य से नवयुवकों को परिचित करना।

4. युवक-युवतियों को हस्तकला का प्रशिक्षण देना।

5. शिकार एवं युद्ध कौशल का प्रशिक्षण देना।

6. युवकों का मनोरंजन करना और उन्हें धर्म एवं संस्कृति से परिचित कराना।

7. जनजातीय संस्कृति और प्राचीन गौरव एवं मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखना।

8. युवक-युवतियों में प्रणय की भावना का विकास करना।

9. बाह्य आक्रमणकारियों से गांव की रक्षा करना।

10. पर्व-त्योहारों एवं सामाजिक उत्सवों का आयोजन करना।

11. जनजातीय समाज के लिए संग्रहालय का कार्य करना।

12. युवक-युवतियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना।

13. ग्रामीण विकास के लिए कार्य करना।

14. नवयुवकों को मिथकों और पुराख्यानों की जानकारी देना।

स्पष्ट है कि युवागृहों का उद्देश्य लोककल्याणकारी है और ये उच्च नैतिकता पर आधारित हैं। लेकिन दुख की बात है कि आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव के कारण नवयुवकों का लगाव इन संस्थाओं से कम होता जा रहा है। जिस प्रकार अन्य पारंपरिक संस्थाओं और मूल्यों के प्रति भारतवासियों की आस्था कम होती जा रही है उसी प्रकार इस सामाजिक संस्था के प्रति भी धीरे-धीरे युवकों का उत्साह कम होता जा रहा है। युवागृह जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक गरिमा और परंपरागत मूल्यों को सुरक्षित-संरक्षित करने वाली बहुउद्देश्यीय सामाजिक संस्था है। यह मात्र आधुनिक क्लब की भांति नवयुवकों का मनोरंजन स्थल ही नहीं है वरन् नृत्य-संगीत-साहित्य का प्रशिक्षण प्रदान करने वाली प्रशिक्षण संस्था भी है। इन युवागृहों को आधुनिक सामाजिक सोच के अनुसार विकसित कर उन्हें नयी भूमिका दी जा सकती है। इनका प्रोत्साहन और संरक्षण करके अरुणाचली संस्कृति और प्राचीन गौरव को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। सरकार और अरुणाचली समाज दोनों का यह दायित्व है कि वे इस समाजोपयोगी पारंपरिक संस्था को प्रोत्साहन दें।

संदर्भ :

1. डॉ. ताई न्योरी-हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ दि आदीज (1993)

2. श्री पी. थंकप्पन नायर-ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश (1985)

3. डॉ. पी. सी. दत्ता-द तंगसाज (1959)

4. श्री सचिन राय-आसपेक्ट्स ऑफ पदाम-मिन्योंग कल्चर (1960)

5. श्री बी. राजकुमार का आलेख द वांचू पाह: युथ्स डॉरमीटरी-अरुणाचल न्यूज फरवरी-मार्च 1983

6. डॉ. धर्मराज सिंह-अरुणाचल की आदी जनजाति का समाजभाषिकी अध्ययन-(1990)

7. श्री पी. लोंवंग का आलेख दि पंग "सिस्टम ऑफ नोक्ते एंड इट्स रोल" -अरुणाचल न्यूज, जून जुलाई-1993.

❐

हिंदी को गंगा नहीं, बल्कि समुद्र बनाना होगा।

आचार्य विनोबा भावे

राजभाषा संबंधी गतिविधियां

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कार्यालय मुख्य अभियंता (उ. अं.)2 अलीगंज, लखनऊ

श्री एस० पी० सिंह, मुख्य अभियंता (उ० अं०)2 की अध्यक्षता में लखनऊ में दिनांक 29-10-2004 को अंचल स्तर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2004-05 की तृतीय बैठक का आयोजन किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने आगरा के० परि० तथा देहरादून के० परि० को शीघ्र पुरस्कारों की घोषणा करने के निदेश दिए। इसके अतिरिक्त लखनऊ के० मं०-2 तथा अल्मोड़ा के. मं. को यह सूचित करने को कहा गया कि वे पुरस्कारों के संबंध में किस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय ने अन्य सभी कार्यालयों को आगामी बैठक में वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा सुनिश्चित करने के निदेश दिए।

बैंकिंग प्रभाग

बैंकिंग प्रभाग राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 104वीं बैठक बैंकिंग प्रभाग के आर्थिक सलाहकार डा. के. बी. एल. माथुर की अध्यक्षता में 02 नवम्बर, 2004 को जयपुर में हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री राज विकास वर्मा, भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक श्री ललित श्रीवास्तव, महाप्रबंधक (राजभाषा) श्रीमती आशा वशिष्ठ, उप महाप्रबंधक (राजभाषा) डा० रमाकांत शर्मा तथा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के महाप्रबंधक श्री प्रभात कुमार सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के प्रारंभ में बैठक के अध्यक्ष एवं बैंकिंग प्रभाग के आर्थिक सलाहकार डा० के० बी० एल० माथुर ने उपस्थित सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं समय-समय पर, राजभाषा विभाग, बैंकिंग प्रभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में जारी निर्देशों एवं आदेशों आदि का पूर्णरूपेण पालन कर रहे हैं, जो सराहनीय है। तथापि, हमें केवल आंकड़ों पर ही बल न देकर यह देखना चाहिए कि हम वास्तव में कितना कार्य हिंदी में कर रहे हैं। साथ ही इस बात पर भी विचार करना अधिक महत्वपूर्ण है कि अब तक हमने हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कितना प्रयास किया है, हमारी सीमाएं क्या हैं और हम इसका प्रयोग कितना आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिकाओं एवं उनमें विभिन्न विषयों पर प्रकाशित स्तरीय लेखों की विशेष रूप से सराहना की और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, राजभाषा अधिनियम एवं नियमों आदि के अनुपालन, संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षणों अदि को गंभीरता के साथ लेने पर बल दिया।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, वडोदरा-1

केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क आयुक्तालय, बडोदरा-1 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 101वीं बैठक दि. 18-10-04 को आयुक्तालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री पी. के. जैन, आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क, वडोदरा-1 ने की ।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि इस बैठक का उद्देश्य हमारे आयुक्तालय में हिंदी के प्रयोग की स्थिति का जायजा लेना

तथा इसकी समीक्षा करना है। जब मंडल प्रभारी एवं अनुभाग अधिकारी (प्रधान) इन बैठकों में आएंगे ही नहीं तो बैठकों में चर्चा किससे की जायेगी तथा महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित अधिकारियों को निदेश दिया कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कार्यों की पहचान करें और इस तरह के कार्यों को पूरी तौर पर हिंदी में ही करें। इससे न केवल उनके कार्यालय में हिंदी कार्यों/पत्राचार में वृद्धि होगी बल्कि पूरे आयुक्तालय के हिंदी कार्यों का प्रतिशत भी बढ़ेगा और इस तरह निर्धारित लक्ष्य को भी पूरा कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी निदेश दिया कि हिंदी अनुभाग द्वारा प्रत्येक सप्ताह मंडलों/अनुभागों का निरीक्षण किया जाए और वहां पाई गई कमियों को दूर करने तथा हिंदी कार्य की मात्रा को बढ़ाने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन तथा सहयोग दिया जाए। हिंदी अनुभाग अपनी निरीक्षण रिपोर्ट तथा निरीक्षित कार्यालयों द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयुक्त महोदय की जानकारी हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करें।

मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे मालदा

17-12-2004 को मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री चरण जीत सिंह मंडल रेल प्रबंधक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सदस्य सचिव एवं राजभाषा अधिकारी ने उपस्थित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि मंडल के सभी अधिकारी छुट्टी का आवेदन एवं दौरा कार्यक्रम हिंदी में दे रहे हैं, यह अच्छी शुरूआत है। इसी तर्ज पर सभी कर्मचारियों से भी हिंदी में छुट्टी का आवेदन प्रस्तुत करने को कहा जाए। इस प्रकार मंडल में हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ावा मिलेगा।

अध्यक्ष एव मंडल रेल प्रबन्धक ने सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि कार्यालयी कार्यों में हिंदी का प्रयोग-प्रसार बढ़ाना हम सबकी जिम्मेवारी है। अगर हम ठानलें कि यह काम हमें हिंदी में करना है तो इसके मार्ग में आने वाली कठिनाई अपने आप दूर हो जाएगी। उन्होंने सदस्यों का आह्वान किया कि वे फाइलों में अपनी टिप्पणी हिंदी में दें ताकि कर्मचारी इससे प्रेरित हो सकें। सभी विभागों में हिंदी के ट्रेन्ड कर्मचारी हैं, उनसे हिंदी में नोटिंग लिखने को कहा जाये।

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लि. तीस्ताचरण-V जलविद्युत परियोजना, पूर्वी-सिक्किम

श्री एस. के. मित्तल, महाप्रबंधक व अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में तीस्ता चरण-V जलविद्युत परियोजना की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2004-05 की दूसरी तिमाही बैठक दिनांक 29-09-2004 को संपन्न हुई।

श्री एस. के. मित्तल, महाप्रबंधक व अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने कहा कि राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा इस वर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को केंद्र बिंदु मानकर अपने-अपने विभाग में कार्रवाई सुनिश्चित करें और कार्यालय के कामकाज को हिंदी में निपटाए जाने में पूरी दिलचस्पी लें। उसके उपरांत सदस्य सचिव को बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया।

हिंदी पत्राचार के बारे में चर्चा करते हुए यह तय किया गया कि अधिक से अधिक पत्राचार हिंदी में किए जाएं और आंतरिक पत्राचार केवल हिंदी में किए जाएं।

आगे यह तय किया गया कि यह बैठक मासिक तौर पर आयोजित की जाए ताकि राजभाषा की प्रगति में वृद्धि लायी जा सके।

प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को हिंदी दिवस के परिपालन को सुदृढ़ बनाए जाने के लिए यह तय किया गया कि इन दिनों को सभी विभाग में प्रगति देखी जाए।

परियोजना में चल रही मासिक शील्ड योजना के तहत् माह अगस्त, 2004 के लिए राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने पर पी. एम. सी. विभाग को यह शील्ड प्रदान की गई जिसे श्री एस सी पाल मुख्य अभियंता (पीएमसी) ने महाप्रबंधक श्री एस के मित्तल के कर कमलों से ग्रहण किया।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक)-द्वितीय मध्य प्रदेश, ग्वालियर

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, मध्य प्रदेश ग्वालियर की त्रैमासिक बैठक दिनांक 21 अक्टूबर 2004 को कार्यालय के सभाकक्ष मेंआयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री बी. एस. हीरा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वित्तीय मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा की गई।

अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि अभिदाताओं को लिखे जाने वाले पत्रों की भाषा सरल तथा सुबोध होना चाहिए ताकि वे कार्यालय द्वारा लिखे गये पत्रों का आशय समुचित रूप से समझ सकें। भाषा में कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। इससे एक ओर जहां हिंदी के विकास को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर कार्यालय कार्य का पत्राचार और अधिक सुचारू रूप से चलेगा। इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत सभा की कार्यवाही की समाप्ति की घोषणा की गई।

पूर्व रेलवे जमालपुर

दिनांक 15-09-04 को उप मुख्य सामग्री प्रबंधक पू. रे. जमालपुर की अध्यक्षता में उपर्युक्त बैठक परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती भंडार हिंदी पुस्तकालय पू. रे. जमालपुर में आयोजित की गई।

अध्यक्ष श्री योगेंद्र नाथ सिंह उप मुख्य सामग्री प्रबंधक ने बैठक में उपस्थित आमंत्रित अधिकारियों, प्रतिनिधियों एवं सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि भंडार विभाग प्रारम्भ से ही हिंदी के प्रयोग-प्रसार की दिशा में उल्लेखनीय भूमिका निभाता रहा है। **उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। देश की आम जनता भी हिंदी बोलती और समझती है। परंतु दुर्भाग्य है कि कार्यालयों, न्यायालयों, अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों की भाषा अभी भी अंग्रेजी ही है, यह हमारी मानसिक गुलामी का प्रतीक है। हमें सच्चे दिल से अपने कार्यालयों में हिंदी को अपनाना होगा। गृह मंत्रालय, रेलवे बोर्ड एवं प्रधान कार्यालय द्वारा प्राप्त आदेशों तथा राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रमों के अनुपालन में जहां भी कमियाँ है, उन्हें अपना परम पवित्र दायित्व समझकर शीघ्र पूरा करना जरूरी है। साथ ही मूल रूप से हिंदी में काम करने की आदत डालनी है।**

कार्यालय आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, गाजियाबाद

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गाजियाबाद की अप्रैल से जून 2004 की तिमाही कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 22-09-2004 को श्री विनीत कुमार, आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी मंडलों तथा शाखाओं से प्राप्त हिंदी प्रगति सूचना/प्रतिशत का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया। अध्यक्ष महोदय ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि वे सभी व्यक्तिगत सुनवाई पत्र, अग्रसारण पत्र, विवरणियों, इकाइयों के पत्राचार पूर्ण रूप से हिंदी में करें। अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः बताया गया कि 'क' क्षेत्र के सभी कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने का 100 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना है।

अध्यक्ष महोदय ने इन शाखाओं में हिंदी में अच्छा कार्य करने पर सराहना की तथा और प्रयत्न कर 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिये निर्देश दिए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.) को यह निर्देश दिया गया कि सभी उप/संयुक्त आयुक्तों को पत्र लिखकर आदेश दें कि वे अपने अधीनस्थ मंडलों तथा शाखाओं में हिंदी में कार्य करने के 100 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करें तथा आगामी त्रैमासिक बैठक पर इसके परिणामों को सूचित करें।

कार्यालय महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 27-12-2004 को महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, श्री जय प्रकाश बत्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य परिचालन प्रबंधक श्री कुलदीप चतुर्वेदी ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि महाप्रबंधक जी के कुशल मार्ग निर्देशन में पूर्वोत्तर रेलवे पर हिंदी प्रयोग-प्रसार के क्षेत्र में गुणात्मक आयाम मिले हैं। उन्होंने समिति को अवगत कराया कि कार्यालयों में समस्त काम-काज नियमानुसार हिंदी में

करने के साथ-साथ अंग्रेजी में प्राप्त अधिकांश पत्रों के उत्तर अब हिंदी में दिए जा रहे हैं। अधिकारीगण भी अधिकांश डिक्टेशन हिंदी में दे रहे हैं। सभी लोकेशनों से जारी होने वाले आरक्षण चार्ट अनिवार्यत: द्विभाषी रूप में पदर्शित हो रहे हैं। इस रेल पर लगे मानक साफ्टवेयर की सहायता से राजभाषा विभाग द्वारा पुस्तक, प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इन सबके बावजूद अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अंग्रेजी का प्रयोग मजबूरी बनी हुई है। उन्होंने सभी सदस्यों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि इन अंग्रेजी प्रयोग के क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए इन्हें हिंदी में करने की पहल कराएं।

आकाशवाणी, अहमदाबाद

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक संयुक्त रूप से दिनांक 16-12-04 को श्रीमती मृदुला देसाई, केंद्र निदेशक आकाशवाणी अहमदाबाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

सबसे पहले अध्यक्ष महोदया ने उपस्थित सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया फिर सदस्य सचिव से बैठक शुरु करने को कहा। सबसे पहले सचिव ने पिछली बैठक के मुद्दों को पढ़ कर सुनाया।

पिछली बैठक का पहला मुद्दा महानिदेशालय, नई दिल्ली से उच्च अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण से संबंधित था। जिसके अनुसार तिमाही रिपोर्ट में पत्राचार के आंकड़े क्षेत्रवार दिए जाएं, उसके अनुपालन में हिंदी अनुभाग द्वारा प्रेषक अनुभाग में लिखित रूप से क, ख, ग क्षेत्रों के शहरों के नाम अलग-अलग लिख कर दिए गए हैं, उसी के अनुसार पत्राचार की प्रविष्टि की जा रही है।

अध्यक्ष महोदया ने सभी अधिकारियों को कहा कि आप लोग अपना दैनिक कार्य हिंदी में करें, यदि कठिनाई आए तो क्षेत्रीय भाषा में कर सकते हैं। अंग्रेजी का प्रयोग कम से कम किया जाए। बातचीत भी हिंदी में करें तो उचित रहेगा।

श्रीमती मंजरी गौतम, निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान ने बताया कि उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लेक्चर भी हिंदी में ही होते हैं। मौलिन मुन्शी, कार्यक्रम निष्पादक ने सुझाव दिया कि टेलीफोन ओपरेटर फोन पर हिंदी में ही बात करें। हिंदी में एक रजिस्टर बनाया जाए, जिसे दूरभाष संपर्क रजिस्टर नाम से जाना जाएगा। अध्यक्ष महोदया ने उक्त सुझाव को सराहा और प्रशासनिक अधिकारी को उसे लागू करने के लिए निदेश दिए। आगे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप सब लोग रोजमर्रा में काम में आने वाली छोटी-छोटी टिप्पणियाँ हिंदी अनुभाग से प्राप्त कर लें ताकि आप लोग अपने दैनिक कार्य में उसका प्रयोग कर सकें एवं सभी अनुभाग अधिकारी अपने-अपने अनुभागों में हिंदी में किए गए कार्य का ब्यौरा रखें। आप लोग हिंदी में कार्य करते हें लेकिन उसको दर्ज कराना या उसका रिकार्ड रखना भी उतना ही आवश्यक है, इसके लिए आप लोग सप्ताह में या एक महीने में कितना कार्य हिंदी में करते हैं, इसकी जानकारी हिंदी अनुभाग को दें अथवा हिंदी अनुभाग द्वारा सभी अनुभागों से इसकी जानकारी ले ली जाएं। जो तिमाही रिपोर्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। सुझाव पर सभी ने सहमति व्यक्त की।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कार्यालय अधीक्षण अभियंता इलाहाबाद

दिनांक 11-01-2005 की इंजी. ए. के गर्ग, अधीक्षण अभियंता, इलाहाबाद केंद्रीय परिमंडल की अध्यक्षता में बैठक हुई।

सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि मंडलों के अधीन सभी उप-मंडलों ने शत-प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है जो कि हमारे लिए गौरव का विषय है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने हर्ष व्यक्त करते हुए सभी सहायक अभियंताओं तथा उनके सहयोगियों को बधाई दी। अध्यक्ष महोदय ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी इस कीर्तिमान को अवश्य बनाए रखा जाएगा।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में अध्यक्ष महोदय ने परिमण्डल की समेकित प्रगति को 98% तक पहुंचाने के लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और उनका आह्वान किया कि इसे शीघ्र ही लक्ष्य तक पहुंचाने का अभिनव प्रयास जारी रखा जाए।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय कानपुर

दिनांक 20-12-2004 को श्री हरिओम तिवारी, आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई।

30-06-2004 और 30-09-2004 को समाप्त तिमाहियों में विभिन्न अनुभागो/मंडलों की हिंदी प्रगति का तुलनात्मक विवरण अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त अनुक्रम में सचिव द्वारा 30-09-2004 को समाप्त तिमाही में 70% से कम कार्य हिंदी में करने वाले अनुभागों/ मंडलों के बारे में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया।

30-09-2004 को समाप्त तिमाही में हिंदी कार्य में अच्छी प्रगति पर अध्यक्ष महोदय द्वारा संतोष व्यक्त किया गया तथा आशा व्यक्त की गयी कि स्थापना अनुभाग भी शीघ्र ही अपना हिंदी कार्य शत प्रतिशत या इसके अत्याधिक निकट कर लेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अपेक्षा की गयी कि पर्यवेक्षी अधिकारी अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'क' क्षेत्र में स्थित होने के कारण आयुक्तालय के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का कर्तव्य है कि वह सरकारी कामकाज शत प्रतिशत हिंदी में करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। किंतु उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी दशा में 70% से कम कार्य हिंदी में नही होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि कार्य कुशलता लक्ष्य हैं, भाषा नहीं। अत: हिंदी में पत्राचार करें।

पूर्व रेलवे, क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति प्रधान कार्यालय, 17 नेताजी सुभाष मार्ग, कोलकाता-1

पूर्व रेलवे क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 29-12-2004 को महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे श्री श्याम कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में महाप्रबंधक महोदय ने सर्वप्रथम सुनामी लहरों से हुई तबाही से पीड़ित जनसमुदाय के प्रति सहयोग की अपील की।

समति की नियमित बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई और उनके परिणाम पर संतोष जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। देश में काफी तीव्र गति से तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटरीकरण अपना स्थान ग्रहण कर रहा है। अत:, हिंदी प्रचलन हेतु इस तकनीकी परिवर्तन से हम अपने को जोड़ सकें, तो हिंदी प्रयोग-प्रसार का कार्य काफी हद तक स्वयं हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर द्विभाषी वेबसाइट द्विभाषी आरक्षण चार्ट और अन्य जनोपयोगी फार्मों की द्विभाषी उपलब्धता सुनिश्चित कर हम हिंदी के क्षेत्र में भी इन तकनीकी परिवर्तनों का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा, और भी अनेक कार्य ऐसे हैं, जो कंप्यूटर के जरिए हिंदी में/द्विभाषी रूप में आसानी से किए जा सकते हैं। इसलिए, आज की ज़रूरत है कि हम तकनीकी परिवर्तनों को अपनी रोज़मर्रा की कार्य-शैली में आत्मसात् करते रहें।

अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि भाषा जितनी सरल व सहज होगी, उसे समझना उतना ही आसान होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि कठिन शब्दों की जटिलता के कारण ही संस्कृत भाषा जनता से कट गई। इसलिए, हम अनुवाद करते हुए ऐसा शब्द रखें जो सरल हो। अच्छा तो यह होगा कि विभिन्न कार्यों में ऐसी सहज व सरल भाषा इस्तेमाल की जाए जिससे अनुवाद की आवश्यकता ही न हो। अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को ज्यों का त्यों देवनागरी लिपि में लिखना सरलता एवं सहजता की ओर एक सार्थक कदम है।

दक्षिण पूर्व रेलवे कार्यालय महाप्रबंधक गार्डनरीच, कोलकाता-43

क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 73वीं बैठक दिनांक 13-12-2004 को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे एवं पदेन अध्यक्ष, श्री रतन राज भंडारी ने की। उन्होंने कहा कि हमारी सोचने की भाषा हिंदी है तो लिखने में भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाय। उनके पास जो नोटिंग हिंदी में आती है उन पर वे नोटिंग हिंदी में लिखते हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे हिंदी में नोटिंग करें। धारा 3.3 के अंतर्गत आने वाले कागजात को द्विभाषी में जारी करना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर

माणिकबाग पैलेस इंदौर स्थित केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय में 21 दिसंबर 2004 को आयुक्त श्री अरविन्द सिंह जी की अध्यक्षता में मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 30 सितंबर 2004 को समाप्त तिमाही अवधि में हिंदी प्रगति की समीक्षा की गई तथा सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने सभी अधिकारियों से अपील की कि राजभाषा हिंदी में कार्य करना हमारा संवैधानिक उत्तरदायित्व है, इसे पूरी निष्ठा से पूरा करें। अपने स्टॉफ को प्रोत्साहित करें। सभी अपना अधिकतम कामकाज हिंदी में करने के सभी संभव प्रयास करें।

आकाशवाणी, कोत्तगूहेम

कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 31-8-04 को केंद्र अभियंता श्री एम. सोमेश्वर राव की अध्यक्षता में उन्हीं के कक्ष में दोपहर 12.00 बजे आरंभ हुई।

अध्यक्ष महोदय ने सभी अनुभागाध्यक्षों को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक लक्ष्यों को याद दिलाते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा कार्य हिंदी में करने को प्रोत्साहित करें ताकि राजभाषा संबंधी अनिवार्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। उपस्थित सदस्यों ने पूर्ण कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस पर अध्यक्ष महोदय ने हर्ष जताते हुए इस वर्ष राजभाषा पुरस्कार प्राप्त करने हेतु सभी के प्रयत्नशील रहने की आशा व्यक्त की।

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उपस्थित सदस्यों को अध्यक्ष ने सूचित किया कि हिंदी एकक की एक बहुत पुरानी मांग को कंप्यूटर प्रदान करके पूरा किया जा रहा है जिससे कि अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करना सम्भव हो सके। इस निर्णय पर सभी ने ध्वनिमत से अपना हर्ष प्रकट किया। लेकिन अध्यक्ष ने हिंदी अनुवादक को तुरंत एक उचित हिंदी सॉफ्टवेयर की व्यवस्था करने को कहा। यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी हिंदी दिवस के मौके पर दि. 14-9-04 से 28-9-04 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा। अध्यक्ष ने हिंदी अनुवादक को पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने का निदेश दिया। साथ ही सदस्य सचिव के सुझाव पर अध्यक्ष ने सभी अनुभागाध्यक्षों को यह आदेश दिया कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अनुभाग के सभी फाइलों पर विषय हिंदी में लिखवाएं। ❐

हिंदी दुनिया की महान भाषाओं में एक है। भारत को समझने के लिए हिंदी ज्ञान अनिवार्य है। हिंदी का महत्व आज इसलिए और भी बढ़ गया है क्योंकि भारत आज शिक्षा, उद्योग और तकनीक के हिसाब से दुनिया का अग्रणी देश है।

डॉ. मैग्रेशर (इंग्लैंड)

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

पटियाला

पटियाला की 39वीं बैठक श्रीमती प्रौमिला भारद्वाज, आयकर आयुक्त, पटियाला एवं अध्यक्ष, नराकास, पटियाला की अध्यक्षता में दिनांक 20-10-2004 को आयकर भवन के सम्मेलन कक्ष में हुई।

अध्यक्ष महोदया ने सभी उपस्थित हुए अधिकारियों का स्वागत करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि बहुत संख्या में सदस्य उपस्थित हुए हैं तथा प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त करने वाले सदस्यों एवं उनके विभागों को बधाई देती हूं। कुछ विभागों द्वारा हिंदी में पर्याप्त कार्य किया जा रहा है तथा कुछ के द्वारा हिंदी में कार्य करने के प्रति उदासीनता दिखाई गई हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा हिंदी में पत्राचार बहुत कम किया जा रहा है। इस संबंध में उन्हें लिखा जाएगा। सदस्यों के सुझावों पर कार्रवाई की जाएगी। इस समिति की उपसमिति के सदस्य मिलकर बातचीत करके राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रयास करें।

औरंगाबाद

समिति की 37वीं बैठक श्री डी.एस. नेगी, आयुक्त केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क औरंगाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 19-8-2004 को कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रमुख अतिथि के रूप में श्री राजेन्द्र कुमार कनिष्क, उप निदेशक (कार्यान्वयन) पश्चिम क्षेत्र, मुंबई उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि समिति की बैठकों में कार्यालय प्रधान की उपस्थित अनिवार्य होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश प्रशासनिक प्रधान अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके निचले क्रम के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहें, क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार प्रशासनिक प्रधान को ही है। अत: उन्होंने बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। पुस्तकों की खरीद के लिए कुल धनराशि की 50% हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय की जानी होती है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी एवं कार्यालय के प्रयोग में आने वाली किताबों पर किए गए व्यय को छोड़कर शेष राशि का 50% हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय किया जाए। इस संबंध में राजभाषा विभाग से परिपत्र प्राप्त हुआ है कि कार्यालय की कार्यप्रणाली से संबंधित पुस्तकों को इस नियम के तहत शामिल नहीं किया जाए। कैलेंडर वर्ष की चारों तिमाहियों के आधार पर हिंदी में सर्वाधिक एवम् सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले भारतीय जीवन बीमा निगम, आकाशवाणी, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा शील्ड देकर सम्मानित किया गया।

अनगुल

समिति की चौदहवीं बैठक दिनांक 21-12-2004 (मंगलवार) को नालको, प्रद्रायक एवं विद्युत संकुल, नालको नगर के मानव संसाधन विकास केंद्र (प्रशिक्षण संस्थान) में आयोजित की गई। बैठक में मानव संसाधन विकास एवं प्रशासन विभाग के महाप्रबंधक श्री कैलाश गुप्त ने अध्यक्षता की। अपने अध्यक्षीय भाषण में अध्यक्ष महोदय ने बताया कि राजभाषा के प्रति रुचि परिस्थिति के अनुसार बढ़ती गई। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के प्रति सभी की ध्यान देना चाहिए। उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग ने हिंदी भाषा की महत्ता पर जोर देते हुए हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सभी से अनुरोध किया। बैठक का संचालन श्री रमेश प्रसाद साहू, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा), नालको निगम कार्यालय, भुवनेश्वर ने किया। बैठक में अनगुल स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालय, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, सार्वजनिक उपक्रम के कार्यालय प्रमुख उपस्थित थे। बैठक के अंत में श्री सुरेश शर्मा, जन संपर्क अधिकारी, टी.टी.पी.एस. ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

तृश्शूर

तृश्शूर समिति की 34वीं बैठक दिनांक 29-11-2004 के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कोच्चि के अनुसंधान अधिकारी श्री पी. विजयकुमार की अध्यक्षता में संस्थान के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्व विद्यालय

के हिंदी प्राध्यापक डॉ. बाबू विश्वनाथ, मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में राजभाषा व राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की भूमिका पर जोर दिया। देश की अखंडता व एकता में हिंदी के योगदान का चित्र प्रस्तुत हुए, राजभाषा के कार्यान्वयन में नराकास की गतिविधियों की उन्होंने सराहना की। अपने संक्षित संबोधन के उपरांत मुख्य अतिथि ने 25-10-2004 से 29-10-2004 तक तृश्शूर नराकास के तत्वाधान में आयोजित संयुक्त हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कारों से सम्मानित किया।

शिलचर

30वीं बैठक संयोजक कार्यालय - हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कछाड़ पेपर मिल, पंचग्राम के अतिथि गृह में 29 नवम्बर, 2004 को मिल के अधिशासी निदेशक श्री दिलीप कुमार साहा की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

माननीय अध्यक्ष, मुख्य अतिथि एवं सदस्यों का स्वागत मिल के महाप्रबंधक (निर्माण) श्री डी.डी. अधिकारी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में व्याप्त अनेक भाषाओं के बीच यदि भारतीय जीवन की उदारता एवं एकात्मकता किसी एक भाषा में अधिक मुखरित दिखाई देती है, तो वह हिंदी ही है। चाहे सब लोग हिंदी न जानते हों, फिर भी इसके द्वारा वे अपना काम चला लेते हैं। कछाड़ जैसे बंगलाभाषी क्षेत्र में, चाहे कोई दक्षिण से आए या उत्तर से, पंजाब से आए अथवा महाराष्ट्र से, यदि उसे हिंदी का टूटा-फूटा ज्ञान है तो उसे अपने जीवन निर्वाह में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री साहा ने कहा कि बराक वैली में इस समिति की एक विशेष पहचान बन चुकी है। अब आवश्यकता इस बात की है कि राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए सक्रिय रूप से कुछ सार्थक प्रयास किए जाएं। आप लोग अपने-अपने कार्यालयों के प्रमुख हैं। आपकी दृढ़ इच्छा-शक्ति से उठाए गये कदम निश्चित् रूप से राजभाषा हिंदी को नई दिशा देंगे। हमारा विश्वास है कि इस बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई है, उनका आपके कार्यालयों में अनुपालन होने से राजभाषा हिंदी की प्रगति अवश्य होगी।

हिंदी हमारे देश की भावनात्मक एकता की परिचायक है। इसे भारत के प्रत्येक क्षेत्र के मनीषियों ने सजाया है, संवारा है। हर प्रदेश की भाषा ने इसे समृद्ध किया है। हरेक क्षेत्रीय भाषा ने इसे अपनाया है। आप सब इसे अपनाएं और प्रतिदिन के कार्यालयीन उपयोग में लाएं।

मंडी

पांचवीं बैठक दिनांक 5 जनवरी, 2005 को अपर आयकर आयुक्त, मंडी श्री सच्चिदानंद श्रीवास्तव जी की अध्यक्षता में विस्को रिजोर्ट्स के सभा कक्ष में आयोजित की गई। 29-30 नवंबर, 2004 को चंडीगढ़ में आयोजित गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में मंडी में स्थित पंजाब नेशनल बैंक को हिंदी में अच्छा कार्य करने पर पुरस्कृत किए जाने पर अध्यक्ष महोदय ने हार्दिक बधाई दी तथा समिति में भी इस घोषणा का करतल ध्वनि से स्वागत किया गया। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय ने अन्य सदस्य कार्यालयों से भी आग्रह किया कि सभी को पी.एन.बी. की तरह अपने-अपने कार्यालयों से हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मंडी अपनी पहचान बना सके और भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा कर सके। अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि मण्डी 'क' क्षेत्र में आता है तथा हिंदी में कार्य करना सहज व स्वाभाविक है तथा सभी के सहयोग, प्रेरणा और प्रोत्साहन से राजभाषा के प्रयोग को आगे बढ़ाना है। उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि हिंदी के प्रयोग के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं जुटाई जाएं ताकि अधिकारी, कर्मचारी उत्साहित होकर स्वत: सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें।

हासन

20वीं बैठक 10-01-2005 को समिति के अध्यक्ष एवं एमसीएफ के निदेशक डॉ. एम.वाई.एस. प्रसाद की अध्यक्षता में एमसीएफ, हासन में संपन्न हुई। श्री विश्वनाथ झा, उप निदेशक (का०), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलूर इस अवसर पर आमंत्रित थे। डॉ. एम.वाई.एस. प्रसाद, निदेशक, एम.सी.एफ एवं अध्यक्ष, नराकास ने वार्षिक पत्रिका "मलनाड शांतला" के तीसरे अंक के प्रकाशन के लिए सभी सदस्य कार्यालयों को हार्दिक बधाई दी एवं भविष्य में भी ऐसे ही सक्रिय सहयोग के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि मलनाड़ शांतला के चौथे अंक के प्रकाशन का कार्य, प्रगति पर है और यह अंक मई 2005 के दौरान प्रकाशित

किया जाएगा। शील्ड प्रदान करने की योजना को एक बार फिर दोहराते हुए उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य सभी सदस्य कार्यालयों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की दिशा में वर्ष के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए चल वैजयंती प्राप्त करने वाले विजेताओं को बधाई दी। आपने आगे कहा कि हिंदी राजभाषा के रूप में भारत सरकार के काम-काज की भाषा है किन्तु संपर्क भाषा के रूप में यह पूरे देश की भाषा है। अतः राष्ट्रीय हित की दृष्टि से भी हमें हिंदी प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

श्री विश्वनाथ झा, उप निदेशक (का०), राजभाषा विभाग, ने सदस्य कार्यालयों में हिंदी कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सदस्य कार्यालयों से आए प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उपलब्धि बहुत अच्छी होती है परन्तु उपलब्धि पाकर ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें सतत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए।

हैदराबाद-सिकंदराबाद (उपक्रम),

अर्ध-वार्षिक बैठक दिनांक 21-12-2004 को भारत डायनामिक्स लिमिटेड, कंचनबाग के डी एण्ड ई सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। बीडीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मेजर जनरल पी. मोहनदास, वि.से.मे. (निवृत्त) ने सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत किया। श्री रामलाल शर्मा, अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग, बेंगलूर ने अपने संबोधन में तिमाही प्रगति रिपोर्टों पर जोर दिया। श्री एन. नागेश्वर राव, सदस्य-सचिव ने समिति के निर्णयों पर की गयी कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में संबोधन किया कि हिंदी के कार्यान्वयन में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। विभिन्न कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने कार्यालयों में हो रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दीं। इस अवसर पर में बीडीएल की पत्रिका "स्पंदन" का विमोचन किया गया।

कटक

24वीं बैठक दिनांक 20-12-2004 को महाप्रबंधक, दूरसंचार कार्यालय, कटक के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। आकाशवाणी, कटक के उप निदेशक तथा कटक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्ष श्रीमती रश्मि प्रधान ने बैठक की अध्यक्षता की। श्री घनश्याम तांती, उप निदेशक (कार्यान्वयन), कोच्चि ने अपने अभिभाषण में कहा कि संसार में जहाँ भी इंसान रहते हैं वहां भाषा का प्रचलन होता है। श्रीमती रश्मि प्रधान, उप निदेशक, आकाशवाणी, कटक तथा अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कटक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी कार्यालयाध्यक्षों एवं उपस्थित अधिकारियों से कम-से-कम 10 बातों पर ध्यान देने के निए आग्रह किया।

1. हिंदी में मूल पत्राचार 55% करने के लिए प्रयास करें।
2. धारा 3(3) का शत-प्रतिशत पालन करें।
3. हिंदी में प्राप्त पत्र या हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर हिंदी में दें।
4. शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकों में वार्तालाप हिंदी में करें
5. हिंदी प्रवीण एवं प्राज्ञ प्रशिक्षण के लिए अधिकारी/कर्मचारियों को अवश्य नामित करें।
6. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का नियमित रूप से आयोजन करें।
7. तिमाही प्रगति रिपोर्ट, अर्धवार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें।
8. कार्यालय में हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह का आयोजन करें।
9. मोहर, नामपट्ट, साइन-बोर्ड, फॉर्म आदि द्विभाषी एवं आवयकतानुसार त्रिभाषी बनवायें।
10. अगर संभव हो तो अपने कार्यालय से राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन करें।

जयपुर

अर्धवार्षिक बैठक दिनांक 1 अक्तूबर, 2004 को कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर में संपन्न हुई।

समिति के अध्यक्ष महोदय श्री चंद्र लाल जी ने सदन में उपस्थित अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत सरकार राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन की दिशा में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का वर्ष में दो बार आयोजन किया जाता है और इन बैठकों में हम सब मिलकर हिंदी के प्रगामी प्रयोग में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण का प्रयास करते हैं।

दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 30 जून, 2004 के समेकित विवरण के आधार पर उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए कहा कि जहां एक ओर राजकाज में हिंदी के प्रयोग की स्थिति में सुधार हो रहा है वहीं दूसरी ओर कुछ कार्यालयों द्वारा कुछ मदों यथा धारा 3(3) व नियम 5 पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय ने वर्ष 2003-04 में हिंदी में श्रेष्ठ कार्य करने वाले चयनित कार्यालयों को हार्दिक बधाई दी एवं अन्य कार्यालयों से हिंदी में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रयत्नशील रहने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होने के नाते मेरे विचार में इन बैठकों का मूल उद्देश्य तभी पूरा होगा जब प्रत्येक बैठक में प्रत्येक सदस्य कार्यालय की सक्रिय सहभागिता रहे ताकि सभी के सार्थक विचारों व अमूल्य सुझावों से इन बैठकों को और भी उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके।

लुधियाना

46वीं बैठक 30-08-2004 रिवालविंग रेस्टोरेंट, 4 एक्स, माडल टाउन मार्किट, लुधियाना में आयोजित की गई। इस बैठक को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी मंडल कार्यालय-1 कोछड़ मार्किट, लुधियाना द्वारा प्रायोजित किया गया था। श्रीमती सुधा शर्मा, मुख्य आयकर आयुक्त, लुधियाना एवं अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति लुधियाना ने इस बैठक की अध्यक्षता की। श्री जसवंत सिंह, अनुसंधान अधिकारी ने बैठक में उपस्थित सदस्यों की सक्रिय भागीदारी पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि लुधियाना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति 'ख' क्षेत्र में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में अग्रगण्य श्रेणी में आती है। श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने इस समिति को कई बार पुरस्कृत किया है। उन्होंने उपस्थित सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने-2 कार्यालयों में कंप्यूटरों में हिंदी में काम करने के लिए साफ्टवेयर लोड करवाएं ताकि हिंदी में अधिकाधिक पत्राचार किया जा सके।

श्रीमती सुधा शर्मा, मुख्य आयकर आयुक्त, लुधियाना तथा अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति लुधियाना ने सर्वप्रथम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, मंडल कार्यालय, कोछड़ मार्किट, लुधियाना के सभी अधिकारियों की बैठक सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करवाने के लिए तथा उनके अतिथि भाव के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हमें हिंदी में रबड़ की मोहरें, नामपट्ट तथा फाइलों पर विषय इत्यादि हिंदी में देखकर संतोष नहीं कर लेना चाहिए बल्कि फाइलों के अन्दर अधिक से अधिक टिप्पणियां हिंदी में लिखें तथा हिंदी में अधिक से अधिक पत्राचार करें तभी इन बैठकों की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। हिंदी हम पर थोपी जा रही है ऐसी भावना को मन से निकाल दें।

बेंगलूर (बैंक)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूर के तत्वावधान में विजया बैंक, स्टाफ कालेज में दि. 10-8-2004 से 11-9-2004 तक दो दिन के लिए बेंगलूर नगर स्थित विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों के लिए राजभाषा मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संयोजक सिंडिकेट बैंक के सहायक महा प्रबंधक श्री के सत्यनारायण ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में उपस्थित अधिकारियों से अपील की कि वे आज के प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिंग युग में जन संपर्क भाषा हिंदी के जरिए संव्यवहार संपन्न करते हुए ग्राहकों को संतुष्टिजनक सेवाएं उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयास करते रहें। इस कार्यक्रम के उद्घाटन में राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलूर के उप निदेशक श्री विश्वनाथ झा को आमंत्रित किया गया। श्री विश्वनाथ झा ने सहभागियों को राजभाषा अधिनियम, नियम एवं राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति बैंकरों की जिम्मेदारियों के बारे में रोचक उदाहरणों के साथ अवगत कराया। विजया बैंक, स्टाफ विद्यालय के प्रभारी श्री बी के प्रकाश एवं वरिष्ठ प्रबंधक श्री प्रकाश वी मुतालिक ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में अपना सहयोग प्रदान किया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में राजभाषा नीति, व्यवहारिक हिंदी व्याकरण, बैंकिंग हिंदी

शब्दावली, बैंकिंग पत्र व्यवहार, आंतरिक कामकाज में हिंदी प्रयोग एवं प्रभावी संप्रेषण सत्र संचालित किए गए।

पांडिचेरी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पांडिचेरी की सैंतीसवीं बैठक दिनांक 22-07-2004 को जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमेर) पांडिचेरी के संस्थान परिषदालय में आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता डॉ. के.एस.बी.के. सुब्बा राव, निदेशक जिपमेर एवं अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पांडिचेरी ने की।

उन्होंने समिति के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कार्यान्वयन की दिशा में और भी प्रगति लाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सदस्य कार्यालयों से आये प्रतिनिधियों ने अपने-अपने कार्यालयों में हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों एवं उपलब्धियों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की और उनके द्वारा दिए गये सुझावों पर भी विचार विमर्श किया गया।

विशाखापट्टणम

42वीं बैठक का आयोजन दिनांक 28-08-2004 को राजभाषा स्वर्ण जयंती भवन के प्रेक्षागृह में किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री ए. के. घोष, मंडल रेल प्रबंधक ने की। श्री विश्वनाथ झा, उप-निदेशक (दक्षिण), बेंगलूर ने राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व किया।

समिति के सदस्य-सचिव ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा विभिन्न कार्यालयों में हो रही राजभाषा की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। श्री विश्वनाथ झा, उप-निदेशक, ने वार्षिक कार्यक्रम 2004-05 में दिए गए लक्ष्यों की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया। श्री शरत चन्द्र झा, सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, विशाखापट्टणम ने हिंदी भाषा, टंकण, तथा आशुलिपि प्रशिक्षण का ब्यौरा प्रस्तुत किया तथा सदस्यों से सहयोग की अपील की।

अपने अध्यक्षीय भाषण में मंडल रेल प्रबंधक श्री ए. के. घोष ने अधिक से अधिक हिंदी में पत्राचार करने हेतु अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि संविधान लागू होने के इतने अंतराल के बावजूद हिंदी की प्रगति अपेक्षाकृत कम हुई है, उन्होंने हिंदी में प्रशिक्षित कर्मचारियों से उनके अर्जित हिंदी ज्ञान के उपयोग के लिए जोर दिया।

शिवपुरी

वर्ष 2004-05 की प्रथम बैठक दिनांक 2-9-2004 को दूर संचार वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीर सभागार में कमान अधिकारी विनय राम पांड्या की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री पांड्या ने कहा कि, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने लगातार सात बार प्रथम रहकर गृह मंत्रालय की राजभाषा शील्ड जीती है। इसी प्रेरणा से हमारे बल में अधिकांश कार्य हिंदी में किया जा रहा है और अन्य कार्यालयों के लिए प्रेरणा बने हैं। उन्होंने कहा कि, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय ने, सेनानी, दूर संचार वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस को शिवपुरी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता का दायित्व सौंपा है। सेनानी श्री पांड्या ने कहा कि, सरकारी काम काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई पर अभी भी, शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गए हैं। सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। अध्यक्ष द्वारा सभी प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश समृद्ध भाषाओं से परिपूर्ण है।

संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को केंद्र की राजभाषा के रूप में हिंदी को अंगीकार किया था। उस दिन की याद में प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज राजभाषा वह कड़ी बन गयी है जो सारे भारतीयों को भाषाई रूप में एक दूसरे को जोड़े हुए है। हिंदी भारतीय जनसमुदाय के बीच संपर्क भाषा के रूप में कार्य करने के साथ-साथ अब अंतरराष्ट्रीय रूप में अपनी पहचान बना रही है।

देवास

23-12-2004 को देवास नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा बैंक नोट मुद्रणालय के उपमहाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष श्री सुमित सिन्हा ने समिति की 34वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में देवास नगर राजभाषा समिति निश्चित ही अच्छा काम कर रही है। समय-समय पर इसे मिले सम्मान तथा पुरस्कार

इसके प्रतीक हैं जिसके लिए आपकी लगन और निष्ठा प्रशंसनीय है। आप समिति के न केवल सक्रिय सदस्य हैं बल्कि इसकी धड़कन भी हैं। समिति आपके कार्यकलापों से ही धड़कती है। इसकी धड़कन को बनाए रखे तथा समिति को और नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। इस अवसर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वरिष्ठ प्रबंधक श्री माणक तुलसीराम गौड के लघुकथा संग्रह कर्तव्य बोध का विमोचन भी किया गया।

सदस्य कार्यालयों के शीर्षस्थ अधिकारियों की उपस्थिति में बैंक नोट मुद्रणालय के सभागृह में आयोजित बैठक की शुरुआत में भारत सरकार गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री सुनिल सरवाही ने सदस्य कार्यालयों की छमाही प्रगति की समीक्षा करते हुए इस तथ्य की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित कराया कि समिति की प्रगति निश्चित ही संतोषजनक है लेकिन अलग-अलग व्यक्तियों के लिए संतोष का पैमाना अलग-अलग होता है। नराकास के गठन का उद्देश्य देश को दिशा देना है तथा इसका लक्ष्य यही है कि राजभाषा नीति तथा नियमों का सही कार्यान्वयन हो तथा प्रगति चाहे जितनी भी हो उसके आंकड़े पूर्ण हों तथा उन्हें सही रूप में अभिलिखित कर प्रगति रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

करनाल

वर्ष 2004-2005 की द्वितीय एवं 40वीं छमाही बैठक दिनांक 21-12-2004 को लघु उद्योग सेवा संस्थान, कुंजपुरा रोड, करनाल में आयोजित की गई। इस बैठक में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री मदनलाल गुप्त बतौर मुख्य अतिथि पधारे।

40वीं बैठक का शुभारंभ उन्होंने दीप प्रज्जवलित कर एवं माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी के काम को बढ़ावा देना, हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हमें एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। राजभाषा हिंदी के द्वारा हम आम जनता से जुड़ कर अपने विभाग का ज्यादा से ज्यादा कार्य बढ़ा सकते हैं। विश्व व्यापार के बढ़ते हुए दबाव व भूमंडलीय के दौर में उन्होंने समस्त कार्यालय प्रभारियों को आगाह किया कि हम अंग्रेजी की बैसाखी पर ज्यादा दिन नहीं चल सकते। इसलिए हमें राष्ट्रभाषा को स्वेच्छा से अपनाना चाहिए, चूंकि स्वेच्छा से किया गया कार्य ज्यादा प्रभाव डालता है।

समिति के अध्यक्ष, निदेशक श्री सुरेश यादवेन्द्र ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और अपने संबोधन में कहा कि हम लोग आजादी के 57 वर्षों के बाद भी अपने हस्ताक्षर व निमंत्रण पत्र हिंदी में ही नहीं छपवा रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर हिंदी को देश की अस्मिता से जोड़ते हुए कहा कि हमारे मान-सम्मान का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि हम कम से कम छुट्टी का आवेदन, दौरा कार्यक्रम एवं अन्य पत्राचारें हिंदी में ही करने का प्रयास करें। अपने हस्ताक्षर हमेशा हिंदी में करें। उन्होंने मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त किया और उनके राजभाषा के प्रति स्नेह एवं उनके द्वारा राजभाषा को दिए गए योगदान की भूरि-भूरि प्रशंसा की। ❐

अपनी मातृभाषा बंगला में लिखकर मैं 'बंगबंधु' हो गया किंतु 'भारतबंधु' मैं तभी हो सकूंगा जब भारत की राष्ट्रभाषा में लिखूंगा।

—बंकिम चंद्र चटर्जी

(ग) कार्यशालाएं

परमाणु ऊर्जा विभाग भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन, तमिलनाडु

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन, तमिलनाडु में दिनांक 26 एवं 27 अक्तूबर, 2004 को संयंत्र के सुरक्षा कर्मियों हेतु दो पूर्ण दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कुल 19 सुरक्षा कर्मी उपस्थित थे।

श्री एम.एम. रसूल ने अपने उद्घाटन भाषण में बताया कि भारत सरकार अपने कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन योजनाएं चला रही हैं, जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हम जितनी अधिक भाषाएँ सीखेंगे उतना ही हमारे लिए लाभदायक होगा। उन्होंने प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे व्याख्यानों का लाभ उठाएं और अपने दैनिक सरकारी काम में हिंदी का प्रयोग करें व रजिस्टरों, फाइलों में हिंदी लिखना शुरू करें।

कार्यशाला के सत्रों के अंत में दिए गए व्याख्यानों के आधार पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का संचालन श्री मनोज कुमार शर्मा ने किया। सही ज़वाब देने वाले प्रतिभागियों को श्रीमती डी. भाग्यवती, सदस्य, राभाकास द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। प्रतिभागियों ने दो दिवसीय कार्यशाला में दिये गये व्याख्यानों पर अपने-अपने विचार फीड बैक में प्रस्तुत किए एवं व्याख्यानों को लाभदायक बताया एवं भविष्य में हिंदी वार्तालाप की भी एक कक्षा आयोजित करने संबंधी सुझाव दिया। धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कार्यशाला का समापन हुआ।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 2 सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार दिल्ली-110092

बोर्ड के दिल्ली स्थित मुख्यालय में दिनांक 22, 23 एवं 24 दिसंबर, 2004 को 3 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बोर्ड के अनुभाग अधिकारियों/डैस्क अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के प्रथम दिन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक श्री बिचारदास ने अधिकारियों को राजभाषा नीति एवं संवैधानिक उपबंधों से परिचित करवाया। दूसरे दिन प्रमुख भाषाविद, विद्वान एवं पूर्व अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, डॉ. सूरजभान सिंह जी ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं राजभाषा हिंदी के संबंध में अधिकारियों को विस्तार से अवगत करवाया। इसी प्रकार उपनिदेशक (राजभाषा विभाग), क्षे.का. कार्यालय, दिल्ली के श्री प्रेम सिंह, केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली केंद्र के प्रो. डा. भरतसिंह, वाणिज्य मंत्रालय के हिंदी अधिकारी श्री एम. आर. शर्मा ने भाषा विज्ञान, वर्तनी और हिंदी के कार्यान्वयन के समय-समय पर सामने आने वाली कठिनाइयों के समाधान की जानकारी दी।

अंतिम दिन निदेशक (राजभाषा) मा.स.वि. मंत्रालय, शास्त्री भवन एवं बोर्ड के माननीय अध्यक्ष श्री अशोक गांगुली जी ने सभी अतिथि वक्ताओं का बोर्ड के अधिकारियों का मार्गदर्शन करने पर आभार प्रकट किया और सभी प्रतिभागी अधिकारियों को कार्यालय का अधिक से अधिक कार्य राजभाषा हिंदी में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में हिंदी अधिकारी श्री राजसिंह यादव ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया।

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि.

तीस्ता चरण-V जलविद्युत परियोजना, पूर्वी सिक्किम

जलविद्युत परियोजना में इस वित्तीय वर्ष की तीसरी कार्यशाला दिनांक 15-12-2004 को आयोजित की गई। इस कार्यशाला में व्याख्यान तथा अभ्यास कार्य कराए जाने के लिए बतौर व्याख्याता श्री बी.एन. प्रसाद, उपनिदेशक (पूर्वोत्तर), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गुवाहाटी को आमंत्रित किया गया।

कार्यशाला सत्र प्रारंभ होने के पूर्व उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र के आरंभ में परियोजना के मुख्य अभियंता (एचआरडी) श्री बी. के. शारदा ने संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी को व्यवहार में लाने के लिए हिचकिचाहट महसूस न करें बल्कि अपने मन में संकल्प लेने की जरूरत है कि अपना कामकाज हिंदी में निपटाएंगे। तभी हिंदी वास्तव में कामकाज की भाषा बन पाएगी। आगे उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि इस कार्यशाला से आप सभी काफी लाभान्वित होंगे।

परमाणु ऊर्जा विभाग
परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, पश्चिमी क्षेत्र ए.एम.डी. कॉम्प्लेक्स, विस्तार, बंबाला, प्रतापगर, सांगनेर, जयपुर-303906

दिनांक 13 सितंबर, 2004 से 27 सितंबर, 2004 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसके अंतर्गत दिनांक 13-09-2004 को एक दिवसीय हिंदी कंप्यूटर कार्यशाला व दिनांक 22 व 23-09-2004 को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, हिंदी पखवाड़े के अन्तर्गत दिनांक 24-09-2004 को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।

उद्घाटन भाषण में अपने विचार व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने प.ख.नि., पश्चिमी क्षेत्र की हिंदी की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया तथा इस दिशा में और सुधार करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए तथा उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागिओं को अपनी शुभकामनाएं दीं। तत्पश्चात् हिंदी अनुवादक श्री अभिषेक जैन ने विगत वर्ष की हिंदी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट का वाचन किया तथा आगामी वर्ष के संभावित कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की।

समापन समारोह में क्षेत्रीय निदेशक श्री अजीत कुमार पांडे ने कार्यक्रमों के सफल आयोजन पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को बधाई दी तथा अपने उद्बोधन में उन्होंने सभी कर्मचारियों/अधिकारियों से हिंदी में और अधिक कार्य करने को आह्वान किया। तत्पश्चात् उन्होंने हिंदी प्रतियोगितओं में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। सभी विजेताओं को हिंदी साहित्यकारों, निबंधकारों व समालोचकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें पुरस्कार के रूप में वितरित की गई।

बैंक नोट मुद्रणालय, देवास

"हिंदी देश में सबसे ज्यादा प्रचलित तथा लोकप्रिय भाषा है। सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है और इसने पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण सारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध रखा है। सही मायने में हिंदी सभी को जोड़ने का काम करती है। सभी को राजभाषा नियमों की जानकारी होनी चाहिए, इस दृष्टि से कार्यशाला के विषय निश्चित ही सभी प्रतिभागियों के लिए उपयोगी होंगे।" यह उद्गार नराकास, देवास के अध्यक्ष तथा बैंक नोट मुद्रणालय के उप-महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष श्री सुमित सिन्हा ने नराकास, देवास की संयुक्त हिंदी कार्यशाला के एक दिवसीय दसवें सत्र के समापन अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले समिति के सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए।

कार्यशाला के समापन समारोह के आरंभ में नराकास अध्यक्ष श्री सुमित सिन्हा का स्वागत स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर मुख्य शाखा के जिला समन्वयक श्री पी.पी. देवस्थली और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के सहायक प्रशासन अधिकारी श्री एच.एस. जोशी ने किया तथा आयकर कार्यालय के श्री एन. के. उमडेकर तथा नेशनल इंश्योरेंस के श्री हरिनारायण पटेल ने अतिथि व्याख्याता श्री हरेराम बाजपेयी तथा श्री मुकुल मराठे का स्वागत किया। बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा के अधिकारी श्री भूपेन्द्र अरोरा ने कार्यशाला में प्राप्त प्रशिक्षण के बारे में अपने अनुभव व्यक्त किए। इस अवसर पर श्री बाजपेयी ने हिंदी कार्यशाला की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए नराकास देवास की सक्रियता की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन समिति के सदस्य सचिव तथा मुद्रणालय के सहायक निदेशक (राजभाषा) डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी ने किया तथा आभार श्री मुकुल मराठे ने माना।

जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पांडिचेरी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पांडिचेरी के तत्वावधान में जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पांडिचेरी में 15-16 अप्रैल, 2004 को एक दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न सदस्य कार्यालयों के कुल 11 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन निदेशक जिपमेर एवं अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पांडिचेरी डॉ. के.एस.वी.के. सुब्बा राव ने किया। उन्होंने समिति के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इन कार्यशालाओं का आयोजन राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने प्रतिभागियों को इस अवसर पर पूरा लाभ उठाने तथा ज्यादा-से-ज्यादा सरकारी कामकाज मुख्य रूप से हिंदी में करने का आह्वान किया। इस दो दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न संकाय सदस्यों ने टिप्पण, प्रारूप लेखन आदि के अलावा हिंदी को कार्यालय में प्रयोग में लाने के लिए कंप्यूटर के उपयोग पर व्याख्यान दिये गए। एक विशेष सत्र में भाषा के मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी व्याख्यान एवं चर्चा हुई जिसे प्रतिभागियों द्वारा काफी पसंद किया गया।

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जी.टी.रोड, कानपुर-208016

27-09-2004 को एलिम्को में एक हिंदी कार्यशाला शीर्षक **"राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग एवं वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति"** का आयोजन किया गया। हिंदी कार्यशाला के उद्घाटन समारोह के अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने हिंदी का अपने कार्यक्षेत्र में अधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल दिया। इस अवसर पर कानपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव श्री आर.के. शर्मा, हिंदी अधिकारी आयुध निर्माणी समूह मुख्यालय, कानपुर विशेष आमंत्रित सदस्य थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में हिंदी के प्रगामी प्रयोग एवं वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अपने विचार व्यक्त किए एवम् हिंदी कार्यशाला के उद्देश्यों से अवगत कराया।

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि० कोम कैराप, मणिपुर

प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण सहायकों को राजभाषा के कार्यालयीन उपयोग हेतु अभ्यास कराने के आशय से लोकताक पावर स्टेशन में दो हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गई।

दिनांक 27-11-2004 को कॉन्फ्रेन्स हॉल लोकताक में आयोजित की गई कार्यशाला का शुभारंभ श्री एम. लालमणि सिंह, मुख्य अभियंता लोकताक पावर स्टेशन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उपस्थित प्रतिभागियों एवं अतिथिगणों का स्वागत करते हुए श्री ए.के. कपूर वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक) ने कहा कि हिंदी अनुभाग इस प्रकार की कार्यशाला आयोजित करने के लिए धन्यवाद का पात्र है। उन्होंने कहा कि हम हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करें। इसके लिए उन्होंने आह्वान किया कि सभी विभागाध्यक्ष स्वयं हिंदी में कार्य करने की पहल करें। उन्होंने बताया कि पावर स्टेशन प्रमुख श्री एम. लालमणि सिंह भी यथासंभव हिंदी में कार्य करते हैं तथा हिंदी से संबंधित किसी भी कार्य में अपना सक्रिय योगदान देने के लिए तत्पर रहते हैं जो अनुकरणीय है।

मुख्य अतिथि श्री एम. लालमणि सिंह ने कहा कि वर्ष 2003 के लिए लोकताक पावर स्टेशन को निगम कार्यालयों में प्राप्त द्वितीय पुरस्कार लेते समय उनके मन में यह ख्याल आया था कि हमें प्रथम पुरस्कार क्यों नहीं मिला? लेकिन इस बार वर्ष भर राजभाषा में की गई गतिविधियों से उन्हें यह विश्वास हो गया है कि वर्ष 2004 के लिए लोकताक को प्रथम पुरस्कार अवश्य मिलेगा। इस कार्यशाला में कुल 21 (इक्कीस) प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारियों ने भाग लिया।

दिनांक 3-12-2004 को दूसरी कार्यशाला पावर हाउस लिमाताक में आयोजित की गई। इस कार्यशाला का प्रारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस कार्यशाला में कुल 17 कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला के उद्घाटन भाषण में श्री बी.डी. महाराणा, सहायक प्रबंधक (विद्युत) ने सभी उपस्थित कर्मचारियों का आह्वान किया कि कार्यशाला में अर्जित किये जाने वाले ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें अपने साथियों को भी इस संबंध में जानकारी दें।

पूर्वी भंडार प्रभाग (ग्रेफ), द्वारा—99 सेना डाकघर

पूर्वी भंडार प्रभाग (ग्रेफ) में दिनांक 20 दिस. 2004 के 21 दिस. 2004 तक दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कमान अधिकारी के अनुपस्थिति में श्री एम. एन. अंसारी, सहा. अधि. अभि (वि व या) स्था. कमान अधिकारी ने की। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि जिस प्रकार एक छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष छिपा हुआ रहता है, उसी प्रकार अगर हमलोग शुरू से ही हिंदी में कार्य करते हैं, तो आगे चलकर हम लोगों को हिंदी में कार्य में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हमें अपने स्तर से ही हिंदी को बढ़ावा देने का कार्य करना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा हिंदी हमारी अस्मिता का द्योतक है, जो एक राष्ट्र और एक झंडे के आधार को और सुदृढ़ करती है। हमें राजभाषा हिंदी के साथ भावनात्मक संबंध रखना चाहिए।

इस अवसर पर श्री राघवेन्द्र झा, सहा. अभि. (वि व या) ने हिंदी की महत्ता पर प्रकाश डाला एवं उन्होंने कहा कि हमें हिंदी में कार्य करने की कोशिश तो करें, ताकि हमें कार्य करने में होने वाली दिक्कत को वरिष्ठ कर्मचारी व कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारी से सहयोग लेकर उसे दूर कर सकें। हमारे अंदर जो भी हिचक है, उस हिचक को निकाल देना है एवं दृढ़ता के साथ हिंदी पत्राचार करना है।

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे के कर्मचारियों को हिंदी में काम करने हेतु प्रेरित तथा मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से दिनांक 16-12-2004 तथा 17-12-2004 को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला के आरंभ में हिंदी अधिकारी श्री श्रीकांत कुबल ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए कार्यशाला का उद्देश्य एवं उसकी रूपरेखा की जानकारी दी। कार्यशाला का आरंभ कार्यालय की निदेशक श्रीमती वैजयंती बेन्द्रे की अध्यक्षता में औपचारिक उद्घाटन समारोह से हुआ। इस समय अनुसंधान शाला की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं संयुक्त निदेशक श्री फ्रांसिस ता. मैथ्यू उपस्थित रहे। कार्यशाला में व्याख्याता की हैसियत से श्री नारायण प्रसाद, मुख्य अनुसंधान अधिकारी एवं राजभाषा अधिकारी और श्री श्रीकांत कुबल, हिंदी अधिकारी उपस्थित रहे।

भारत तिब्बत सीमा पुलिस निदेशालय

महानिदेशालय भा.ति.सी. पुलिस द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं सरकारी काम हिंदी में करने में कर्मचारियों की झिझक दूर करने हेतु केंद्रीय अभिलेख कार्यालय के लिपिकीय प्रशिक्षण स्कूल, छावला में यूनिटों आदि से आए 22 हव/सी.एम के लिए 29 व 30 दिसंबर, 2004 को "दो पूर्ण दिवसीय हिंदी कार्यशाला" आयोजित की गई। कार्यशाला की समाप्ति पर प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक घंटे की आब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा भी ली गई ताकि कर्मी कार्यशाला के प्रति पूर्ण गंभीरता अपनाएं।

श्री आई. एस. नेगी, अपर उ.म.नि. (प्रशा.) ने अपने स्वागत संबोधन में आशा प्रकट की कि कार्यशाला के आयोजन से हर स्तर पर सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा। सभी प्रशिक्षणार्थियों ने इसमें रूचि लेकर कार्यशाला को सफल बनाया। उन्होंने परिणाम घोषित करते हुए अवगत कराया कि सभी प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में पास हुए हैं एवं उन्हें बधाई दी।

मुख्य अतिथि ने सर्वप्रथम सभी को कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि बल के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का पर्याप्त ज्ञान है। सरकारी कार्य में सरल हिंदी का प्रयोग करते हुए क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग की प्रवृति से बचा जाए। उन्होंने आशा प्रकट की कि इस कार्यशाला से हिंदी के प्रयोग में अच्छी प्रगति होगी जो प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा निदेशालय को भेजे जाने वाले प्रतिवेदनों में दिखाई देगी। मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षणार्थियों से आग्रह किया कि उन्होंने कार्यशाला में जो कुछ सीखा है उसे अपने सह-कर्मियों को भी बताएं। उन्होंने कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों, विशेषकर परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त कार्मिकों को बधाई दी। ❑

(घ) हिंदी दिवस

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उप क्षेत्रीय कार्यालय, रेलवे स्टेशन रोड, कड़पा-516004

दिनांक 1 से 14-9-2004 तक हिंदी पखवाड़ा 2004 मनाया गया। 15-9-2004 को रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन समारोह आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत हिंदी में अपना अधिकतम सरकारी कामकाज करने के लिए राजभाषा संबंधी कई बैनर और पोस्टर लगाए गए तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में अपना काम करने के लिए हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। श्री डी.जी. नलाबड़े, सहायक भविष्य निधि आयुक्त एवं अध्यक्ष ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि अगर हम राष्ट्रीय एकता चाहते हैं तो हमें हिंदी सीखनी ही चाहिए, क्योंकि भारत की 80 प्रतिशत जनता इसको समझ सकती है। मुख्य अतिथि श्री पेरीविश्वनाथम, अधीक्षक अभियंता, आकाशवाणी, कड़पा ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हम सबको एक ही सूत्र में बांधने वाली भाषा हिंदी ही है। इसलिए संपर्क भाषा के रूप में हिंदी मशहूर है। आजकल हिंदी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि विदेशों में भी हिंदी की पढ़ाई हो रही है। महात्मा गाँधी ने भारत की एकता को स्थापित करने के उद्देश्य से हिंदी के प्रचार पर जोर दिया। आजकल के वैज्ञानिक युग में हमारा एक ही स्थान पर निवास करना संभव नहीं है। हमें पढ़ाई के लिए, व्यापार एवं अनेक कारणवश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। ऐसे समय में हमारे लिए हिंदी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी।

मुख्य अतिथि ने कई हिंदी प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए। बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम का अयोजन किया गया।

आकाशवाणी, कटक

केंद्र में दिनांक 1 सितंबर से 15 सितंबर, 2004 तक हिंदी पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन आकाशवाणी, कटक के मुख्य प्रस्तुतकर्ता श्री रति रंजन मिश्र ने किया। उद्घाटन अभिभाषण में उन्होंने पखवाड़े को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों से आग्रह किया। सम्मानीय वक्ता श्री दीपक सामन्तराय, सहायक केंद्र निदेशक ने सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें हिंदी में काम करना चाहिए। जब हम अंग्रेजी में काम कर सकते हैं तो हिंदी में क्यों नहीं कर सकते? हिंदी में काम करने की झिझक को दूर करके हमें हिंदी में कार्यालयीन कार्य करना चाहिए। मुख्य वक्ता श्री बसन्त कुमार बेहेरा, केंद्र अभियंता ने संघर्ष भाषा हिंदी पर जोर डालते हुए कहा कि अगर हमें हिंदी आती है तो भारत के किसी प्रांत में जाने पर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने पखवाड़े की सफलता हेतु अपनी शुभकामनाएं दी।

कश्मीर विश्वविद्यालय (स्नातकोत्तर, हिंदी विभाग)

श्रीनगर

दिनांक 22-9-2004 को 'हिंदी दिवस समारोह' आयोजित किया गया। श्री रमेश मेहता, सचिव, कल्चरल अकादमी, जम्मू व कश्मीर इस समारोह में मुख्य अतिथि थे। कश्मीर विश्वविद्यालय के डीन एकेडेमिक्स, प्रो. खुर्शीद अली, डीन, कला संकाय प्रो. सिद्दीक नियाज़मन्द, डॉ. निज़ामउद्दीन, कश्मीर विश्वविद्यालय, कला विभाग के समस्त विभागाध्यक्ष तथा अनेक महाविद्यालयों से प्रवक्ता उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि, श्री रमेश मेहता जी ने हिंदी विभाग में हिंदी अध्ययन-अध्यापन तथा कश्मीर में हिंदी के उज्जवल भविष्य को देखते हुए संतोष व्यक्त किया। प्रो. खुर्शीद अली साहब ने अपने अभिभाषण में हिंदी विभाग की अध्यक्षा, प्रो. जौहरा अफ़जल को आश्वासन तथा विश्वास दिलाया कि वह हिंदी विभाग की उन्नति तथा हिंदी के विकास के लिए प्रत्येक प्रकार का सहयोग देने के लिए तत्पर रहेंगे तथा इस बात पर बल दिया कि हिंदी हम सबकी भाषा है, इसे किसी

जाति या धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। प्रो. सिद्दीक नियाज़मंद साहब ने समस्त भारतीय भाषाओं को एक मानते हुए सभी भाषाओं को अंगीकार करने पर बल दिया। डॉ. निज़ामउद्दीन ने कश्मीर में सन् 1960 से लेकर आज तक हिंदी के विकास एवं महत्व तथा कश्मीर जैसे अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी विभाग की रीडर, डॉ. दिलशाद जीलानी ने अपने स्वागत अभिभाषण में कश्मीर में हिंदी की स्थिति, साहित्यिक गतिविधियां तथा यहां हुई प्रगति को उद्घाटित किया। हिंदी विभाग की अध्यक्षा, प्रो. जौहरा अफ़जल ने अपने अभिभाषण में प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हिंदी विभाग में अध्ययन-अध्यापन तथा शोध कार्य को जारी रखने में उप-कुलपति, कुलसचिव तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

आकाशवाणी, नागौर

आकाशवाणी, नागौर केंद्र पर दिनांक 14-9-2004 से 28-9-2004 तक हिंदी पखवाड़े का सफल आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

हिंदी पखवाड़े का समापन/पुरस्कार वितरण समारोह केंद्र अभियंता श्री एस. पी. चावला के मुख्य आतिथ्य में दिनांक 28-9-2004 को सम्पन्न हुआ। उपरोक्त प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को नियमानुसार पुरस्कार और राजभाषा प्रशस्ति-पत्र वितरित किए गए। केंद्राध्यक्ष ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से राजभाषा के प्रमुख दिशानिर्देशों के अनुरूप हिंदी में सरकारी कामकाज करने का आह्वान किया। अंत में हिंदी अधिकारी ने सभी उपस्थितजनों का आभार व्यक्त किया।

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) आकाशवाणी, तुरा

दिनांक 1 सितंबर से 15 सितंबर, 2004 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। दिनांक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस के मुख्य अतिथि डॉ. ए.पी. थपलियाल, उप निदेशक प्लांट फिजियोलॉजी, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, रबड़ बोर्ड, तुरा तथा सम्मानित अतिथि श्री आर.आर.एस. राठौर, पी.जी.टी.; केंद्रीय विद्यालय तुरा थे।

मुख्य अतिथि तथा सम्मानित अतिथि के द्वारा हिंदी प्रतियोगिताओं में पुरस्कार पाने वाले कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र वितरित किया गया।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामरूप

दिनांक 14 सितंबर से 22 सितंबर, 2004 तक बी.वी.एफ.सी.एल. नामरूप द्वारा हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। राजभाषा हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए निगम की तरफ से उप महाप्रबंधक श्री मन्नान जी ने हिंदी सप्ताह के कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी एस. पी. हिमांशु जी ने अपना भाषण रखा। हिंदी सप्ताह के दौरान रखे गये कार्यक्रम निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, पारिभाषिक शब्द लेखन प्रतियोगिता, टंकण प्रतियोगिता, टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता और हिंदी सॉफ्टवेयर "अंकुर आफिस" का डेमोंस्ट्रेशन एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया।

निगम के निदेशक (उत्पादन) जगत चन्द्र दुवरा जी ने प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के बीच पुरस्कार प्रदान किया और साथ ही विगत 2003 के प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारियों के बीच नकद प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किये।

स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, करोल बाग, नई दिल्ली

स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, करोल बाग, नई दिल्ली में दिनांक 11 सितंबर, 2004 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन व्यापक स्तर पर किया गया। इस समारोह में स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर की दिल्ली स्थित सभी शाखाओं के प्रमुखों के साथ-साथ सभी स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। सभा का संचालन श्री रामपाल शर्मा (मुख्य प्रबंधक, करोल बाग शाखा) ने किया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिनमें पत्र लेखन, सुलेख प्रतियोगिता को पहले सभी शाखा स्तर पर करवाया गया। तत्पश्चात् चयनित पत्र लेखन एवं सुलेखों में से उत्कृष्ट को

विजेता घोषित किया गया। माननीय श्री अणियेरी ने उत्साहित प्रतियोगियों एवं स्टाफ सदस्यों के बीच अपने मुख्य भाषण में देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए हिंदी दिवस की महत्ता एवं वर्तमान बदलते हुए परिवेश में हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल दिया।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में 14 सितंबर, 2004 को हिंदी दिवस समारोह में क्षेत्रीय कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय एवं शाखा कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर माननीय श्री ए. जे. पवार, बीमा आयुक्त महोदय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए एवं समारोह की अध्यक्षता श्री बी. सी. भारद्वाज, अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक ने की। अध्यक्ष महोदय ने मुख्य अतिथि के प्रति अपना आभार प्रकट किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे क्षेत्रीय कार्यालय में राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए किसी प्रकार की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे राजभाषा नियमों का स्वयं ही पालन करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी उनका पालन करवाएं। उन्होंने यह भी सलाह दी कि वे क्षेत्रीय कार्यालय की राजभाषा शाखा का सहयोग प्राप्त करते रहें तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी राजभाषा शाखा में समस्याओं के निवारण के लिए भेजते रहें।

दिनांक 1-9-2004 से लेकर 15-9-2004 तक हिंदी पखवाड़े का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक वर्ष की भांति अनेक प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतिभागियों के विजेताओं को मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय ने अपने कर कमलों से प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए।

आकाशवाणी, हैदराबाद

दिनांक 14-9-2004 से 28-9-2004 तक हिंदी पखवाड़ा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हिंदी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़ा का पुरस्कार एवं समापन समारोह केंद्र निदेशक श्रीमती दुर्गा भास्कर की अध्यक्षता में दिनांक 29-9-2004 को सायं 4.00 बजे सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती बी. शोभा राणी, संगीतकार द्वारा प्रस्तुत गणेश स्तुति से हुआ। श्रीमती यू. गायत्री देवी, हिंदी अधिकारी ने समारोह में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत किया और हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं की जानकारी दी। सर्वप्रथम श्री टी. एस. के. पिल्लै, केंद्र अभियंता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्रीमती दुर्गा भास्कर, केंद्र निदेशक ने हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण एवं संस्कृति मंत्री श्री एस. जयपाल रेड्डी द्वारा जारी अपील को पढ़ कर सुनाते हुए कहा कि देश की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण बनाने के लिए हिंदी का व्यावहारिक प्रयोग बहुत जरूरी है। हमें अपने दिन-प्रतिदिन के काम में सरल, सहज और सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इस अवसर पर अध्यक्ष महोदया ने हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित प्रश्न मंच, अनुवादक सामान्य जानकारी, वाक् आदि प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई देते हुए प्रमाण-पत्र एवं नकद पुरस्कार वितरित किए।

महानिदेशालय असम राइफल्स शिलांग

महानिदेशालय असम राइफल्स, शिलांग में 10 सितंबर, 2004 से 24 सितंबर, 2004 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान महानिदेशालय तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें प्रतिभागियों ने काफी संख्या में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

हिंदी पखवाड़ा का समापन/पुरस्कार वितरण समारोह 27 सितंबर, 2004 को महानिदेशालय के तिस्ता हॉल में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्रिगेडियर राज कृष्ण यादव, ब्रिगेडियर (कार्मिक) ने की। इसके पश्चात् मुख्य अतिथि ने विजेताओं को प्रमाणपत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए।

आकाशवाणी, रत्नागिरी

आकाशवाणी, रत्नागिरी में हिंदी पखवाड़े का आयोजन दिनांक 14-9-2004 से 29-9-2004 तक किया गया। इस उपलक्ष्य में विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

पखवाड़े का समापन तथा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 29-9-2004 को किया गया। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा केंद्र निदेशक श्री पतंजली मादुस्कर जी ने सभी विजेताओं का अभिनंदन किया और कहा कि सभी लोगों को मन से हिंदी बोलने की तैयारी रखना जरूरी है। उन्होंने विजेता कर्मचारियों का अभिनंदन करने के साथ-साथ कर्मचारियों को कार्यालय में सभी तरह की हिंदी से संबंधित गतिविधियों में उत्साह से हिस्सा लेने के लिए प्रेरित भी किया।

आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली

आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली में 1 सितंबर, 2004 से 28 सितंबर, 2004 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान हिंदी भाषी एवं अहिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग वर्गों में हिंदी निबंध, टिप्पण तथा प्रारूप लेखन, तकनीकी अनुवाद, हिंदी सामान्य ज्ञान, भाषण तथा श्रुतलेख प्रतियोगिताओं (केवल वर्ग 'घ' कर्मचारियों के लिए) का आयोजन किया गया। मुख्य अभियंता श्री डी. के. बंद्योपाध्याय ने विजेताओं को प्रमाण-पत्र तथा नकद पुरस्कार प्रदान किए। अपने संबोधन में श्री बंद्योपाध्याय ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयासरत रहने की अपील की। समारोह का संचालन हिंदी अधिकारी श्री कौशल पाण्डेय ने तथा धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री गीताराम ने किया। इस कार्यक्रम में विभाग के प्राय: सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

आकाशवाणी, कोत्तगूडेम

आकाशवाणी, कोत्तगूडेम में 14 सितंबर, 2005 को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हिंदी पखवाड़ा समारोह का शुभारंभ केंद्र अभियंता श्री एम० सोमेश्वर राव के कर-कमलों से हुआ। केंद्र अभियंता ने अपने उद्घाटन भाषण में हिंदी कार्यशाला में पढ़ाये जाने वाले विषयों को ध्यान से सुनकर सभी को अपने सरकारी कामकाज में उसका पूरा-पूरा फायदा उठाने को कहा। कार्यक्रम प्रमुख श्री के० कलाकृष्ण मूर्ति ने अपने संबोधन में सभी को प्रोत्साहित करते हुए हिंदी भाषा को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाये जाने की बात कही। बाद में कार्यालयाध्यक्ष ने दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला की शुरूआत की घोषणा की। किसी भी भाषा को सीखने से पहले उस भाषा की व्याकरण जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी उद्देश्य से कार्यशाला के पहले दिन प्रांत के उत्तम शिक्षकों द्वारा कर्मचारियों को वर्णमाला सहित लिंग, वचन, काल तथा शब्द एवं वाक्य संरचना जैसे अंशों का व्याकरणिक बोध कराया गया। दूसरे दिन दूरसंचार कार्यालय, एलूरू के हिंदी अनुवादक द्वारा हिंदी टिप्पणी एवं मसौदा लेखन सिखाया गया जिससे कि प्रशासनिक कार्य करने वाले कर्मचारियों को विशेष लाभ पहुँच सके।

हिंदी कार्यशाला के बाद दिनांक 16-9-2004 से 27-9-2004 तक कर्मचारियों के प्रोत्साहनार्थ हिंदी प्रशासनिक शब्दावली, टिप्पणी और मसौदा लेखन, निबंध, वक्तृत्व, अंत्याक्षरी तथा प्रश्नावली जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। वर्ग 'घ' कर्मचारियों के लिए अलग से हिंदी की 'सामान्य जानकारी' प्रतियोगिता रखी गई। उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में 22 कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इनमें से 20 कर्मचारी सफल रहे जिन्हें 28 सितंबर को समापन समारोह के दिन नकद पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। सभी प्रतियोगियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किये गये।

दिनांक 28-9-2004 को हुए समापन समारोह में श्री ए० पोतुराज, उप महाप्रबंधक (कार्मिक), सिंगरेणी कोलरीस कंपनी, मुख्य अतिथि ने आकाशवाणी स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी देश की संपर्क भाषा है और राजभाषा की अधिकारिणी है। उन्होंने सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों को हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा दी।

केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की

केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की में 14 सितंबर, 2004 से 28 सितंबर, 2004 तक हिंदी पखवाड़ा बड़ी धूम-धाम से मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी पखवाड़े के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता निदेशक, श्री विनय माथुर ने की तथा इस अवसर पर डॉ० इन्द्र मणि मिश्र, प्रोफेसर

केमिकल इंजीनियरिंग आई. आई. टी., रुड़की मुख्य अतिथि थे। हिंदी पखवाड़े की अवधि में विभिन्न प्रतियोगिताओं का ओयोजन किया गया। संस्थान के हिंदी अधिकारी, श्री राजेश चन्द्र सक्सेना ने "राजभाषा नीति विषयक जानकारी" विषय पर एक संभाषण/कोलोकियम दिया। इसके अतिरिक्त "जल संरक्षण एवं भवन निर्माण उद्योग" विषय पर एक दिवसीय वैज्ञानिक संगोष्ठी का भी आयोजन हिंदी में किया गया। समारोह का समापन विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि के कर-कमलों से पुरस्कार वितरण, मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति-चिह्न प्रदान करके तथा जलपान के साथ एक खुशनुमा तथा हिंदीमय वातावरण में हुआ जो सभी के स्मृति पटल पर एक अमिट सी छाप छोड़ गया।

आकाशवाणी, विशाखापट्टणम

आकाशवाणी, विशाखापट्टनम में दिनांक 14-9-2004 से 28-9-2004 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस व हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन समारोह दिनांक 14-9-2004 को और हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह 28-9-2004 को संपन्न हुआ। इस अवसर पर अधिकारियों के लिए हिंदी में कई प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।

14 सितंबर, 2004 को हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन समारोह कार्यालयाध्यक्ष एवं केंद्र के अधीक्षक अभियंता, श्री के०एस० शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हिंदी पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने का तथा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का महत्वपूर्ण काम करती है। पूरे राष्ट्र का सेतुवर्धन है, हिंदी। हिंदी तो भारत जैसे बहुभाषी देश में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सर्वत्र बोली और समझी जाती है। भारत की पूरी जनता के साथ समा गई है। स्वतंत्रता की लड़ाई के 90 वर्षों में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है अत: हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली है। जैसे किसी भी राष्ट्र के लिए एक जातीय पताका, की जरूरत है, उसी तरह पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध के रखने के लिए एक भाषा की जरूरत है और हिंदी ही हो सकती है। और उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा मनाकर इसकी इति नहीं समझना चाहिए बल्कि अपने उत्साह को दुगुना करके वर्ष भर हिंदी का प्रयोग करते रहना चाहिए तभी ऐसे समारोह सार्थक होते हैं और अंत में कहा कि सितंबर में हम हिंदी की जो जोत जलाते हैं, उसे जलने देना है, बुझने नहीं देना है।

शाखा विक्रय कार्यालय, गुवाहाटी

शाखा विक्रय कार्यालय, गुवाहाटी में दिनांक 14—23 सितंबर, 2004 को हिंदी पखवाड़ा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्री एम.के. गोगोई, अपर मुख्य (विपणन) ने पखवाड़ा का उद्घाटन करके विभिन्न प्रतियोगिताओं का आरंभ किया।

श्री आर. बह्मा, शाखा प्रबंधक ने उनके भाषण में सभी पुरस्कृत कर्मचारियों का अभिनंदन किया और भविष्य में हिंदी से संबंधित सभी कार्यक्रमों में सहयोग एवं योगदान करके और कार्यालय के काम में हिंदी भाषा का प्रयोग करने का अनुरोध किया। हिंदी भाषा में पत्राचार, नोटिंग, ड्राफटिंग करके शा. वि. का. गुवाहाटी को हिंदी भाषा का प्रयोग में श्रेष्ठ स्थान लेने के लिए प्रयत्न जारी रखने की उम्मीद की।

आकाशवाणी, इंफाल

14 से 29 सितंबर, 2004 तक इस कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा बनाया गया। इस पखवाड़े के प्रारंभ होने के पूर्व केंद्राध्यक्ष श्री विजय बहादुर राय, केंद्र अभियंता ने कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करना हमारा कर्तव्य ही नहीं है, बल्कि हिंदी के प्रति सेवा तथा सम्मान प्रदान कर राष्ट्र प्रेम की भावना को सुदृढ़ करना है। हिंदी पखवाड़ा के दौरान हिंदी में करने का संकल्प लेने के लिए भी कहा। 14 सितंबर, 2004 को हिंदी पखवाड़ा का शुभारंभ केंद्र अभियंता श्री वी० बी० राय द्वारा किया गया। इस पखवाड़े में पाँच प्रतियोगिताएं रखी गयी।

हिंदी पखवाड़े के समापन का दिन इस केंद्र के लिए स्मरणीय रहा। इसी दिन कार्यालय के सभी सदस्यों के लिए अपनी-अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिलता है। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद मंडल

दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद मंडल में दिनांक 20-9-2004 से 24-9-2004 तक राजभाषा सप्ताह का आयोजन किया गया।

आने अध्यक्षीय भाषण में श्रीमती वंदना सिंहल, मंडल रेल प्रबंधक/हैदराबाद ने सभी से यह अपील की कि वे अपने दैनंदिन कार्य में राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि संविधान द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी का सही अर्थों में निर्वाह हो सके। श्री किशोरीलाल व्यास, विभागाध्यक्ष (हिंदी) उस्मानिया विश्वविद्यालय ने विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए पानी, पेड़ और वाणी में सामंजस्य स्थापित किया और कहा कि हिंदी के प्रयोग-प्रसार पर बल दिया जाना चाहिए, मातृभाषा का विकास होगा तो राजभाषा भी अपने-आप विकसित होगी।

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) तथा महालेखाकार (लेखा व हकदारी) असम, बेलतला, गुवाहाटी

इस कार्यालय में संयुक्त रूप से दिनांक 1 सितंबर, 2004 से 14 सितंबर, 2004 तक विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया।

संयुक्त हिंदी पखवाड़ा के उद्घाटन 1 सितंबर, 2004 पर प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) श्री स्वॉर्ड वासुम ने अपने सारगर्भित भाषण में कहा कि हमें सच्ची निष्ठा और लगन से हिंदी का प्रयोग अपने दैनिक कामकाज में करना चाहिए। सरकारी कर्मचारी होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम नियमों का पालन करते हुए अपना अधिक से अधिक काम राजभाषा हिंदी में करें। पखवाड़े के दौरान कार्यालय में लोगों के मन में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें कार्यालय के कई अधिकारी/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को समापन समारोह के दिन नकद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

आकाशवाणी, जोधपुर

आकाशवाणी, जोधपुर में दिनांक 14-9-2004 से 28-9-2004 तक केंद्र निदेशक व कार्यालय प्रमुख श्री बी.सी. पंवार के निर्देशन व उद्घाटन भाषण के साथ ही 14-9-2004 को हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। हिंदी पंखवाड़े के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

दिनांक 28-9-2004 को हिंदी पंखवाड़े के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। इस अवसर पर मूल रूप से हिंदी में काम करने वाले कर्मचारियों को भी केंद्र निदेशक द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए केंद्र निदेशक श्री बी.सी. पंवार में सभी से राजभाषा को आत्मसात करते हुए कार्यालयीन प्रयोग में अधिकाधिक प्रयोग करने का आह्वान किया। केंद्र निदेशक श्री बी. सी. पंवार एवं अभियंता श्री राकेश अम्बा ने सभी विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार व प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

महालेखाकार (ले.प.) का कार्यालय, मणिपुर

कार्यालय में संयुक्त रूप से 14 सितंबर, 2004 से 28 सितंबर, 2004 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि श्री पी. के. कटारिया, महालेखाकार (ले.प.) ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें हिंदी में काम करना अति आवश्यक है। अत: आप लोग बिना झिझक के काम करना शुरू कीजिए। इसकी प्रगति को लक्ष्य में रखते हुए नौ कार्यक्रम रखे गए हैं, इनका उपयुक्त लाभ उठाएं।

सभापति महोदय श्रीमती अकोइजम रिना, उप महालेखाकार (ले. व हक. तथा ले.प.) ने कार्यालय में हिंदी के कार्यान्वयन के प्रति बल दिया।

आकाशवाणी, कोलकाता

4-9-2004 को हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़ा उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता श्री असीम कुमार रेंज, केंद्र निदेशक आकाशवाणी, कोलकाता ने तथा मुख्य अतिथि के रूप में डॉ० सुब्रत लाहिड़ी, विभागाध्यक्ष (हिंदी), प्रेसीडेंसी कॉलेज, कोलकाता उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने अपने सारगर्भित भाषण में कहा कि 14 सितंबर पूरे भारतवर्ष में एक आदर्श उत्सव में बदल जाता है। उन्होंने कहा कि बंगाल में जहां-जहां औद्योगिक संस्कृति का विकास हुआ वहां-वहां

भाषिक सांस्कृति का भी विकास हुआ। आगे उन्होंने कहा कि हमारे होंठों पर अंग्रेजी की भाषा चिपकी हुई है। हमें पारस्परिक सहयोग से हिंदी को कार्यान्वित करना है। नई पीढ़ी हिंदी को अपना रही है। थोड़ा सा प्रोत्साहित करने की जरूरत है। हिंदी भाषा अंतर्मन की जुड़ाव है। थोड़ी सी लगन की जरूरत है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पंचदीप भवन, पाटो, पणजी-गोवा

क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी में 14 सितंबर, 2004 से 28 सितंबर, 2004 तक की अवधि को हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाया गया। दिनांक 14 सितंबर, 2004 को हिंदी दिवस के पावन अवसर पर हिंदी दिवस समारोह एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस समारोह की अध्यक्षता माननीय क्षेत्रीय निदेशक श्री के.एफ. जानवेकर ने की। अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में हिंदी दिवस के आयोजन को राजभाषा के प्रति जागरूकता जगाने का माध्यम कहा एवं प्रबल आशा व्यक्त की कि कार्यालयीन कर्मचारीगण राजभाषा में अधिकाधिक कार्य करेंगे। हिंदी माह में आयोजित विभिन्न प्रतियोगितओं के परिणामों की घोषणा की गई एवं विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

माननीय मुख्य अतिथ डॉ० उमेश कुमार सिंह, सचिव नराकास ने हिंदी माह के समापन समारोह में बोलते हुए हिंदी को ही भारत को एकाकार करने वाली भाषा कहकर उसका समर्थन किया। उन्होंने वाक् प्रतियोगिता में कर्मचारियों द्वारा हिंदी के पक्ष में रखे गए तर्कों की प्रशंसा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री प्रभाकर शेजवाडकर, उप निदेशक (वित्त) ने की। कार्यक्रम का संचालन कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, श्री विवेक यादव ने किया।

आकाशवाणी, इंफाल

आकाशवाणी, इंफाल में 14-9-2004 से 29-9-2004 तक इस कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ केंद्र अभियंता श्री बी.बी. राय द्वारा किया गया। इस पखवाड़े में पांच प्रतियोगिताएं रखी गयी हैं। ये प्रतियोगिताएं पखवाड़े के अलग-अलग दिनों में आयोजित की गईं।

हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में हिंदी विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय के प्रो. डॉ० आई. एस. कांजम मुख्य अतिथि ने हिंदी भाषा की उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उनके कर कमलों से पुरस्कारों का वितरण हुआ। केंद्र अभियंता ने हिंदी भाषा के प्रति लगन एवं हौसला देखकर बड़ी प्रशंसा की।

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा का कार्यालय, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई

हिंदी दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन दिनांक 23-9-2004 को किया गया। समारोह की अध्यक्षता प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा सुश्री अंजली सेन ने की। मुख्य अतिथि के रूप में श्री महेंद्र कुमार सलूजा, सहायक निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, मुंबई ने भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल कर्मचारियों को प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा के कर कमलों द्वारा नकद पुरस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। हिंदी दिवस समारोह माननीय मुख्य अतिथि श्री सलूजा ने इस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस कार्यालय में मनाए जा रहे हिंदी दिवस बहुत ही प्रशंसनीय है एवं राजभाषा के क्षेत्र में इस कार्यालय द्वारा जो सफलता प्राप्त की गई है यह बहुत ही सराहनीय है।

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, दिल्ली अंचल, दिल्ली

दिनांक 18-9-2004 को हिंदी भवन आईटीओ, नई दिल्ली में एक भव्य हिंदी दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह तथा सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली अंचल के आंचलिक प्रबंधक श्री आर.पी. शर्मा ने कहा कि बैंक में न केवल हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाया गया है अपितु यहां आंतरिक कार्यों में अधिकांशतः हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिल्ली अंचल द्वारा किए गए नियमित प्रयासों के परिणामस्वरूप

आंचलिक कार्यालय, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर एवं कोटा को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रथम पुरस्कार से एवं आंचलिक कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय-ए एवं बी को राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन हेतु गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बैंक को श्रेष्ठतम हिंदी कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा कई वर्ष बाद राजभाषा शील्ड से भी सम्मानित किया गया है। इस वर्ष हमें अखिल भारतीय स्तर पर इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार विज्ञान भवन में दिनांक 14 सितंबर, 2004 को आयोजित एक भव्य समारोह में बैंक के अध्यक्ष निदेशक डॉ० दलबीर सिंह ने गृह मंत्री, भारत सरकार श्री शिवराज पाटील के कर कमलों से प्राप्त किया।

समारोह के मुख्य अतिथि श्री वी.एन. सक्सेना, कार्यपालक निदेशक ने अपने वक्तव्य में दिल्ली अंचल द्वारा हिंदी में किये जाने वाले कार्यों की सराहना की एवं कहा कि हिंदी को उत्कर्ष पर ले जाना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है एवं सेंट्रलाइट्स इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली अंचल को इतने पुरस्कारों का मिलना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यहां राजभाषा हिंदी में प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है एवं श्री आर. पी. शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिल्ली अंचल प्रत्येक पैरामीटर में नये आयाम हासिल कर रहा है।

केनरा बैंक, राजभाषा अनुभाग, अंचल कार्यालय, चंडीगढ़

अंचल कार्यालय, चंडीगढ़ में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन 14 सितंबर, 2004 को किया गया। समारोह की अध्यक्षता उप महाप्रबंधक श्री पी.जी. चावला ने की तथा महाप्रबंधक श्री वाइ.एल. मदान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। श्री चावला ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में अंचल कार्यालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हर वर्ष आयोजित हिंदी दिवस समारोह नयी चेतना लेकर आता है। हिंदी के पक्ष में नया वातावरण बनता है। उन्होंने कहा कि हमें यह दिन केवल आज ही नहीं बल्कि शेष 364 दिन भी याद रखना चाहिए।

महाप्रबंधक ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी जन-जन की भाषा है। मात्र डेढ़ प्रतिशत लोगों को छोड़ कर हर भारतवासी को हिंदी बोलनी समझनी या लिखनी आती है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं का ज्ञान होना अच्छी बात है। इसका प्रयोग सहायक भाषा के रूप में ही महसूस होना चाहिए। उनके अनुसार बोलचाल में हम आमतौर पर हिंदी में ही बातचीत करते हैं किंतु हमें हिंदी लिखने में थोड़ी-बहुत कठिनाई इसलिए आती है क्योंकि हमें हिंदी में लिखने की आदत नहीं है। यदि हम थोड़ा सा प्रयास करें तो यह कठिनाई भी शीघ्र दूर हो सकती है, इसके लिए इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। उन्होंने कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सभी से सच्चे मन से हिंदी को अपनाने का संकल्प लेन का आग्रह किया।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कड़पा

दिनांक 1-9-2004 से दिनांक 14-9-2004 तक हिंदी पखवाड़ा, 2004 मनाया गया। दिनांक 15-9-2004 को रंगारंग समापन समारोह मनाया गया। इसके अंतर्गत कार्यालय में राजभाषा संबंधित कई बैनर एवं पोस्टर लगाए गए। अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना अधिकतम सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया गया। कई हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

भा.ति.सी. पुलिस महानिदेशालय, दिल्ली

1 से 15 सितंबर, 2004 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े का शुभारंभ 1-9-2004 को बल के महानिदेशक श्री कंवलजीत सिंह, भा.पु.से. की अपील जारी की गयी।

हिंदी पखवाड़े का पुरस्कार वितरण समारोह 15 सितंबर, 2004 को आयोजित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री का. सलीम अति. महानिरीक्षक (मुख्या.), भा.ति.सी.पु. द्वारा हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नकद पुरस्कार के साथ-साथ प्रतियोगिता संबंधी प्रमाणपत्र तथा सहायक साहित्य भी भेंट किया गया। इसके अतिरिक्त

भा.ति.सी.पु. बल महानिदेशालय के अनुभागों/शाखाओं में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में एक स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना पैदा करने के लिए लागू विभागीय चल-शील्ड प्रतियोगिता के तहत बड़े अनुभागों में संभरण अनुभाग एवं छोटे अनुभागों में उप सेनानी (प्रशासन) अनुभाग के प्रभारी अधिकारियों को भी वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी के सर्वाधिक प्रयोग के लिए विभागीय राजभाषा शील्ड प्रदान की।

उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर

दिनांक 15-9-2004 से 30-9-2004 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान वर्ग घ तथा अन्य वर्गों में हिंदी को प्रोत्साहित किए जाने के लिए विभिन्न प्रतियोगितायें आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया।

दिनांक 31-9-2004 को हिंदी समापन समारोह दिवस आयोजित किया गया। इसमें संस्थान की गत वर्ष की राजभाषा प्रगति की जानकारी दी गई तथा प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया था।

आकाशवाणी, मथुरा

दिनांक 14-9-2004 से 29-9-2004 तक हिंदी पखवाड़ा उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन दिनांक 14-9-2004 को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित प्रवर संत व प्रकाशक विद्वान श्री अतुल कृष्णा गोस्वामी जी महाराज द्वारा मां सरस्वती पर माल्यार्पण करके हुआ। केंद्र अध्यक्ष डॉ० उपेन्द्र रैणा ने हिंदी भाषा की महत्ता पर प्रकाश डाला कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अतः हमें सभी सरकारी कार्य हिंदी में करना चाहिए। हिंदी भाषा एक सरल और सहज भाषा है जो कि भारत देश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है।

समापन समारोह दिनांक 29-9-2004 को हुआ इस दिन मुख्य अतिथि के रूप में श्री रामकिशोर अग्रवाल, निदेशक राजीव अकादमी, मथुरा ने भाग लिया। श्री रामगोपाल, हिंदी अधिकारी ने हिंदी पखवाड़े की संक्षिप्त जानकारी दी। मुख्य अतिथि के करकमलों से सफल हुए प्रतिभागियों को पुरस्कार स्वरूप प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि ने अपने आशीर्वचन में कहा कि हिंदी हमारी देश की एकता की कड़ी है। हमें हिंदी में ही अपना कार्य करना चाहिए। यदि हमारी भाषा मजबूत होगी तो देश भी मजबूत होगा। राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए हमें अपनी राष्ट्रभाषा या हिंदी को भी मजबूत करना होगा।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी

निगम क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी में दिनांक 14-9-2005 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन सादगी पूर्ण एवं अत्यंत हर्षोल्लास के साथ किया गया। क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में कहा कि हम अपने आपको 'ग' क्षेत्र में मानकर 'क' क्षेत्र में क्यों न मानें तथा 'क' क्षेत्र हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सामूहिक रूप से भरसक प्रयास करें। उन्होंने कहा कि भाषा केवल संप्रेषण ही नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं संस्कृति की भी वाहक होती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया कि 'हम सब मिल जुल कर सदप्रयासों सहित ऐसा हिंदीमय वातावरण बनाएं कि मुख्यालय/नराकास गुवाहाटी की शील्ड प्राप्त कर सकें'।

कार्यालय में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को श्री के.सी. घोष, उप निदेशक (प्रशा.) ने पुरस्कार वितरित किए।

दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली

14 सितंबर से 28 सितंबर, 2004 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में हिंदीभाषी एवं अहिंदी भाषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवधि में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शब्दावली भी दी गई।

28 सितंबर, 2004 को हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं हेतु प्रमाण-पत्र वितरण भी इस समारोह के दौरान किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चंडीगढ़

1 सितंबर, 2004 से 15 सितंबर, 2004 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिंदी प्रदर्शनी लगाई गई। दिनांक 14-9-2004 को क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता क्षेत्रीय निदेशक, श्री टी.आर. गौतम ने की। हिंदी पखवाड़े में वर्ष 2003-2004 के दौरान आयोजित की गई विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतियोगियों को क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने अपने हाथों से पुरस्कार प्रदान किए। शाखा में सर्वाधिक कार्य हिंदी में करने के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय की हितलाभ शाखा को अंतर्शाखा राजभाषा शील्ड प्रदान की गई। क्षेत्रीय निदेशक श्री टी. आर. गौतम ने सभा में उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी संघ सरकार की राजभाषा होने के साथ-साथ सबकी अपनी भाषा है और समूचे देश में बोली जाती है। उन्होंने कहा कि हिंदी का प्रयोग करते हुए हम अपना सरकारी कार्य बेहतर ढंग से कर सकते हैं।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी

संस्थान में 8 से 14 सितंबर, 2004 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। सप्ताह पर्यंत 10 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिसमें लगभग 266 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ० चंद्रशेखर ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के 28 विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप स्तरीय हिंदी पुस्तकें और प्रमाण पत्र वितरित किए। साथ ही वर्ष 2003-2004 के दौरान संस्थान में लागू 4 प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत अपना कामकाज हिंदी में करने के लिए 8 सहकर्मियों को भी पुरस्कृत किया गया।

डॉ० दुर्गादत्त ओझा, सदस्य, संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में विज्ञान क्या है तथा वैज्ञानिक साहित्य के लेखन की आवश्यकता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। भाषा की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाषा ही हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। अत: किसी प्रकार के साहित्य की अभिव्यक्ति में भाषा की प्रमुख भूमिका होती है। उनके अनुसार वैज्ञानिक उपलब्धियाँ जन-सामान्य की भाषा के माध्यम से ही जन-जन तक पहुँचाई जा सकती है। चूँकि विज्ञान और प्रोद्योगिकी का उद्देश्य आम जन-जीवन के स्तर में सुधार लाना है, अत: वैज्ञानिक साहित्य का जन-सामान्य की भाषा में होना नितांत आवश्यक है। गांधी तथा नेहरू के कुछ प्रसिद्ध वाक्यांशों का उल्लेख करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक हमारे देश में हिंदी के माध्यम से विज्ञान लेखन नहीं होगा तब तक देश का पूर्ण विकास नहीं हो सकेगा।

आकाशवाणी, कड़पा

केंद्र में पंद्रहवां हिंदी दिवस/पखवाड़ा 14 सितंबर से 28 सितंबर तक आकाशवाणी प्रांगण में भव्य समारोह के साथ मनाया गया। 14 सितंबर, 2003 को सुबह 11-00 बजे उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। 28 सितंबर, 2004 को समारोह के अध्यक्ष, श्री पेंरि विश्वनाथन, अधीक्षण अभियंता ने अपने अध्यक्षीय भाषण में यह बताया कि भारत में हिंदी के अलावा अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन इन सबको संपर्क करने के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हर व्यक्ति दक्षिण का हो या पूरब और पश्चिम का हो, बोलचाल में हिंदी का प्रयोग करें ताकि हिंदी बोलने में या समझने में कोई कठिनाई न हो सके।

पूर्व तट रेलवे/वालतेरू मंडल

14 सितंबर, 2004 बिजली लोको शेड/वालतेरू में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजभाषा संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिसकी आवश्यकता श्री आर.के. सक्सेना, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (कचस्टा) ने की।

दिनांक 15-9-2004 से 30-9-2004 तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया जिसके दौरान मंडल स्तर पर हिंदी निबंध, वाक् तथा टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मंडल मुख्यालय तथा प्रमुख स्टेशनों पर राजभाषा संगोष्ठियाँ, टेबुल प्रशिक्षण, वार्तालाप प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम संपन्न हुए।

भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, बोकारो इस्पात

भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, बोकारो इस्पात नगर एवं इसकी सभी इकाइयों में हिंदी पखवाड़े का आयोजन भव्य ढंग से किया गया। प्रधान कार्यालय में यह पखवाड़ा दिनांक 14-9-2004 से 29-9-2004 तक मनाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दिनांक 14-9-2004 को हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, श्री के. जे. सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। उद्घाटन के अवसर पर कंपनी के सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने व्याख्यान में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक महोदय ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को अधिक बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने अपने उद्बोधन में राजभाषा हिंदी की व्यवहारिकता बढ़ाने के लिए इसे अलंकरण एवं स्वेच्छा से अपनाने पर बल दिया। इस अवसर पर "बी. आर. एल. दर्पण" पत्रिका का विमोचन श्री सिंह ने किया। इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री, रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री एवं अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का "संदेश" श्री सभाजीत सिंह, उप प्रबंधक (राजभाषा एवं प्रशासन) ने सबको पढ़ कर सुनाया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं को पुरस्कार भी दिए गए। हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु मुख्य-मुख्य स्थलों पर बैनर एवं पोस्टर लगाए गए।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, कोलकाता

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, कोलकाता में 14 सितंबर, 2004 से 29 सितंबर, 2004 तक हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। मुख्य अतिथि डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपने विशेष व्याख्यान में कहा कि "भाषा से जुड़े कोई भी कार्य और दायित्व अत्यंत संवेदनशील होता है। भाषा बहुत शक्तिशाली है, वह तोड़ती भी है और जोड़ती भी है। भाषा पर अधिकार व्याकरण से नहीं हो सकता, व्याकरण तो भाषा को अनुशासित करता है। भाषा के प्रति जब हम संवेदनशील होंगे तभी भाषा अपनी होगी।"

हिंदी पखवाड़े के दौरान प्रशिक्षणार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को पुरस्कार की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई तथा उपस्थित विद्वानों ने राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा पर अपने-अपने विचार रखे और प्रशिक्षणार्थियों का मार्गदर्शन किया। समारोह का संचालन प्रभारी अधिकारी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन अनुवाद एवं प्रशिक्षण अधिकारी, डॉ. राम विनोद सिंह द्वारा किया गया।

भारत संचार निगम लिमिटेड, नासिक

भारत संचार निगम, लिमिटेड, नासिक में वर्ष, 2004 का हिंदी पखवाड़ा बड़े ही आकर्षक और सुरुचिपूर्ण ढंग से मनमाड में दिनांक 2-9-2004 को नांदगांव, मनमाड, चांदवड और येवला एसडीसीए के लिए और उसी प्रकार मालेगांव में दिनांक 5-9-2004 को मालेगांव, कलवण और उमराणे एसडीसीए के लिए और पिंपलगांव में दिनांक 4-9-2004 को पिंपलगांव, निफाड, दिंडोरी, पेठ, सुरगाना एसडीसीए के लिए और नासिक में दिनांक 1 सितंबर, 2004 में दिनांक 15 सितंबर, 2004 तक नासिक त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, सिन्नर, दिंडोरी, पेठ, निफाड और सुरगाना एसडीसीए के लिए मनाया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण नासिक दूरसंचार जिले के कार्यालयों को पखवाड़े की प्रतियोगिताओं में भाग लेने तथा प्रोत्साहन पाने का अवसर मिला।

इन सभी का आयोजन इस ढंग से किया गया कि भारत संचार निगम लिमिटेड, नासिक के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग में हिंदी में काम करने की रुचि में वृद्धि हो, राजभाषा का महत्व सभी की समझ में आए हमारे संवैधानिक दायित्व के निर्वाह के प्रति हमारी जागरुकता बढ़े। इन सभी प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों में भारत संचार निगम लिमिटेड, नासिक के बहुत से अधिकारी और कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पखवाड़े के आयोजन ने हमें राजभाषा के प्रति हमारे कर्तव्य को पूरा करने की प्रेरणा तो दी ही, साथ ही हमारे भीतर जो छिपी प्रतिभाएँ हैं, उन्हें भी उभरने का पूरा-पूरा अवसर प्राप्त हुआ।

दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्र, बीकानेर

हिंदी पखवाड़े का आयोजन 14 सितंबर, 2004 से 29 सितंबर, 2004 के मध्य किया गया। इस आयोजन में कार्यालय कार्य में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग कैसे संभव हो तथा हिंदी में सर्वाधिक कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं व कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि श्री

शुभु पटवा, वरिष्ठ पत्रकार, बीकानेर ने अपनी बात का शुभारंभ करते हुए कहा कि 'अपनायत ही हिंदी का विकास कर सकती है'। आपने कहा कि अभिव्यक्ति के लिए अन्य भाषा केवल औपचारिक मात्र होती है हिंदी भाषा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसको मापा नहीं जा सकता है। हिंदी का साहित्य अन्य किसी भाषाई साहित्य से कम नहीं है। हमें आत्मनिरीक्षण एवं संकल्प करना होगा कि हम हिंदी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री सी. एम. कटारिया ने इस अवसर को सुख का कारण मानते हुए कहा कि 'हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की जीवनशक्ति पहले भी किसी की मोहताज नहीं थी, आज भी नहीं है और न कल होगी।' हिंदी के साधकों ने अपने कमंडल के पवित्र जल से इसको शोधित किया है जिसके कारण इस भाषा में मिठास है वो अन्य किसी भाषा में नहीं है। हिंदी भारत में ही नहीं वरन विश्व में अपना लोहा मनवा चुकी है। इसलिए वो दिन दूर नहीं कि पूरे विश्व में हिंदी अभिव्यक्ति की भाषा बन जाए।

आकाशवाणी, अहमदाबाद

दिनांक 14 सितंबर, 2004 को हिंदी दिवस और उसी दिन से हिंदी पखवाड़ा "राजभाषा पर्व" के रूप में मनाया गया। हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन सुश्री आशा शुक्ला, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, अहमदाबाद ने किया। हिंदी पखवाड़े के दौरान दिनांक 14-9-2004 को विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिसमें कार्यालय के अधिकांश अधिकारियों ने उत्साह से भाग लिया।

समापन एवं पुरस्कार वितरण के दिन सर्वप्रथम सुश्री आशा शुक्ला केंद्र निदेशक महोदया ने सभी को आशीर्वाद देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से उसी समय प्राप्त श्री एस. जयपाल रेड्डी मंत्री महोदय की अपील को पढ़ कर सुनाने के लिए कहा। उसके बाद मंत्री महोदय की अपील को पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात् 23 विजयी प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र एवं अन्य 40 प्रतिभागियों को प्रोत्साहन के रूप में स्मृति चिह्न प्रदान किए गए।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (असम ऑयल डिवीजन), डिगबोई

14 सितंबर से 14 अक्टूबर, 2004 तक हिंदी माह का आयोजन किया गया।

राजभाषा हिंदी माह के अंतर्गत हिंदी एवं गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों, डिगबोई टॉउन के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए हिंदी लघुकथा, निबंध, टिप्पण व मसौदा लेखन, नारा, अनुवाद, आशुभाषण, कांव्य पाठ, हिंदी टंकण, पेंटिंग, क्विज, वाद-विवाद और देशभक्ति समूह गान आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिनमें कुल 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

उपर्युक्त प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए दिनांक 14 अक्टूबर, 2004 को श्री बी. के. शर्मा, कार्यकारी निदेशक, एओडी व अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में हिंदी माह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। श्री बी.के. शर्मा, कार्यकारी निदेशक, ए ओ डी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारत विविधताओं का देश है तथा राजभाषा हिंदी ही भावात्मक एकता स्थापित करने में सक्षम है। जापान, चीन और फ्रांस का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी देश अपना सरकारी कामकाज अपनी राष्ट्रभाषा में ही करते हैं एवं हमें भी अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करना चाहिए। हिंदी हमारी राजभाषा है एवं सरकार द्वारा जारी किए गए राजभाषा से संबंधित आदेशों एवं अनुदेशों का पालन करना हम सभी के लिए अनिवार्य है।

प्रो. एच. एस. तोमर, हिंदी विभागाध्यक्ष, तिनसुकिया कॉलेज, मुख्य अतिथि, हिंदी समापन समारोह, ने कहा कि हिंदी आज एक ग्लोबल भाषा है एवं विभिन्न देशों के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। हमें भारत का नागरिक होने के नाते अपनी राष्ट्रीय भाषाएं बोलते समय गर्व का अनुभव करना चाहिए एवं अंग्रेजी से ज्ञान प्राप्त करके अपनी भाषाओं को समृद्ध बनाना चाहिए जिससे कि देश का विकास हो सके व राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हो। उत्तर-पूर्व की राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं एवं लेखक हिंदी के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं।

विविध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को श्री एच. एस. तोमर, हिंदी विभागाध्यक्ष, तिनसुकिया कॉलेज, श्री बी. के. शर्मा, कार्यकारी निदेशक, ए ओ डी, श्री एच. के. दत्त, महाप्रबंधक (वित्त) और श्री डब्ल्यू. आर. बरबरा, मुख्य मानव संसाधन प्रबंधक ने पुरस्कार प्रदान किये।

तोपगाड़ी फैक्टरी, जबलपुर

दिनांक 5 सितंबर, 2004 से 15 सितंबर, 2004 तक राजभाषा पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रकार के आयोजन किये गए। पोस्टर-बैनर इत्यादि लगाए गये तथा, वरि. कार्य

प्रबंधक महोदय की अपील जारी की गई। कविता पाठ, वाद-विवाद, हिंदी नारा, अनुवाद-प्रतियोगिता और प्रश्न मंच जैसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पखवाड़े का समापन समारोह दिनांक 15 सितंबर, 2004 को गरिमायम रूप से समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वरि. महाप्रबंधक श्री सुदीप्त घोष द्वारा प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मदुरै

1 सितंबर, 2004 से 14 सितंबर, 2004 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

16 सितंबर, 2004 को हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर श्री शम्सुदीन इब्राहिम, जिला श्रमिक अधिकारी, मदुरै ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि हिंदी को राजभाषा के रूप में ही नहीं बल्कि एक मधुर भाषा को समझने और उसकी सुंदरता का अनुभव करने हेतु सीखना अनिवार्य है। इस समारोह के अध्यक्ष श्री जे.पी. ग्रेगारी, आयुक्त (अपील) थे।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली

संस्थान में 1 से 15 सितंबर, 2004 तक हिंदी पखवाड़े का अयोजन किया गया। इस पखवाड़े का मुख्य समारोह 15 सितंबर, 2004 को आयोजित किया गया। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक डा. बिचार दास इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। यह कार्यक्रम संस्थान के अपर निदेशक डा. अरुण कुमार गोपाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

मुख्य अतिथि ने पखवाड़े के दौरान आयोजित अनुवाद प्रतियोगिता के विजेताओं तथा वर्ष 2003-2004 की मूल कार्य हिंदी में करने की प्रोत्साहन योजना तथा हिंदी में डिक्टेशन देने हेतु प्रोत्साहन योजना और मौलिक पुस्तक लेखन की निपसिड की राजभाषा पुरस्कार योजना के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।

आकाशवाणी, इंदौर

हिंदी के प्रति अनुकूल वातावरण बने, इस हेतु कार्यालय में 1 से 6 सितंबर तक विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का अयोजन किया गया इनमें अहिंदी भाषियों का विशेष ध्यान रखते हुए, ये प्रतियोगिताएं उनके लिए भी अलग से आयोजित की गईं, इनमें से प्रत्येक प्रतियोगिता में 3-3 पुरस्कार घोषित किए गए।

कुल 23 विजेता प्रतियोगी महानिदेशालय के निर्देशानुसार नकद पुरस्कारों से लाभान्वित हुए। हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़ा समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह 14 सितंबर, 2004 को आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाग्मिता संस्थान, इंदौर के प्राचार्य डॉ. शीतला मिश्र ने अपने सम्बोधन में कहा कि हिंदी यदि आत्मसम्मान की भाषा है तो वह सभ्यता की भी भाषा है क्योंकि आत्मसम्मान वही रख सकता है जो स्वयं से प्रेम करता है और जो स्वयं से प्रेम करता है, वही समाज में सभ्यतापूर्वक आचरण कर सकता है उन्होंने आगे कहा कि हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं, यहां तक कि अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं होना चाहिए किन्तु संस्कृतनिष्ठ और क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए।

केंद्र निदेशक श्री हरेन्द्र कोटिया ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि हिंदी तो बहती धारा है, जिसने अन्य भाषाओं के शब्दों को भी आत्मसात कर लिया है। श्री कोटिया ने हिंदी दिवस को भारतीय भाषाओं के दिवस के रूप में मनाने की आवश्यकता बताई साथ ही, उन्होंने सभी प्रतियोगियों को बधाई दी।

जयपुर विमानपत्तन

14 सितंबर से 30 सितंबर, 2004 तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। राजभाषा पखवाड़ा कार्यक्रम में इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें नोटिंग, ड्राफिटंग श्रुतलेख, टाईपिंग-प्रतियोगिता एवं कविता प्रतियोगिता जैसे कई कार्यक्रम रखे गए। प्रत्येक प्रतियोगिता में लगभग 50-50 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतियोगी के रूप में भाग लिया।

निदेशक विमानपत्तन श्री अरुण तलवाड़ ने कहा कि संविधान ने हम सबके ऊपर भारतीय भाषाओं के विकास

का दायित्व सौंपा है। इस जिम्मेदारी का निर्वाह हमें उसी प्रकार बड़े धैर्य, लगन और ईमानदारी पूर्वक करना है जिस प्रकार आप सब अन्य कार्यालयी कार्य को करने के प्रति कटिबद्ध रहते हैं।

दिनांक 30 सितंबर, 2004 को इस कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष तथा राजस्थान चैम्बर ऑफ कार्मस के मानद सचिव श्री (डा.) के.एल. जैन ने सफल प्रतियोगियों को अपने हाथों से पुरस्कार प्रदान किए तथा उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि मूल रूप से हिंदी में ही लिखने की आदत डालनी चाहिए। चूंकि हिंदी भारत की जन-जन की वाणी है। अत: इसे अपनाने में बेमतलब की दलील एवं कुर्तक करना बेमानी है। हिंदी सर्वोपरि है और हमेशा रहेगी।

जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पांडिचेरी

नगर राजभाषा कार्यान्यन समिति पांडिचेरी के तत्वावधान में दिनांक 1-9-2004 से दिनांक 15-9-2004 तक जिपमेर पांडिचेरी में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवधि के दौरान सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉ. सुब्बा राव ने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर बधाई देते हुए इस बात पर बल दिया कि हिंदी देश के एकता की कड़ी है। हमें इस कड़ी को मजबूत करना है और हिंदी को न केवल राजभाषा के रूप में बल्कि एक विश्वभाषा के रूप में विश्व मंच पर ले आना है। सचिव डॉ. मनोहर कान्त श्रीवास्तव ने इस अवसर पर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा कार्यक्रम का संचालन श्री हरिनारायण त्रिवेदी, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना ने किया। डॉ. एन.जी. श्रीनिवासन, डॉ. पी. विजयलक्ष्मी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, पांडिचेरी विश्वविद्यालय तथा डॉ. मदनमोहन त्रकू निदेशक-आचार्य व विभागाध्यक्ष शरीरक्रिया विज्ञान विभाग जिपमेर एवं सर्वकार्यभारी अधिकारी हिंदी शिक्षण योजना, पांडिचेरी ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल

बीकानेर मंडल में राजभाषा पखवाड़ा 14 सितंबर से 28 सितंबर, 2004 तक बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। राजभाषा पखवाड़ा के दौरान प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं, राजभाषा बैठकों, संगोष्ठियों एवं परिचर्चाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

मंडल रेल प्रबंधक श्री जैन ने अपने संदेश में कहा कि भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। प्रतिदिन लाखों लोग भारतीय रेल के संपर्क में आते हैं, जो अधिकांश हिंदी जानने वाले होते हैं। हम जनता को उनकी भाषा में ही बेहतर सुविधा प्रदान कर सकते हैं। सभी रेल कर्मियों से श्री जैन ने सरकारी कामकाज में सभी कार्यों के साथ-साथ सूचना क्रांति की इस नवीनतम प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करने के लिए संकल्प लेने का अनुरोध किया।

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे

8 सितंबर से 14 सितंबर, 2004 की अवधि में हिंदी सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रयोगशाला के स्टाफ हेतु विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

दिनांक 14-9-2004 को हिंदी सप्ताह समापन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इस अवसर पर भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के निदेशक, डॉ. गोविन्द बल्लभ पन्त मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने प्रयोगशाला की वार्षिक राजभाषा पत्रिका, एनसीएल आलोक का लोकार्पण किया। अपने सम्बोधन में डॉ. पन्त ने भाषा को मनुष्य की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि हमारे दैनंदिन व्यवहार में भारतीय भाषाओं का बड़ा महत्त्व है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमारी भाषाएं ही हमारे सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। डॉ. पन्त ने कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे अपने दैनंदिन कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करके राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करें।

इस अवसर पर प्रयोगशाला के कार्यवाहक निदेशक, डॉ. भास्कर कुलकर्णी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग पर बल दिया और कहा कि हिंदी एक सशक्त भाषा है और वह विज्ञान सहित सभी विधाओं के लिए अतीव सक्षम और उपयुक्त है। इस समारोह में हिंदी सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार प्रदान किए।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै

कार्यालय में 14-9-2004 से 27-9-2004 तक हिंदी पखवाड़े का भव्य आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक महोदय द्वारा हिंदी का ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों से अपने दैनिक कार्यों में सभी टिप्पणियां एवं मसौदे मूल रूप से हिंदी में लिखने के निर्देश दिए गए थे। इस अवधि के दौरान कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हाज़िरी रजिस्टरों में हिंदी में हस्ताक्षर किए एवं मसौदे लिखे जिससे हिंदी पत्राचार में काफी वृद्धि हुई।

हिंदी पखवाड़े का प्रारंभ दि. 14-9-2004 हो हुआ। हिंदी पखवाड़े के दौरान 'हिंदी गीत गायन', 'कविता पाठ', 'हिंदी समूहिक गीत', हिंदी श्रुतलेख', 'हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण', 'अंत्याक्षरी', 'हिंदी निबंध', 'हिंदी टंकण', एवं 'हिंदी अनुवाद' प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अधिकाधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में उल्लास पूर्वक भाग लेकर प्रतियोगिताओं को सार्थक एवं ज्ञानवर्धक बना दिया।

दूरदर्शन केंद्र, मुंबई

केंद्र में दिनांक : 14-9-2004 से 28-9-2004 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया था। इस दौरान कर्मचारियों में हिंदी के प्रति उत्साहवर्धन के लिए हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार जीतने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए केंद्र में दिनांक 23-11-2004 को एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता केंद्र निदेशक श्री मुकेश शर्मा ने की। हिंदी नवनीत के संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री कुमार प्रशांत समारोह के मुख्य अतिथि थे।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदशेक का कार्यालय, नई दिल्ली

14 सितंबर, 2004 को मुख्यालय के सेमिनार हॉल में हिंदी दिवस आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता मौसम विज्ञान के महानिदेशक डॉ. एस.के. श्रीवास्तव ने की।

अध्यक्ष महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिंदी पखवाड़ा/हिंदी दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्य में हिंदी को बढ़ावा देना है। देश में 100 करोड़ की आबादी है जिसमें अधिकांश लोग हिंदी भाषा बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि सभी लोग इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य मूल रूप में हिंदी में करना आरंभ करें तो राजभाषा हिंदी को अपना उचित स्थान प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी। एक दिन राजभाषा हिंदी विदेशों में भी लोकप्रियता हासिल कर सकती है।

इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय ने विभाग के सभी कार्मिकों को कार्यालय का कार्य अधिक से अधिक हिंदी में करने की सलाह दी तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करने का अनुरोध किया एवं राजभाषा के प्रचार-प्रसार में अपना अमूल्य योगदान देने पर भी जोर दिया।

निर्माण महानिदेशालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली

दिनांक 6-9-2004 से 20-9-2004 तक हिंदी पखवाड़ा माननीय श्री के एन अग्रवाल, निर्माण महानिदेशक की प्रेरणा से पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गईं।

दिनांक 24-9-2004 को पुरस्कार वितरण समारोह एवं राजभाषा कार्यान्वयन-समिति की 81वीं बैठक में सभी प्रतियोगिताओं (निबंध प्रतियोगिता को छोड़कर) के विजयी प्रतिभागियों को माननीय श्री के एन अग्रवाल, निर्माण महानिदेशक के कर-कमलों से नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

14 सितंबर, 2004 से 13 अक्तूबर, 2004 तक हिंदी चेतना मास का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। दिनांक 24 दिसंबर, 2004 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर वर्ष 2003-2004 के दौरान हिंदी में सर्वाधिक कार्य करने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीनस्थ 6 संस्थानों नामत: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली; भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली; केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ; राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, इंदौर; केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि तथा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक को परिषद के राजर्षि टंडन राजभाषा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

पुरस्कार वितरण समारोह में सांसद (लोकसभा) तथा संसदीय राजभाषा समिति की उपाध्यक्ष माननीय डॉ. (श्रीमती) सरला महेश्वरी मुख्य अतिथि थी। समारोह की अध्यक्षता डेयर के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. मंगला राय ने की।

इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. (श्रीमती) सरला महेश्वरी ने कहा कि मेरे लिए यह सुखद आश्चर्य है कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से जुड़े इस प्रतिष्ठान में हिंदी को इतना सम्मान और गौरव प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने परिषद को बधाई दी। उनका मानना था कि पुरस्कार जीतकर ही हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता, बल्कि हिंदी में सरकारी कामकाज करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) मुख्यालय, इंदिरा गांधी खेल परिसर, इंद्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

अभातशिप मुख्यालय में 14 से 30 सितंबर, 2004 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया।

पखवाड़े के दौरान राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए परिषद में राजभाषा से संबंधित अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। ये प्रतियोगिताएं थीं—हिंदी टिप्पण/प्रारूपण प्रतियोगिता, हिंदी सुलेख प्रतियोगिता, हिंदी गीत/कविता पाठ प्रतियोगिता, हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता, हिंदी भाषण प्रतियोगिता, प्रश्न-मंच प्रतियोगिता, हिंदी पारिभाषिक शब्दावली प्रतियोगिता तथा हिंदी अंत्याक्षरी प्रतियोगिता। सभी कार्यक्रम अत्यंत उत्साहपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए तथा इनमें बड़ी संख्या में स्टाफ की उपस्थिति दर्ज की गई। कुल 53 अधिकारियों/कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में पुरस्कार हासिल किए। जिनमें हिंदी भाषी एवं हिंदीतर भाषी दोनों ही श्रेणियों के प्रतिभागी शामिल हैं। पखवाड़े के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में सामान्य की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

इलाहाबाद बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरपुर

राष्ट्रीय एकता एवं भाषायी सौहार्द्र की भावना से दिनांक 25-9-2004 को हिंदी माह समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बैंक की विभिन्न शाखाओं से बड़ी संख्या में आए बैंक कर्मियों ने भाग लिया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में बैंक के उप-महाप्रबंधक, श्री मनमोहन प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा कि भारत संघ की निर्दिष्ट राजभाषा नीति के अनुसरण में ही नहीं बल्कि बैंकों को अपने व्यावसायिक हितों की साधना के लिए हिंदी भाषा को अपनाना है एवं इसका सहारा लेना है। हिंदी राजभाषा होने के साथ-साथ हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम तथा हमारी सांस्कृतिक धरोहर विभाषिक है। हिंदी हमारे लिए शब्द मात्र नहीं है, यह हमारी अस्मिता है, हमारी पहचान है। हमें इस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग कर इसका संवर्धन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद बैंक में द्विभाषिक साफ्टवेयर लगाकर कंप्यूटरों पर भी हिंदी में काम हो रहा है। उन्होंने बैंक कर्मियों का आह्वान किया कि वे बेहिचक हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. बी. आर. अंबेडकर, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के हिंदी विभाग के सेवा निवृत्त अध्यक्ष एवं प्रोफेसर एमेरिटस (यू.जी.सी.) डॉ. महेंद्र "मधुकर" ने कहा कि हिंदी अनेक विघ्न बाधाओं को झेलते हुए आज विश्वभाषा के रूप में समादृत हो गई है। इसके पीछे करोड़ों जनता के सपने हैं, हमें उन सपनों को पूरा करना है। यह संघर्ष की भाषा है और आज की चुनौतियों को स्वीकार करने की इसमें अपार क्षमता है।

रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग)

दिनांक 01 सितंबर, 2004 से 14 सितंबर, 2004 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पांच प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में काफी संख्या में प्रभाग के कार्मिकों ने भाग लिया।

पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 14 अक्तूबर, 2004 को साउथ ब्लाक स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया। सचिव (रक्षा वित्त) सुश्री सोमी टंडन महोदया ने विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरित किए।

उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सचिव महोदया ने हिंदी के प्रति दर्शाई गई रुचि के लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का धन्यवाद किया और उनसे भविष्य में भी हिंदी को अपने कामकाज में अधिकाधिक प्रयोग करने का अनुरोध किया।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून

राजभाषा के व्यावहारिक कार्यान्वयन को बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रमों की शृंखला में मुख्य हिंदी समारोह का आयोजन संस्थान के प्रेक्षागृह में किया गया । समारोह से अतिथि वक्ता के रूप में हिंदी अकादमी के पूर्व सचिव, डा० रामशरण गौड़, विशिष्ट अतिथि के रूप में तुर्कमिनिस्तान (सोवियत संघ) में पूर्व राजदूत डॉ० वीरेंद्र शर्मा तथा अध्यक्ष के रूप में प्रख्यात भाषाविद् समालोचक प्रो० नरेश मिश्र, अध्यक्ष तथा डीन महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, ने समारोह को गरिमा प्रदान की।

संस्थान के निदेशक डॉ० मधुकर ओंकरनाथ गर्ग ने अपने स्वागत भाषण में विद्वान अतिथियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि राजभाषा स्वाभिमान का प्रतीक है। रूस, चीन तथा जापान जैसे देशों में उनका हर कार्य अपनी मातृभाषा में ही संपन्न होता है। इसे विडंबना ही कहना चाहिए कि हमारे देश में किन्हीं कारणों से यह सब संभव नहीं हो पाया है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि हमारी प्रारंभिक से लेकर उच्चतर तकनीकी विषयों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहा है। अधिकांश पाठ्यपुस्तकें भी अंग्रेजी में उपलब्ध रही हैं। जिस भाषा में सोचते हैं हमें उसी में स्वयं को अभिव्यक्त करने में सरलता महसूस होती है। हमारे संस्थान में भारत सरकार के निर्देशानुसार हिंदी कार्यशालाओं, हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठियों तथा विगत 13 वर्षों से प्रकाशित हिंदी पत्रिका 'विकल्प' के माध्यम से पर्याप्त कार्यान्वयन हो रहा है।

केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान, कारैकुडी

दिनांक 1 से 14 सितंबर, 2004 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन सभी कर्मचारी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से समुचित ढंग से मनाया गया। हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह 14 सितंबर, 2004 को संस्थान के विज्ञान प्रेक्षागृह में संपन्न हुई। प्रो. ए. के. शुक्ला, निदेशक, सीईसीआरआई ने समारोह की अध्यक्षता की।

उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में बताया कि देवनागरी लिपि उच्चारण की दृष्टि से एक पूर्ण लिपि है तथा इसमें सभी ध्वनियों के उच्चारण की क्षमता है। राजभाषा हिंदी भारत के सभी भाषा-भाषियों को जोड़ने की एक संपर्क भाषा है। उन्होंने सभी वैज्ञानिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारियों को संकल्प कराया कि संविधान के प्रावधान, राष्ट्रपति के आदेश, संसदीय समिति के निदेश ओर सीएसआईआर के अनुदेशों का अनुपानल करते हुए सभी कर्मचारी अपने दैनंदिन सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

दिनांक 1-9-2004 से 14-9-2004 तक राजभाषा पखवाड़े का आयोजन किया गया। उक्त अवधि के दौरान हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए हिंदी की विविध प्रतियोगिताएं क्रमशः हिंदी टिप्पण-आलेखन, हिंदी, निबंध, हिंदी वाक एवं हिंदी अंत्याक्षरी का आयोजन किया गया। उक्त प्रतियोगिताओं में सभी कर्मचारीगण ने उत्साह एवं उमंग से भाग लिया। प्रतियोगिताओं में विशेष रूप से महिला कर्मचारियों ने अधिक संख्या में भाग लिया। राजभाषा पखवाड़ा समारोह का समापन दिनांक 22-9-2004 को क्षेत्रीय कार्यालय के सभागृह में आयोजित किया गया। डा. माडुगुल नागफणि शर्मा, सहस्त्रावधानी तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान मुख्य अतिथि ने अपने सारगर्भित भाषण में भाषा की विशद व्याख्या की

और सुप्त अवस्था से भाषा प्रेम को पुन: जागृत किया। श्री शर्मा ने कहा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति का उद्गम सिन्धु-गंगा नदी है। जिस प्रकार नदी सभी को समाहित करते हुए बहती है उसी प्रकार हिंदी भाषा सभी भारतीय भाषाओं का समन्वय करती है। भाषा केवल एक संप्रेषण का माध्यम नहीं है बल्कि यह दिलों को जोड़ने वाली तथा संस्कृति का संयोजन करने वाली है।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण-पत्र तथा नकद पुरस्कार वितरित किए तथा निगम की गृह पत्रिका "दीपिका" के ग्यारहवें अंक का विमोचन किया।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री के. मिश्र, क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि 'ग' क्षेत्र में होते हुए भी क्षेत्रीय कार्यालय में हिंदी के प्रति आदर व संकल्प का जो भाव है वह निसंदेह ही प्रशंसनीय है और इस माहौल को बनाने के लिए हिंदी अधिकारी व कार्मिक बधाई के पात्र हैं। पिछले ग्यारह वर्षों से बहुभाषी पत्रिका का निरंतर प्रकाशन व लगातार छह वर्षों से राजभाषा शील्ड प्राप्त करना एक कृत संकल्पित भाव दर्शाता है, जिसमें निगम के अधिकारी, कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं।

पंजाब नेशनल बैंक, अंचल कार्यालय, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली

बैंक ने दिनांक 29 सितंबर, 2004 को केंद्रीय स्टाफ कालेज में राजभाषा मुख्य समारोह मनाया। इस अवसर पर बैंक के कार्यकारी निदेशक, डा० के० सी० चक्रबर्ती ने बैंक के कामकाज में सभी स्तरों पर सरल हिंदी के प्रयोग पर बल देते हुए कहा कि बदलते आर्थिक परिदृश्य में भाषा के उन्नयन एवं संस्था के विकास में मानसिक बदलाव की जरुरत है। उन्होंने वर्ष 2004-2005 को सर्वोत्तमता का वर्ष मनाने के लिए स्टाफ सदस्यों का उत्साहवर्धन किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि बैंक में हिंदी के प्रयोग की स्थिति अच्छी है लेकिन संभावनाएं और भी अधिक हैं। शाखा स्तर पर डाटाबेस द्विभाषिक सॉफ्टवेयर 'बैंक मित्र' के 1239 से भी अधिक शाखाओं में कार्यान्वयन और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा बैंक में हिंदी के अच्छे प्रयासों पर सराहना करने तथा रिजर्व बैंक की "द्विभाषिक पत्रिका प्रतियोगिता" में बैंक की पत्रिका 'पीएनबी स्टाफ जर्नल' को गत 2 वर्षों से लगातार प्रथम स्थान प्राप्त करने पर खुशी व्यक्त की।

श्री वी. नागाराजा, महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय ने बैंक की वर्ष 2003-2004 की राजभाषा संबंधी गतिविधियों/उपलब्धियों का विस्तार से ब्यौरा दिया और कहा कि बैंक ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सितंबर माह को हिंदी माह के रूप में मनाया है और इस माह के दौरान हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए बैंक ने विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बैंक ने अखिल भारतीय स्तर पर एवं स्थानीय स्तर पर अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं। इन प्रतियोगिताओं में स्टाफ सदस्यों की उत्साहजनक सहभागिता पर कार्यकारी निदेशक महोदय ने हर्ष प्रकट किया है।

इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, भुवनेश्वर

14 सितंबर, 2004 को हिंदी दिवस के अवसर पर महाप्रबंधक श्री सिद्धेश्वर साहू ने पखवाड़ा के विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ करते हुए उसका उदघाटन किया इसके पश्चात् श्री पी. के. बंद्योपाध्याय ने सहायक महाप्रबंधक के रूप में अपने हिंदी उत्तरदायित्व के प्रति प्रकाश डाला।

इस अवसर पर व्याख्यान सत्र में श्री विमल किशोर मिश्र, वरिष्ठ प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना (भारत सरकार) ने 'भारत सरकार की राजभाषा नीति : विभिन्न पहलू' पर एक व्याख्यान-सत्र लिया तथा उन्होंने स्टाफ-सदस्यों के संबंधित प्रश्नों के समुचित उत्तर दिए।

अभ्यास व प्रशिक्षण सत्र में अगले तीन दिनों तक सभी संबंधित स्टाफ-सदस्यों को प्रबंधक (हिंदी) श्री आर. पी. सिंह व सहायक (हिंदी) श्री आर० बारी द्वारा 'डेस्कोन्मुखी हिंदी व आकृति' अभ्यास व प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया गया जिसके माध्यम से सभी कम्प्यूटरों की हिंदी जांच व स्टाफ-सदस्यों के अभ्यास पर ध्यान दिया गया।

हिंदी समारोह के अगले सप्ताह के प्रतियोगिता चक्र में विभिन्न पांच हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस समारोह के अंतिम दिन के समापन सत्र को हिंदी सम्मान समारोह के रूप में मनाया गया जिसकी अध्यक्षता बैंक के महाप्रबंधक तथा 'राकास' के अध्यक्ष श्री सिद्धेश्वर साहू ने की।

श्री साहू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हमें खुशी है कि हमें लगातार दो वर्षों से प्र. का. का राजभाषा शील्ड प्राप्त हो रही है; यह मौका है कि हम ठान लें कि हमें

हैट्रिक करना है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा बैंक एक नये दौर से गुजर रहा है, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जिसका सामना करना है। हिंदी की भी चुनौतियों, उसके लक्ष्यों को पूरा करना है, यह अवसर है हम शपथ लें।

मुख्य अतिथि के रूप में रीडर, हिंदी; क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, डॉ० अनूप कुमार ने कहा कि आप कार्यालयी हिंदी में बोलचाल की हिंदी को जोड़ें तो आप की हिंदी में जीवंतता आ जाएगी।

इलाहाबाद बैंक, कोलकाता

इलाहाबाद बैंक के प्रधान कार्यालय में 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह आयोजत किया गया जिसकी अध्यक्षता बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री एस० के० गोयल ने की।

अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में श्री गोयल ने कहा कि जनभाषा के रूप में हिंदी की भूमिका निर्विवाद है और यदि हमें जनता के बीच बैंकिंग करनी है तो हमें हिंदी को व्यवसाय से जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम बैंक में हिंदी का व्यापक प्रयोग करते हुए अपना व्यावसायिक आधार मजबूत बनाएंगे। उन्होंने बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे आने वाले प्रत्येक माह को हिंदी माह समझें और अपना अधिकाधिक काम हिंदी में करें ताकि बैंक राजभाषा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करे।

इलाहाबाद बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बहरमपुर

14 सितंबर, 2004 को हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया एवं पूरा सितंबर माह हिंदी माह के रूप में मनाया। हिंदी दिवस समारोह, बहरमपुर क्षेत्र के सहायक महा प्रबंधक, श्री प्रदीप कुमार बासु की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। अपने अध्यक्षीय व्याख्यान के अंतर्गत श्री प्रदीप कुमार बासु, सहायक महा प्रबंधक ने कहा कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है, अत: इसे सीखने एवं इसका प्रयोग करने में हमें गर्व का बोध होना चाहिए तथापि संपूर्ण भारतवर्ष के विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से हिंदी का पठन-पाठन अनिवार्य करने से भावी सरकारी कर्मचारियों की मुश्किलें काफी हद तक आसान हो जाती तथा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होता। श्री बासु ने समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से अपील किया कि वे अपने दैनंदिन कार्यों में पूरे वर्ष के दौरान हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें।

भारतीय विमानपत्तन, प्राधिकरण, जयप्रकाश नारायण अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना

14 सितंबर, 2004 को समारोहपूर्वक हिंदी दिवस मनाया गया।

मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए हिंदी साहित्य के प्रखर व्यंग्य, कवि डॉ० रवीन्द्र राजहंस, यू. जी. सी., विजिटिंग प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग पटना विश्वविद्यालय, पटना ने कहा कि अंगरेजियत की गुलाम मानसिकता को त्यागे बिना हमारे हृदय में हिंदी का कमल पूर्णरूप से विकसित नहीं हो सकता। भारत का विकास हिंदी के पूर्ण विकास में निहित है।

अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में श्री अशोक कुमार लखैयार, तत्कालीन निदेशक, विमानपत्तन ने कहा कि हिंदी दिवस मनाने का अर्थ स्वयं को राजभाषा हिंदी से प्रतिबद्ध करना है। हिंदी को मन से ही नहीं हृदय से भी अपनाने की जरूरत है तभी राजभाषा हिंदी अपना अपेक्षित स्थान प्राप्त करेगी।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद

मुख्यालय में दिनांक 14 सितंबर, 2004 को हिंदी दिवस एवं 14 सितंबर 2004 से 24 अक्तूबर 2004 तक राजभाषा माह विभिन्न श्रेणियों के लिए हिंदी प्रतियोगिताओं तथा हिंदी कार्यशाला, राजभाषा संगोष्ठी, राजभाषा प्रदर्शनी, राजभाषा समारोह आदि कार्यक्रमों के आयोजन के साथ विशाल रूप में मनाया गया।

दिनांक 14 सितंबर, 2004 को निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, श्री बी० रमेश कुमार की अध्यक्षता में हिंदी दिवस समारोह एवं राजभाषा माह का उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर श्री बी० रमेश कुमार ने कर्मचारियों को प्रेरणात्मक उद्बोधन देते हुए कर्मचारियों को अपने कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने की सलाह

दी तथा इस दिशा में निगम को प्राप्त प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सहयोग का आग्रह किया।

राजभाषा समारोह में 'राजभाषा माह' के दौरान मुख्यालय के कर्मचारियों के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी कर्मचारियों को निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, श्री बी. रमेश कुमार ने पुरस्कृत किया । श्री मुरली मनोहर, निदेशक (वाणिज्य) ने अनुसंधान एवं विकास केंद्र के कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं के विजयी कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किया। एनएमडीसी के आस-पास स्थित विभिन्न केंद्र/राज्य सरकार आदि कार्यालयों के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं के विजयी कर्मचारियों को निगम के निदेशक (उत्पादन) एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने पुरस्कृत किया। राजभाषा माह के दौरान आयोजित उपर्युक्त कार्यक्रमों का संचालन श्री विजय कुमार, प्रबंधक (राजभाषा) ने किया।

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, 882, ईस्ट पार्क रोड, करोल बाग, नई दिल्ली

क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान कार्यालय में हिंदी शब्द ज्ञान तथा प्रश्न मंच प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। पखवाड़े की समाप्ति पर हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डा. कृष्ण लाल जी समारोह के मुख्य अतिथि थे। समारोह की अध्यक्षता क्षे. का. के उप महाप्रबंधक, श्री के. एस. सिंघल ने की।

उप महाप्रबंधक ने उपस्थितों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए हुए 55 वर्ष व्यतीत हो गए हैं लेकिन बड़े दु:ख की बात है कि अभी तक सरकारी कामकाज में हिंदी को वह स्थान नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि हिंदी की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए हमें सम्मिलित रूप से प्रयास करने चाहिएं।

मुख्य अतिथि ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी कार्यान्वयन में प्रगति लाने के लिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता अपनी मानसिकता बदलने की है। हम यह सोचते हैं कि हिंदी में कार्य करने पर दूसरे लोग हमें तुच्छ समझेंगे, साथ ही सरकारी कार्यालयों को हिंदी में पत्रादि लिखने पर हमें प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन यह हमारा भ्रम मात्र है। हमें इस भ्रम को तोड़ना होगा तथा हिंदी की प्रगति में अपना योगदान देना होगा।

दूरदर्शन केंद्र, राजकोट

हिंदीतर भाषी प्रदेश में स्थित होने के बावजूद हिंदी में सरकारी कामकाज का स्तर बनाये हुए हैं। हिंदी के प्रति उत्साह जगाने की दृष्टि से केंद्र में दिनांक 14 सितंबर, 2004 से 28 सितंबर, 2004 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। जिसमें निबंध लेखन/अनुवाद/सुलेखन/प्रश्नोत्तरी एवं टिप्पण तथा प्रारूपण आदि। इन सभी प्रतियोगिताओं में कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

तीस्ता चरण—V जलविद्युत परियोजना, बालूटार, सिंगथाम पूर्वी सिक्किम

हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन समारोह हर्षोल्लासमय परिवेश में दिनांक 1-9-2004 को संपन्न हुआ। इस परियोजना में दिनांक 1-9-2004 से 14-9-2004 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े का आयोजन भाषायी सद्भाव व राष्ट्रीय एकता के सुदृढ़ीकरण के तौर पर किया गया।

इस पखवाड़े का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री बी. के. शारदा, मुख्य अभियंता (एच.आर.टी.) ने दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अपने राष्ट्र को जानने के लिए हिंदी जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर मुखातिब होकर कहा कि अपने दैनिक कामकाज में हिंदी भाषा, प्रयोग खुलकर करें तभी हिंदी का विकास एवं संवर्धन होगा। आगे उन्होंने पिछले वर्ष हुए विश्व सम्मेलन में पारित प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन प्रस्तावों से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हिंदी का प्रयोग सूचना प्रौद्योगिकी बेवसाइट, व्यावसायिक क्षेत्रों में धड़ल्ले से हो रहा है। यह हिंदी की बहुलता एवं सर्वव्यापकता का परिचय दे रही है। यह एक काफी समृद्ध व विकसित भाषा है। इसके प्रयोग में हीनता के भाव नहीं आने चाहिए बल्कि गौरव का अनुभव करना चाहिए।

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा का कार्यालय, मध्य रेल, मुंबई

राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से श्री दिनेश पाटील, उपनिदेशक लेखा परीक्षा, मध्य रेल, मुंबई की अध्यक्षता में दिनांक 17-9-2004 को मुख्यालय में हिंदी पखवाड़े के मुख्य समारोह का आयोजन किया गया।

उपनिदेशक श्री दिनेश पाटील, ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की कि वे राजभाषा हिंदी का अपने कामकाज और व्यवहार में अधिक से अधिक प्रयोग करें, तथा इसे सम्पर्क भाषा और राजभाषा के रूप में आगे बढ़ाएं। कार्यालय द्वारा हिंदी में निबंध और कविता की खुली प्रतियोगिता का आयोजन हिंदी पखवाड़े के अवसर पर किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से तथा सभी भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार से उपनिदेशक लेखा परीक्षा द्वारा सम्मानित किया गया।

आईटीआई लि., रायबरेली

दिनांक 14 से 20 सितंबर, 2004 तक हिंदी सप्ताह समारोह पूर्वक मनाया गया।

हिंदी सप्ताह का उद्घाटन करते हुए इकाई प्रमुख श्री अखौरी प्रभात कुमार ने संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों से अपने दैनिक काम-काज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किए जाने की अपील की। समारोह की मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित फिरोजगांधी महाविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्ष डा. चम्पा श्रीवास्तव ने कहा कि विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी के विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में बहुआयामी योजनाएं बनाकर हिंदी के विकास को शिखर पर पहुंचाया जा सकता है।

सप्ताह भर चलने वाले विविध कार्यक्रमों के अंतर्गत तात्कालिक निबंध प्रतियोगिता, तात्कालिक कविता लेखन प्रतियोगिता, अनुवाद एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिनमें कर्मचारियों/अधिकारियों ने उत्साह पूर्वक भाग लया। निगमित कार्यालय एवं संस्थान के प्रबंधक मंडल द्वारा स्वीकृत हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने वाली विविध योजनाओं के अंतर्गत हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों तथा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में वर्ष 2004 में हिंदी विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर्मचारियों/अधिकारियों के बच्चों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किये गये।

आकाशवाणी, पणजी

14 सितंबर हिंदी दिवस के परिप्रेक्ष्य में आकाशवाणी पणजी में सितंबर मास के पहले पखवाड़े को हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाया गया। 1 सितंबर को केंद्र निदेशक श्री बी. डी. मजुमदार ने हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन किया। इस अवसर पर त्रिदिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में भारत की समासिक संस्कृति और हिंदी विषय पर भारत सरकार राजभाषा विभाग के हिंदी प्राध्यापक श्री देवकीनंदन पाठक ने व्याख्यान दिए। समारोह को केंद्र निदेशक श्री बी. डी. मजुमदार, केंद्र अभियंता श्री दीपक जोशी, सहायक केंद्र निदेशक श्री अनिल श्रीवास्तव और सहायक केंद्र निदेशक श्री वेणिमाधव बोरकार ने संबोधित किया।

महालेखाकार, नागालैंड, कोहिमा

14 से 28 सितंबर, 2004 को हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। 14 सितंबर को महालेखाकार के कार्यालय में उद्घाटन कार्यक्रम हुआ जिसमें वरिष्ठ उपमहालेखाकार (ले.ह.) श्री अथिखो चलाई ने हिंदी भाषा की प्रशंसा की तथा हिंदी की उपयोगिता को सराहा। श्री ए.पी. चौफी, वरिष्ठ उपमहालेखाकार (ले.प.) ने भी हिंदी की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। नराकास अध्यक्ष श्री राजेन्द्र चौहान, महालेखाकार ने हिंदी संबंधी सरकारी आदेशों के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए सभी कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया।

28 सितंबर, 2004 को असम राइफल्स के कोहिमा स्थिति सभागार में हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में नागालैंड के माननीय राज्यपाल श्री श्यामल दत्ता मुख्य अतिथि थे। हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर बल देते हुए राज्यपाल श्री श्यामल दत्ता ने कहा— "नागा समाज इतना परिपक्व विचारवान तथा सावधान है कि ईसायत को मोकोक्चुड. ग (1872) से कोहिमा (1902) पहुंचने में 30 वर्ष लगे। ईसायत को स्वीकार करने से पहले नागा समाज ने काफी गहन विचार किया। नागाओं का स्वभाव ऐसा है कि एक बार जिस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो उससे वे टस से मस नहीं होते उसे पूर्ण करने के लिए जी जान

से प्रयास करते हैं। इसी प्रकार यदि नागा लोगों को वैसा विश्वास हो गया कि हिंदी उनके लिए बड़ा हितकारी तथा उपयोगी है तो इसे बड़े शीघ्र ही सीख जावेंगे। उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा कि नागा समाज कुछ नई चीज सीखने में बड़े माहिर हैं और यदि उन्हें अवसर मिला तो वे शीघ्र ही इसे ग्रहण कर लेंगे।" इसके लिए उन्होंने सुर और लय का सहारा लेने का सुझाव दिये। इस कार्यक्रम में सभी प्रतियोगी विजेताओं को राज्यपाल महोदय की धर्म-पत्नी द्वारा नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरण किया गया।

वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग महालेखा नियंत्रक हिंदी अनुभाग, नई दिल्ली

दिनांक 1 सितंबर, 2004 से 15 सितंबर, 2004 तक "हिंदी पखवाड़ा" आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यालय में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपना अधिकांश सरकारी कामकाज हिंदी में करने का अनुरोध किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

दिनांक 16-9-2004 को महालेखा नियंत्रक महोदय ने हिंदी निबंध तथा हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगिओं को सांत्वना पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला तथा भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में कार्यालय के और भी अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों के बढ़-चढ़ कर भाग लेने के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया। विजेताओं को बधाई देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपने दिन-प्रतिदिन के काम में हिंदी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का संकल्प लेना चाहिए। समारोह में कविता पाठ का भी आयोजन किया गया।

महालेखाकार लेखा एवं हकदारी कार्यालय, ओड़िशा, भुवनेश्वर

दिनांक 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा समारोह मनाया गया। इस दौरान कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण व प्ररूप लेखन, हिंदी श्रुतलेखन, हिंदी कवितापाठ और हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। एक दिन बहुभाषी कवितापाठ के साथ हिंदी में एक विचारगोष्ठी रखी गई। हिंदी में चुटकुले सुनाने जैसे हास्य रसात्मक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। पखवाड़ा का समापन समारोह दिनांक 28 सितंबर को महालेखाकार श्रीमती अनीता पट्टनायक जी की अध्यक्षता में एकाउंट्स रिक्रिएशन क्लब में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे ओड़िशा के जानेमाने हिंदी विद्वान डा. शंकरलाल पुरोहित और सम्मानित अतिथि रही स्थानीय बी.जे.बी. कालेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डा. निशामणी नन्द।

सम्मानित अतिथि डा. निशामणी नन्द ने सरल हिंदी के प्रयोग पर जोर देते हुए कहा कि जब हम स्वतंत्रता के बाद अपना राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान बना सके तो क्यों नहीं हमारी राष्ट्रभाषा बन सकती। मुख्य अतिथि डा. पुरोहित ने अपने भाषण में हिंदी को संस्कृति का वाहक बताया। आजादी के पहले इस भाषा की मुख्य भूमिका रही। वर्तमान सरकारी कामकाज में इसका व्यापक प्रयोग करके इसे देश का एक महान कार्य सिद्ध किया जा सके। उसके बाद महालेखाकार श्रीमती अनीता पट्टनायक जी के करकमलों से प्रतियोगिताओं में सफल आए प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, बी-1398, प्रथम मंजिल, चांदनी चौक, दिल्ली-110006

01 सितंबर, 2004 से 30 सितंबर, 2004 तक हिंदी माह मनाया गया। इस दौरान क्षेत्र की अधिकांश शाखाओं/कार्यालयों में हिंदी दिवस समारोह के आयोजन किये गए। इस क्रम में हमारे क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 28-9-2004 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री पी.एस. बाबा, उपमहाप्रबंधक ने की।

श्री पी. एस. बावा ने अपने संबोधन में हिंदी को राष्ट्रीय एकता के रूप में छोटे-छोटे दीप जलाकर आगे बढ़ाने एवं बैंक में सभी कर्मचारियों को टीम भावना से कार्य करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में सभी अधिकारी

एवं कर्मचारी हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करके नये ग्राहकों को बैंक के साथ जोड़ने का लक्ष्य होना चाहिये। इसके बाद श्री पाहूजा, मुख्य अधिकारी (राजभाषा) आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली ने अपने संबोधन में हिंदी को मां शब्द से नवाजते हुये कहा कि सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां मां रूपी हिंदी भाषा का जन्म हर वर्ष मनाया जाता है।

केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट)

मुख्यालय में 1 से 14 सितंबर, 2004 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जबकि दोनों इकाइयों में हिंदी सप्ताह समारोह का आयोजन हुआ।

हिंदी पखवाड़ा/सप्ताह के उपलक्ष्य में अधिकारियों/कर्मचारियों, एवं उनके बच्चों तथा सिफनेट प्रशिक्षणार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं हिंदी में चलाई गई तथा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। सिफनेट मुख्यालय में पखवाड़े का समापन समारोह 15-9-04 को आयोजित किया गया। श्री जी. एच. गानिक्फान, निदेशक, सिफनेट, ने अपने अध्यक्षीय भाषण में अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना अधिक से अधिक काम हिंदी में करने तथा राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रयास जारी रखने की सलाह दी।

पूर्व तट रेलवे, वालतेरू मंडल

राजभाषा पखवाड़ा दिनांक 14-9-2004 से 29-9-2004 तक मनाया गया। पखवाड़ा के दौरान मंडल स्तर हिंदी निबंध वाक टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दिनांक 14-9-2004 को बिजली लोको शेड में हिंदी दिवस तथा राजभाषा विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

समापन समारोह के अवसर पर हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 20 अधिकारियों तथा 94 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। इसके लिए अतिरिक्त मंडल स्तर पर आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागी कर्मचारियों तथा हिंदी परीक्षा पास करने वाले 257 कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया।

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर (प.बं.)

14-9-2004 से 29-9-2004 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह एवं भारतीय भाषाओं का सौहार्द दिवस 29-9-2004 को मनाया गया। अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में संस्थान के निदेशक डा. अमिताभ सरकार ने अधिकारियों/कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी एक सरल एवं सहज भाषा है। संस्थान के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इसका प्रयोग अपने सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक करें ताकि राजभाषा हिंदी को सही मर्यादा व स्थान प्राप्त हो सके। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए बधाई के साथ-साथ भविष्य में इसे पूरी निष्ठा से अपनाने की अपील की। ❐

देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा हिंदी ही हो सकती है।

—लाल बहादुर शास्त्री

पुरस्कार/प्रतियोगिताएं

आकाशवाणी, चंडीगढ़ को प्रथम आकाशवाणी पुरस्कार

प्रसार भारती द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेंगलूर में आयोजित आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार 2003 समारोह में आकाशवाणी चंडीगढ़ को कार्यक्रम एवं तकनीकी उत्कृष्टता हेतु राजभाषा के "ख" क्षेत्र के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता विश्वविख्यात संगीतज्ञ पंडित रवि शंकर ने की। इस समारोह में अन्य गणमान्य व्यक्तियों एवं कलाकारों/साहित्यकारों के अतिरिक्त प्रसार भारती के अध्यक्ष श्री एम. वी. कामथ, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के. एस. सर्मा, आकाशवाणी के महानिदेशक श्री बृजेश्वर सिंह, दूरदर्शन के महानिदेशक श्री नवीन कुमार के साथ-साथ श्री आर. एन. बिसारिया, सदस्य प्रसार भारती बोर्ड तथा सुश्री ए. एल. गणपति, सदस्य वित्त, प्रसार भारती भी उपस्थित थे।

इलाहाबाद बैंक में हिंदी-माह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन

इलाहाबाद बैंक के प्रधान कार्यालय, कोलकाता में 30 सितंबर को हिंदी माह के समापन अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया जिसमें हिंदी माह के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री एस. के. गोयल द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर एक प्रश्नमंच प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की। समारोह की अध्यक्षता बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री एस. के. गोयल ने की। समारोह में बैंक के प्रधान कार्यालय के समस्त महाप्रबंधन एवं अन्य वरिष्ठ कार्यपालक उपस्थित थे।

अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में कार्यपालक निदेशक, श्री गोयल ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि वर्ष 2003-2004 में रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में हमारे बैंक को 'क' क्षेत्र में प्रथम तथा 'ख' क्षेत्र में चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में हमारे बैंक की विशिष्ट पहचान है और हमें हिंदी प्रयोग की दिशा में अग्रणी बैंक की भूमिका निभानी है। उन्होंने समारोह में उपस्थित समस्त कार्मिकों का आह्वान किया कि वे हिंदी के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखें और वर्ष भर अपना कार्य हिंदी में करें ताकि राजभाषा के क्षेत्र में हमारा बैंक नए कीर्तिमान स्थापित करे। उन्होंने हिंदी माह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई दी तथा प्रतियोगिताओं में अधिकारियों/कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता पर प्रसन्नता व्यक्त की।

आयुध निर्माणी बोर्ड, वाहन निर्माणी जबलपुर

नवंबर-2004 में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, वाहन निर्माणी जबलपुर का मार्च, 2004 एवं जून, 2004 में समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आधार पर राजभाषा नीति के अन्तर्गत बताये गये प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं हिंदी में सर्वोत्तम कार्य करने पर वाहन निर्माणी जबलपुर को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जबलपुर के अध्यक्ष श्री सुदीप्त घोष, वरिष्ठ महाप्रबंधक, तोप गाड़ी फैक्टरी द्वारा शील्ड प्रदान की गई। यह शील्ड वाहन निर्माणी जबलपुर के वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री हरनाम सिंह ने आयोजित 45वीं बैठक के अवसर पर ग्रहण की। इस अवसर पर वाहन निर्माणी के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री पी. एम. रानाविंशा तथा हिंदी अधिकारी श्री आर. पी. दीक्षित उपस्थित थे।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार

"हिंदी हमारी संवैधानिक आवश्यकता ही नहीं अपितु हमारी माँ के समान स्तुत्य एवं पवित्र है। अत: हिंदी के प्रति अपने समर्पण भाव रखने, उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में उतारने पर ही हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। बीएचईएल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में तकनीकी जटिलताएं होने पर भी यहां पर हिंदी के प्रति समर्पण भाव वास्तव में ही अत्यंत प्रशंसनीय हैं।" ये विचार आज यहां राजभाषा कार्यान्वयन समिति,

बी एच ई एल, हरिद्वार के तत्वावधान में आयोजित हिंदी दिवस एंव पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव डॉ. महावीर अग्रवाल ने व्यक्त किए।

इस अवसर पर महाप्रबंधक (मा. सं.) श्री रवीन्द्र नाथ मिश्र ने स्वागत संबोधन में राजभाषा हिंदी को 'स्वतंत्रता सेनानी' के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी का प्रयोग हमारी अभिव्यक्ति को सहज तथा सरल बनाता है। श्री मिश्र ने विश्व हिंदी सम्मलनों की चर्चा करते हुए बताया कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को स्थायी स्थान दिए जाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। मुख्य अतिथि के रूप में कारखाना प्रबंधक एवं महाप्रबंधक श्री राज किशोर शर्मा ने बीएचईएल, हरिद्वार में तकनीकी जटिलताओं के बावजूद समस्त सदस्यों द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आज हिंदी का प्रयोग संवैधानिक आवश्यकता ही नहीं अपितु समय की मांग भी है। अत: आवश्यक है कि हम अपने समस्त कार्यों में हिंदी का प्रयोग करें। उन्होंने, वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिपक्व तथा परिष्कृत राजभाषा हिंदी विशुद्ध भारतीयता का बोध कराती है।

दूरदर्शन केंद्र, हैदराबाद

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में दिनांक 1-10-2004 से दिनांक 8-10-2004 तक प्रतियोगिताएँ रखी गई। इन प्रतियोगिताओं में सभी कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और पुरस्कार भी प्राप्त किए। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिनांक 2-11-2004 को आयोजित समापन समारोह में वितरित किए गए। इस समापन समारोह में निदेशक महोदय मुख्य प्रस्तुतकर्ता एवं अधीक्षक अभियंता के कर-कमलों से पुरस्कार वितरण किये गये।

केंद्र के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि हमारे कार्यालय में हिंदी जानने वाले तो अधिक हैं वे भली-भांति हिंदी पढ़ लिख सकते हैं। यदि वे अपनी फाइलों में हिंदी लिखें तो उनका हिंदी के प्रति भय दूर होगा और वे निपुणता से हिंदी में कार्य करेंगे। मुख्य प्रस्तुतकर्ता ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसको अपनाना हमारा कर्तव्य है। हिंदी का गौरव बढ़ाना हमारा धर्म है।

इसके पश्चात् केंद्र के निदेशक श्री डी. प्रसाद राव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिंदी सप्ताह पखवाड़ा एवं माह आदि मनाने की एक औपचारिकता बन गई है। ऐसा देखा जाता है कि सभी कार्यालयों में यह समारोह बड़े धूमधाम से केवल सितंबर माह में ही मनाया जाता है और इसके बाद कोई भी कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से हिंदी में कार्य नहीं करता। इसके बदले में थोड़ा बहुत हिंदी का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ❑

हिंदी सीखे बिना भारतीयों के दिलों तक नहीं पहुँचा जा सकता

—लोठार लुत्से (जर्मन विद्वान)

गुवाहाटी में पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र, संयुक्त राजभाषा सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा दिनांक 1-2 फरवरी, 2005 को गुवाहाटी में संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस भव्य समारोह में माननीय गृहमंत्री, भारत सरकार श्री शिवराज वि. पाटील द्वारा पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों तथा नगर राजभाषा समितियों को संघ की राजभाषा नीति के उत्कृष्ठ कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार दिनांक 2 फरवरी, 2005 को गुवाहाटी के जिला पुस्तकालय के प्रेक्षागृह में वितरित किए गए। पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता राजभाषा विभाग के सचिव श्री बालेश्वर राय ने की। उन्होंने माननीय गृहमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने स्वागत भाषण में प्रेक्षागृह में उपस्थित केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी राष्ट्रीय एकता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसका विकास एवं प्रचार-प्रसार हम सभी को करना है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों के कार्मिक अपने सरकारी काम-काज में सरल हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि आज हम सभी माननीय गृहमंत्री जी के समक्ष अपना यह दृढ़ संकल्प दोहराते हैं कि हम राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग व प्रचार-प्रसार प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना की नीति पर चलकर करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों को संघ की राजभाषा हिंदी में विशेष रुचि रही है। इसे ध्यान में रखते हुए उनकी हिंदी प्रशिक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में उन्होंने आशा जताई कि राजभाषा विभाग द्वारा आगामी वित्त वर्ष तक गुवाहाटी में क्षेत्रीय हिंदी प्रशिक्षण कार्यालय की स्थापना कर दी जाएगी।

सम्मेलन में अमिय कुमार दास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज एण्ड डेवलपमेंट, गुवाहाटी के निदेशक, श्री अब्बू नासर सैयद अहमद ने असमिया साहित्य का हिंदी साहित्य को योगदान विषय पर सारगर्भित व्याखान दिया। उन्होंने कहा कि यद्यपि पूर्वोत्तर क्षेत्र का रहन-सहन, खान-पान, साहित्य, कला और संस्कृति के अन्य भागों से कुछ भिन्न है, फिर भी यह क्षेत्र राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है।

इस अवसर पर माननीय गृहमंत्री जी ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि अनेकता में एकता हमारी अनुपम परंपरा रही है। सांस्कृतिक दृष्टि से सारा भारत सदैव एक ही रहा है। भारत के विभिन्न प्रांतों में जहां अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं और जहां लोगों के रीति रिवाज, पहनावे आदि में भिन्नता हो, वहां लोगों को समीप लाने के लिए, उनमें संवाद स्थापित करने के लिए एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता होती है। संवाद और संचार यदि सुचारु रूप से होता है, तो भावात्मक एकता भी आ जाती है और समूचा राष्ट्र एक हो जाता है। भारत में सतत् संवाद एवं संचार का दायित्व संपर्क भाषा ही निभा सकती है और वह भाषा हिंदी है। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां का साहित्य, संगीत और कला पूरे भारत में सराही जाती है, उसकी अपनी एक पहचान है। इस क्षेत्र में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं; लेकिन हिंदी को संपर्क भाषा बनाने तथा उसके विकास व प्रचार-प्रसार में यहां के मनीषियों, लेखकों, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी की स्वयं सेवी संस्थाओं का योगदान उल्लेखनीय है। इस परंपरा को हमें और सुदृढ़ करना है।

माननीय मंत्री महोदय ने इस अवसर पर लगाई गई पुस्तक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों तथा विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिकाओं की इतनी बड़ी संख्या की माननीय मंत्री जी द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की और उन्हें अत्यंत उपयोगी बताया।

राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री मदन लाल गुप्त ने माननीय गृहमंत्री जी तथा सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और कहा कि

आज जो कार्यालय पुरस्कार प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे और अधिक उत्साह और लगन से हिंदी में काम कर अगली बार पुरस्कार प्राप्त करने में सफल होंगे।

संगणक केंद्र
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

कंप्यूटर पर हिंदी में संगोष्ठी
(सेमीनार)

दिनांक 16-12-2004 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय संगणक केंद्र में आधे दिन की कंप्यूटर पर हिंदी में तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 50 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। संगोष्ठी में परिचर्चा का विषय ''कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और हिंदी'' था।

कंप्यूटर से संबंधित उक्त तकनीकी विषय पर व्याख्यान देने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के तकनीकी निदेशक श्री केवल कृष्ण को आमंत्रित किया गया था। संगोष्ठी की अध्यक्षता संगणक केंद्र के उप महानिदेशक-सह-राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री विष्णु कुमार ने की तथा उसका संचालन संगणक केंद्र के सहायक निदेशक (रा.भा.), श्री डी.डी. तिवारी द्वारा किया गया। संगोष्ठी के आयोजन का प्रबंध संगणक केंद्र के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री एम. सी. पाण्डे तथा प्रशासनिक अधिकारी श्री सौरभ भट्टाचार्य द्वारा किया गया। संगोष्ठी में राजभाषा विभाग के अनुसंधान अधिकारी श्री एस.डी. पाण्डे आमंत्रित अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

संगोष्ठी के आयोजन के अवसर पर अपने उद्घाटन भाषण में केंद्र के उप-महानिदेशक श्री विष्णु कुमार ने कहा कि भारत सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने तथा उसके अनुपालन के लिए कंप्यूटर में द्विभाषिक क्षमता का होना आवश्यक है ताकि उनमें आवश्यकतानुसार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य किया जा सके। हालांकि इस केंद्र का कार्य पूर्णत: तकनीकी प्रकृति का है जिसमें केवल आंकड़ों का संसाधन तथा विश्लेषण किया जाता है। फिर भी इस केंद्र के सभी कंप्यूटरों को भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप द्विभाषी किया गया है और हम राष्ट्रपति जी के आदेशों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। इस केंद्र के प्रशासन में लगभग 70 प्रतिशत से भी अधिक कार्य कंप्यूटर पर हिंदी में किया गया जा रहा है। तकनीकी अनुभागों में भी थोड़ा बहुत कार्य कंप्यूटर पर हो रहा है जिसे और बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि दिनांक 5 अक्तूबर, 2004 को इस केंद्र को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान भी कहा गया कि उच्च अधिकारियों को कंप्यूटर पर हिंदी में अधिक से अधिक काम करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। यहाँ पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी के जूनियर सर्टिफिकेट कोर्स पाठ्यक्रम में भी एक दिन का हिंदी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वेबसाइट को भी आंशिक रूप से द्विभाषी बनाया गया है क्योंकि मंत्रालय से सभी सामग्री द्विभाषी रूप में प्राप्त नहीं होने से उसे पूर्ण रूप से द्विभाषी नहीं बनाया जा सका है और इस दिशा में प्रयास जारी हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस संगोष्ठी में केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी उत्साह और लगन से भाग लेकर इससे अवश्य लाभान्वित होंगे और अपना अधिक से अधिक कार्य कंप्यूटर पर करना शुरू करेंगे।

परमाणु ऊर्जा विभाग एवं नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र (एनएफसी) हैदराबाद

सप्तम् अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सप्तम् अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 5-6 नवम्बर, 2004 को सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा इसकी भारत में फैली विभिन्न अनुसंधान एवं विकास औद्योगिक सेवा समूह, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सहायता प्राप्त संस्थानों की समस्त इकाइयों के राजभाषा के प्रचार में संलग्न प्रशासक, वैज्ञानिक, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), उप निदेशक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा), वरि. प्रबंधक/प्रबंधक/उप-प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (राजभाषा) एवं अनुवादकों ने भाग लिया।

इसका उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. अनिल काकोडकर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर आपने उपस्थित अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि ''वैज्ञानिक

अनुसंधान, शोध कार्य एवं वैज्ञानिक खोज की जन-जन तक पहुँचाने के लिए हिंदी भाषा ही सशक्त माध्यम हो सकती है। उन्होंने कहा कि भाषा मानव के संचार व संपर्क का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। संचार यदि स्पष्ट रूप से हो तो काफी समस्याएं अपने आप हल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे स्तर की हिंदी वैज्ञानिक पत्रिकाओं को निकालने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा विभाग का हिंदी के प्रति जो उत्तरदायित्व है, उसे बड़ी प्रतिबद्धता के साथ निभाया जा रहा है।''

आपने इस अवसर पर हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए नगर के परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), आईआरईएल (मुंबई) तथा हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान (इलाहाबाद) को राजभाषा शील्ड तथा मूल रूप में हिंदी में कार्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिये जाने वाले 'राजभाषा भूषण पुरस्कार' भी प्रदान किए। इस वर्ष उक्त पुरस्कार श्री सर्वेशचन्द्र कटियार, केंद्र निदेशक, तारापुर परमाणु बिजलीघर एवं श्री रमेशचन्द्र पंत, प्रधान, रिएक्टर अनुसंधान अनुरक्षण प्रभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई को दिया गया। इसमें 2500 रुपये नकद शाल एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि विज्ञान के लेख हिंदी में लिखे जाने चाहिए तथा हिंदी भाषा को ज्ञान-विज्ञान का माध्यम बनाया जाना चाहिए। अंग्रेजी व अन्य भाषाएं सीखने में बुराई नहीं है, पर अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने वाली भाषा को छोड़कर यदि हम अन्य भाषा को महत्व देंगे तो हम सब बिना जड़ के पेड़ बनेंगे। अंग्रेजी की सहायता से हम भारत की संस्कृति को कभी भी नहीं सीख पाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास समृद्ध रहा है। एक अरब लोगों को जोड़ने शिक्षा व तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

इस अवसर पर एनएफसी द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका 'नाभिकीय भारती' के विशेषांक, संरक्षा मार्गदर्शिका (खंड-1) पुस्तक का हिंदी अनुवाद तथा परमाणु ऊर्जा विभाग की विकिरण, स्वास्थ्य और समाज, पऊवि में संसदीय-प्रक्रिया, परमाणु ऊर्जा और विकिरण के सबंध में जनधारणाएँ : भ्राँतियाँ बनाम वास्तविकता, कैडर अधिकारियों की वरिष्ठता सूची आदि पुस्तकों का लोकार्पण क्रमशः परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथि ने किया।

एनएफसी के मुख्य कार्यपालक एवं अध्यक्ष श्री आर. कालिदास ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि - 'राष्ट्र के सर्वांगीण विकास हेतु जितनी आवश्यकता वैज्ञानिक अनुसंधान, शोध एवं विकास की है उतनी ही आवश्यकता भाषा के विकास की है जिसके माध्यम से ही हमारा राष्ट्र एक धागे में पिरोया जा सका है। हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय भाषाओं का विकास हिंदी का विकास है आज हिंदी मात्र दो या तीन राज्यों तक सीमित न हो कर जन-जन के बीच रच-बस गई है। केवल आवश्यकता यह है कि हम इसमें अपने वैज्ञानिक और प्रशासनिक कार्य भी अधिकतम मात्रा में करना प्रारंभ करें ताकि इसका लाभ दूरस्थ बैठे आम आदमी तक बिना किसी रुकावट के पहुँच सके।'

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली

जीवन शैली और स्वास्थ्य

दिनांक 15 सितंबर, 2004 को परिषद् मुख्यालय में ''जीवन शैली और स्वास्थ्य'' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए परिषद् के महानिदेशक डॉ. एन. के. गांगुली महोदय ने बताया कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में स्वास्थ्य एवं खान-पान पर अधिक ध्यान न दे पाने के कारण लोग रोग ग्रसित हो जाते हैं जिसका मुख्य कारण हमारी परिवर्तित जीवन शैली एवं फास्ट फूड कल्चर को बढ़ावा देना है। उन्होंने आमंत्रित वक्ताओं का अपना बहुमूल्य समय निकालकर परिषद् में व्याख्यान के लिए आने हेतु आभार व्यक्त किया, तथा आशा व्यक्त की कि उनके बहुमूल्य सुझावों से हम सभी लाभान्वित होंगे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद् के अपर महानिदेशक डॉ. पदम सिंह ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में बोलते हुए अपर महानिदेशक महोदय ने मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग, आदि विषयों पर बोलते हुए कहा कि किस हद तक ये रोग जीवन शैली पर आधारित हैं, तथा हम इसको परिवर्तित करके अपने रोगों पर काबू पा सकते हैं। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्साविज्ञान विभाग के आचार्य डॉ. अनूप मिश्र ने मोटापा एवं मधुमेह विषय पर बोलते हुए कहा कि मोटापा मधुमेह अनेक रोगों के लिए खतरे का एक प्रमुख कारक है। दूसरे व्याख्यान के रूप में

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हृदयरोग विभाग के अतिरिक्त आचार्य डॉ. बलराम भार्गव ने जीवन शैली और हृदय रोग विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि कई रोग आपस में जुड़े होते हैं तथा जिनकी जड़ें व्यक्तिगत व्यवहार एवं जीवन शैली में निहित रहती हैं।

तीसरे तथा अंतिम व्याख्यान के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग के उपसलाहकार (आयुर्वेद) डॉ. दिनेश कटोच ने अपना व्याख्यान दिया। डॉ. कटोच के व्याख्यान का विषय था आयुर्वेद के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन। उन्होंने अत्यंत प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पर बल देते हुए आज के आधुनिकतम समय में इसकी उपयोगिता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि हमारा शरीर पांच मुख्य तत्वों से मिलकर बना है तथा इनमें आई समस्याओं के कारण ही हमें कोई न कोई रोग हो जाता है। उन्होंने बताया कि किस समय कौन सा आहार श्रेयस्कर है तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। उन्होंने दवाओं के सही सम्मिश्र एवं चिकित्सीय परीक्षणों पर भी बल दिया।

इसरो उपग्रह केंद्र, बेंगलूर

हिंदी तकनीकी संगोष्ठी

केंद्र में दिनांक 14 सितंबर, 2004 को एक दिवसीय हिंदी तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का केंद्र विषय भारतीय उपग्रह तकनीकी के उभरते चेहरे रहा। इस संगोष्ठी में विभिन्न विषय पर 18 तकनीकी प्रबंध प्रस्तुत किये गए। आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री जे. वी. इंगले ने सभी आमंत्रितों का स्वागत किया। मंगल दीप प्रज्जवलित कर समारोह का उद्घाटन किया गया। डॉ. पी. एस. नायर, उप निदेशक, एम.एस.ए. ने इस संगोष्ठी में आमंत्रित अभिभाषण दिये। वायु पोत और उनके उपयोग (एआर बस) विषय पर अपना प्रबंध प्रस्तुत किया। डॉ एस. पाल, उप निदेशक, डी.सी.ए. ने इस संगोष्ठी की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण में वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के विकास के बारे में जोर दिया और हिंदी को राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक बताया। युवा वैज्ञानिकों को आह्वान किया कि तकनीकी क्षेत्र में हिंदी को उसी तरह अपनाया जाय जिस तरह अंग्रेजी को अपना रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में संगोष्ठी में प्रस्तुत किए गए लेखों में से सर्वोत्तम लेख चुना गया। श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव का लेख उपग्रह के अपभु प्रक्षेपण मोटर डेक की अभिकल्पना एवं विकास की उभरती तकनीकों को सर्व श्रेष्ठ पुरस्कार और नकद राशि प्रदान की गई। श्रीमती लेखनी गुप्ता ने कार्यक्रम का संचालन किया।

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे

दिनांक 8 सितंबर से 14 सितंबर, 2004 की अवधि में मनाए गए हिंदी सप्ताह के एक भाग के रूप में पादप ऊतक संवर्धन प्रभाग द्वारा एक विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय था पादप ऊतक संवर्धन प्रभाग की वर्तमान अनुसंधान परियोजनाएँ। संगोष्ठी में कुल दस प्रतिभागियों ने अपने-अपने अनुसंधान कार्यों पर शोधपत्र प्रस्तुत किए। विषय की दृष्टि से प्रस्तुत शोधपत्रों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। दो प्रस्तुतीकरण अंगूर की किस्मों-रेड ग्लोब तथा इटालिया के सूक्ष्म प्रवर्धन से संबोधित थे। इनमें मुख्य रूप से यह बताया गया कि अंगूर की इन दो किस्मों की पौध पादप ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा किस तरह बड़ी संख्या में और कम समय में तैयार की जा सकती है। दूसरे वर्ग में तीन प्रस्तुतीकरण थे जिनका विषय था - पौधों में विशेष रूप से सुबबूल में विद्यमान लिग्निन किस तरह कागज बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है तथा पौधों में लिग्निन की मात्रा को आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीक द्वारा कम करके एक और कागज-उत्पादन की लागत में कमी लाई जा सकती है तो दूसरी ओर कागज-उद्योग से पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण की मात्रा को भी कम किया जा सकता है। इसी वर्ग में अन्य दो प्रस्तुतियों में कोशिका भित्तीय पेरॉक्सीडेज एवं लिग्निनीकरण में उनकी भूमिका तथा आर.एन.ए. साइलेंसिंग पर शोध परिणाम प्रस्तुत किए गए। एक अन्य शोधपत्र का विषय था—आण्विक चिह्नकों द्वारा सूबबूल की जैविक विविधता का आकलन। एक अन्य वर्ग में एक शोधपत्र का विषय था-"पादप जैवप्रौद्योगिकी तथा पादप द्वितीयक उपापचयज"। इसके अंतर्गत यह बताया गया कि पादप द्वितीयक उपापचयज कहाँ-कहाँ उपयोग में लाए जाते हैं, इनका उत्पादन कैसे होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और पौधों में ये किस तरह एक सुरक्षातंत्र का कार्य करते हैं? चौथे और अन्तिम वर्ग में दो शोधपत्र प्रस्तुत किए गए जिनका मुख्य विषय था—जैवप्रौद्योगिकी किस तरह प्रदूषण को कम करने में सहायक बन सकती है। इस वर्ग में एक शोधपत्र का विषय था—मरकरी प्रतिरोधी जीन mer A तथा mer B का प्रतिजैविक जीन के विकल्प के रूप में प्रयोग तथा दूसरे शोधपत्र का विषय था—पादप उपचार

(Phytoremediation) और धातु निर्विषीकरण (detoxication) करने की विभिन्न प्रक्रियाएँ।

तीस्ता चरण V, जल विद्युत परियोजना, बालुटार, पूर्वी सिक्किम

"जीवन जीने की कला" पर व्याख्यान माला

दिनाँक 25-9-2004 और 26-9-2004 को तीस्ता चरण-V जलविद्युत परियोजन के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए "जीवन जीने की कला" पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान माला में व्याख्यान के लिए प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, माउंट आबू (राजस्थान) के वैज्ञानिक तथा अभियंत्रण प्रभाग के वरिष्ठ वक्ताओं को आमंत्रित किया गया था जिनमें प्रमुख थे :—बी.के. सुरेश गुप्ता, जवाहर मेहता, बी.के. सुनीता बेन, लखनऊ, बी.के. नरेन्द्र पटेल, बड़ोदा, बी.के. मोहन सिंघल एवं अन्य प्रतिनिधिगण।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम में उपरोक्त व्याख्याताओं ने स्वयं को पहचानों, आठ आन्तरिक शक्तियाँ, विचारों की शक्ति एवं प्रभाव, विचारों के प्रकार, विचारों की गतियाँ एवं कार्रवाई तथा मन का स्थान एवं उसके क्रिया-कलाप, मस्तिष्क के कार्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई और प्रतिभागियों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कराये गए।

धन्यवाद ज्ञापन श्री अरूण कुमार, प्रबंधक (का. व प्रशा.) ने किया और उन्होंने कहा कि हरेक व्यक्ति को जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। उसके सीखने से कार्यालय और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और आत्मिक व व्यक्तित्व विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे यह भी लाभ होगा कि लड़ाई-झगड़े की मानसिकता दूर होगी और आपस में सभी प्रेम व एकता के साथ रहेंगे।

इलाहाबाद बैंक स्टाफ कॉलेज, लखनऊ

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, इलाहाबाद बैंक

शुक्रवार, 17 सितंबर, 2004 को 30वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों से आये राजभाषा अधिकारियों ने सहभागिता की। सम्मेलन की अध्यक्षता बैंक के महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री आर. के. नाथ ने की। इस अवसर पर बैंक के लखनऊ क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री अजमल सईदुद्दीन, स्टाफ कॉलेज के सहायक महाप्रबंधक व प्राचार्य, श्री राम अवतार पाल और प्रधान कार्यालय के मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), डॉ. गजेन्द्र कुमार उपस्थित थे।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए महाप्रबंधक (राजभाषा), श्री आर.के. नाथ ने कहा कि हिंदी हमारे देश की संपर्क भाषा है, जिसके जरिए हम जन-जन तक बैंकिंग सेवाओं का लाभ पहुँचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद बैंक की दो तिहाई से ज्यादा शाखाएँ हिंदी भाषी इलाकों में स्थित हैं जहाँ के लोग हिंदी ही बोलते-समझते हैं और अपना दैनंदिन कामकाज हिंदी में ही करते हैं। श्री नाथ ने बताया कि इलाहाबाद बैंक में बहुत पहले से ही हिंदी का प्रयोग किया जाता रहा है जब इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैंक ने हिंदी को अपनी सेवा का माध्यम स्वीकार किया है। आज कम्प्यूटरीकरण के जमाने में यह और अधिक आसान हो गया है कि हम कतिपय बैंकिंग सेवाएँ हिंदी माध्यम से प्रदान कर सकते हैं।

इस अवसर पर बोलते हुए लखनऊ क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री अजमल सईदुद्दीन ने कहा कि हिंदी में काम करने का इलाहाबाद बैंक में बेहतर माहौल है तथा हमारे बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में लगाए गए कंप्यूटर द्विभाषिक शब्द संसाधन की सुविधाओं से युक्त हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ग्राहक भी हिंदी में बैंक से पत्र-व्यवहार करते हैं तथा हिंदी में पत्र का उत्तर पाकर एक विशेष प्रकार का अपनापन महसूस करते हैं। श्री सईदुद्दीन ने कहा कि लखनऊ संस्कृति और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जहाँ हिंदी, उर्दू का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है।

बैंक में हिंदी के प्रयोग की सुदीर्घ परंपरा की ओर राजभाषा अधिकारियों का ध्यान दिलाते हुए मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), डॉ. गजेन्द्र कुमार ने कहा कि अब समय आ गया है कि हिंदी को हम अपने कामकाज और कारोबार की भाषा के रूप में पूरी तौर पर अपना लें क्योंकि उदारतावाद के साथ वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी ने निजी उद्यमों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, मीडिया चैनलों की व्यापारिक भाषा माध्यम के रूप में अपनी क्षमता सिद्ध कर दी है।

अपने प्रारंभिक उद्बोधन में स्टाफ कॉलेज के प्राचार्य, श्री राम अवतार पाल ने आशा व्यक्त की कि इस सम्मेलन में बैंक में हिंदी के प्रचार-प्रसार में और गति आएगी तथा बैंक

कारोबार लक्ष्यों के साथ हिंदी के कार्यान्वयन में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र, पटना के सहायक महाप्रबंधक श्री डी. के. सिन्हा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, बेंगलूर केंद्र

प्रौद्योगिकीय विकास और हिंदी

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, बेंगलूर में हिंदी पखवाड़ा समापन तथा 76वें त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण सत्र के संपन्न होने पर विगत 30 सितंबर, 2004 को प्रौद्योगिकीय विकास और हिंदी विषयक परिसंवाद का आयोजन किया गया। इस परिसंवाद में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशाला के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. श्रीनिवास भोगले थे। विशिष्ठ अतिथि के रूप में इंफोसिस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, श्री अभिनव शुक्ल आमंत्रित थे। कार्यक्रम अपनी सारस्वत गरिमा में दीप प्रज्जवल के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गणपति वंदना (विनयपत्रिका) मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत की गई।

मुख्य अतिथि डॉ. श्रीनिवास भोगले ने दीक्षांत भाषण देते हुए कहा कि हिंदी एक सशक्त भाषा है जो भारत की सभी भाषाओं को आपस में जोड़ती है, जिसे बताने के लिए फूलों की माला वाली उपमा बहुत ही सटीक है। डॉ. भोगले राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशाला में सूचना प्रबंधन प्रभाग के अध्यक्ष तथा शीर्ष वैज्ञानिक हैं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि हिंदी में विज्ञान की पढ़ाई कठिन है। एक तो किताबें नहीं हैं। जो हैं; उनमें अशुद्धियों की भरमार है। हिंदी में गलत विज्ञान देने से अच्छा है कि अंग्रेजी में सही विज्ञान दिया जाए। हिंदी के प्रयोग में किसी भी प्रकार की कट्टरता वैज्ञानिक विकास की दृष्टि से राष्ट्रहित में नहीं होगा। इसीलिए उनका प्रस्ताव था कि हिंदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वहन कर सके, इस विषय पर विचार-विमर्श आवश्यक है। मैं इस परिसंवाद को इसी दृष्टि से उपयोगी मानता हूँ।

परिसंवाद में अध्यक्षीय व्यक्तव्य देते हुए ब्यूरो के संयुक्त निदेशक श्री एस. एन. सिंह ने कहा कि भूमंडली करण की चुनौतियों के कारण भाषाओं के विविध संसार में उपयोगितावाद और उपभोक्तावाद की पैठ गहरी हुई है। इस कारण अनेक छोटी-छोटी भाषाएँ जहां काल की सतत् क्षरणशील प्रक्रिया का शिकार बनी हैं, वहीं बड़ी भाषाओं के लिए बड़े अवसर भी बने हैं। क्षरणशील भाषाओं की रक्षा तथा उनकी धुनलगी को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सक्रिय हुआ है। प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का प्रस्ताव उसी दिशा में जरूरी कदम है। भाषाओं के विलोपीकरण पर चिंता जाहिर करते हुए श्री सिंह ने कहा कि प्रत्येक दो महीने में चार भाषाएं विलोपन का शिकार हो रही हैं। तथापि, यह सुखद है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के सामने विलोपवाद का संकट नहीं है। ब्रिटिश लैंग्वेज कंस्लटेंसी कंपनी मिल्टन केनेस के निदेशक भाषाविद डेविड ग्रेडल ने विश्व की प्रमुख भाषिक प्रवृतियों का गहन अध्ययन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि आने वाले 50 वर्षों में हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बन जाएगी। परिसंवाद के विशिष्ट वक्ता श्री अभिनव शुक्ल ने कहा कि हिंदी माध्यम से वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान के आंकड़े निश्चय ही उल्लेखनीय नहीं होंगे, किंतु इतना सच है कि जितने वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं, उनमें 25 प्रतिशत भारतीय लोगों द्वारा हो रहे हैं और सतह के नीचे हिंदी और भारत की कोई-न-कोई भाषा अपनी भूमिका निभा रही है। उन्होंने हिंदी माध्यम वाले समाचार चैनलों की रिकार्ड तोड़ने वाली सफलता को जहां हिंदी की ताकत माना वहीं यह भी कहा कि हिंदी विश्व के कोने-कोने में तेज़ी से फैल रही है। इंटरनेट पर हिंदी पत्र-पत्रिकाएं आनी शुरू हो चुकी हैं, वहां कविताएं भी मिल सकती हैं। श्री शुक्ल ने कहा कि 1985 में नासा के एक शोध में बताया गया था कि संस्कृत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हिंदी संस्कृत का ही आधुनिक रूप है। अतः जरूरी है कि लाभ-लोभ को त्यागकर कुछ लोग इस दिशा में काम करें क्योंकि जब हिंदी प्रौद्योगिकी में आएगी तो सामाजिक स्तर पर व्याप्त विषमताएं भी टूटेंगी। अंग्रेजी की पढ़ाई एक भाषा के रूप में होनी चाहिए, ब्रिटिश गुलामी की विरासत के रूप में नहीं।

इस अवसर पर एन.ए.एल. के हिंदी अधिकारी डॉ. पी.एस.आर.मूर्ति ने कहा कि भारत में 35 संस्थाएं हैं, जो वैज्ञानिक चेतना के प्रसार में लगी हैं। देश में 115 पत्र-पत्रिकाएं हिंदी माध्यम से वैज्ञानिक चेतना फैलाने का काम कर रही हैं। वैज्ञानिक पुस्तकों के प्रकाशन के बारे में डॉ. मूर्ति ने बताया कि 9085 किताबें हिंदी में छपी हैं, जो विज्ञान के उच्च विषयों से संबंधित हैं। इसलिए यह समझना कि हिंदी वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए अनुपयुक्त है, भ्रांति मात्र है। निश्चय ही हिंदी और प्रौद्योगिक का संबंध अपरिहार्य है।

परिसंवाद के आरंभ में स्वागत भाषण देते हुए केंद्र के प्रशिक्षण अधिकारी ईश्वरचंद्र मिश्र ने कहा कि यह परिसंवाद

रेखांकित करना चाहता है कि कंप्यूटर और आधुनिक सूचना तंत्र से जुड़ाव समय की मांग है तथा भारत का एक बड़ा बौद्धिक वर्ग अब कंप्यूटर से जुड़ गया है। केवल अंग्रेज़ी को कंप्यूटर की भाषा मानना पूरी सच्चाई नहीं है। भारतीय परिवेश में हिंदी बाज़ार की जरूरत हो गई है, क्योंकि यहां 60 करोड़ से अधिक जनता हिंदी जानती है।

कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए केंद्र के प्रशिक्षण अधिकारी, श्री एम.एम. भांडेकर ने परिसंवाद में शामिल नगर के प्रमुख कॉलेजों के हिंदी विभागों के अध्यक्षों के प्रति आभार ज्ञापन किया। उन्होंने नगर के विभिन्न कॉलेजों के उन छात्र-छात्राओं का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन

हिंदी तकनीकी संगोष्ठी

मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन में दिनांक 11 फरवरी 2005 को डॉ. जी माधवन नायर, अध्यक्ष, इसरो एवं सचिव, अंतरिक्ष विभाग की अध्यक्षता में "राष्ट्र के विकास में अंतरिक्ष विभाग की भूमिका/योगदान" विषय पर बेंगलूर स्थित केन्द्र/यूनिटों के लिए एक दिवसीय हिंदी तकनीकी संगोष्ठी आयोजित की गई।

श्री बी. वी. कानडे, वैकल्पिक अध्यक्ष, ने सभी का स्वागत किया एवं कहा की हिंदी का प्रयोग केवल हिंदी तकनीकी संगोष्ठी तक सीमित न रखते हुए पूरे साल करें एवं सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग जारी रखें, तभी यह संगोष्ठी सही मायने में सार्थक होगी। डॉ. एम वाई एस प्रसाद, निदेशक एमसीएफ तथा अध्यक्ष हिंदी तकनीकी संगोष्ठी आयोजन समिति ने तकनीकी संगोष्ठी का परिचय देते हुए कहा कि, आज के संदर्भ में यह संगोष्ठी एकदम सार्थक है। संगोष्ठी के विषय पर कुल 14 लेखों को लेख संग्रह में शामिल किया गया है। आपने लेख संग्रह को सभी तक पहुँचाने के लिए आयोजन समिति को बधाई दी। आपने आगे कहा कि, राष्ट्र के विभिन्न भागों को सूचना, शिक्षा, आदि माध्यम से बांधने व जागृत करने में राजभाषा हिंदी एक सशक्त माध्यम है क्योंकि यह जनसमूह की भाषा है। तदनंतर अध्यक्ष, इसरो एवं सचिव, अंतरिक्ष विभाग द्वारा लेख संग्रह का विमोचन किया गया।

डॉ. जी. माधवन नायर, अध्यक्ष, इसरो एवं सचिव, अंतरिक्ष विभाग ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारत का अन्तरिक्ष कार्यक्रम सामाजिक और आर्थिक लाभ के उद्देश्य से शुरू हुआ और आज यह भारत के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण घटक बना हुआ है। श्री पी. बी. गिरिधरन, प्रधान का० एवं सा. प्र के जोशपूर्ण धन्यवाद ज्ञापन के साथ उद्घाटन समारोह की समाप्ति हुई। इसके पश्चात् तकनीकी सत्र 1 एवं 2 का आरंभ हुआ। इन सत्रों का संचालन करने के लिए डॉ. शर्मा जी, प्रधान आर.आर.एस.सी. जोधपुर तथा श्री सिंघल जी, उप निदेशक, आईसैक बैंगलूर से पधारे।

श्रीमती सरला, हिंदी अधिकारी, एमसीएफ एवं सदस्य सचिव, हिंदी तकनीकी संगोष्ठी ने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। ❐

कंप्यूटर पर हिंदी में काम करना आसान है शुरु तो कीजिए कंप्यूटर के स्वाधिन देवनागरी कुंजीपटल पर मात्र एक सप्ताह के अभ्यास से प्रवीणता प्राप्त की जा सकती है।

—राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

प्रशिक्षण

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो

राजभाषा विभाग : गृह मंत्रालय

नई दिल्ली

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो (राजभाषा विभाग) द्वारा वर्ष 2005-2006 में आयोजित किए जाने वाले अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का कैलेंडर

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि और प्रशिक्षार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तारीख	परीक्षा की तारीख	प्रशिक्षण केंद्र
01.	त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	3 माह 360 प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष	1 अप्रैल से 30 जून, 2005 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2005 1 अक्तूबर से 31 दिसंबर, 2005 1 जनवरी से 31 मार्च, 2006	सत्र की समाप्ति पर	1. नई दिल्ली 2. बेंगलूर 3. कोलकाता 4. मुंबई
02.	21 दिवसीय विशेष अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	21 कार्यदिवस 30 प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष	अप्रैल 2005 से सितंबर 2005 तक 1 कार्यक्रम अक्तूबर 2005 से मार्च 2006 तक 1 कार्यक्रम	पाठ्यक्रम की समाप्ति पर	किसी भी कार्यालय/ नगर में, जहां से मांग प्राप्त होती है।
03.	5 दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	5 कार्यदिवस 400 प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष	अप्रैल से जून 2005 तक 4 कार्यक्रम जुलाई से सितंबर 2005 तक 4 कार्यक्रम अक्तूबर से दिसंबर 2005 तक 4 कार्यक्रम जनवरी से मार्च 2006 तक 4 कार्यक्रम	कोई परीक्षा नहीं	किसी भी कार्यालय/ नगर में, जहां से मांग प्राप्त होती है।
04.	उच्चस्तरीय/पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	5 कार्यदिवस 90 प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष	11-04-2005 से 15-04-2005 06-06-2005 से 10-06-2005 08-08-2005 से 12-08-2005 03-10-2005 से 07-10-2005 05-12-2005 से 09-12-2005 06-02-2006 से 10-02-2006	कोई परीक्षा नहीं	नई दिल्ली (मुख्यालय)

टिप्पणी :

01. त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में हिंदी अनुवादकों के अतिरिक्त वे कर्मचारी भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जो अनुवाद कार्य या राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े हों और जिन्हें हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का स्नातक स्तर का ज्ञान हो।

02. 21 दिवसीय विशेष अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और 5 कार्यदिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन अलग-अलग कार्यालयों की मांग पर उन्हीं के कार्यालयों में प्रशिक्षार्थियों की उपलब्धता और कार्यालयों की सुविधा के अनुसार विभिन्न नगरों में किया जाता है।

03. संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और 21 दिवसीय विशेष अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनुवाद कार्य अथवा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े हुए अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने स्नातक स्तर तक हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाएं पढ़ी हों।

04. उच्चस्तरीय/पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण अनुवादकों/हिंदी अधिकारियों/राजभाषा अधिकारियों तथा उनसे ऊपर के अधिकारियों के लिए आयोजित किए जाते हैं।

05. छात्रावास की व्यवस्था केवल नई दिल्ली और कोलकाता में हैं, जिसके लिए प्रतिमास 300/- रु. सेवा प्रभार देय होते हैं। भोजन व्यय प्रशिक्षार्थी स्वयं वहन करते हैं तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं ब्यूरो उपलब्ध कराता है।

06. समस्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अंतर्गत दिया जाने वाला प्रशिक्षण नि:शुल्क है। अत: शिक्षा शुल्क अथवा परीक्षा शुल्क के रूप में कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

07. संपर्क सूत्र :

उत्तरी क्षेत्र	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 8वां तल, बी-ब्लॉक, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड, लई दिल्ली-110 003 दूरभाष : 24362025, 24362151, 24362988	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो छात्रावास, क्वार्टर सं. 876 से 890, सेक्टर-7, पुष्प विहार, नई दिल्ली-110017 दूरभाष : 26862873
दक्षिणी क्षेत्र	अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 5वां तल, केंद्रीय सदन, डी-ब्लॉक, 17वां मेन, दूसरा ब्लॉक, कोरमंगला बेंगलूर-560 034 दूरभाष : 25537952, 25531946	छात्रावास उपलब्ध नहीं है।
पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र	अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 67-बी, बालीगंज, सर्कुलर रोड, कोलकाता-700 019 दूरभाष : 22476799, 22408043	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो छात्रावास, 67-बी, बालीगंज, सर्कुलर रोड, कोलकाता-700019 दूरभाष : 22476799, 22406043
पश्चिमी क्षेत्र	अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र, कामर्स हाउस, तीसरा माला, बेलार्ड एस्टेट, करीमभाई रोड, मुंबई-400 001 दूरभाष : 22619478, 22611823	छात्रावास उपलब्ध नहीं

(निदेशक)

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

विषय : संघ सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए वर्ष 2005 में चलाए जाने वाले हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी निकायों, उपक्रमों, निगमों, बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए अन्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है। पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का उद्देश्य कर्मचारियों को यथाशीघ्र हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में कौशल प्रदान करना है, ताकि वे वर्तमान द्विभाषिकता की स्थिति में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के टंकण और आशुलिपि में दक्षता प्राप्त कर सकें। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों के अंग्रेजी टाइपिस्टों तथा अंग्रेजी आशुलिपिकों को हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण निर्धारित समय सीमा के भीतर दिया जाना है।

2. भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी निकायों, उपक्रमों, निगमों, बैंकों आदि से अनुरोध है कि वे हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अपने ऐसे कर्मचारियों को नामित करने की कृपा करें, जिनकी सेवाएं दविभाषिक टाइपिस्टों या आशुलिपिकों के रूप में लेनी तत्काल आवश्यक समझते हों।

3. कम्प्यूटरों पर प्रशिक्षण की मांग को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नै, बेंगलूर और हैदराबाद स्थित गहन प्रशिक्षण केंद्रों पर हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षार्थियों को हिंदी आशुलिपि के साथ-साथ कंप्यूटर पर शब्द संसाधन का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् अपने कार्यालयों में कंप्यूटर पर हिंदी में भी कार्य कर सकें।

4. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के अधीन कोलकाता, मुंबई, चेन्नै, बेंगलूर तथा हैदराबाद में पाँच उप-संस्थान स्थापित हैं। उपर्युक्त हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यालय, नई दिल्ली के अतिरिक्त उपर्युक्त पाँचों उप-संस्थानों में भी चलाए जाते हैं। इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

5. ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्णकालिक और नि:शुल्क हैं अर्थात् इनके लिए कोई शुल्क आदि भी नहीं लिया जाता है। इन पाठ्यक्रमों का पाठ्य विवरण और हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एक समान हैं परंतु ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्णकालिक होने के कारण इनकी नियमित रूप से पूर्णकालिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रतिदिन प्रात: 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

6. इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अंत में प्रशिक्षार्थियों की परीक्षा हिंदी शिक्षण योजना के परीक्षा स्कंध द्वारा ली जाती है। सफल प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो अधिक अंक प्राप्त करते हैं, वे गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 12-7-1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12011/4/87-रा.भा.(घ) के अनुसार संबंधित नियमों के अधीन विहित शर्तें पूरी करने पर हिंदी टंकण में 97 प्रतिशत, 95 प्रतिशत और 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर तथा हिंदी आशुलिपि में 95 प्रतिशत, 92 प्रतिशत व 88 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर कर्मचारी क्रमश: रु. 600/-, रु. 400/- और रु. 200/- के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के पात्र होंगे। इस राशि का भुगतान कर्मचारियों के कार्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा।

7. राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12014/2/76-रा. भा. (घ) दिनांक 2-9-1976 के अनुसार हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विहित शर्तें पूरी करने पर हिंदी भाषी आशुलिपिक 12 महीने की अवधि के लिए एक

वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन तथा हिंदीतर भाषी आशुलिपिक (राजपत्रित तथा अराजपत्रित दोनों) दो वेतनवृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन पाने के पात्र होंगे। राजपत्रित आशुलिपिकों को 90 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर ही वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर अराजपत्रित कर्मचारी विहित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन पाने के पात्र हैं।

8. केंद्र सरकार के निगमों/निकायों/उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को प्रति कर्मचारी रु. 50/- की दर से परीक्षा शुल्क देना होगा। परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट द्वारा दिया जाएगा जो कि "उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना", नई दिल्ली के नाम से देय होगा।

9. नई दिल्ली स्थित संस्थान के मुख्यालय में सीमित संख्या में प्रशिक्षार्थियों के ठहरने के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, लेकिन नई दिल्ली से बाहर स्थित उप संस्थानों में छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए वहाँ प्रशिक्षार्थियों को अपने ठहरने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

10. इन पाठ्यक्रमों की अर्हताएं निम्न प्रकार है :—

(क) हिंदी टंकण

1. सभी अवर श्रेणी लिपिकों एवं अंग्रेजी टंककों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।
2. उच्च श्रेणी लिपिकों, सहायकों और हिंदी अनुवादकों को भी स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है।
3. **शैक्षिक योग्यता :** ऐसे कर्मचारी जो हिंदी के साथ मिडिल अथवा उसके समकक्ष परीक्षा जैसे प्रवीण, आदि उत्तीर्ण हों, इस प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं।

(ख) हिंदी आशुलिपि

1. सभी वर्ग के आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों, आदि के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।
2. कक्षाओं में स्थान उपलब्ध होने पर ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों/टंककों, जिन्होंने हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, संबंधित कार्यालय द्वारा यह प्रमाण-पत्र देने पर कि उनका यह प्रशिक्षण जनहित में है तथा प्रशिक्षण के बाद हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का उनसे कार्य लिया जाएगा, को भी प्रवेश दिया जा सकता है।
3. **शैक्षिक योग्यता :** हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे प्राज्ञ, आदि उत्तीर्ण की हो।

11. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलूर, चेन्नै और मुंबई स्थित उप संस्थानों के पते अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।

12. आपसे अनुरोध है कि अपने कर्मचारियों के नाम पाठयक्रम आरम्भ होने से कम से कम 15 दिन पहले इस कार्यालय को तथा अपने क्षेत्र में स्थित उप संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक को भिजवा दें। कृपया उन्हीं कर्मचारियों को नामित करें जिन्हें आपके द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निश्चित रूप से कार्यमुक्त किया जा सके। पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद किसी भी कर्मचारी को सत्र के मध्य में वापस बुलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामित कर्मचारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण आरम्भ होने के दिन संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक को प्रात: 9.30 बजे रिपोर्ट करने के निदेश दें। कृपया ध्यान रखें कि यदि आशुलिपि पाठ्यक्रम के लिए किसी अवर श्रेणी लिपिक को नामित किया जाता है तो संबंधित केंद्र के सहायक निदेशक से उनके प्रवेश की पुष्टि प्राप्त होने पर ही उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।

13. पाठ्यक्रम में प्रवेश "प्रथम आओ, प्रथम पाओ" के आधार पर दिया जाएगा।

14. कृपया इस कार्यालय को भेजे जाने वाले पत्रों में अपने कार्यालय का नाम, पूरा पता तथा दूरभाष संख्या अवश्य लिखें, जिससे सम्पर्क कार्य में सुविधा हो सके।

—निदेशक

आदेश-अनुदेश

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली, दिनांक : 31 दिसंबर, 2004 का का. ज्ञा. संख्या 1/14013/01/2004-रा.भा. (नीति-1)

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—सरकारी कामकाज में "अहिंदी भाषी" शब्दों के प्रयोग के स्थान पर "अन्य भाषा-भाषी" अथवा "हिंदीतर भाषी" शब्दों का प्रयोग।

राजभाषा विभाग के संज्ञान में यह लाया गया है कि भारत सरकार के बहुत से मंत्रालय/विभाग आदि अपने नेमी कामकाज में उन राज्यों/व्यक्तियों के लिए, जिनकी राजभाषा/मातृभाषा हिंदी नहीं है, 'अहिंदी भाषी' शब्दों का प्रयोग करते हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 में कहीं पर भी 'अहिंदी भाषी' शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है।

2. हिंदी संघ की राजभाषा है तथा देश की संपर्क भाषा है। अत: भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे सरकारी कामकाज में तथा गृह-पत्रिकाओं आदि में "अहिंदी भाषी" शब्दों के प्रयोग के स्थान पर "अन्य भाषा-भाषी" अथवा "हिंदीतर भाषी" शब्दों का प्रयोग करें तथा अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि को भी तद्नुसार कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करें।

एम. एल. गुप्ता

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 24611 031

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी, 2005 का का. ज्ञा. सं. 13015/1/91-रा.भा.(घ)

कार्यालय ज्ञापन

विषय :— परिवीक्षा अवधि के दौरान हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने संबंधी जरूरत का निर्धारण—संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश का कार्यान्वयन।

अधोहस्ताक्षरी को भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों का ध्यान कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13 अगस्त 2004 के का. ज्ञा. सं. 21011/1/96-स्थापना (ग) की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसके अधीन संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट (भाग-III) के पैरा 22 (ज) में की गयी निम्नलिखित सिफारिश को स्वीकृत किए जाने की सूचना दी गयी है:—

> "संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प, 1968 के अनुसार इस बात की जांच करने के लिए कि क्या भर्ती के समय अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, सभी पदों के भर्ती नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए। जहाँ किसी पद विशेष के लिए, किसी विशेष भाषा का ज्ञान अनिवार्य नहीं है वहाँ उम्मीदवार को अंग्रेजी अथवा हिंदी का विकल्प दिया जाना चाहिए और यदि भर्ती के समय उसे हिंदी का ज्ञान नहीं है तो नियमों में इस आशय का प्रावधान किया जाना चाहिए कि अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवार को हिंदी का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है।"

2. कुछ मंत्रालयों द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान हिंदी के किस स्तर का ज्ञान होना चाहिए। इस संबंध में इस विभाग द्वारा दिनांक 21 सितंबर, 1968 को जारी किये गए का. ज्ञा. सं. 3/18/68-एच के अनुसार निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत ध्यान में रखे जा सकते हैं :—

(i) जिन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए विहित शिक्षा का स्तर मैट्रिकुलेशन या उससे कम हो और जिनको कार्यालयों में कोई सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियां लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती (जैसे स्टाफ कार तथा इंजिन ड्राईवर, रिकार्ड सार्टर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, गैस्टेटेनर आपरेटर, डाकिया टेलीफोन आपरेटर आदि) वे केवल प्रबोध परीक्षा पास कर लें।

(ii) जिन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सामान्यत: स्वयं कोई सचिवालयीन काम करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो (जैसे डाक्टर, वैज्ञानिक, वर्कशाप तथा प्रयोगशालाओं आदि के पर्यवेक्षक कर्मचारी), वे केवल प्रवीण परीक्षा तक पास कर सकते हैं।

(iii) जिन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य करना, टिप्पणियां लिखना तथा पत्र-व्यवहार करना पड़ता है, उनके लिए प्राज्ञ परीक्षा अनिवार्य है।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पदों के भर्ती नियमों में इस आशय का एक प्रावधान किया जाये कि उम्मीदवार को अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान हिंदी का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। इस संबंध में की गई कार्यवाही से राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थन को (निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल, पर्यावरण भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली के पते पर) अवगत कराया जाएं।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग लोकनायक भवन, नई दिल्ली-3
दिनांक 25 फरवरी, 2005 का का. ज्ञा. सं. 13017/2/96-रा. भा. (नी.स.)
कार्यालय ज्ञापन

विषय :— अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य के लिए मानदेय के संबंध में।

अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य के लिए मानदेय देने के संबंध में राजभाषा विभाग के दिनांक 29-12-93 के का. ज्ञा. सं. 13017/2/89-रा. भा. (ग) का अधिक्रमण करते हुए ये आदेश जारी किए जा रहे हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों तथा इनके अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार कई कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाना है तथा कई कार्य केवल हिंदी में ही किए जाने हैं। कई कार्यालयों में अनुवाद की समस्या के कारण इन आदेशों का अनुपालन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद यह तय किया गया है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों जिनमें अनुवादक के पद नहीं हैं या जिनमें अनुवाद कार्य की अधिकता की वजह से उपलब्ध अनुवादक अनुवाद कार्य पूरा नहीं कर पाते, वहां अनुवाद कार्य मानदेय के आधार पर करवाया जाए तथा अनुवाद की दरें आकर्षक रखी जाएं मानदेय की नई दरें निम्न प्रकार रखी गई हैं :—

(i) सामान्य प्रकार की सामग्री से अनुवाद किए जाने वाली भाषा में अनुवाद करने के लिए 60/- रु. प्रति हजार शब्द,

(ii) संहिताओं, नियम पुस्तिकाओं आदि तकनीकी स्वरूप के अनुवाद कार्य के लिए 65/- रु. प्रति हजार शब्द।

2. मानदेय स्वीकार करते हुए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाएं :—

(क) अनुवाद कार्य अपने कार्यालय या दूसरे कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों से करवाया जा सकता है परंतु गैर-सरकारी व्यक्तियों से नहीं। इसके लिए उचित होगा कि प्रत्येक कार्यालय अपने यहां योग्य व्यक्तियों का पैनल तैयार रखे।

(ख) अनुवाद कार्य इस बात को ध्यान में रखते हुए सौंपा जाना चाहिए कि यह संबंधित व्यक्तियों की सामान्य सरकारी ड्यूटी तथा उत्तरदायित्वों के कुशलतापूर्वक निर्वहन में बाध्यकारी न हो।

(ग) हिंदी से संबंधित पदाधिकारियों- निदेशक (राजभाषा), संयुक्त निदेशक (राजभाषा), उपनिदेशक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा), वरिष्ठ अनुवादक तथा कनिष्ठ अनुवादक से मानदेय के आधार पर अनुवाद नहीं करवाया जाए।

(घ) विभागाध्यक्ष यह प्रमाणित करें कि अनुवाद करवाना आवश्यक था और वास्तव में उतने शब्दों का अनुवाद किया गया जिसके लिए मानदेय स्वीकार किया जा रहा है।

(ङ.) इस मानदेय पर होने वाला खर्च संबंधित कार्यालय द्वारा अपने स्वीकृत बजट से किया जाएगा।

(च) जो व्यक्ति पहले से ही हिंदी जानते हैं या जिन्होंने हिंदी की परीक्षा पास करके हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन्हें सामान्यत: हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। प्रयास यह किया जाए कि जो पत्र हिंदी में जाने हैं उनके मसौदे हिंदी जानने वाले अधिकारी और कर्मचारी मूल रूप में हिंदी में ही तैयार करें। जहां ऐसा करने में कठिनाई हो या कोई पत्र, परिपत्र आदि हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी होना हो तभी अनुवाद का सहारा लिया जाए।

(छ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-7-1998 के का. ज्ञा. सं. 17011/3/97-स्था. (भत्ते) के अनुसार मानदेय की अधिकतम सीमा राशि रु. 5000/- प्रतिवर्ष है।

3. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, जहां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/निकायों तथा कार्यालयों के मैनुअलों, संहिताओं व फार्मों आदि के विविध असांविधिक कार्यविधि साहित्य का अनुवाद किया जाता है, में अनुवाद कार्य कार्यरत तथा ब्यूरो के बाहर के अनुवादकों, जिनमें कार्यरत तथा सेवानिवृत्त अनुवादक/अनुवाद अधिकारी/हिंदी अधिकारी तथा अनुवाद कार्य या अनुवाद प्रशिक्षण से संबद्ध अनुभवी सरकारी एवं गैर-सरकारी व्यक्ति हो सकते हैं, के द्वारा करवाया जा सकता है।

4. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

5. यह कार्यालय ज्ञापन, वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 25-1-2005 की अ. वि. टि. सं. 17011/4/96-स्थापना (भत्ते) में दी गई सहमति से जारी किया जाता है। ❐

महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था—
हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।

पाठकों के पत्र

राजभाषा भारती (जनवरी-मार्च, 2004) पढ़ी। पत्रिका की बाह्य तथा भीतरी सुंदरता बहुत ही आकर्षक है। विशेषकर डॉ. राजेन्द्र प्रताप सिंह का "हिंदी : राजभाषा से जनभाषा तक" लेख बहुत ही रोचक लगा। हिंदी की विविध समस्याओं पर लेखक के प्रौढ़ विचार काफी विचारणीय हैं। अन्य सामग्री भी सराहनीय है।

श्री जे. आर. बालकृष्णन नायर
वर्कला, केरल-695141

राजभाषा भारती का अंक 106 मिला। पढ़ने पर हमें कई प्रकार की जानकारी मिली। हमारे वाचनालय और ग्रंथालय के कर्मचारी इसे बहुत चाव से पढ़ते हैं। इस अंक में संपादक की कार्यकुशलता, विचारशीलता तथा परिश्रम झलकता है। कहानी, व्यंग्य व कविताओं से पत्रिका साहित्यिक रूप लिए हुए हैं। आपकी राजभाषा भारती हमें लगातार प्राप्त हो रही है।

धन्यवाद

श्री आर. स्वामीनाथन
सचिव,
14(8), राजेश्वरी नगर, मयिलाडुतुरै-609001 (तमिलनाडु)

नव वर्ष आपके तथा आपके परिवार के लिए उत्तम स्वास्थ्य, उत्कृष्ट सृजन व उपलब्धियों के उत्कर्ष का वर्ष हो। आपके निर्देशन में रचनाधर्मिता विश्व-कल्याण की भावना से ओत-प्रोत होकर हिंदी, भाषा, संस्कृति, साहित्य एवं ज्ञान-विज्ञान को नए क्षितिज व नव आयाम दे।

डॉ दिनेश चमोली
प्रभारी, राजभाषा अनुभाग
भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, हरिद्वार रोड, मोहकमपुर, देहरादून 248005

राजभाषा भारती, जनवरी-मार्च, 2004, हमें प्राप्त है। राजभाषा भारती जैसी श्रेष्ठ पत्रिका पढ़ने का सुअवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि आपकी पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख स्तरीय एवं सारगर्भित हैं। उक्त पत्रिका में चिंतन, साहित्यिकी, विज्ञान, आर्थिक एवं संस्कृति आदि शीर्षकों के अंतर्गत राजभाषा हिंदी, साहित्यिक हिंदी और आधुनिक विज्ञान के संबंध में विविध दिलचस्प विषयों पर गुणात्मक एवं ज्ञानवर्धक लेखों का संपादन कर सुंदर ढंग से प्रकाशित कराने के लिए संपादन समिति के सभी सदस्यों तथा पत्रिका के संपादन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मैं अपनी ओर से और अपनी संस्था की ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ।

पत्रिका में प्रकाशित "हिंदी-राजभाषा से जनभाषा तक" लेख बहुत अच्छा रहा है। उक्त लेख में राजभाषा हिंदी की विकास यात्रा का संक्षिप्त विवरण है। हमारे महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर साहित्यिक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ायी जाती है। डॉ. उत्तम पटेल का "इंटरनेट और हिंदी साहित्य" लेख में हिंदी का विलक्षण और वैज्ञानिक प्रगति का परिचय मिलता है जो ज्ञानवर्धक है।

पी. के. जयलक्ष्मी
रीडर व अध्यक्ष, हिंदी विभाग
संत जोसफ़ महिला महाविद्यालय (स्वायत्त), विशाखापट्टणम

आपके संपादन में प्रकाशित पत्रिका राजभाषा भारती हमें काफी पसंद आती है और उसके कई आलेख संग्रह करने लायक हैं।

अरविंद कुमार सिंह

राजनीतिक संपादक एवं दिल्ली ब्यूरो प्रमुख जनसत्ता एक्सप्रेस

383, एस ब्लाक, डबल स्टोरी न्यू राजेंद्र नगर, नई दिल्ली 1100060

इस अंक में चिंतन, साहित्यिकी, विज्ञान, पत्रकारिता, विविध आदि शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित लेख शोधपरक, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक हैं। इनमें वैचारिक चिंतन उच्चतम सीमा पर है। संपादन कौशल उत्कर्ष पर है। विषयों का चयन विवेकपूर्ण ढंग से किया गया है। राजभाषा संबंधी गतिविधियां प्रेरणादायी हैं, अनुकरणीय हैं। इस संग्रहणीय अंक के लिए बधाई।

डॉ. अमर सिंह वधान,

7-ए, 9 मंजिल, टी. एन. एच. बी. टॉवर कम्प्लेक्स

वीलीवाक्कम, चेन्नै-600049

संग्रहालय को राजभाषा विभाग की त्रैमासिकीय अंक-106 प्राप्त हुई। आपकी पत्रिका काफी गवेषणापूर्ण तथा मेधा से परिपूर्ण है। डॉ. अमर सिंह वधान का लेख अत्यन्त रोचक एवं प्रासंगिक है। लेख की सुबोधता इसे महिमा प्रदान करता है।

उदय शंकर तिवारी

निदेशक

इलाहाबाद संग्रहालय, चन्द्रशेखर आजाद पार्क, इलाहाबाद-2

आपके कार्यालय से प्रकाशित विभागीय हिंदी पत्रिका राजभाषा भारती अंक 104 प्राप्ति हुई। पत्रिका के प्रकाशन में जहाँ कर्मचारियों की छुपी साहित्यिक प्रतिभा की अभिव्यक्ति को उचित मंच मिलता है वहीं उनके प्रकाशन से राजभाषा के प्रचार-प्रसार की अभिवृद्धि हेतु सहायक सिद्ध होती हैं।

इसमें प्रकाशित विभागीय उपयोगी, ज्ञानवृर्धक एवं हास्य व्यंग्य सामग्री से पाठकों के लिए ज्ञानार्जन एवं मनोरंजन का साधन है। इस सुप्रयास के लिए संपादक मंडल को मेरी ओर से शुभेच्छा एवं बधाई।

सी. एल. परमार,

उपनिदेशक (राजभाषा)

मुख्य कार्यालय, भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की त्रैमासिक हिंदी गृह पत्रिका राजभाषा भारती का अप्रैल-जून, 2004 साभार प्राप्त हुआ, पत्रिका के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों में राजभाषा के विकास, प्रचार-प्रसार एवं गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही, लेखकों, कवियों, कथाकारों, साहित्यकारों, प्रबुद्ध व्यक्तियों के बारे में भी समय-समय पर ज्ञानवर्धक लेख इस पत्रिका के हर अंक में पढ़ने को प्राप्त होते हैं।

इस अंक में भी 'अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि', 'भारतीय अर्थव्यवस्था', 'आउट सोर्सिंग' एवं 'पर्यावरण प्रदूषण' लेखों द्वारा कई श्रेष्ठ जानकारियाँ प्राप्त हुईं। शेष स्तंभ भी पठनीय हैं।

मनोज कुमार शर्मा

सहायक निदेशक (राजभाषा)

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, डाकघर : भापासं कॉलोनी, तूतीकोरिन-628007

''राजभाषा भारती'' के 106वां अंक में दर्शन, साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता से संबंधित लेखों एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजभाषा की गतिविधियों का समावेश बखूबी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएं

पठनीय, रोचक, ज्ञानवर्धक एवं संग्रहणीय हैं। विशेषकर इन्दुबाला का लेख 'कबीर की भाषा', डॉ. अचिंत्य का लेख 'भूकंप में ढांचीय क्षति का मृदुलीकरण' एवं श्री अमृत कुमार शर्मा का लेख 'नारी अपना अस्तित्व खोजती' सराहनीय प्रयास है। मृदा संरक्षण सेवा (एस.सी.एस.) वक्र संख्या (सी.एन.) पर आधारित समय वितरण अपवाह निर्देश विषय पर लेख अनुवादपरक होने के कारण साधारण पाठक की समझ से परे है। जन सामान्य गणित की जटिलताओं को भी नहीं समझ सकता है।

श्रेष्ठ संपादन तथा सुंदर, स्तरीय सामग्री संकलन के लिए संपादक मंडल को बधाई एवं पत्रिका के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रगति की शुभकामनाएँ।

राजेन्द्र खरे

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/राजभाषा अनुभाग

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, मध्य प्रदेश का कार्यालय "लेखा भवन", ग्वालियर-474 002

"राजभाषा भारती" का हर एक अंक
है भाषा क्षितिज का मधुर मयंक
राष्ट्रभाषा, राजभाषा का अग्रदूत है
साहित्य, ज्ञान-विज्ञान का मेघदूत है
हर विधा का ज्ञान "राजभाषा भारती"
फिर क्यों न उतारें हम इसकी आरती
है यही कामना, "राजभाषा भारती"
ज्योत्स्ना सम खिले बन भारत की भारती

भागवत प्रसाद राय

सहा. निदे. (रा. भा.)

केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (औ. सा. स्कंध) 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700 001

"राजभाषा भारती" का नया अंक मिला। धन्यवाद । राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी "राजभाषा भारती" के सभी अंक हमें नियमित रूप से मिल रहे हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पत्रिका के स्तर में सराहनीय गुणात्मक सुधार तो आया ही है, साथ ही इसमें विविधता लाने के लिए विद्वान संपादक मंडल को हार्दिक बधाई है। चिंतन, साहित्यिकी, विज्ञान, संस्कृति, आर्थिक एवं राजभाषा संबंधी लेख अत्यधिक ज्ञानवर्धक एवं सूचनापरक हैं, जो पाठक को एक ही बार में अद्योपांत पढ़ने को विवश करते हैं। इस पत्रिका के गवाक्ष से राजभाषा संबंधी विविध क्रियाकलापों के भी हमें दर्शन होते हैं।

नीलांबर पांडेय

संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्यौगिकी विभाग, टेक्नोलॉजी भवन, नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016

राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" के अप्रैल-जून, 2004 का 105वां अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका में प्रकाशित "राष्ट्रीय चेतना के प्रतिनिधि कवि-मैथिली शरण गुप्त" बहुत रोचक तथा ज्ञानवर्धक है। इसके अतिरिक्त अन्य लेख तथा रिपोर्ट भी पठनीय हैं।

पत्रिका के सफल संपादन की शुभ कामनाओं सहित।

बदरी यादव

हिंदी अधिकारी,

महानिदेशालय, असम राइफल्स, शिलांग-793011

वर्तमान अंक विशुद्ध विज्ञापन पर आधारित अंक हो गया है। मनोविज्ञान के अनुवाद की समस्या (डॉ. वधान), विज्ञान के विकास में हिंदी का योगदान के अलावा विज्ञान स्तंभ में तो कुछ उल्लेखनीय एवं संकलनीय रचनाओं का समावेश कर आपने इसकी उत्कृष्टता में चार चाँद लगा दिए हैं। लोग कहते हैं—''विज्ञान के लिए अंग्रेजी अनिवार्य है'' इसको झुठलाने में ये रचनाएं सक्षम हैं।

कबीर की भाषा क्या ? जिसने कोई लिखित पांडुलिपि नहीं छोड़ी। जहाँ के लोग उनसे प्रभावित हुए, वहीं की भाषा में उनके कवित्त गाए गए। बहरहाल अंक काफी अच्छा है। बधाई स्वीकारें।

अनिल पतंग
हिंदी-अधिकारी,
दूरदर्शन केंद्र, जालंधर (पंजाब)

'राजभाषा भारती' का जुलाई-सितंबर 2004 अंक प्राप्त हुआ। धन्यवाद। पत्रिका में चिंतन, साहित्यिकी, विज्ञान और पत्रकारिता संबंधी लेख पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई तथा राजभाषा संबंधी गतिविधियों की जानकारी पाकर हमें इस संबंध में उचित मार्गदर्शन मिला। आशा है आप यह पत्रिका नेशनल बुक ट्रस्ट में नियमित रूप से भेजते रहेंगे।

डॉ. ललित किशोर मंडोरा,
संपादकीय सहायक (प्रौ. शि./राजभाषा),
नेशनल बुक ट्रस्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग ए-5, ग्रीन पार्क, नयी दिल्ली-110016

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित राजभाषा भारती त्रैमासिक पत्रिका, अंक-105 (अप्रैल-जून, 2004) की एक प्रति प्राप्त हुई। उस अंक के अवलोकन से यह देखने में आया कि उसमें बहुत अच्छे-अच्छे विषयों से संबंधित लेख/रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। उन रचनाओं के अध्ययन से अनिवार्य रूप से पाठकों के ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। यह एक संग्रहणीय रचना है। पत्रिका कार्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय को भिजवा दी गई है जहाँ अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी उसे पढ़ कर लाभ उठा सकें।

अजय कुमार बक्सी
उप प्रबंधक (राजभाषा),
नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. तीस्ता चरण- V, जलविद्युत परियोजना, पूर्वी सिक्किम

आपके विभाग द्वारा प्रकाशित त्रैमासिकी राजभाषा भारती का अप्रैल-जून, 2004 का अंक इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। पत्रिका का अवलोकन करने के पश्चात् राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार की दिशा में आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना व प्रशंसा किए बगैर नहीं रहा जा सकता। पत्रिका में एक ओर हिंदी की सरस्वती : महादेवी वर्मा, राष्ट्रीय चेतना के प्रतिनिधि कवि : मैथिलीशरण गुप्त जैसे साहित्यिक लेख हैं वहीं दूसरी ओर ''कैसे बना हमारा ब्रह्मांड'' विज्ञान के बारे में हमें बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं।

गुलशन लाल चोपड़ा
हिंदी अधिकारी,
हिंदी अधिकारी का सूचना ब्यूरो, (गृह मंत्रालय) भारत सरकार, नई दिल्ली

''राजभाषा से जनभाषा तक'' पढ़ा, बधाइयाँ।

सभी मुद्दे आपने ठीक उठाए हैं, विवेचन उत्तम है।

प्रो. कैलाश चंद्र भाटिया
नंदन, भारत नगर,
मौरिस रोड, अलीगढ़-202001

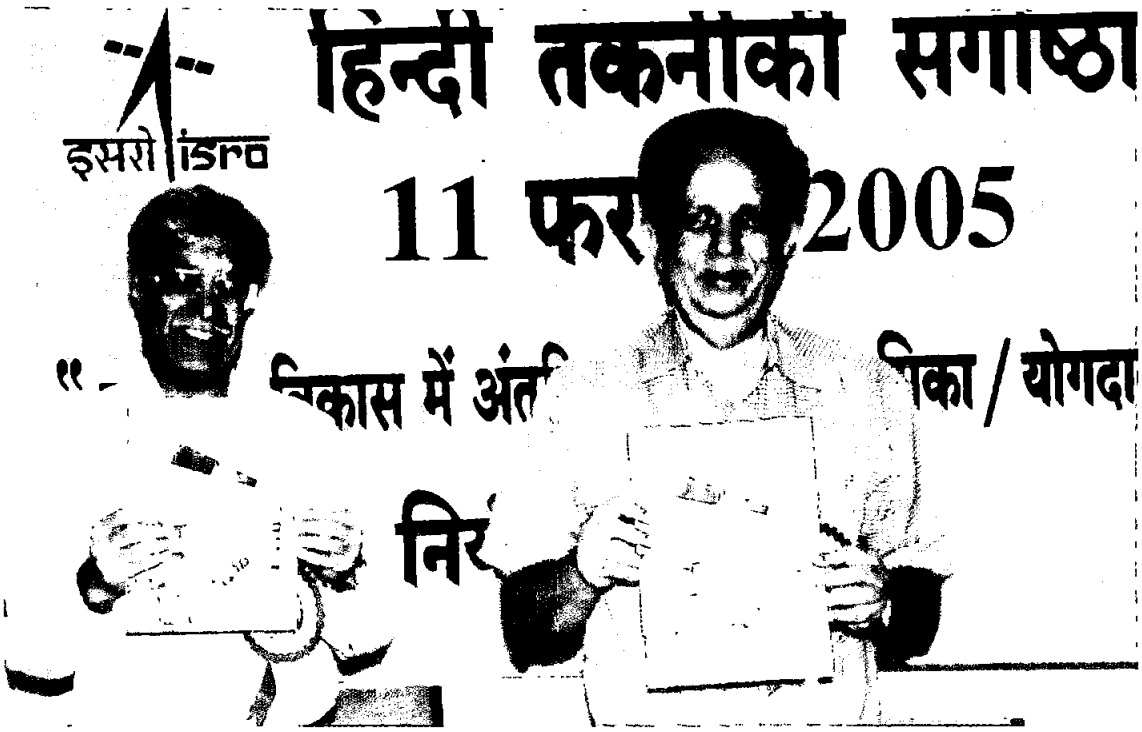

हिंदी तकनीकी संगोष्ठी के दौरान आलेख पुस्तिका का विमोचन करते हुए डॉ॰ जी॰ माधवन नायर, अध्यक्ष, इसरो एवं सचिव, अंतरिक्ष विभाग साथ में डॉ॰ एम॰ वाई॰ एस॰ प्रसाद, निदेशक, मुख्य नियंत्रण सुविधा

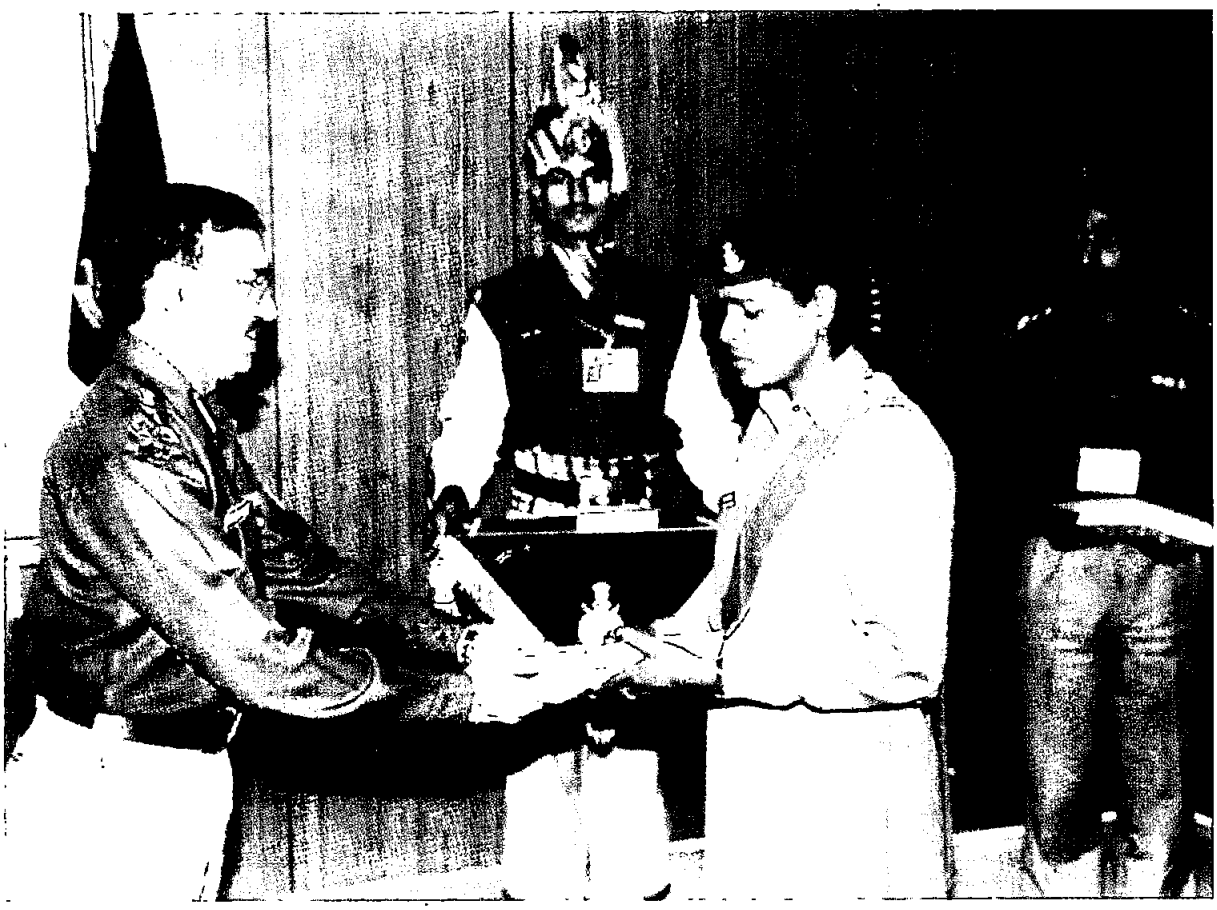

महानिदेशालय, भा॰ ति॰ सी॰ पु॰ बल में आयोजित 35वीं हिंदी कार्यशाला के प्रमाण-पत्र वितरण समारोह में मुख्य अतिथि श्री मैथिलीशरण गुप्त, उप महानिरीक्षक (प्रशासन) कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र एवं सहायक साहित्य प्रदान करते हुए

पं. सं. 3246/77
आई एस एस एन 0970-9398

हिंदी

*विनोद चन्द्र पाण्डेय 'विनोद'

आओ, आओ, हिंदी भाषा हम सहर्ष अपनाएं।

स्वरों, व्यंजनों से परिनिष्ठित, है वर्णों की माला।
शब्द-शब्द अत्यंत परिष्कृत, देते अर्थ निराला॥

उच्चकोटि के भाव निहित हैं, नित प्रेरणा जगाएं।
आओ, आओ, हिंदी भाषा हम सहर्ष अपनाएं॥

व्यक्त विचारों को करने का, यह सशक्त माध्यम है।
देवनागरी लिपि अति सुंन्दर, सर्वश्रेष्ठ उत्तम है॥

इसकी हैं बोलियाँ बहुत सी, इसे समृद्ध बनाएं।
आओ, आओ, हिंदी भाषा हम सहर्ष अपनाएं॥

उच्चारण, वर्तनी सभी में, इसको सिद्धि मिली है।
है व्याकरण परम वैज्ञानिक, पूर्ण प्रसिद्धि मिली है॥

इसके अंदर संप्रेषण के अनुपमेय गुण पाएं।
आओ, आओ, हिंदी भाषा हम सहर्ष अपनाएं॥

हिंदी सरल, सुबोध, सरस है, नहीं कहीं कठिनाई।
जो भी इसे सीखना चाहें, लक्ष्य मिले सुखदाई॥

काम करें हम सब हिंदी में, इसकी ख्याति बढ़ाएं।
आओ, आओ, हिंदी भाषा हम सहर्ष अपनाएं॥

कवियों ने की प्राप्त प्रतिष्ठा, रच कविता कल्याणी।
गूँज रही है अब भी उनकी, पावन, प्रेरक वाणी॥

हम इसकी साहित्य-संपदा, भूल न किंचित जाएं।
आओ, आओ, हिंदी भाषा हम सहर्ष अपनाएं॥

ओजस्वी कविताएँ लिखकर अमर चंद बरदाई।
अमिट भक्ति की धारा, तुलसी ने सर्वत्र बहाई॥

सूर, कबीर, जायसी की भी कृतियाँ हृदय लगाएं।
आओ, आओ, हिंदी भाषा हम सहर्ष अपनाएं॥

केशव, देव, बिहारी, भूषण, के हम सब आभारी।
रत्नाकर, भारतेंदु उच्च पद के सदैव अधिकारी॥

महावीर, मैथिलीशरण, हरिऔध सुकीर्ति कमाएं।
आओ, आओ, हिंदी भाषा हम सहर्ष अपनाएं।

पंत, प्रसाद, महादेवी का योगदान अनुपम है।
देन निराला, की हिंदी को परम श्रेष्ठ उत्तम है॥

दिनकर, सोहनलाल, द्विवेदी, राष्ट्र-भक्ति उपजाएं।
आओ, आओ, हिंदी भाषा हम सहर्ष अपनाएं॥

करें प्रयोग नित्य हिंदी का, रक्खें अविचल निष्ठा।
ऐसा करें प्रयास कि जिससे, जग में मिले प्रतिष्ठा॥

हिंदी का ध्वज अखिल विश्व में मिल-जुल कर फहराएं।
आओ, आओ, हिंदी भाषा हम सहर्ष अपनाएं॥

*सी-10, सैक्टर-जे, अलीगंज, लखनऊ-226064

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, खान मार्केट नई दिल्ली-110003 के लिए डॉ राजेन्द्र प्रताप सिंह, उप संपादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।